लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 26 May 2008

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 2, सोमवार, 26 फरवरी, 2007/07 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
स्पेन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	3–93
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 125	93–462
सभा पटल पर रखे गए पत्र	462–465
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	465–466
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	466
रेल बजट 2007-2008	467–508
नियम 377 के अधीन मामले	508–518
(एक) हैदराबाद शहर को सुन्दर बनाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अंजनकुमार यादव	508
(दो) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आहार और पौष्टिकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री मधु गौड यास्खी	508–509
(तीन) गुजरात के मेहसाणा में ओ.एन.जी.सी. द्वारा अर्जित लाभ की कुछ राशि को क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	509–510
(चार) बिहार तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	510
(पांच) "विश्वकर्मा जयन्ती दिवस" को अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	510–511
(छह) विधि व्यवसाय पर सेवा कर वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खादरवेनथन	511

विषय		कॉलम
(सात)	गुजरात में मैरीटाईम यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	511–512
(आठ)	उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में हाल ही में वर्षा तथा ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उनको विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	512
(नौ)	मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, राजस्थान को आई.आई.टी. का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	512
(दस)	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
	डा. सत्यनारायण जटिया	513
(ग्यारह)	उड़ीसा के बरहामपुर और राउरकेला के बीच एक नियमित एक्सप्रेस और शताब्दी गाड़ी आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जुएल ओराम	513
(बारह)	वर्तमान पालक्कड़ रेलवे मंडल को दो भागों में बांटे जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एन. कृष्णदास	513–514
(तेरह)	केरल के अलाप्पुझा जिले में कुट्टानाडु वेट लैण्ड के संरक्षण और विकास के लिए डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बहु-शाखीय दल की अंतरिम रिपोर्ट को लागू किए जाने की आवश्यकता	
	डा. के.एस. मनोज	514
(चौदह)	दूरदर्शन पर विशेषरूप से पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक नया चैनल आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	514–515
(पन्द्रह)	गोरखपुर और छपरा के बीच एक इंटरसिटी रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	515
(सोलह)	जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पटना और बोधगया में विकास कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	515–516
(सत्रह)	मुम्बई में मलिन बस्ती स्वच्छता कार्यक्रम चरण-दो के लिए विश्व बैंक से अनुदान/ऋण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	516

विषय		कॉलम
(अठारह)	यनम क्षेत्र में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी समाधान हेतु पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को 95 करोड़ रुपए दिए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. एम. रामदास	516–517
(उन्नीस)	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची द्वारा आरनामेंटल फिश कल्चर पर राजसहायता योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	517–518
(बीस)	पंढरपुर और मुम्बई के बीच चन्द्रभागा एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन तथा दिल्ली से मनमाड/कोपरगांव के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	518
अनुबंध-I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		519
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		520–524
अनुबंध-II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		525–526
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		525–526

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 26 फरवरी, 2007/7 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

स्पेन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, स्पेन से हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए प्रेजीडेंट आफ सीनेट, महामहिम श्री जेवियर रोजो तथा स्पेनिश संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

वे शुक्रवार, 23 फरवरी, 2007 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद होगा। हम उनके माध्यम से स्पेन राजतंत्र के राजा, संसद, सरकार तथा मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न-काल शुरू होगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष की बात भी नहीं सुन रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कृपया आप अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या मैं आप लोगों से कुछ कह सकता हूं? मैं मदद करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप यहां से क्या बोलेंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनसे पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप लोग सभा को नहीं चलने देना चाहते हैं तो मुझसे कहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां कुछ माननीय अतिथि बैठे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक बार चुप कीजिए। एक बार शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है। इसका एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रत्येक को बोलने की अनुमति दीजिए। सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी बात कौन सुनेगा? उन्हें वापस जाने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

*1. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:***
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का वर्ष-वार कुल कितना भंडार रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न जारी किया गया तथा निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यातकों को खाद्यान्न रियायती दरों पर जारी किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्यातकों को दी गई राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए और उठाये गये खाद्यान्नों एवं उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक निम्नानुसार था:-

(आंकड़े लाख टन में)

खाद्यान्न	1.4.2004 की स्थिति के अनुसार	1.4.2005 की स्थिति के अनुसार	1.4.2006 की स्थिति के अनुसार
चावल	130.69	133.41	136.75
गेहूं	69.31	40.66	20.09
मोटे अनाज	6.47	5.64	9.38
जोड़	206.47	179.71	166.22

(ख) भारतीय खाद्य निगम से निर्यात के लिए उठाए गए गेहूं और चावल की मात्रा नीचे दी गई है:-

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	जोड़
2003-04	70.69	30.71	101.40
2004-05	07.45*	0.90*	08.35
2005-06	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़	78.14	31.61	109.75

*11 अगस्त, 2003 से गेहूं और चावल के निर्यात हेतु नए आवंटनों/रिलीज आदेशों को जारी करना बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए गेहूं और चावल की बिक्री में खर्च की गई राजसहायता की राशि निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	गेहूं	चावल	जोड़
2003-04	2290.80	1862.31	4153.11
2004-05	644.15	336.88	981.03
2005-06	6.61	7.94	14.55

*यह राशि पिछले वर्षों के दौरान बेचे गए खाद्यान्नों हेतु वर्ष 2005-06 में भारतीय खाद्य निगम को किए गए बकाया के भुगतानों के संबंध में है।

(ङ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आवंटन और उठान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	आवंटन	उठान
2003-04	712.53	239.30
2004-05	716.99	293.55
2005-06	716.21	311.05

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किया जाता है। इस अवधि के दौरान लागू मूल्य निम्नानुसार है:-

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर (रुपये प्रति क्विंटल)	गरीबी रेखा से नीचे (रुपये प्रति क्विंटल)	अंत्योदय अन्न योजना (रुपये प्रति क्विंटल)
चावल*			
(1) साधारण	795	565	300
(2) ग्रेड 'ए'	830	565	300
गेहूं*	610	415	200

1.7.2002 से लागू

[हिन्दी]

उर्वरकों की कमी

*2. **श्री शिशुपाल एन. पटले:**
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान देश में राज्य-वार उर्वरकों की कितनी मांग और आपूर्ति दर्ज की गई;

(ख) क्या चालू रबी मौसम के लिए उर्वरकों की कमी है और उन्हें उपलब्ध कराने में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता/वितरण की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है जैसाकि दिनांक 30 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या उक्त योजना पर होने वाले संभावित व्यय का कोई आकलन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जबकि वर्ष 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) के

दौरान देश में उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री निम्नानुसार थी, फिर भी उर्वरक विभाग द्वारा राज्य स्तर पर खरीफ और रबी मौसम के प्रत्येक माह के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी:

01.04.2006 से 31.01.2007 तक (लाख मी. टन)

उत्पाद	मांग (मौसम से पूर्व आकलित)	उपलब्धता	बिक्री
यूरिया	223.12	222.94	208.71
डीएपी	73.46	77.79	62.09
एमओपी	28.44	22.76	20.06

(ख) और (ग) कुछ राज्यों में स्थानीय स्तरों पर कमियों की सूचना मिली थी। यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसका संचलन और वितरण भारत सरकार के आंशिक नियंत्रण में है। भारत सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे राज्य के अंदर स्थानीय मांग के अनुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करें।

(घ) से (छ) सरकार ने नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) चरण-III को 01.02.2007 को अनुमोदित कर दिया है जिसे 01.10.2006 से कार्यान्वित किया जाएगा। एनपीएस-III के अंतर्गत यूरिया के संचलन की पूरे देश में आनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा निगरानी की जाएगी। यूरिया पर राजसहायता का भुगतान तभी किया जाएगा जब यूरिया जिले में पहुंच जाएगा। इसके अलावा, विभाग मौसमी आवश्यकता के 5% की सीमा तक प्रमुख खपत वाले राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से बफर स्टाक का प्रचालन करेगा।

जहां तक नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है। राजसहायता उर्वरकों की बिक्री के आधार पर जारी की जाती है। किसी राज्य में नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की समस्त आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारों को कम से कम एक राज्य संस्थागत एजेंसी का चयन करने की सलाह दी गई है जो नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार द्वारा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के बफर स्टाक का इस्तेमाल किसी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा।

देश के दूर-दराज के इलाकों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया इकाइयों को भाड़े की प्रतिपूर्ति अब रेल और सड़क की वास्तविक दूरी के अनुसार ही की जाएगी। ऐसा करने से प्रतिवर्ष कुल 99.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज नीति

*3. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उन कुछ जेनरिक औषधियों की प्रथम सूची जारी की है जिनके मूल्यों में कमी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भेषज कंपनियों ने अभी तक उन औषधियों के मूल्यों में कमी नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त औषधियों के मूल्यों में कमी करने के उनके वायदे को पूरा करने हेतु उक्त कंपनियों के लिए कोई समय-सीमा भी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने औषधि मूल्यों संबंधी राष्ट्रीय भेषज नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(च) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ग्यारह कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से जिन 886 दवाओं की कीमतें घटाने पर सहमति जताई गई थी, उनका संकलन इस विभाग के वेबसाइट www.chemicals.gov.in पर उपलब्ध है। इसे संसद पुस्तकालय में भी रखा गया है। इस सूची में टैबलेट, कैप्सूल और सिरप इत्यादि जैसे सभी खुराक प्रकारों के फार्मूलेशन शामिल हैं तथा इनका उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में होता है। इस सूची में एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, दर्द-निवारक तथा शल्य क्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली, संक्रामक रोगों तथा हाइपरटेंशन आदि के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाएं शामिल हैं।

कंपनियों द्वारा 2 अक्तूबर/2 नवंबर, 2006 के बाद विनिर्मित पैकों पर संशोधित दरें लागू की जानी थीं। इन दवाओं की कीमतों का सर्वेक्षण 22.2.2007 को फार्मा पीएसयूज द्वारा कराया गया तथा कुछ कंपनियों से भी फीडबैक प्राप्त किए गए। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार 886 दवाओं में से 258 दवाएं दिल्ली के बाजार में घटी हुई कीमतों पर उपलब्ध हैं। कुछ अन्य शहरों में भी इनमें से कुछ उत्पाद घटे हुए मूल्यों पर उपलब्ध हैं। अधिकांश कंपनियों ने सूचित किया है कि दवाओं की उपलब्धता वितरक के पास पड़े उनके स्टाक के बिक जाने पर निर्भर करती है।

कंपनियों द्वारा यह कटौती स्वैच्छिक आधार पर की गई है। ट्रेड मार्जिन की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए इस मुद्दे का समाधान प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति के जरिए करने की योजना है।

(ङ) से (छ) इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषध नीति-2006 का प्रारूप विभिन्न स्टेकधारकों के साथ वृहत परिचर्चा के उपरांत एवं सरकार द्वारा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में घोषित लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया था। इस नीति को मंत्रिमंडल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को संपन्न अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर पहले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। अब इस जीओएम का गठन किया जा चुका है। इस जीओएम की पहली बैठक जल्दी ही होने की संभावना है। नीति की घोषणा के बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

प्रस्तावित नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

* औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (स्वास्थ्य विभाग द्वारा),
* पेटेंट कार्यालय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा),
* अनुसंधान एवं विकास-प्रसंस्करण विकास, औषध खोज, औषध विकास एवं नैदानिक परीक्षणों पर ध्यान,
* राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) जैसे और अधिक संस्थानों के माध्यम से औषधीय विज्ञान में मानव संसाधन विकास,
* औषधों पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाना,
* सरकार द्वारा औषधों की बल्क खरीद की प्रणाली को सुचारू बनाना,
* जेनरिक दवाओं का संवर्द्धन (सरकारी खरीद में प्राथमिकता),
* फार्मा सीपीएसईज का सुदृढ़ीकरण,
* गरीबों खासतौर पर बीपीएल परिवारों तक दवाओं की पहुंच बनाने के लिए योजनाएं-बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, औषध बैंक, कैंसर दवा सहायता निधि, केन्द्र और राज्य स्तरों पर रुग्णता सहायता निधि का सुदृढ़ीकरण तथा जिला स्तर पर ऐसी ही निधि की स्थापना,
* उत्कृष्ट विनिर्माण परम्पराओं के लिए औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 की अनुसूची 'एम' के कार्यान्वयन के लिए ब्याज सब्सिडी की योजनाएं,
* राज्यों आदि में बेहतर कम्प्यूटरीकरण, निगरानी प्रकोष्ठों के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का सुदृढ़ीकरण,
* आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2003 के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट दवाओं पर मूल्य नियंत्रण लागू करना,
* एनपीपीए द्वारा औषधों के मूल्यों की प्रभावी निगरानी प्रणाली,
* ट्रेड मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना,
* फार्मा कंपनियों से वसूली गई अतिप्रभारित राशि से एक निधि का सृजन। इस निधि का उपयोग औषध मूल्य निगरानी तथा औषध बैंकों को मदद प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

खाद्यान्नों का आयात

***4. श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले दो वर्षों के दौरान चावल और गेहूं का आयात करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य सहित किए गए आयातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनाजों की ढुलाई पर इनके आयात मूल्यों की तुलना में अधिक प्रभार का भुगतान किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने 'पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची छः में संशोधन करने की किसी योजना को अंतिम रूप दिया है;

(च) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित कदम के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान चावल का आयात नहीं किया है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार गेहूं का आयात किया गया है। गेहूं के आयात के तिमाही-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	अवधि	मात्रा (लाख टन में)
1	2	3
1.	अप्रैल, 2005-मार्च, 2006	शून्य
2.	अप्रैल, 2006-जून, 2006	0.92
3.	जुलाई, 2006-सितम्बर, 2006	15.03
4.	अक्तूबर, 2006-दिसम्बर, 2006	28.37
5.	जनवरी, 2007-फरवरी, 2007 (19.2.2007 तक)	06.44

निविदा-1, निविदा-2 और निविदा 3 से 5 तक के लिए गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां क्रमशः विवरण I, II और III के रूप में संलग्न है।

निविदा-वार मात्रा और भारित औसत मूल्य विवरण IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विवरण IV में दिए गए भारित औसत मूल्य में समुद्री भाड़ा शामिल है। आंतरिक ढुलाई की लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है, जो गन्तव्य दर गन्तव्य भिन्न-भिन्न होती है।

(ङ) देश में गेहूं और चावल का आयात करने के लिए पादप स्वच्छता अपेक्षाओं के संबंध में पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची-6 में संशोधन करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण I

2005-06 के दौरान आयात के लिए गेहूं की गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां (निविदा-1)

गेहूं प्राकृतिक आकार, रूप, रंग और चमक का परिपक्व सूखा दाना होगा और ठोस विपणनीय स्थिति में होगा। गेहूं मृदु, स्वच्छ, साबुत होगा और निम्न अनुसूची में किए गए उल्लेख को छोड़ कर विषाक्त खरपतवार बीजों तथा सभी अन्य अशुद्धियों सहित मिट्टी, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगा। गेहूं, भंडारित अनाज को हानि पहुंचाने वाले जीवित घुन तथा अन्य कीटों से मुक्त होगा, जिसका तात्पर्य अंडे, लार्वा और पुपाल अवस्थाओं सहित जीवित जन्तुबाधा की सभी अवस्थाओं से मुक्त होगा। गेहूं आर्जीमोन मेक्सिकाना, लैथायरस सैटीवस, ड्वार्फ बंट (टिलेटिया कांट्रावर्सा) और अर्गट (क्लेवीसेप्स परपुरिया) से पूर्णतया मुक्त होगा।

1.	परीक्षण भार	78 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर (न्यूनतम)
2.	विजातीय तत्व (अन्य खाद्यान्न, अकार्बनिक तत्व और खरपतवार के बीजों सहित)	1% (अधिकतम), भार द्वारा, जिसमें भार द्वारा 0.2% से अधिक खनिज तत्व नहीं होने चाहिए और भार द्वारा 0.10% से अधिक पशुमल की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए।
3.	क्षतिग्रस्त दाने (गर्मी से क्षतिग्रस्त, दागी, बदरंग, काले कोने का, अंकुरित, तुषारित, कीट से क्षतिग्रस्त, कर्नल बंट से प्रभावित दाने सहित। कर्नल बंट प्रभावित अनाज और अंकुरित दानों की सीमा भार द्वारा प्रत्येक के संबंध में 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।	3% (अधिकतम)

4.	टूटे और सिकुड़े हुए दाने कुल विजातीय तत्व, क्षतिग्रस्त, टूटे और सिकुड़े दाने समग्र के 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।	3% (अधिकतम)
5.	नमी तत्व	12.0% (अधिकतम) (12% से ऊपर और 13% तक नमी में प्वाइंट वृद्धि के प्रत्येक आधार के लिए तुलना के प्रयोजनार्थ कोट किए गए मूल्य में आनुपातिक राशि जोड़ी जाएगी।)
6.	प्रोटीन	10% (न्यूनतम) (शुष्क भार पर आधारित)
7.	विषाक्त खरपतवार बीज	0.4% (अधिकतम) (विजातीय तत्व के लिए समग्र विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत) जिसमें से धतूरा और अकारा (वीसिया प्रजातीय) भार द्वारा क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे। गेहूं अत्यंत अन्य स्थानिक खरपतवार बीजों, विवरण-I(क) के अनुसार से मुक्त होगा।
8.	एफ्लाटाक्सिन	30 पी.पी.बी. (अधिकतम)
9.	डिआक्सीनिवेलेनाल (डीओएन) टाक्सिन	1000 पी.पी.बी. (अधिकतम)
10.	रेडियो सक्रियता (सिजिएम 137)	40 बी.क्यू. प्रति किलो. (अधिकतम)
11.	जन्तुबाधा नाशक/कीटनाशक अवशिष्ट	विवरण-I(ख) में सूचीबद्ध से अधिक नहीं।
12.	यूरिक अम्ल	100 मिलीग्राम/किलोग्राम से अधिक नहीं।

टिप्पणी-

— गेहूं विदेश में पोत(तों) पर लदान के समय और स्थान पर भंडारित अनाज के लिए हानिकारक जीवित घुन और अन्य कीटों से मुक्त होना अधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

— विक्रेता संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा जारी स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंदर अनुरूप होने के संबंध में प्रत्येक खेप के लिए एक वैध पादप सफाई प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था करेगा। यह भी प्रमाणित करना होगा कि परेषण भारत में पादप सफाई नियमों के अनुरूप है, जिसमें प्रावधान है कि खपत अथवा प्रसंस्करण के लिए गेहूं अनाज की घुन (साइटोफिलस ग्रेनेरियस), अर्गट (क्लिविसेप्स परपूरिया) और ड्वार्फ बंट (टिलेटिया कंट्रावर्सा) से मुक्त होना चाहिए।

— कार्गो का प्रधूमन, एन.ए.पी. के अधीन 21° सेंटीग्रेड और अधिक पर 32 ग्राम/क्यूबिक मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा किया जाना चाहिए तथा यह उपचार पादप सफाई प्रमाणपत्र से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए अथवा इस प्रयोजनार्थ पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित विधि से अन्य प्रधूमक/पदार्थ द्वारा दिया जाएगा।

विवरण I क

बाह्य खरपतवार बीज

1. एलियम विनील
2. एम्ब्रोसिया मेरिटीम
3. एम्ब्रोसिया सिलोस्टाक्या
4. एम्ब्रोसिया ट्रिफिडा
5. अपेरा-स्पाइका-वंटी
6. ब्रोमस रिजीडस
7. ब्रोमस सिकेलिनस
8. सेंक्रुस ट्रिबलोइडस
9. सेंटोरिया डिफ्यूसा
10. सी. मेक्युलोसा
11. सी. सोल्सिसिएलिस
12. सी. पुमिलम
13. सी. स्पाइनोसम

14. कोरडिया क्युरासाविका
15. कसक्यूटा आस्ट्रालिस
16. साइनोग्लोसम आफिसिनेल
17. एकिनोक्लोआ क्रमस-पेवोनिस
18. फ्रोलिसिया कैलिफोर्निकस
19. हेलिएन्थस कैलिफोर्निकस
20. एच. सिलारिस
21. हेलिट्रोपियम एम्प्लेक्सिकाल
22. लीयरसिया जापोनिका
23. मेट्रिकेरिया परफोरेटम
24. पालीगोनम कसपीडेटम
25. प्रोबोसीडिया लोविसियानिका
26. सालसोला वर्मीकुलाटा
27. सेनेसियो जाकोबिया
28. सोलानम कैरोलिनेंस
29. स्ट्रिगा हरमोंथिका
30. थीसियम आस्ट्रेल
31. टी. ह्युमिएल
32. वायोला आरवेंसिस

विवरण I(ख)

कीटनाशी और जन्तुबाधानाशी की सीमाएं

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	सह्य सीमा	
		(मिग्रा./किग्रा.)	पी.पी.एम. -अधिकतम
1	2	3	4
1.	एलड्रीन, डाइ-एल्ड्रिन (अकेली अथवा सम्पाक में और डाइ-एलड्रिन के रूप व्यक्त)	0.01	
2.	कार्बेरिल	1.5	
3.	क्लोरडेन (इसे सिस जमा ट्रांस क्लोरडेन के रूप में नापा जाए)	0.02	
4.	डाइक्लोरवोस (जहां संभव हो डाइ-क्लोरोऐसीटलडिहाइड (डी.सी.ए.) के तत्व सूचित किए जाएं)	1.0	
5.	फेनीट्रोथिओन		0.02
6.	हेप्टाक्लोर (हेप्टाक्लोर और इसके इपोक्साइड के संयुक्त अवशिष्ट का निर्धारण और अभिव्यक्ति हेप्टाक्लोर के रूप में हो)	0.01	
7.	हाइड्रोजन साइनाइड	37.5	
8.	हाइड्रोजन फास्फाइड	शून्य	
9.	अकार्बनिक ब्रोमाइड (सभी स्रोतों से कुल ब्रोमाइड के रूप में निर्धारित और अभिव्यक्त)		25.0
10.	मैलाथिआन (मैलाथिओन को मैलाथिओन और मैलाओक्सोन के संयुक्त अवशिष्ट के रूप में निर्धारित और अभिव्यक्त किया जाए)	4.0	
11.	फास्फेमिडान अवशिष्ट (फास्फेमिडान और इसके डिसिथाइल डेरिवेटिव के जोड़ के रूप में अभिव्यक्त)	0.05	

1	2	3	4
12.	पाइरिथ्रीन (पाइरिथ्रीन 1 और 2 तथा पाइरिथिरम के बनावट के रूप में संबद्ध कीटनाशकों के तत्व का जोड़)	शून्य	
13.	क्लोर फेनविन-फास (अवशिष्ट को क्लोरफेनविनफास के अल्फा और बीटा आइसोमर्स के रूप में मापा जाए)	0.025	
14.	क्लोरोपाइरिफोस	0.05	
15.	इथिओन (अवशिष्ट और इथिओन और इसके आक्सीजन एनालाग के रूप में निर्धारित किया जाए तथा इथिओन के रूप में अभिव्यक्त किया जाए)	0.025	
16.	मौनोक्रोप्टोफास	0.025	
17.	पैराक्वाएट-डाइक्लोराइड (पैराक्यूटेकेशंस के रूप में निर्धारित)	0.1	
18.	ट्राइक्लोरोफोन	0.05	
19.	थियोमिटोन (अवशिष्ट का निर्धारण थियोमिटोन, इसके सल्फोआक्साइड और सल्फोन के रूप में किया जाए और अभिव्यक्ति थियोमिटोन के रूप में की जाए)	0.025	
20.	कार्बनडेजिम	0.50	
21.	बिनिमाइल	0.50	
22.	कार्बोफ्यूरान (कार्बोफ्यूरान और 3-हाइड्रोक्सी कार्बोफ्यूरान का जोड़ जिसकी अभिव्यक्ति कार्बोफ्यूरान के रूप में हो)	0.10	
23.	साइपरमैथ्रिन (आइसोमर्स का जोड़) (वसा घुलनशील अवशिष्ट)		0.05
24.	डेकामोथ्रिन/डेल्टामैथ्रिन	0.50	
25.	फेनथिओन (फेनथिओन, इसके आक्सीजन एनालाग और फेनथिओन के रूप में अभिव्यक्त उनके सल्फोक्साइड और सपलहोन्स का जोड़)	0.10	
26.	डाइथिओकार्बामेट्स (अवशिष्ट सह्य सीमा मिग्रा./सी.एस.2/किग्रा. के रूप में निर्धारित और अभिव्यक्त तथा डाइथिओकार्बामेट्स के किसी प्रत्येक समूह (क) फरबाम अथवा जिराम के उपयोग से निकलने वाले डाइमिथाइल डाइथियोकार्बामेट्स अवशिष्ट और (ख) मैनोकोजेबमेनिब अथवा जिनब (नाबाम जमा जिंक सल्फेट से प्राप्त जिनब सहित) के उपयोग से उत्पन्न इथाइलिन बिस-डाइथियोकार्बामेट्स से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट का अलग-अलग उल्लेख किया जाए)	0.20	
27.	फिन्थोएट	0.05	
28.	फोरेट (फोरेट, इसके आक्सीजन एनालाग और फोरेट के रूप में व्यक्त सल्फोक्साइड तथा सल्फोनस का जोड़)	0.05	
29.	पीरीमीफास-मिथाइल	5.00	

1	2	3	4
30.	हैक्साक्लोरोसाइक्लोहैक्सेन और इसके आइसोमर्स (सी) गामा (वाई) आइसोमर्स जिन्हें लिनडेन के नाम से जाना जाता है	0.05	
31.	बाइटरटानाल		
32.	मिथाइल क्लोरोफिनोक्सी एसीटिक अम्ल (एम.सी.पी.ए.)	0.05	
33.	आक्सीडिमीटान मिथाइल	0.02	
34.	प्रोपियोनाजोल	0.05	
35.	सल्फोसल्फ्यूरोन	0.02	
36.	ट्राइफ्लूरालिन	0.05	
37.	क्लोरिमुरान-इथाइल	0.05	
38.	डाइक्लोफाप-मिथाइल	0.1	
39.	पैन्डिमिथालिन	0.05	
40.	मैटासल्फ्यूआन-मिथाइल	0.1	
41.	मैथबेंजथियाजुरान	0.5	
42.	ट्राइएलेट	0.05	
43.	फेनाक्सी-प्राप-पी-ईथाइल	0.02	
44.	क्लोडोनाफाम-प्रोपेनाइल	0.1	
45.	ट्राइएडीमेनटन	0.5	
46.	आइसोप्रोटूरान	0.1	
47.	2, 4डी	0.01	

विवरण II

2006-07 के दौरान आयात के लिए गेहूं की गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां (निविदा-2)

गेहूं प्राकृतिक आकार, रूप, रंग और चमक का परिपक्व सूखा देना होगा और ठोस विपणनीय स्थिति में होगा। गेहूं मृदु, स्वच्छ, साबुत होगा और निम्न अनुसूची में किए गए उल्लेख को छोड़कर विषाक्त खरपतवार बीजों तथा सभी अन्य अशुद्धियों सहित, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगा। गेहूं, भंडारित अनाज को हानि पहुंचाने वाले जीवित घुन तथा अन्य कीटों से मुक्त होगा, जिसका तात्पर्य अंडे, लार्वा और पुपाल अवस्थाओं सहित जीवित जन्तुबाधा की सभी अवस्थाओं से मुक्त होगा। गेहूं संगरोध खरपतवार बीजों तथा पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में दर्शाए गए अथवा निम्नानुसार दर्शाए गए अनुसार अन्य संगरोध जंतुबाधाओं के अतिरिक्त आर्जीमोन मेक्सिकाना और लैथायरस सैटीवस से पूरे तौर पर मुक्त होगा:-

अनुसूची

1.	परीक्षण भार	78 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर (न्यूनतम) 78 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर से कम और 77 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर तक के परीक्षण भार में प्रत्येक 100 ग्राम कमी के लिए तुलना के प्रयोजनार्थ आनुपातिक राशि के अंकित मूल्य के साथ जोड़ी जाएगी। 77 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर से कम परीक्षण भार वाला गेहूं स्वीकार्य नहीं होगा।

2.	विजातीय तत्व (अन्य खाद्यान्न, अकार्बनिक तत्व और खरपतवार के बीजों सहित)	1% (अधिकतम), भार द्वारा, जिसमें भार द्वारा 0.2% से अधिक खनिज तत्व नहीं होने चाहिए और भार द्वारा 0.10% से अधिक पशुजन्य की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए।
3.	क्षतिग्रस्त दाने (गर्मी से क्षतिग्रस्त, दागी, बदरंग, काले कोने का, अंकुरित, तुषारित, कीट से क्षतिग्रस्त, एर्गाटी, ड्वार्फ बंट प्रभावित कर्नल बंट से प्रभावित दाने सहित) कर्नल बंट प्रभावित अनाज और अंकुरित दानों की सीमा भार द्वारा प्रत्येक के संबंध में 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए और एर्गाटी तथा ड्वार्फ बंट से प्रभावित अनाज भार द्वारा क्रमश: 0.01% और 0.005% से अधिक नहीं होने चाहिए।	3 (अधिकतम)
4.	टूटे और सिकुड़े हुए दाने	3% (अधिकतम)
	कुल विजातीय तत्व, क्षतिग्रस्त, टूटे और सिकुड़े दाने समग्र रूप में 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।	
5.	नमी तत्व	12.0 प्रतिशत (अधिकतम) नमी में 12% से अधिक तथा 13.5% तक प्रत्येक आधार बिन्दु वृद्धि के लिए तुलना के प्रयोजनार्थ आनुपातिक राशि अंकित मूल्य के साथ जोड़ी जाएगी। 13.5% से अधिक नमी तत्व वाला गेहूं स्वीकार्य नहीं होगा।
6.	प्रोटीन	10% (न्यूनतम) (शुष्क भार पर आधारित)
7.	विषाक्त खरपतवार बीज	0.4% (अधिकतम) (विजातीय तत्व के लिए समग्र विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत) जिसमें से धतूरा और अकारा (वीसिया प्रजातीय) भार द्वारा क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
8.	संगरोध/बाह्य खरपतवार बीज	गेहूं विवरण-IIक में यथा उल्लिखित संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त होगा।
9.	एफ्लाटाक्सिन	30 पी.पी.बी. (अधिकतम)
10.	डिआक्सीनिवेलेनाल (डीओएन) टाक्सिन	1000 पी.पी.बी. (अधिकतम)
11.	रेडियो सक्रियता (सेशियम 137)	40 बी.क्यू. प्रति किलो. (अधिकतम)
12.	जन्तुबाधा नाशक/कीटनाशक अवशिष्ट	अनुबंध-2ख में सूचीबद्ध से अधिक नहीं।
13.	यूरिक अम्ल	100 मिलीग्राम/किलोग्राम से अधिक नहीं।

टिप्पणी-

(क) गेहूं विदेश में पोत(तों) पर लदान के समय और स्थान पर भंडारित अनाज के लिए हानिकारक जीवित घुन और अन्य कीटों से मुक्त होना अधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) विक्रेता प्रत्येक खेप के लिए संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा जारी स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप होने के संबंध में एक वैध पादप सफाई प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था करेगा। यह भी प्रमाणित करना होगा कि एर्गोटी दाने 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और ड्वार्फ बंटिड दाने 0.005 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और विहित नमूना तथा निरीक्षण पद्धतियों पर आधारित निर्यात खेप में अनाज की घुन मौजूद नहीं है। विहित नमूना और निरीक्षण पद्धतियों के आधार पर निर्यात परेषण के लिए संगरोध खरपतवार के अभाव में प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जाना होगा।

(ग) निर्यात से पहले (पीएससी को पृष्ठांकित किया जना है) कारगो का प्रधूमन सामान्य वायु दाब (ताप-समय स्लाइडिंग स्केल के अनुसार) के अधीन चौबीस घंटे से अधिक 21 डिग्री सेल्यिस पर 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड से किया जाना चाहिए अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड के साथ निर्यात से पहले (पीएससी को पृष्ठांकित किया जाना है) और उपर्युक्त विहित किए गए अनुसार मिथाइल ब्रोमाइड के साथ मार्ग में प्रधूमन किया जाना चाहिए (उस देश द्वारा प्रमाणित किया जाना है जिसमें यह मार्गस्थ प्रधूमन हुआ है)।

(घ) गेहूं के अनाज का निरीक्षण निर्यात करने वाले देश के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पोत पर लदान से पूर्व किया जाएगा। ऐसा निरीक्षण आईएसपीएम-12 (पादप सफाई प्रमाण-पत्र के लिए दिशा-निर्देश-आईपीपीसी) के अधीन विहित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को पोत में भेजे गया गेहूं का अनाज पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003 और इसके अधीन जारी संशोधनों में निर्दिष्ट संगरोध/खरपतवार से मुक्त है। लदान के समय सम्पूर्ण पोत के लिए सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना लेने का निम्नलिखित स्केल लागू किया जाना चाहिए। गेहूं अनाज के निर्यात लाट में से पत्तन पर लदान किए गए प्रत्येक 20 मीट्रिक टन गेहूं के अनाज के लिए गेहूं का एक किलोग्राम नमूना लिया जाना चाहिए और यह सम्पूर्ण मात्रा यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के अध्यधीन होगी कि यह विहित संगरोध जन्तुबाधाओं और खरपतवारों से मुक्त है। यह नमूना यदि कारगो में अनाज बोरियों में भरा हुआ है तो या तो स्लाटिड ग्रेन सेम्पलर अथवा नोब्बी सेम्पलर के जरिए लिया जाना चाहिए अथवा ग्रेन एलिवेटर के साथ जुड़े हुए स्वचालित सैम्पलिंग प्रणाली के जरिए लिया जाना चाहिए जो आवधिक अंतरालों पर अनाज से नमूने लेता है। नमूना लेने की आवृत्ति और नमूने का आकार उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित नमूने लेने के लिए निर्धारित किया जाएगा। विकल्पत: नमूना शिपहोल्ड/ग्रेन बिन्स से डीप बिन प्रोबस (थर्मो सेम्पलर) का उपयोग करके लिया जा सकता है। इस नमूने का निरीक्षण बंट बाल्स, अर्गट, घुन लगे हुए दाने और खरपतवार बीजों जैसे अनाज संदूषकों के लिए निर्यात करने वाले देश के एनपीपीओ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ नमूने का निरीक्षण आंखों से करना होगा ताकि बंट बाल्स, अर्गट, घुन लगे हुए दाने और खरपतवार बीजों का पता लगाया जा सके। यदि किसी अधिकारी के ध्यान में संबंधित संगरोध आता है तो गेहूं के अनाज का लदान बंद कर देना चाहिए। एर्गोट, ह्वार्फ बंद, अनाज की घुन और संगरोध खरपतवारों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र ऐसे नमूनों और निरीक्षण प्रणाली पर जारी किए जाएं। सैम्पलिंग इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के मानदंडों के अनुसार विहित है। तथापि, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्यात करने वाला देश एक समुचित सांख्यकीय नमूना लेने की तीव्रता अपना सकता है ताकि निविदा में निर्दिष्ट संगरोध जन्तुबाधाओं और खरपतवार बीजों के लिए विहित सह्य स्तरों का पता लगाने के लिए 95% आत्म विश्वास बनाए रखा जा सके।

(ङ) विक्रेता सक्षम प्रत्यायन प्रयोगशाला से एक प्रमाण-पत्र परेषण (परेषणों) के साथ देगा कि-

* विवरण-II ख में सूचीबद्ध जन्तुबाधा नाशकों में से किसी का भी अवशिष्ट उसमें उल्लिखित अधिकतम छूट सीमा से अधिक नहीं है;

* यदि विवरण-II ख में सूचीबद्ध जन्तुबाधा नाशकों से इतर जन्तुबाधा नाशक मौजूद हैं तो उक्त जन्तुबाधा नाशक (जन्तुबाधा नाशकों) का अवशिष्ट कोडेक्स अधिकतम छूट सीमा से अधिक नहीं है और ऐसे मामले में अनुमान लगाने के लिए उपयोग की गई विधि (विधियों) का उल्लेख किया जाएगा।

विवरण II(क)

बाह्य खरपतवार बीज

1. एलियम विनायल
2. एम्ब्रोसिया मेरीटाइम
3. एम्ब्रोसिया सिलोसटाच्या
4. एम्ब्रोसिया ट्राइफिडा
5. अपेरा-स्पाइका-वेन्टी
6. ब्रोमस सेकालिनस
7. सेन्क्रस ट्राइबुलाइड्स
8. सेन्टोरिया डाइपुसा
9. सी. मेकुलोसा
10. सी. सोलस्टीटारूलिस
11. सी. पूमीलम
12. सी. स्पिनोसम
13. कोर्डिया क्यूराससेविका
14. कसकूटा आसट्रालिस
15. साइनोग्लोसम आफीसिनेल
16. इकोनोक्लो क्रस-पावोनिस
17. फ्रोएलिचिया फ्लोरिडाना
18. हेलीएन्थस केलीफोरनिकस
19. एच. सिलीआरिस
20. हेलियोट्रोपियम एक्प्लेक्सीकेयूल
21. लीरसिया जापोनिका
22. मेट्रीकारिया परफोराटम
23. पालीगोनम कसपीडेटम
24. प्रोबोससिडिया लोवीसियानिका
25. सालसोला वरमिकूलाटा
26. सेनेसियो जेकोबाका
27. सोलानम कारोलिनेन्स
28. स्ट्रिगा हरमोनथिका
29. थिसियम आसट्रेल
30. टी. ह्यूमियाले
31. वायोला आरवेन्सिस

विवरण II ख

कीटनाशी और जन्तुबाधानाशी की सीमाएं

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	सह्य सीमा (मिग्रा./किग्रा.) पी.पी.एम. -अधिकतम
1	2	3
1.	एलड्रीन, डाइ-एल्ड्रिन (अकेली अथवा सम्पाक में और डाइ-एलड्रिन के रूप व्यक्त)	0.01
2.	कार्बेरिल	1.5
3.	क्लोरडेन (इसे सिस जमा ट्रांस क्लोरडेन के रूप में नापा जाए)	0.02
4.	डाइक्लोरवोस (जहां संभव हो डाइ-क्लोरोऐसीटलडिहाइड (डी.सी.ए) के तत्व सूचित किए जाएं)	1.0
5.	फेनीट्रोथिओन	0.02
6.	हेप्टाक्लोर (हेप्टाक्लोर और इसके इपोक्साइड के संयुक्त अवशिष्ट का निर्धारण और अभिव्यक्ति हेप्टाक्लोर के रूप में हो)	0.01
7.	हाइड्रोजन साइनाइड	37.5
8.	हाइड्रोजन फास्फाइड	शून्य
9.	अकार्बनिक ब्रोमाइड (सभी स्रोतों से कुल ब्रोमाइड के रूप में निर्धारित और अभिव्यक्त)	25.0
10.	मैलाथिआन (मैलाथिओन को मैलाथिओन और मैलाओक्सोन के संयुक्त अवशिष्ट के रूप में निर्धारित और अभिव्यक्त किया जाए)	4.0
11.	फास्फेमिडान अवशिष्ट (फास्फेमिडान और इसके डिसिथाइल डेरिवेटिव के जोड़ के रूप में अभिव्यक्त)	0.05
12.	पाईरीथ्रीन (पाइरिथ्रीन 1 और 2 तथा पाइरिथिरम के बनावट के रूप में संबद्ध कीटनाशकों के तत्व का जोड़)	शून्य
13.	क्लोर फेनविन-फास (अवशिष्ट को क्लोरफेनविनफास के अल्फा और बीटा आइसोमर्स के रूप में मापा जाए)	0.025
14.	क्लोरोपाइरिफोस	0.05
15.	इथिओन (अवशिष्ट को इथिओन और इसके आक्सीजन एनालाग के रूप में निर्धारित किया जाए तथा इथिओन के रूप में अभिव्यक्त किया जाए)	0.025
16.	मोनोक्रोप्टोफास	0.025
17.	पैराक्वाएट-डाइक्लोराइड (पैराक्यूटेकेशंस के रूप में निर्धारित)	0.1
18.	ट्राइक्लोरोफोन	0.05

1	2	3
19.	थियोमिटोन (अवशिष्ट का निर्धारण थियोमिटोन, इसके सल्फोआक्साइड और सल्फोन के रूप में किया जाए और अभिव्यक्ति थियोमिटोन के रूप में की जाए)	0.025
20.	कार्बनडेजिम	0.50
21.	बिनिमाइल	0.50
22.	कार्बोफ्यूरान (कार्बोफ्यूरान और 3-हाइड्रोक्सी कार्बोफ्यूरान का जोड़ जिसकी अभिव्यक्ति कार्बोफ्यूरान के रूप में हो)	0.10
23.	साइपरमैथ्रिन/आइसोमर्स का जोड़) (वसा घुलनशील अवशिष्ट)	0.05
24.	डेकामेथ्रिन/डेल्टामैथ्रिन	0.50
25.	फेनथिओन (फेनथिओन, इसके आक्सीजन एनालाग और फेनथिओन के रूप में अभिव्यक्त उनके सल्फोक्साइड और सपलहोन्स का जोड़)	0.10
26.	डाइथिओकार्बामेट्स (अवशिष्ट सह्य सीमा मिग्रा./सी.एस.2/किग्रा. के रूप में निर्धारित और अभिव्यक्त तथा डाइथिओकार्बामेट्स के किसी प्रत्येक समूह (क) फरबाम अथवा जिराम के उपयोग से निकलने वाले डाइमिथाइल डाइथियोकार्बामेट्स अवशिष्ट, और (ख) मैनोकोजेबमेनिब अथवा जिनब (नाबाम जमा जिंक सल्फेट से प्राप्त जिनब सहित) के उपयोग से उत्पन्न इथाइलिन बिस-डाइथियोकार्बामेट्स से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट का अलग-अलग उल्लेख किया जाए)	0.20
27.	फिन्थोएट	0.05
28.	फोरेट (फोरेट, इसके आक्सीजन एनालाग और फोरेट के रूप में व्यक्त सल्फोक्साइड तथा सल्फोनस का जोड़)	0.05
29.	पीरीमीफास-मिथाइल	5.00
30.	हैक्साक्लोरोसाइक्लोहैक्सेन और इसके आइसोमर्स (सी) गामा (वाई) आइसोमर्स जिन्हें लिनडेन के नाम से जाना जाता है	0.10
31.	बाइटरटानाल	0.05
32.	मिथाइल क्लोरोफिनोक्सी एसीटिक अम्ल (एम.सी.पी.ए.)	0.05
33.	आक्सीडिमीटान मिथाइल	0.02
34.	प्रोपियोनाजोल	0.05
35.	सल्फोसल्फ्यूरोन	0.02
36.	ट्राइफ्लूरालिन	0.05
37.	क्लोरिमुरान-इथाइल	0.05
38.	डाइक्लोफाप-मिथाइल	0.1

1	2	3
39.	पैन्डिमिथालिन	0.05
40.	मैटासल्फ्यूआन-मिथाइल	0.1
41.	मैथबेंजथियाजुरान	0.5
42.	ट्राइएलेट	0.05
43.	फेनाक्सी-प्राप-पी-ईथाइल	0.02
44.	क्लोंडोनाफाम-प्रोपेनाइल	0.1
45.	ट्राइएडीमेनटन	0.5
46.	आइसोप्रोटूरान	0.1
47.	2, 4डी	0.01
48.	डायजिनोन	0.05
49.	ट्राइडेमार्फ	0.1

टिप्पणी:- एओएसी/आईएसओ/पीयर्सन्स/जैकोब/यूपैक/विश्लेषण की फूड केमिकल कोडेक्स विधि/बीआईएस/वूडमैन/विन्टन-विन्टन/जोसलिन में विहित विश्लेषण की मानक विधियां द्वारा जांच की जानी हैं।

विवरण III

2006-07 के दौरान आयात के लिए गेहूं की गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां (निविदा 3 से 5)

गेहूं प्राकृतिक आकार, रूप, रंग और चमक का परिपक्व सूखा दाना होगा और ठोस विपणनीय स्थिति में होगा। गेहूं मृदु, स्वच्छ, साबुत होगा और निम्न अनुसूची में किए गए उल्लेख को छोड़ कर विषाक्त खरपतवार बीजों तथा सभी अन्य अशुद्धियों सहित, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगा। गेहूं, भंडारित, अनाज को हानि पहुंचाने वाले जीवित घुन तथा अन्य कीटों से मुक्त होगा, जिसका तात्पर्य अंडे, लार्वा और पुपाल अवस्थाओं सहित जीवित जन्तुबाधा की सभी अवस्थाओं से मुक्त होगा। गेहूं आर्जीमोन मेक्सिकाना और लैथायरस सैटीवस से व्यवहारिक तौर पर मुक्त होगा और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा छानने और अन्य उपयुक्त विधियों के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा। संगरोध खरपतवार बीजों तथा अन्य संगरोध जंतुबाधाओं की सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाओं से कम होंगी:-

अनुसूची

1.	परीक्षण भार	78 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर (न्यूनतम) (तथापि, 76 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर तक के परीक्षण भार वाले गेहूं को मूल्य कटौती के साथ स्वीकार किया जाएगा। 78 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर से कम और 76 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर तक के परीक्षण भार में प्रत्येक 100 ग्राम कमी के लिए आधे मूल्य की दर पर आनुपातिक मूल्य कटौती लागू होगी। उदाहरणार्थ- यदि 100 अमरीकी डालर प्रति टन की दर पर पेशकश किए गए गेहूं के परेषण में 77 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर का परीक्षण

		भार है अर्थात् 78 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर की निर्दिष्ट सीमा के बाद अनुमत 1 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर की ढील हो तब आधे मूल्य की दर पर प्रति टन मूल्य कटौती यह होगी: दर प्रति टन (100 अमरीकी डालर)×अनुमत छूट (1 किलोग्राम) ×मूल्य कटौती (आधा)=0.50 अमरीकी डालर प्रति टन 100 इस प्रकार प्रभावी परेषण दर 100.00-0.50 अमरीकी डालर=99.50 अमरीकी डालर प्रति टन होगी। 76 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर से कम परीक्षण भार वाला गेहूं स्वीकार्य नहीं होगा।)
2.	विजातीय तत्व (अन्य खाद्यान्न, अकार्बनिक तत्व और खरपतवार के बीजों सहित)	1% (अधिकतम), भार द्वारा, जिसमें भार द्वारा 0.2% से अधिक खनिज तत्व नहीं होने चाहिए और भार द्वारा 0.10% से अधिक पुशजन्य की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए।
3.	विषाक्त खरपतवार बीज	0.4% (अधिकतम) (विजातीय तत्व के लिए समग्र विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत) जिसमें से धतूरा और अकारा (वीसिया प्रजातीय) भार द्वारा क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
4.	क्षतिग्रस्त दाने (गर्मी से क्षतिग्रस्त, दागी, बदरंग, काले कोने का, अंकुरित, तुषारित, कीट से क्षतिग्रस्त, एर्गाटी, ड्वार्फ बंट प्रभावित कर्नल बंट से प्रभावित दाने सहित) कर्नल बंट प्रभावित अनाज और अंकुरित दानों की सीमा भार द्वारा प्रत्येक के संबंध में 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और एर्गाटी और ड्वार्फ बंट से प्रभावित अनाज भार द्वारा क्रमश: 0.1 और 0.005 से अधिक नहीं होने चाहिए।	3% (अधिकतम) (तथापि, 4 प्रतिशत तक के क्षतिग्रस्त दानों वाले गेहूं को मूल्य कटौती के साथ स्वीकार किया जाएगा। 3 प्रतिशत से ऊपर और 4 प्रतिशत तक के क्षतिग्रस्त दानों में प्रत्येक आधार प्वाइंट वृद्धि के लिए पूर्ण मूल्य की दर पर आनुपातिक मूल्य कटौती लागू होगी। उदाहरणार्थ- यदि 100 अमरीकी डालर प्रति टन की दर पर पेशकश किए गए गेहूं के परेषण में 3.5 प्रतिशत क्षतिग्रस्त दाने हैं अर्थात् 3 प्रतिशत की निर्दिष्ट सीमा के बाद अनुमत 0.5 प्रतिशत की अनुमत छूट हो तब पूर्ण मूल्य की दर पर प्रति टन मूल्य कटौती यह होगी:- दर प्रति टन (100 अमरीकी डालर)×अनुमत छूट (0.5 प्रतिशत) ×मूल्य कटौती (पूर्ण)=0.50 अमरीकी डालर प्रति टन 100 इस प्रकार प्रभावी परेषण दर 100.00-0.50 अमरीकी डालर = 99.50 अमरीकी डालर प्रति टन होगी। 4 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त दानों वाला गेहूं स्वीकार्य नहीं होगा।)
5.	टूटे और सिकुड़े हुए दाने	3% (अधिकतम) (तथापि, 5 प्रतिशत तक के टूटे और सिकुड़े दानों वाले गेहूं को मूल्य कटौती के साथ स्वीकार किया जाएगा। 3 प्रतिशत से ऊपर और 5 प्रतिशत तक के टूटे और सिकुड़े दानों में प्रत्येक आधार प्वाइंट वृद्धि के लिए आधे मूल्य की दर पर आनुपातिक मूल्य कटौती लागू होगी।

		उदाहरणार्थ- यदि 100 अमरीकी डालर प्रति टन की दर पर पेशकश किए गए गेहूं के परेषण में 4 प्रतिशत टूटे और सिकुड़े दाने हैं अर्थात् 3 प्रतिशत की निर्दिष्ट सीमा के बाद 1 प्रतिशत की अनुमत छूट हो तब आधे मूल्य की दर पर प्रति टन मूल्य कटौती यह होगी:- दर प्रति टन (100 अमरीकी डालर)×अनुमत छूट (1 प्रतिशत) ×मूल्य कटौती (पूर्ण)=0.50 अमरीकी डालर प्रति टन 100 इस प्रकार प्रभावी परेषण दर 100.00-0.50 अमरीकी डालर = 99.50 अमरीकी डालर प्रति टन होगी। 5 प्रतिशत से अधिक टूटे और सिकुड़े दानों वाला गेहूं स्वीकार्य नहीं होगा।)
	कुल विजायीत तत्व, क्षतिग्रस्त, टूटे और सिकुड़े दाने समग्र	रूप में 7% से अधिक नहीं होने चाहिए।
6.	नमी तत्व	12.0 प्रतिशत (अधिकतम) (तथापि, 13.75 प्रतिशत तक के नमी तत्व वाले गेहूं को मूल्य कटौती के साथ स्वीकार किया जाएगा। नमी में 12 प्रतिशत से ऊपर और 13.75 प्रतिशत तक प्रत्येक आधार प्वाइंट वृद्धि के लिए पूर्ण मूल्य की दर पर आनुपातिक मूल्य कटौती लागू होगी। उदाहरणार्थ- यदि 100 अमरीकी डालगर प्रति टन की दर पर पेशकश किए गए गेहूं के परेषण में 13 प्रतिशत नमी तत्व हैं अर्थात् 12 प्रतिशत की निर्दिष्ट सीमा के बाद अनुमत 1 प्रतिशत की अनुमत छूट हो तब पूर्ण मूल्य की दर पर प्रति टन मूल्य कटौती यह होगी:- दर प्रति टन (100 अमरीकी डालर)×अनुमत छूट (1 प्रतिशत) ×मूल्य कटौती (1) = 1.00 अमरीकी डालर प्रति टन 100 इस प्रकार प्रभावी परेषण दर 100.00-1.00 अमरीकी डालर = 99.00 अमरीकी डालर प्रति टन होगी। 13.75 प्रतिशत से अधिक नमी तत्व वाला गेहूं स्वीकार्य नहीं होगा।)
7.	प्रोटीन	10 (न्यूनतम) (शुष्क भार पर आधारित)
8.	संगरोध/बाह्य खरपतवार बीज	गेहूं में विहित प्रक्रिया के अनुसार एकल परेषण से लिए गए नमूने के प्रति 200 किलोग्राम में औसतन 100 संगरोध खरपतवार बीज (विवरण-IIIक में दी गई सूची के अनुसार) से अधिक नहीं होंगे।
9.	एफ्लाटाक्सिन	30 पी.पी.बी. (अधिकतम)
10.	डिआक्सीनिवेलेनाल (डीओएन) टाक्सिन	2000 पी.पी.बी. (अधिकतम)
11.	रेडियो सक्रियता (सेशियम 137)	40 बी.क्यू. प्रति किलो. (अधिकतम)
12.	जन्तुबाधा नाशक/कीटनाशक अवशिष्ट	विवरण-IIIख, में सूचीबद्ध से अधिक नहीं।
13.	यूरिक अम्ल	100 मिलीग्राम/किलोग्राम से अधिक नहीं।

टिप्पणी-

(क) गेहूं विदेश में पोत(तों) पर लदान के समय और स्थान पर भंडारित अनाज के लिए हानिकारक जीवित घुन और अन्य कीटों से मुक्त होना अधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) विक्रेता प्रत्येक खेप के लिए संबंधित एनपीपीओ द्वारा जारी स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप होने के संबंध में एक वैध पादप सफाई प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था करेगा। ऐसा प्रमाण-पत्र उक्त एनपीपीओ के लिए प्रमाणिक एजेंसी द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर एनपीपीओ द्वारा भी जारी किया जा सकता है। यह भी प्रमाणित करना होगा कि एर्गोटी दाने 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और ड्वार्फ बंटिड दाने 0.005 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और विहित नमूना तथा निरीक्षण पद्धतियों पर आधारित निर्यात खेप में अनाज की घुन मौजूद नहीं है। विहित नमूना और निरीक्षण पद्धतियों के आधार पर निर्यात परेषण के लिए उपर्युक्त विहित औसत सह्य सीमा के अंदर संगरोध खरपतवार बीज का उल्लेख करते हुए प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जाना होगा।

निरीक्षण और नमूना पद्धति

गेहूं के अनाज का निरीक्षण निर्यात करने वाले देश के प्राधिकृत अधिकारी अथवा राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन की प्रामाणिक एजेंसी द्वारा पोत पर लदान से पूर्व किया जाएगा। ऐसा निरीक्षण आईएसपीएम-12 (पादप सफाई प्रमाण-पत्र के लिए दिशा निर्देश-आईपीपीसी) के अधीन विहित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को पोत में भेजे गए गेहूं के अनाज में इस निविदा में निर्दिष्ट संगरोध जंतुबाधा/खरपतवार विहित सीमा से कम हैं। लदान के समय सम्पूर्ण पोत के लिए सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना लेने का निम्नलिखित स्केल लागू किया जाना चाहिए। गेहूं अनाज के निर्यात लाट में से पत्तन पर लदान किए गए प्रत्येक 20 मीट्रिक टन गेहूं के अनाज के लिए गेहूं का एक किलोग्राम नमूना लिया जाना चाहिए और यह सम्पूर्ण मात्रा यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के अध्यधीन होगी कि यह संगरोध जन्तुबाधाओं और खरपतवारों की निर्दिष्ट सीमाओं के अंदर है। यह नमूना यदि कारगो में अनाज बोरियों में भरा हुआ है तो या तो स्लाटिड ग्रेन सेम्पलर अथवा नोब्बी सेम्पलर के जरिए लिया जाना चाहिए अथवा ग्रेन एलिवेटर के साथ जुड़े हुए स्वचालित सैम्पलिंग प्रणाली के जरिए लिया जाना चाहिए जो आवधिक अंतरालों पर अनाज से नमूने लेता है। नमूना लेने की आवृत्ति और नमूने का आकार उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित नमूने लेने के लिए निर्धारित किया जाएगा। विकल्पत: नमूना शिपहोल्ड/ग्रेन बिन्स से डीप बिन प्रोबस (थर्मो सेम्पलर) का उपयोग करके लिया जा सकता है। विकल्पत: निर्यात करने वाला देश एक समुचित सांख्यकीय नमूना लेने की तीव्रता अपना सकता है ताकि निविदा में निर्दिष्ट संगरोध जन्तुबाधाओं और खरपतवार बीजों के लिए विहित सह्य स्तरों का पता लगाने के लिए 95% आत्म विश्वास बनाए रखा जा सके। बंट बाल्स, अर्गट, घुन लगे हुए दाने और खरपतवार बीजों जैसे अनाज संदूषकों के लिए नमूने का निरीक्षण निर्यात करने वाले देश के एनपीपीओ के प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रमाणिक एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ नमूने का निरीक्षण आंखों से करना होगा ताकि बंट बाल्स, अर्गट, घुन लगे हुए दाने और खरपतवार बीजों का पता लगाया जा सके। यदि किसी संगरोध जन्तुबाधा अथवा खरपतवार की मौजूदगी इस निविदा में निर्दिष्ट सीमा से अधिक पाई जाती है तो एनपीपीओ/एजेंसी के अधिकारी को गेहूं अनाज का लदान बंद कर देना चाहिए। यदि कोई बंटिड अनाज पाया जाता है तो इसकी प्रजातियों का विवेचन करने के लिए इसकी माइक्रोस्कोप से जांच की जाएगी। एर्गोट, ड्वार्फ बंट, अनाज की घुन और संगरोध खरपतवारों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र ऐसे नमूनों और निराक्षण प्रणाली पर जारी किए जाएं।

(ग) निर्यात से पहले (पीएससी को पृष्ठांकित किया जाना है) कारगो का प्रधूमन सामान्य वायु दाब (ताप-समय स्लाइडिंग स्केल के अनुसार) के अधीन चौबीस घंटे से अधिक 21 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड से किया जाना चाहिए अथवा भारत में आमद से पूर्व कम से कम 21 दिन पहले की अवधि के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड के साथ प्रधूमन किया जाना चाहिए बशर्ते कि पोत में मार्गस्थ अवधि के दौरान फास्फाइन गैस के दाबयुक्त पुनर्चालन के लिए प्रावधान हो।

(घ) विक्रेता सक्षम प्रामाणिक प्रयोगशाला से एक प्रमाण-पत्र परेषण (परेषणों) के साथ भेजेगा कि-

विवरण-III ख में सूचीबद्ध जन्तुबाधा नाशकों का कोई भी अवशिष्ट उसमें उल्लिखित एमआरएल से अधिक नहीं हैं।

विवरण-III ख में सूचीबद्ध से इतर जन्तुबाधा नाशकों का अवशिष्ट यदि मौजूद है तो उन जन्तुबाधा नाशक (नाशकों) के लिए कोडक्स की एमआरएल से अधिक नहीं है और ऐसे मामलों में अनुमान लगाने के लिए उपयोग की गई विधि (विधियों) का उल्लेख करेगा।

विवरण III(क)

बाह्य खरपतवार बीज

1. एलियम विनायल
2. एम्ब्रोसिया मेरीटाइम
3. एम्ब्रोसिया सिलोसटाच्या
4. एम्ब्रोसिया ट्राइफिडा
5. अपेरा-स्पाइका-वेन्टी
6. ब्रोमस सेकालिनस
7. सेन्क्रस ट्राइबुलाइड्स
8. सेन्टोरिया डाइपुसा
9. सी. मेकुलोसा
10. सी. सोलस्टीटारूलिस
11. सी. पूमीलम
12. सी. स्पिनोसम

13. कोर्डिया क्यूरासेविका
14. कसकूटा आसट्रालिस
15. साइनोग्लोसम आफीसिनेल
16. इकोनोक्लो क्रस-पावोनिस
17. फ्रोएलिचिया फ्लोरिडाना
18. हेलीएन्थस केलीफोरनिकस
19. एच. सिलीआरिस
20. हेलियोट्रोपियम एक्प्लेक्सीकेयूल
21. लीर्रासिया जापोनिका
22. मेट्रीकारिया परफोराटम
23. पालीगोनम कसपीडेटम
24. प्रोबोससिडिया लोवीसियानिका
25. सालसोला वरमिकूलाटा
26. सेनेसियो जेकोबाका
27. सोलानम कारोलिनेन्स
28. स्ट्रिगा हरमोनथिका
29. थिसियम आसट्रेल
30. टी. ह्यूमिवाले
31. वायोला आरवेन्सिस

विवरण III(ख)

कीटनाशक और जन्तुबाधा नाशक की सीमाएं

क्र.सं.	कीटनाशकों का नाम	सह्य सीमा (मिग्रा./किग्रा.) पी.पी.एम. -अधिकतम
1	2	3
1.	एल्ड्रिन, डाइ-एल्ड्रिन (अकेले या मिलाकर और डी5एलड्रिन के रूप व्यक्त)	0.01
2.	कारबेरिल	2.0
3.	क्लोरडेन (सिस प्लस ट्रांसक्लोरडेन के रूप में मापी जाए)	0.02
4.	डी-क्लोरवास, (डीक्लोरोसिटेलडीहाइड का अंश) जहां संभव हो, सूचित की जाए	1.0
5.	फेनीट्रोथियोन	2.0
6.	हेप्टाक्लोर (हेप्टाक्लोर के अवशिष्ट को मिलाकर इसके एपोक्साइड को निर्धारित करें और हेप्टाक्लोर के रूप में व्यक्त)	0.01
7.	हाइड्रोजन साइनाइड	37.5
8.	हाइड्रोजन फासफाइड	0.1
9.	इन-आर्गेनिक ब्रोमाइड (सभी स्रोतों से कुल ब्रोमाइड के रूप में निर्धारित और व्यक्त)	50.0
10.	मेलाथियोन (मेलाथियोन और मेलाओक्सोन के अवशिष्ट को मिलाकर मेलाथियोन को व्यक्त और निर्धारित किया जाए)	2.0
11.	फासफामिडोन रेजीड्यूज (फासफामिडोन और इसके डीसेथाइल डेरिएटिव के जोड़ के रूप में व्यक्त)	0.1
12.	पाइरेथ्रिन्स (पाइरेथ्रिन्स 1 और 2 तथा पाइरेथ्रम के इन्सेक्टीसीडल इन्ग्रेडिएंट्स से संबंधित अन्य अवसंरचनात्मक का जोड़)	शून्य

1	2	3
13.	क्लोर फेनविन-फोस (क्लोरफेनविनफोस के अल्फा और बीटा आइसोमर्स के रूप में अवशिष्ट को मापा जाए)	0.025
14.	क्लोरोपाइरीफोस	0.05
15.	इथियोन (अवशिष्टों का निर्धारण इथियोन और इसके आक्सीजन एनालोग के रूप में किया जाना है और इथियोन के रूप में व्यक्त किया जाना है)	0.025
16.	मोनोक्रोप्टोफास	0.025
17.	पेराक्यूएट-डाइक्लोराइड (पेराक्यूएटकेशन के रूप में निर्धारित)	0.1
18.	ट्राइक्लोरोफोन	0.05
19.	थियोमेटोन (अवशिष्ट थियोमेटोन, इसके सल्फाक्साइड और थियोमेटोन के रूप में व्यक्त सल्फोन के रूप में निर्धारित)	0.025
20.	कार्बेनडाजिम	0.50
21.	बेनोमाइल	0.50
22.	कार्बोफ्यूरन (कार्बोफ्यूरन और कार्बोफ्यूरन के रूप में व्यक्त 3-हाइड्रोक्सीकार्बोफ्यूरन का जोड़)	0.10
23.	साइपरमेथरिन (आइसोमर्स का जोड़) (फेट सोल्यूबल रेजीड्यूज)	0.05
24.	डेकामेथरिन/डेल्टामेथरिन	0.50
25.	फेनथियोन (फेनथियोन का जोड़, इसके आक्सीजन एनालोग और सल्फोक्साइड और सल्फोन्स फेनथियोन के रूप में व्यक्त)	0.10
26.	डाइथिओकार्बामेट्स (अवशिष्ट सह्यसीमा का निर्धारण और इसकी अभिव्यक्ति मि.ग्रा./सी.एस.2/कि.ग्रा. के रूप में की जाती है और यह पृथक रूप से किसी डाइथीयोकारबामेट्स अथवा इसके प्रत्येक समूह (क) फरबाम अथवा जिराम के उपयोग से उत्पन्न होने वाला डायमिथाइल डाइथीयोकारबामेट्स अवशिष्ट और (ख) मेनको जेबमेन अथवा जिनेब (नाबाम जमा जिंक सल्फेट से प्राप्त जिनेब सहित) के उपयोग से उत्पन्न होने वाला इथीलिन बाय-डाइथीयोकारबामेट्स से उत्पन्न होने वाले अवशिष्टों के संदर्भ में है)	1.0
27.	फेनथोएट	0.05
28.	फोरेट (फोरेट का जोड़, इसके आक्सीजन एनालोग और सल्फोक्साइड और सल्फोन्स फोरेट के रूप में व्यक्त)	0.05
29.	पीरीमीफोस-मिथाइल	5.00
30.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और इसके आइसोमर्स (सी) गामा (वाई), आइसोमर्स लिन्डेन के रूप में जाने जाते हैं।	0.1

1	2	3
31.	बाइटरटानोल	0.05
32.	मिथाइलक्लोरोफेनोक्सी एसिटीक एसिड (एम.सी.पी.ए.)	0.05
33.	आक्सीडेमेटोन मिथाइल	0.02
34.	प्रोपीसोनेजोल	0.05
35.	सल्फोसल्फ्यूरन	0.02
36.	ट्राइफ्लूरेलीन	0.05
37.	क्लोरीमूरोनेथाइल	0.05
38.	डाइक्लोफोन मिथाइल	0.1
39.	पेन्डीमेथालिन	0.05
40.	मेटासलफ्यूओन मिथाइल	0.1
41.	मेथबेन्जथियाज्यूरोन	0.5
42.	ट्रियालेट	0.05
43.	फेनोक्सी-प्रोप-पे-थाइल	0.02
44.	क्लोडिनाफोम-प्रोपेनाइल	0.1
45.	ट्राइएडीमेन्टन	0.5
46.	आइसोप्रोट्यूरोन	0.1
47.	2, 4 डी	0.01
48.	डाइजिनोन	0.05
49.	ट्रीडेमोर्फ	0.1

टिप्पणी:- एओएसी/आईएसओ/पीयर्सन्स/जैकोब/यूपैक/विश्लेषण की फूड केमिकल कोडेक्स विधि/बीआईएस/वूडमैन/विन्टन-विन्टन/ओसलिन में विहित विश्लेषण की मानक विधियों द्वारा जांच की जानी हैं।

विवरण IV

अनुबंधित मात्राओं, आपूर्तिकर्त्ताओं तथा मूल्य के ब्यौरे

क्र.सं.	निविदा की तारीख	आपूर्तिकर्त्ताओं के ब्यौरे	अनुबंधित मात्रा (टन)	अमरीकी डालर प्रति टन में मूल्य रेंज (सीआईएफ)	अमरीकी डालर प्रति टन में टन भारित औसत मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	20.02.06	एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	500,000	178.75	178.75

1	2	3	4	5	6
2.	08.05.06	एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	500,000	187.00-199.20	191.388
		एगरिको (स्वीटजरलैंड)	300,000		
		उप जोड़	800,000		
3.	12.06.06	एडीएम (अमरीका)	300,000		
		कारगिल जिनेवा	405,000		
		कोनकोरडिआ (सिंगापोर)	225,000	191.00-205.00	197.817
		ग्लेनकोर (नीदरलैंड)	555,000		
		टोयफेर (सिंगापोर)	720,000		
		उप जोड़	2,200,000		
4.	27.07.06	एग्रीको (जिनेवा)	330,000	209.75-214.75	210.72
5.	30.08.06	कोनकोरडिया (सिंगापोर)	135,000		
		ग्लेनकोर (नीदरलैंड)	680,000		
		डोयफेर (सिंगापोर)	260,000	223.75-237.90	228.94
		एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	595,000		
		उप जोड़	1,67,000		
		सकल जोड़	5,500,000		205.31

जलवायु परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट

***5. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की हाल की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इसके क्रियान्वयन के लिए इस रिपोर्ट का कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में संभावित जलवायु परिवर्तनों के परिणामों को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तन क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वर्ल्ड मैट्रोलोजिकल आर्गनाइजेशन द्वारा स्थापित अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल निकाय ने 2 फरवरी, 2007 को जलवायु परिवर्तन 2007-द फिजिकल साइंस बेसिस नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देखे गए जलवायु परिवर्तन, जलवायु घटनाक्रम और संभावित/भावी जलवायु परिवर्तन के आकलनों का विश्वव्यापी मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1850 से मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप कार्बनडायक्साइड, मिथेन और नाईट्रस आक्साइड और वैश्वीय वायुमण्डलीय सान्द्रता में वृद्धि, वैश्वीय औसतन वायु एवं समुद्रीय तापमान में वृद्धि, हिम और बर्फ के व्यापक रूप से पिघलने के कारण वैश्वीय समुद्र स्तर में औसतन वृद्धि शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कारण तापमान और समुद्र स्तर में वृद्धि जलवायु घटनाक्रमों और पुर्नचक्रण से जुड़े समय के साथ शताब्दियों

तक होती रहेगी। इस रिपोर्ट में महाद्वीपीय स्तर पर निष्कर्ष दिए गए हैं। किसी देश विशेष के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं। सरकार संभावित जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। जलवायु परिवर्तन वैश्वीय पर्यावरणीय समस्या है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व विकसित देशों पर है न कि भारत जैसे विकासशील देशों पर। फिर भी, भारत यूनाइटिड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन कलाइमेट चेंज और क्योटो प्रोटोकाल एवं यू एन एफ सी सी की अंतर्गत अन्य देशों के साथ अनेक प्रकार की भागीदारियों सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारत की क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैसों के उपशमन में कोई वचनबद्धता नहीं है फिर भी, जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंध विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से सहायता मिली है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

(1) ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसेन्सी की स्थापना के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता में सुधार और संरक्षण

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार

(3) पण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार

(4) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का प्रसार

(5) कोयला धोवन और कोयले की पूरी उपयोगिता

(6) वनीकरण और वन संरक्षण

(7) गैस लौ को कम रखना

(8) वाहनों के लिए स्वच्छ एवं कम कार्बन वाले ईंधन का उपयोग

(9) मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली को प्रोत्साहित करना

(10) पर्यावरणीय गुणता प्रबंधन

[हिन्दी]

मूल्यों में वृद्धि

*6. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री मो. ताहिर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य-वृद्धि को रोकने का प्रयास किए जाने के बावजूद खाद्यान्नों, दालों, सब्जियों, दूध और खाद्य तेलों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन माह में प्रत्येक माह के दौरान देश के विभिन्न भागों में इन वस्तुओं का क्या मूल्य था और उनके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए फारवर्ड मार्किट कमीशन को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने तथा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 10.2.2007 की स्थिति के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन के अनुसार मापी गई वार्षिक मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के तदनुरूपी सप्ताह के दौरान 3.81 प्रतिशत की तुलना में 6.63 प्रतिशत थी। तथापि, 10.2.2007 की स्थिति के अनुसार मुद्रास्फीति की दर पिछले सप्ताह की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम थी। गत तीन माह के दौरान गेहूं, चना दाल और आलू के खुदरा मूल्यों में सामान्यत: लगातार गिरावट का रूख देखा गया। तुर दाल के मूल्यों में 2005-06 में हुए 2.74 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान तूर दाल के 2.64 मिलियन टन के कम आंकलित उत्पादन के कारण और बढ़ी हुई मांग के चलते बढ़ोत्तरी हुई है। मूंगफली के मूल्यों में 2005-06 में हुए 79.93 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 44.11 लाख टन मूंगफली के कम आंकलित उत्पादन के चलते चुनिन्दा केंद्रों में वृद्धि देखी गई है। दूध के मूल्यों में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान स्कीम्ड दूध पाउडर के अधिक निर्यात के कारण वृद्धि देखी गई है। प्याज के मूल्यों में चालू वर्ष और पिछले वर्ष में अधिक निर्यात के चलते बढ़ोत्तरी देखी गई है। 21.2.2007 की स्थिति के अनुसार चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों, दूध, आलू और प्याज के खुदरा मूल्यों और गत तीन माह के दौरान प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वायदा बाजार आयोग वस्तु भावी सौदा बाजारों के लिए विनियामक है। वायदा बाजार आयोग का मुख्य कार्य इन एक्सचेंजों के सुचारू कार्यकरण और भावी सौदा व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए वस्तु भावी एक्सचेंजों में व्यापार को विनियमित करना है। वायदा बाजार आयोग मूल्यों पर नियंत्रण नहीं करता। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के

लिए एक विधेयक 21.3.2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित कर दिया गया है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा विधेयक की जांच कर ली गई है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ वायदा बाजार आयोग को स्वायत्तशासी और वस्तु भावी सौदा बाजार का अधिक प्रभावी विनियामक बनाने के लिए इसे मजबूत और पुनर्गठित करने की संकल्पना की गई है। विधेयक में वायदा बाजार आयोग को वस्तु भावी सौदा बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यवहारों को प्रतिबंधित करने, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करने और वस्तु बाजार से संबंधित किसी बिचौलिए अथवा व्यक्ति के कार्यों की जांच करने जैसी विभिन्न अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रस्ताव किया गया है। संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने के पश्चात् वायदा बाजार आयोग को ये शक्तियां दी जाएगी।

(ङ) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नजरबंद की शक्तियां दी गई हैं जिसकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हानिकारक पाई जाएं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1.1.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान अधिनियम के तहत 161 व्यक्तियों को नजरबंद करने के आदेश दिए गए।

चालू मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 6 महीने की अवधि के लिए गेहूं और दालों के संबंध में स्टाक सीमा निश्चित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 29.08.2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया था। इस आदेश के बल पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आम लोगों को उचित मूल्यों पर इन मदों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन मदों के जमा किए गए स्टाक को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने अगले छह महीने के लिए केंद्रीय आदेश की वैधता को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। इन उपायों में सरकारी खाते पर गेहूं का आयात करना, शून्य शुल्क पर गेहूं, दालों और मक्का का आयात करने की अनुमति देना, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी करना और दालों (डालर चने के अलावा), स्कीम्ड दूध पाउडर और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं।

विवरण

देश में विभिन्न केंद्रों पर चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्य

(रुपये प्रति किलोग्राम)

केंद्र	चावल							गेहूं						
	चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर			चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर		
	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दिल्ली	15.00	15.00	14.50	14.50	0.0	3.4	3.4	12.00	12.00	12.00	12.00	0.0	0.0	0.0
लखनऊ	10.80	10.80	10.80	10.80	0.0	0.0	0.0	12.00	13.00	12.00	12.50	-7.7	0.0	-4.0
शिमला	16.00	17.00	17.00	16.00	-5.9	-5.9	0.0	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	-	-	-
अहमदाबाद	12.00	14.00	13.00	12.00	-14.3	-7.7	0.0	12.00	13.00	13.00	11.00	-7.7	-7.7	9.1
भोपाल	11.50	11.00	11.50	11.00	4.5	0.0	4.5	11.00	11.00	11.00	10.50	0.0	0.0	4.8
जयपुर	13.00	13.00	12.00	12.00	0.0	8.3	8.3	11.00	11.50	12.00	12.00	-4.3	-8.3	-8.3
मुंबई	13.00	13.00	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	1525	16.50	16.25	15.50	-7.6	-6.2	-1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अगरतला	12.00	12.00	12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
एजवल	13.00	13.00	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
भुवनेश्वर	10.50	9.50	9.50	9.50	10.5	10.5	10.5	15.00	15.00	14.00	14.50	0.0	7.1	3.4
गुवाहाटी	13.00	12.00	12.50	12.50	8.3	4.0	4.0	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
कोलकाता	11.00	11.00	11.00	12.00	0.0	0.0	-8.3	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
पटना	10.00	11.00	11.00	10.00	-9.1	-9.1	0.0	13.00	11.00	11.00	11.50	18.2	18.2	13.0
शिलांग	12.50	12.00	12.00	12.00	4.2	4.2	4.2	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
बंगलौर	11.00	11.00	11.00	11.00	0.0	0.0	0.0	17.00	17.00	17.00	17.00	0.0	0.0	0.0
चेन्नई	12.00	12.00	12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	17.00	17.00	17.00	17.00	0.0	0.0	0.0
हैदराबाद	9.00	9.00	10.00	10.00	0.0	-10.0	-10.0	12.00	12.00	11.00	11.00	0.0	9.1	9.1
त्रिवेन्द्रम	15.50	15.50	15.50	15.50	0.0	0.0	0.0	19.00	18.00	18.00	18.00	5.6	5.6	5.6

केंद्र	आलू							प्याज						
	चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर			चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर		
	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दिल्ली	70.0	6.50	7.00	11.00	7.7	0.0	-36.4	18.00	16.00	11.00	9.00	12.5	63.6	100.0
लखनऊ	6.00	5.00	6.00	10.00	20.0	0.0	-40.0	18.00	14.00	8.00	7.00	28.6	125.0	157.1
शिमला	8.00	7.00	8.00	18.00	14.3	0.0	-55.6	20.00	14.00	12.00	10.00	42.9	66.7	100.0
अहमदाबाद	8.00	10.00	10.00	14.00	-20.0	-20.0	-42.9	10.00	8.00	7.00	8.00	25.0	42.9	25.0
भोपाल	5.00	6.00	8.00	8.00	-16.7	-37.5	-37.5	10.00	10.00	4.00	4.00	0.0	150.0	150.0
जयपुर	4.00	5.00	10.00	10.00	-20.0	-60.0	-60.0	14.00	14.00	6.00	6.00	0.0	133.3	133.3
मुंबई	11.00	9.00	13.00	15.00	22.2	-15.4	-26.7	16.00	14.50	11.00	12.00	10.3	45.5	33.3
अगरतला	8.00	5.00	10.00	12.00	60.0	-20.0	-33.3	20.00	16.00	14.00	12.00	25.0	32.9	66.7
एजवल	12.00	12.00	12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	12.00	12.00	12.00	12.00	0.0	0.0	0.0
भुवनेश्वर	6.00	6.00	6.50	8.00	0.0	-7.7	-25.0	16.00	13.00	10.00	8.00	23.1	60.0	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
गुवाहाटी	6.00	8.00	10.00	10.00	-25.0	-40.0	-40.0	18.00	10.00	8.00	8.00	80.0	125.0	125.0
कोलकाता	5.00	5.00	8.00	8.00	0.0	-37.5	-37.5	16.00	10.00	10.00	10.00	60.0	60.0	60.0
पटना	6.00	12.00	12.00	9.00	-50.0	-50.0	-33.3	15.00	8.00	8.00	9.00	87.5	87.5	66.7
शिलांग	6.00	6.00	9.00	9.00	0.0	-33.3	-33.3	17.00	15.00	9.00	9.00	13.3	88.9	88.9
बंगलौर	10.00	12.00	14.00	12.00	-16.7	-28.6	-16.7	17.00	15.00	12.00	9.00	13.3	41.7	88.9
चेन्नई	9.00	9.00	11.00	13.00	0.0	-18.2	-30.8	14.00	14.00	10.00	7.00	0.0	40.0	100.0
हैदराबाद	14.00	14.00	14.00	13.00	0.0	0.0	7.7	11.00	9.00	5.50	6.00	22.2	100.0	83.3
त्रिवेन्द्रम	13.00	14.00	14.50	17.00	-7.1	-10.3	-23.5	18.50	18.00	14.50	12.00	2.8	27.6	54.2

स्रोत: राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

केंद्र	मूंगफली का तेल							सरसों का तेल						
	चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर			चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर		
	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दिल्ली	95.00	94.0	92.00	89.00	1.1	3.3	6.7	56.00	57.00	58.00	57.00	-1.8	-3.4	-1.8
लखनऊ	81.00	81.0	81.0	81.00	0.0	0.0	0.0	51.00	53.00	54.00	53.00	-3.8	-5.6	-3.8
शिमला	76.00	76.00	78.0	78.00	0.0	-2.6	-2.6	64.00	67.00	65.00	65.00	-4.5	-1.5	-1.5
अहमदाबाद	68.00	62.0	60.0	60.00	9.7	13.3	13.3	49.00	52.00	50.00	45.00	-5.8	-2.0	8.9
भोपाल	65.00	65.0	65.0	65.00	0.0	0.0	0.0	48.00	48.00	48.00	48.00	0.0	0.0	0.0
जयपुर	68.00	64.0	62.5	62.50	6.3	8.8	8.8	50.00	55.00	53.00	53.00	-9.1	-5.7	-5.7
मुंबई	80.00	74.0	74.0	74.00	8.1	8.1	8.1	66.00	75.00	75.00	75.00	-12.0	-12.0	-12.0
अगरतला	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	-	-	-	53.00	53.00	52.00	58.00	0.0	1.9	-8.6
एजवल	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	-	-	-	55.00	55.00	55.00	55.00	0.0	0.0	0.0
भुवनेश्वर	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	-	-	-	56.00	56.00	58.00	57.00	0.0	-3.4	-1.8
गुवाहाटी	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	-	-	-	52.00	50.00	48.00	48.00	4.0	8.3	8.3
कोलकाता	80.00	80.0	80.0	80.00	0.0	0.0	0.0	52.00	55.00	54.00	53.00	-5.5	-3.7	-1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पटना	सू.न.	80.0	80.0	80.00	–	–	–	54.00	55.00	55.00	50.00	-1.8	-1.8	8.0
शिलांग	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–	55.00	57.00	57.00	57.00	-3.5	-3.5	-3.5
बंगलौर	68.00	66.0	64.0	62.00	3.0	6.3	9.7	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
चेन्नई	70.00	65.0	61.0	59.00	7.7	14.8	18.6	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	व्य.न.	–	–	–
हैदराबाद	68.00	64.0	60.0	58.0	6.3	13.3	17.2	65.00	65.00	63.00	63.00	0.0	3.2	3.2
त्रिवेन्द्रम	75.00	70.0	71.0	67.00	7.1	5.6	11.9	80.00	80.00	81.00	81.00	0.0	-1.2	-1.2

केंद्र	चने की दाल							तूर दाल						
	चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर			चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर		
	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दिल्ली	36.00	36.00	39.00	41.00	0.0	-7.7	-12.2	36.00	34.00	33.00	34.00	5.9	9.1	5.9
लखनऊ	40.00	41.00	42.00	43.00	-2.4	-4.8	-7.0	35.00	32.00	33.00	33.00	9.4	6.1	6.1
शिमला	35.50	36.00	43.00	43.00	-1.4	-17.4	-17.4	36.50	35.50	37.00	35.50	2.8	-1.4	2.8
अहमदाबाद	34.50	38.00	40.00	42.00	-9.2	-13.8	-17.9	32.00	32.00	30.00	32.00	0.0	6.7	0.0
भोपाल	31.00	32.00	36.00	36.00	-3.1	-13.9	-13.9	29.00	27.00	26.00	26.00	7.4	11.5	11.5
जयपुर	30.00	34.00	38.00	38.00	-11.8	-21.1	-21.1	34.00	30.00	30.00	30.00	13.3	13.3	13.3
मुंबई	37.00	40.00	44.00	45.00	-7.5	-15.9	-17.8	36.00	35.00	35.00	34.00	2.9	2.9	5.9
अगरतला	37.00	39.00	40.00	40.00	-5.1	-7.5	-7.5	34.00	30.00	30.00	32.00	13.3	13.3	6.3
एजवल	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	–	–	–	35.00	35.00	35.00	35.00	0.0	0.0	0.0
भुवनेश्वर	34.00	36.00	40.00	39.00	-5.6	-15.0	-12.8	35.00	32.00	30.00	32.00	9.4	16.7	9.4
गुवाहाटी	36.00	38.00	36.00	36.00	-5.3	0.0	0.0	32.00	31.00	31.00	31.00	3.2	3.2	3.2
कोलकाता	35.00	38.00	42.00	40.00	-7.9	-16.7	-12.5	32.00	30.00	32.00	30.00	6.7	0.0	6.7
पटना	34.00	37.00	37.00	35.00	-8.1	-8.1	-2.9	33.00	29.00	29.00	28.00	13.8	13.8	17.9
शिलांग	36.00	38.00	40.00	40.00	-5.3	-10.0	-10.0	34.00	30.00	30.00	32.00	13.3	13.3	6.3
बंगलौर	32.00	36.00	40.00	44.00	-11.1	-20.0	-27.3	40.00	37.00	35.00	36.00	8.1	14.3	11.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
चेन्नई	36.00	38.00	40.00	41.00	-5.3	-10.0	-12.2	40.00	35.00	35.00	35.00	14.3	14.3	14.3
हैदराबाद	32.00	33.00	36.00	38.00	-3.0	-11.1	-15.8	30.00	26.00	26.00	26.00	15.4	15.4	15.4
त्रिवेन्द्रम	50.00	52.00	48.00	52.00	-3.8	4.2	-3.8	35.00	35.00	40.00	37.00	0.0	-12.5	-5.4

स्रोत: राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
सू.न.-सूचित नहीं
व्य.न.-व्यापारित नहीं

केंद्र	वनस्पति							दूध (@)						
	चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर			चालू मूल्य	1 माह पूर्व	2 माह पूर्व	3 माह पूर्व	% अंतर		
	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान	21.2.07	22.1.07	21.12.06	21.11.06	1 माह के दौरान	2 माह के दौरान	3 माह के दौरान
दिल्ली	56.00	56.00	56.00	56.00	0.0	0.0	0.0	18.00	17.00	17.00	17.00	5.9	5.9	5.9
लखनऊ	50.00	50.00	52.00	52.00	0.0	-3.8	-3.8	21.00	21.00	21.00	20.00	0.0	0.0	5.0
शिमला	54.00	54.00	54.00	54.00	0.0	0.0	0.0	16.00	16.00	16.00	16.00	0.0	0.0	0.0
अहमदाबाद	50.00	51.00	50.00	52.00	-2.0	0.0	-3.8	21.00	20.00	20.00	20.00	5.0	5.0	5.0
भोपाल	45.00	45.00	45.00	45.00	0.0	0.0	0.0	18.00	18.00	18.00	18.00	0.0	0.0	0.0
जयपुर	55.00	54.00	46.00	46.00	1.9	19.6	19.6	13.00	13.00	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0
मुंबई	64.00	63.00	58.00	58.00	1.6	10.3	10.3	17.00	17.00	17.00	17.00	0.0	0.0	0.0
अगरतला	56.00	56.00	56.00	58.00	0.0	0.0	-3.4	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	-	-	-
एजवल	55.00	55.00	55.00	55.00	0.0	0.0	0.0	28.00	28.00	28.00	28.00	0.0	0.0	0.0
भुवनेश्वर	50.00	50.00	48.00	50.00	0.0	4.2	0.0	18.00	16.00	16.00	15.00	12.5	12.5	20.0
गुवाहाटी	53.00	49.00	49.00	49.00	8.2	8.2	8.2	18.00	18.00	18.00	18.00	0.0	0.0	0.0
कोलकाता	50.00	51.00	52.00	50.00	-2.0	-3.8	0.0	26.00	26.00	27.00	27.00	0.0	-3.7	-3.7
पटना	52.00	55.00	55.00	52.00	-5.5	-5.5	0.0	15.00	12.00	12.00	12.00	25.0	25.0	25.0
शिलांग	54.00	54.00	54.00	54.00	0.0	0.0	0.0	30.00	30.00	30.00	30.00	0.0	0.0	0.0
बंगलौर	56.00	56.00	56.00	56.00	0.0	0.0	0.0	14.00	14.00	13.00	13.00	0.0	7.7	7.7
चेन्नई	57.00	57.00	56.00	56.00	0.0	1.8	1.8	14.00	14.00	14.00	14.00	0.0	0.0	0.0
हैदराबाद	55.00	55.00	55.00	55.00	0.0	0.0	0.0	18.00	16.00	16.00	18.00	12.5	12.5	0.0
त्रिवेन्द्रम	55.00	53.00	55.00	52.00	3.8	0.0	5.8	16.00	15.00	15.00	15.00	6.7	6.7	6.7

स्रोत: राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
सू.न.-सूचित नहीं
व्य.न.-व्यापारित नहीं
@-रुपए प्रति लीटर

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

*7. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अमिताभ नन्दी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की समिति ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस योजना में किस प्रकार के कामगारों/श्रमिकों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आगामी वित्त वर्ष से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सचिवों की समिति ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये एक सामाजिक सुरक्षा योजना के विभिन्न चरणों के कार्यान्वयन और वित्तीय निहितार्थों के साथ विभिन्न संभावित विकल्पों और संघटकों की जांच करने के लिए लघु समूह का गठन किया है।

(ख) से (घ) विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स), आम जनता, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग के परामर्श से योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इस योजना की रूपरेखा और तत्संबंधी कवरेज की मात्रा की जांच की जा रही है।

ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में रिपोर्ट

***8. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समुद्र तल में वृद्धि होने के कारण देश के कई द्वीप समुद्र में डूब गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसे कई और द्वीपों के समुद्र में डूबने का खतरा बना हुआ है;

(ग) क्या कोलकाता समुद्र विज्ञान विद्यालय ने इस संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ङ) दी स्कूल आफ ओशनोग्राफिक स्टडी, जादवपुर विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में संवेदनशीलता आकलन नामक एक अध्ययन किया है, जो यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंसन आन क्लाइमेट चेंज के भारतीय प्रारम्भिक राष्ट्रीय सम्प्रेषण तत्वावधान में पारिस्थितिकीय संवेदनशील सुन्दरवन द्वीप प्रणाली पर किया गया प्रायोगिक अध्ययन है। रिपोर्ट के अनुसार सुन्दरवन के 12 सी फेसिंग द्वीपों को पिछले 30 वर्षों से निरन्तर हो रहे भूमि कटाव से खतरा है और अनुमान लगाया गया है कि इसमें समुद्र स्तर वर्ष 2050 तक 50 सैंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तुलनात्मक समुद्र स्तर में वृद्धि डेल्टा के धसने और मानव निर्मित बहाव के दिशा परिवर्तनों के कारण हो सकती है। इस अध्ययन में कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है और पुर्वानुमानित जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुन्दरबन की संवेदनशीलता पर अधिक जोर दिया गया है। सरकार संभावित जलवायु परिवर्तन से होने वाली चिंताओं से अवगत है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्वीय पर्यावरणीय समस्या है, इसका मुख्य उत्तरदायित्व विकसित देशों पर है न कि भारत जैसे विकासशील देशों पर। फिर भी भारत यूनाईटेड नेशन्स, फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन कलाइमेट चेंज और क्योटो प्रोटोकाल एवं यू एन एफ सी सी सी के अंतर्गत अन्य देशों के साथ अनेक प्रकार की भागीदारियों सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारत की क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैसों के उपशमन में कोई वचनबद्धता नहीं है। फिर भी, जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से सहायता मिली है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

1. ब्यूरो आफ एनर्जी एसोशियेन्सी की स्थापना के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता में सुधार और संरक्षण
2. विद्युत क्षेत्र में सुधार
3. पण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार

4. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का प्रसार
5. कोयले को धोना और कोयले की पूरी उपयोगिता
6. वनीकरण और वन संरक्षण
7. गैस लौ को कम रखना
8. वाहनों के लिए स्वच्छ एवं कम कार्बन वाले ईंधन का उपयोग
9. मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली को प्रोत्साहित करना
10. पर्यावरणीय गुणता प्रबंधन

प्याज की कीमतों में वृद्धि

*9. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 2006-07 के दौरान प्याज का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक देश-वार कुल कितनी प्याज का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या देश में हाल ही में प्याज की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश-वार कुल कितनी मात्रा में प्याज का आयात किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय हुई;

(च) उक्त आयात से घरेलू बाजार में कीमतों में कितनी कमी आने की संभावना है; और

(छ) प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) प्याज के तीन मौसम हैं यथा खरीफ, पूर्व खरीफ एवं रबी। प्याज के कुल उत्पादन के लगभग 60% भाग ने रबी फसल का सहयोग होता है जिसकी अप्रैल-जून 2007 के दौरान कटाई की जाती है इस प्रकार 2006-07 के दौरान रिकार्ड किया गया उत्पादन फसल कटाई के पश्चात् प्राप्त होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की दिनांक तक प्याज के निर्यात की स्थिति नीचे दी गई है। वर्ष-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं:

वर्ष	निर्यात की मात्रा (मीट्रिक टन)	निर्यात का मूल्य (लाख रुपए में)
2003-04	8,40,666	82,171.00
2004-05	9,41,448	81,749.13
2005-06	7,78,134	71,596.71
2006-07 (17.2.2007 तक)	10,22,833	87,000.00

एन.बी.: आंकड़े अनन्तिम है।
स्रोत: (1) नैफेड, (2) डी.जी.सी.आई.एस.

(ग) जी हां, प्याज के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि नीचे दर्शायी गयी है।

(रुपए/क्विंटल)

प्याज	औसत (माडल) थोक मूल्य					
	दिल्ली	कोलकाता	मुम्बई	बंगलौर	चैन्नई	हैदराबाद
अक्तूबर-06						
औसत	560	658	507	493	550	434
नवम्बर, 2006						
औसत	568	735	717	743	618	476

दिसम्बर, 2006						
औसत	842	862	788	897	774	569
जनवरी, 2007						
औसत	978	1013	923	1088	1053	857
फरवरी, 2007						
औसत	1132	1388	1150	990	1360	1010
(सप्ताह - 1 : एक फरवरी से सात फरवरी)						
औसत	1063	1447	1098	983	1204	983
(सप्ताह - 2 आठ फरवरी से 15 फरवरी)						

(घ) प्याज के मूल्यों में हाल ही में बढ़ोत्तरी के लिए प्रमुख कारण, मांग की तुलना में कमी के मौसम के कारण कम बाजार आगम हैं।

(ङ) और (च) प्याज के आयात पर उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार अप्रैल-अगस्त, 2006 के दौरान आयात शून्य था। 2005-06 के दौरान 822.36 लाख रुपए मूल्य का 6,570.23 टन आयात था। उपरोक्त मात्रा में 7,84.84 लाख रुपए मूल्य पर 6,485.9 टन पाकिस्तान से था, 30.6 लाख रुपए मूल्य पर 64.15 टन स्पेन से था, 6.84 लाख रुपए मूल्य पर 20.10 टन बेल्जियम से तथा बाकी 0.07 लाख रुपए मूल्य पर 0.08 टन नीदरलैंड से था। 2004-05 के दौरान भारत का प्याज का कुल निर्यात 0.04 लाख रुपए के मूल्य पर 0.03 टन था तथा यह अमेरिका से था।

(छ) प्याज का मूल्य नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय, बाजार आगमन तथा दैनिक आधार पर मूल्यों की मानीटरिंग, नैफेड द्वारा निर्यात की मानीटरिंग सहित नैफेड के द्वारा प्याज का प्रापण तथा वितरण हैं। पुन: घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लक्ष्य से 19.2.2007 के प्रभाव से नैफेड ने न्यूनतम निर्यात मूल्य 19.12.2006 को चल रहे $ 220 प्रति मीट्रिक टन से $ 345 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है।

विवरण

भारत से प्याज का गन्तव्य स्थानवार निर्यात

देश	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	पीयूवी (रुपए/टन)
1	2	3	4
वर्ष 2003-04			
अबुधाबी	7264	720.06	9,912.72
बहरीन	23145	2,512.85	10,856.99
बांग्लादेश	303325	26,944.30	8,882.98
ब्रुनेई	787	146.34	18.594.66
दम्मम	14592	1,610.59	10,352.18

1	2	3	4
दोहा/कतर	1722	174.6	10,139.37
यूनान	1170	166.26	14,210.26
इण्डोनेशिया	20	1.9	9,500.00
कुवैत	3407	408.72	11,996.48
मलेशिया	161695	18,383.41	11,369.19
मालदीव्स	3937	533.68	13,555.50
मारिशस	11230	1,553.42	13,832.77
मस्कट	2451	236.8	9.661.36
नेपाल	26882	1,985.60	7.386.35
अन्य	3900	462.7	11,864.10
फिलीपीन्स	52	6.21	11,942.31
रि-यूनियन	6093	779.31	12,790.25
सेशेल्स	375	57.37	15,298.67
शारजाह	13110	1,188.63	9,066.59
सिंगापुर	37356	3,590.33	9,611.12
श्रीलंका	113792	10.729.07	9,428.67
यू.ए.ई.	104361	10,078.35	9,657.20
कुल	840666	82,170.51	9,774.45
कुल योग	840666	82,170.51	9,774.45

पीयूवी - प्रति यूनिट मूल्य
स्रोत: डीजीसीआई और एस

भारत से प्याज का गन्तव्य स्थानवार निर्यात

देश	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	पीयूवी (रुपए/टन)
1	2	3	4
वर्ष 2004-05			
अबुधाबी	8639	650.8	7,533.28
बहरीन	19879	1,691.06	8,506.77

1	2	3	4
बांग्लादेश	464538	40,208.97	8,655.69
ब्रुनेई	515	76.62	14,877.67
दम्मम	9388	736.85	7,848.85
दोहा/कतर	7157	637.35	8,905.27
दुबई	100301	7,861.64	7,838.05
फेलेक्सस्टोव	256	28.46	11,117.19
यूनान	550	68.21	12,401.82
इण्डोनेशिया	120	7.54	6,283.33
जेबीएल	1855	156.7	8,447.44
कुवैत	5076	409.56	8,068.56
मलेशिया	134077	13,485.91	10.058.33
मालदीव्स	4625	563	12,172.97
मारिशस	10820	1,435.38	13,265.99
मस्कट	2179	188.29	8.641.12
नेपाल	26602	1,603.30	6,026.99
अन्य	967	121.65	12,580.14
पाकिस्तान	13829	981.1	7,094.51
रि-यूनियन	4887	699.74	14,318.40
सेशेल्स	965	152.57	15,810.36
शारजाह	13483	1,035.33	7,678.78
सिंगापुर	20368	1,729.39	8,490.72
श्रीलंका	90372	7,219.71	7,988.88
कुल	941448	81,749.13	8,683.34
कुल योग	941448	81,749.13	8,683.34

पीयूवी = प्रति यूनिट मूल्य
स्रोत: डीजीसीआई और एस

भारत से प्याज का गन्तव्य स्थानवार निर्यात

देश	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	पीयूवी (रुपए/टन)
वर्ष 2005-2006			
बहरीन	14430	1,265.53	8,770.13
बांग्लादेश	350020	29,268.09	8,361.83
ब्रुनेई	1222	334.94	27,409.17
दम्मम	5202	418.18	8,038.83
दोहा/कतर	5623	464.2	8,255.38
यूनान	6422	794.93	12,378.23
इण्डोनेशिया	1834	606.26	33,056.71
कुवैत	6990	600.98	8,597.71
मलेशिया	117477	15,869.09	13,508.25
मालदीव्स	4567	648.58	14,201.45
मारिशस	11150	1,338.53	12,004.75
नेपाल	27289	1,570.27	5.754.22
ओमान	1108	41.44	3,740,07
अन्य	30	4.91	16,366.67
पाकिस्तान	41146	2.875.23	6,987.87
फिलीपीन्स	3067	350.62	11,432.02
रि-यूनियन	4000	549.2	13,730.00
सेशेल्स	532	83.45	15.686.09
सिंगापुर	16444	1.487.88	9,048.16
श्रीलंका	74389	6,364.45	8.555.63
यू.ए.ई.	85192	6.659.95	7,817.58
कुल	778134	71,596.71	9,201.08
कुल योग	778134	71,596.71	9,20108

पीयूवी - प्रति यूनिट मूल्य
स्रोत: डीजीसीआई और एस

किसानों द्वारा आत्महत्याएं

*10. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, क्या है;

(ग) क्या सरकार की किसानों द्वारा इस प्रकार से आत्महत्या करने की घटनाओं को रोकने में सहायता प्रदान करने की नीति के कोई परिणाम नहीं निकले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की आत्महत्याओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से किसानों को राहत मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों के द्वारा कई स्कीमें और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। भारत सरकार ने चार राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित 31 जिलों के लिए एक पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन किया है। यह पैकेज 3 वर्षों में क्रियान्वित किया जाना है और इसमें तात्कालिक और मध्यकालिक दोनों उपाय शामिल हैं। इसका लक्ष्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की बेहतर आपूर्ति, कृषि हेतु फसल केन्द्रित दृष्टिकोण, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि समर्थन सेवाओं, उन्नत विपणन सुविधाओं और बागवानी, पशुधन, डेयरी, मछलीपालन आदि की सहायक आय के अवसरों के जरिए संधारणीय और व्यवहार्य कृषि और आजीविका समर्थन प्रणाली स्थापित करना है। ऋण के बोझ से दबे हुए कृषक परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रति जिला 50 लाख रु. की दर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राश की सहायता दी जाएगी। इस पैकेज में कुल 16978.69 करोड़ रु. की धनराशि शामिल है जिसमें 10579.43 करोड़ रु. सब्सिडी। अनुदान तथा 6399.2 करोड़ रु. ऋण के रूप में शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

आंध्र प्रदेश	9650.55 करोड़ रु.
कर्नाटक	2689.64 करोड़ रु.
केरल	765.24 करोड़ रु.
महाराष्ट्र	3873.26 करोड़ रु.

इसके अलावा किसानों की विपदा को दूर करने के लिए राज्य सरकारों ने की गई पहलें की हैं। इनमें प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता का प्रावधान, रियायती दरों पर बीजों और उर्वरकों का प्रावधान, सहकारी बैंकों आदि से लिए गए ऋणों का पुनर्निर्धारण आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही 18 जून, 2004 को भारत सरकार द्वारा घोषित व्यापक ऋण नीति फिलहाल क्रियान्वित की जा रही है। इस घोषणा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

* कृषि क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह में अगले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 30% की दर से वृद्धि करना ताकि वर्ष 2007 तक कृषि ऋण को दुगना किया जा सके।
* दो वर्षों में ऋणस्थगन सहित पांच वर्षों की अवधि में बकाया ऋणों के पुनर्निर्धारण करने की व्यवस्था के लिए विपदाग्रस्त किसानों और बकायेदार किसानों के संबंध में ऋण की पुन: संरचना जिससे सभी किसानों को नए ऋण का पात्र बनाया जा सके।
* छोटे और सीमांत किसानों के पुराने और बहुत पुराने खातों के निपटाने के लिए विशेष एकबारगी निपटान स्कीम।
* बैंकों को निजी साहूकारों से किसानों द्वारा लिए गए ऋणों के उन्मोचन के लिए वित्तपोषण की अनुमति दी गई।
* वाणिज्यिक बैंक 100 किसान/शाखा की दर से वित्तपोषण करेंगे; एक वर्ष में बैंकों द्वारा 50 लाख नए किसानों का वित्तपोषण किया जाएगा।

* 2 से 3 परियोजना प्रति शाखा की दर से कृषि और समवर्गी कार्यकलापों में नए निवेश।

* किसान क्रेडिट कार्डों का परिष्करण और वित्त पैमाने का निर्धारण।

[हिन्दी]

मैचों के प्रसारण पर विवाद

*11. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सम्पन्न हुई भारत-वेस्टइंडीज एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला के प्रसारण पर कोई विवाद था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब विवाद सुलझा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अब दूरदर्शन पर आगामी विश्व कप मैचों के सीधे प्रसारण हेतु कोई प्रबंध कर लिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला के अधिकार धारकों ने प्रसार भारती दूरदर्शन के साथ इस श्रृंखला के सीधे प्रसारण की हिस्सेदारी करने से इंकार कर दिया था और खेल-कूद आयोजनों के प्रसारण सिगनल की अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की अनुप्रयोज्यता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।

(ग) जी, नहीं। यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) राष्ट्रपति ने प्रसार भारती, दूरदर्शन के साथ खेल-कूद आयोजनों के प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल-कूद आयोजनों की अधिकतम संख्या में श्रोताओं और दर्शकों को फ्री-टु-एयर आधार पर सुलभ कराने के लिए "खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007" (प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।) को दिनांक 2 फरवरी, 2007 को प्रख्यापित कर दिया है। इससे दूरदर्शन पर विश्व कप के मैचों का सीधा प्रसारण किया जा सकेगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-(एन)04/0007/2006-08

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग 2 खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2007/माघ 13, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007

(2007 का अध्यादेश संख्यांक 4)

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित।

[2 फरवरी, 2007]

प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों में अनिवार्य हिस्सेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों की अधिकतम संख्या में श्रोताओं और दर्शकों की फ्री टू एयर आधार पर पहुंच का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अध्यादेश

संसद् सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अत:, अब, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह 11 नवम्बर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2. (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''प्रसारणकर्त्ता'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रकरण प्रसारण सेवा प्रदान करता है और उसके अंतर्गत प्रसारण नेटवर्क सेवा प्रदाता भी है जब वह अपनी स्वयं की टेलीविजन या रेडियो चैनल सेवा का प्रबंध करता है और उसका प्रचालन करता है;

(ख) ''प्रसारण'' से किसी प्रकार के संचार प्रकरण को जैसे कि चिह्नों, संकेतों, लेख, तस्वीरों, छवियों और ध्वनियों को एकत्रित करना और उनका कार्यक्रम तैयार करना तथा या तो उसे विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में रखना और उसे वाहक तरंगों पर निरंतर उपलब्ध कराने के लिए अंतरिक्ष या केबलों के माध्यम से पारेषण करना या कंप्यूटर नेटवर्क पर अंकीय डाटा रूप में निरंतर प्रवाहित करना, जिससे कि वह या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रापक युक्तियों के माध्यम से एकल या बहु-उपयोगकर्त्ताओं के लिए पहुंच के भीतर हो; और उसके सभी व्याकरणीय रूपभेद और सजातीय पद अभिप्रेत है;

(ग) ''प्रसारण सेवा'' से संचार प्रकरण को एकत्रित करना, कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में रखना और उसे प्रसारण नेटवर्क या नेटवर्क के माध्यम से निरंतर पारेषित करना अभिप्रेत है जिससे सभी या किन्हीं बहु-उपयोगकर्त्ताओं को अपनी प्रापक युक्तियों को अपने संबंधित प्रसारण नेटवर्कों से जोड़कर अपनी पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाया जा सके और उसके अंतर्गत प्रकरण प्रसारण सेवाएं और प्रसारण नेटवर्क सेवाएं भी हैं;

(घ) ''प्रसारण नेटवर्क सेवा'' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो बहु-उपयोगकर्त्ताओं को मार्गनिर्देशित या अमार्गनिर्देशित इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों के माध्यम से विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रसारण प्रकरण को ले जाने के लिए केबलों या पारेषण युक्तियों की अवसंरचना का नेटवर्क प्रदान करती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी का प्रबंध और प्रचालन भी है:-

(1) टेलीपोर्ट/हब/भूमि केन्द्र;

(2) डाइरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण नेटवर्क;

(3) बहु-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क;

(4) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क;

(5) सैटेलाइट रेडियो प्रसारण नेटवर्क;

(6) ऐसी कोई अन्य नेटवर्क सेवा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(ङ) ''केबल टेलीविजन चैनल सेवा'' से बहु-उपयोगकर्त्ताओं को आवृत्तियों के एक निश्चित सेट पर किसी प्रसारण टेलीविजन प्रकरण को एकत्रित करना, उनका कार्यक्रम तैयार करना और केबलों द्वारा पारेषण करना अभिप्रेत है;

(च) ''केबल टेलीविजन नेटवर्क'' से ऐसी कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें नजदीकी पारेषण पथ और एसोशिएटेड सिगनल जेनेरेशन, नियंत्रण और वितरण उपस्कर भी है जो बहु-उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए टेलीविजन चैनलों या कार्यक्रमों को प्राप्त करने और उन्हें पारेषित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है;

(छ) ''समुदाय रेडियो सेवा'' से क्षेत्रीय रेडियो प्रसारण अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट समुदाय के लिए ही और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए ही आशयित और निर्बंधित है;

(ज) ''प्रकरण'' से कोई ऐसी ध्वनि, पाठ, डाटा, तस्वीर (स्थिर या चल), अन्य श्रव्य-दृश्य रूपण, सिगनल या किसी प्रकार की आसूचना या उनका कोई समुच्चय अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रोनिक रूप से सृजित किए जाने, प्रसंस्कृत किए जाने, भंडारित किए जाने, पुन) प्राप्त किए जाने या संसूचित किए जाने योग्य है;

(झ) ''प्रकरण प्रसारण सेवा'' से किसी प्रकरण को एकत्रित करना, उसका कार्यक्रम तैयार करना और इलैक्ट्रानिक रूप में रखना तथा उसे प्रसारण नेटवर्क पर विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों पर पारेषित या पुन: पारेषित करना अभिप्रेत है जिससे कि उसे बहु-उपयोगकर्त्ताओं द्वारा अपनी प्रापक युक्तियों को नेटवर्क से जोड़कर पहुंच प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी का प्रबंध और प्रचालन भी है:-

(1) क्षेत्रीय टेलीविजन सेवा;

(2) क्षेत्रीय रेडियो सेवा;

(3) सैटेलाइट टेलीविजन सेवा;

(4) सैटेलाइट रेडियो सेवा;

(5) केबल टेलीविजन चैनल सेवा;

(6) समुदाय रेडियो सेवा;

(7) ऐसी कोई अन्य प्रकरण प्रसारण सेवाएं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं;

(ञ) "डाइरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो किसी उपयोगकर्त्ता के परिसरों में कार्यक्रमों को किसी मध्यवर्दी जैसे कि केबल आपरेटर के माध्यम से वितरित न करके सैटेलाइट प्रणाली को अपलिंकिंग करके बहु-चैनल से वितरित की जाती है;

(ट) "दिशानिर्देशों" से धारा 5 के अधीन जारी किए गए दिशानिर्देश अभिप्रेत हैं;

(ठ) "बहु-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क" से किसी भूमि आधारित पारेषण प्रणाली द्वारा तारयुक्त केबल या तारहित केबल या दोनों के संयोजन का प्रयोग करके या तो बहु-उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सीधे या एक या अधिक स्थानीय केबल आपरेटरों के माध्यम से एक साथ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की बहु-चैनल डाउन-लिंकिंग तथा वितरण प्रणाली अभिप्रेत है;

(ड) "प्रसार भारती" से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के नाम से ज्ञात निगम अभिप्रेत है;

(ढ) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) "सैटेलाइट टेलीविजन सेवा" से ऐसी टेलीविजन प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो सैटेलाइट का उपयोग करते हुए प्रदान की जाती है और स्थानीय परिदान प्रणाली की सहायता से या उसकी सहायता के बिना प्राप्त की जाती है किन्तु उसके अंतर्गत डाइरेक्ट-टू-होम डिलीवरी सेवा नहीं है;

(त) "सैटेलाइट रेडियो सेवा" से ऐसी रेडियो प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो सैटेलाइट का उपयोग करते हुए प्रदान की जाती है और भारत में बहु-उपयोगकर्त्ताओं द्वारा रिसीवर सेटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की जा सकती है;

(थ) "सेवा प्रदाता" से प्रसारण सेवा प्रदाता अभिप्रेत है;

(द) "विनिर्दिष्ट" से धारा 5 के अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(ध) "राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन" से ऐसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन अभिप्रेत हैं, जो भारत या भारत से बाहर आयोजित किए गए हों और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व के अधिसूचित किए जाएं;

(न) "क्षेत्रीय टेलीविजन सेवा" से ऐसी टेलीविजन प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो भूमि आधारित ट्रांसमीटर का उपयोग करके वायु द्वारा प्रदान की जाती है और जनता द्वारा रिसीवर सेटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की जाती हैं;

(प) "क्षेत्रीय टेलीविजन सेवा" से ऐसी रेडियो प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो भूमि-आधारित ट्रांसमीटर का प्रयोग करके वायु के माध्यम से प्रदान की जाती है और जनता द्वारा रिसीवर सैटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की जाती है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में उनके हैं।

अध्याय 2

प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी

कतिपय खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी

3. (1) कोई भी प्रकरण अधिकार का स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता, भारत में किसी केबल पर या डाइरेक्ट-टू-होम नेटवर्क या रेडियो कमेंट्री प्रसारण पर, राष्ट्रीय खेल आयोजनों का, सीधा प्रसारण तभी करेगा, जब वह एक साथ प्रसार भारती के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके स्थलीय नेटवर्कों और डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्कों पर उनका पुनः प्रसारण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए, अपने विज्ञापनों के बिना, सीधे प्रसारण सिगनलों में हिस्सेदारी करें।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबंधन और शर्तें यह भी उपबंध करेगी कि प्रकरण अधिकार के स्वामी या धारक और प्रसार भारती के बीच टेलीविजन कवरेज के मामले में विज्ञापन राजस्व का बंटवारा 75:25 और रेडियो कवरेज के मामले में 50:50 से अन्यून अनुपात में होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन प्रसार भारती द्वारा प्राप्त राजस्व का कुछ प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसका उपयोजन प्रसार भारती द्वारा अन्य खेल आयोजनों के प्रसारण पर किया जाएगा।

4. केंद्रीय सरकार ऐसे विभिन्न निबंधनों और शर्तों के अतिक्रमण के लिए, जो धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाएं, अधिरोपित की जाने वाली शास्तियां, जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति, अनुमति या रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन या प्रतिसंहरण भी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि किसी धनीय शास्ति की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी:

परंतु कोई भी शास्ति सेवा प्रदाता को युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी:

परंतु यह और कि 11 नवंबर, 2005 के पश्चात् और खेल प्रसारण सिगंनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 के प्रख्यापन की तारीख से पूर्व, किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप शास्तियों के अध्यधीन नहीं होगा।

अध्याय 3

दिशानिर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्तियां

दिशानिर्देश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

5. केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के संबंध में प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों में अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए, दिशानिर्देश जारी करके ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह ठीक या समीचीन समझे:

परंतु खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 के प्रख्यापन से पूर्व जारी दिशानिर्देशों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे इस धारा के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से जारी किए गए हैं।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

विधिमान्यकरण

6. (1) खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए 11 नवंबर, 2005 की डाउनलिंकिंग को टेलीविजन चैनलों के लिए और 2 दिसंबर, 2005 को भारत से अपलिंकिंग के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के उपबंध ऐसे विधिमान्य समझे जाएंगे, मानो वे इस अध्यादेश के अधीन जारी किए गए हों।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार या प्रसार भारती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया कोई कार्य सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार किया गया और हमेशा ही किया गया समझा जाएगा मानो वे दिशानिर्देश सभी तात्विक समयों पर विधिमान्य रूप से प्रवर्तन में ते और पूर्वोक्त किसी बात के होते हुए और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निदेश या ऐसी किसी डिक्री या आदेश के प्रवर्तन के लिए, जो यदि उक्त दिशानिर्देश सभी तात्विक समयों पर विधिमान्य रूप से प्रवृत्त होते, तो नहीं दिया गया होता, कोई विधिक कार्यवाही किसी न्यायालय में कायम नहीं रखी जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

7. केंद्रीय सरकार, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

नियमों और दिशानिर्देशों का संसद के समक्ष रखा जाना

8. इस अध्यादेश के अधीन, यथास्थिति, बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी किया गया प्रत्येक दिशानिर्देश बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्रों में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या दिशानिर्देश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, उस नियम या दिशानिर्देश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यावृत्ति

9. प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए 11 नवंबर, 2005 को जारी किए गए टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों और 2 दिसंबर, 2005 को भारत से अपलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों के अधीन सुसंगत उपबंध, इस अध्यादेश के अधीन नए दिशानिर्देश जारी किए जाने तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

के.एन. चतुर्वेदी,
सचिव, भारत सरकार।

[अनुवाद]

कपास उत्पादन के लिए विशेष पैकेज

*12. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एक विशेष पैकेज देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विशेष पैकेज से कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा आत्महत्या प्रवण क्षेत्रों में कपास उत्पादक किसानों की सहायता करने के लिए क्या किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) देश में कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कपास प्रौद्योगिकी मिशन की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II कपास के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। मिनी मिशन-II के अधीन 15 वर्षों से कम पुरानी किस्मों/संकरों के बीजों के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शनों के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण, कृषकों और विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण, समेकित कृमि प्रबंधन प्रदर्शनियों सहित पादप रक्षण उपायों, स्प्रेयरों, फेरोमोन ट्रैपों, बायो-एजेण्टों तथा साथ ही स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि जैसे जल बचत साधनों की आपूर्ति के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2003-04 से कपास के उत्पादन और उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है और वर्ष 2006-07 के दौरान रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है जिससे कपास उत्पादकों को लाभ मिलेगा।

(घ) कपास किसानों सहित किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में आत्महत्या संभावित 31 जिलों हेतु एक विशेष पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन किया गया है। इस पैकेज में अनुग्रह सहायता, ऋण राहत, ऋण प्रवाह, ब्याज माफी, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि, पनधारा विकास, बागवानी विकास, विस्तार सेवाएं और बागवानी, पशुधन, डेयरी, मात्स्यिकी आदि के जरिए सहायक आय के अवसर उपलब्ध कराना शामिल हैं।

सेल द्वारा खरीद

*13. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कुछ अन्य देशों की कुछ इस्पात कंपनियों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेल द्वारा किस प्रकार की कंपनियों तथा कौन-कौन से देशों की कंपनियों का अधिग्रहण करने की योजना है;

(घ) क्या सरकार को 'सेल विदेश' नामक एक सहायक कंपनी शुरू करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सेल की नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) वर्तमान में विदेशों में इस्पात कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सेल विदेशों में कोककर कोयला खानों में कुछ साम्या भागीदारी अधिगृहीत करने की प्रारंभिक संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में सेल विदेश नामक अनुषंगी कंपनी शुरू करने का सेल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) सेल की नई परियोजनाएं, जो इसकी निगमित योजना में परिकल्पित की गई है, इसके विभिन्न संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण से संबंधित हैं ताकि लगभग 40,000 करोड़ रुपए की चालू अनंतिम अनुमानित लागत से तप्त धातु के मौजूदा (2005-06) प्रतिवर्ष 14.6 मिलियन टन उत्पादन स्तर को बढ़ाकर 2010 तक प्रति वर्ष 23.8 मिलियन टन किया जा सके। संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग संयंत्रों की योजनाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। सेल बोर्ड द्वारा अभी तक इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी), बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) तथा सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु योजनाओं को "सिद्धान्तत:" अनुमोदित कर दिया गया है।

खानों सहित भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित सेल की अन्य इकाइयों के लिए संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अनंतिम लागत अनुमान आईएसपी, बीएसएल, एसएसपी के लिए "सिद्धांतत:" अनुमोदित योजनाओं तथा उन अन्य संयंत्रों जिनकी संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, के प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित है। आधुनिकीकरण और विस्तार की अंतिम लागत टेंडर प्रक्रियाओं के माध्यम से आर्डर देने के पश्चात ही ज्ञात होगी।

वैश्विक रोजगार रूझानों संबंधी रिपोर्ट

*14. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वैश्विक रोजगार रूझानों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अद्यतन रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक रोजगार रूझानों के सार, जनवरी 2007 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि रोजगार सृजन दक्षिण एशिया में बढ़ते हुए श्रम बल को कार्य में खपाने के लिए अपर्याप्त रहा है। यद्यपि क्षेत्र में, विशेष रूप से भारत में, कार्यशील गरीबी में 87.2 प्रतिशत की प्रभावशाली गिरावट आई है तथापि कार्य करने की प्रतिदिन 2 अमरीकी डालर स्तर की निम्न दरें अभी भी बहुत अधिक हैं।

वयस्क जनसंख्या में साक्षरता की दरें अब भी बहुत निम्न (उदाहरणार्थ भारत में 57.2 प्रतिशत) हैं। अधिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, रोजगार अवसरों में वृद्धि करने, श्रम उत्पादकता बढ़ाने तथा व्यक्तियों को गरीबी से उबारने में सहायक होगा। जिसके परिणामस्वरूप सतत आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

(ग) 10वीं योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणात्मक रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया गया और इसे 10वीं योजना तथा उससे आगे के लिए प्रबोधनीय उद्देश्य माना गया था। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणात्मक रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा रोजगार सृजन में बाधक नीतिगत कठिनाइयों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के द्रुत विकास पर बल दिया गया। अत्यधिक रोजगार संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण, तीव्र और अधिक व्यापक तथा सघन विकास पर आधारित एक नवीन संकल्पना के लिए नीतियों के पुन: निर्माण के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, तथा न केवल रोजगार में वृद्धि को तेज करना बल्कि कम मजदूरी पाने वालों की मजदूरी को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास शामिल हैं:-

(1) विकास को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकाधिक लोग उत्पादक आस्तियों तक पहुंच सकें, जिससे कि वे स्वयं अच्छी आय सृजित कर सकें और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से वेतन भोगी श्रम हेतु पर्याप्त मांग भी सृजित हो सके ताकि, जो स्व-रोजगार नहीं कर सकते, वे अच्छा वेतन रोजगार प्राप्त कर सकें।

(2) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को और तेज करने तथा कृषि में वृद्धि को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित हो सकेंगे। श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रों यथा; खाद्य प्रसंस्करण, चर्म-उत्पाद, जूते तथा कपड़े और सेवा क्षेत्रों यथा; पर्यटन तथा निर्माण में श्रम को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

(3) 11वीं योजना के दौरान ग्राम एवं लघु उद्यम (वीएसई) अधिकांश नए रोजगार अवसर प्रदान करेंगे।

(4) वर्ष 2004 से उद्योग के साथ बेहतर संपर्क बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशासन में सुधारों की पहचान तथा उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्नातकों को बेहतर ढंग से रोजगारपरक बनाने के लिए सरकार ने 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है जिनमें से 200 में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए कार्य आरंभ किया जा चुका है।

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम 100 दिनों का हाथ का काम प्रदान कराने का आश्वासन देता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार लगातार रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक रोजगार सृजन एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

सूखा प्रवण जिलों में सिंचाई सुविधाएं

*15. **श्री परसुराम माझी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर हाल ही में देश के आत्महत्या प्रवण जिलों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों में किस प्रकार की सिंचाई सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) सरकार ने चार राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में 31 आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपए का एक पुनर्वास पैकेज प्रदान किया है ताकि किसानों की विपदा को कम किया जा सके। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान किया जाना इस पैकेज का एक घटक है। प्रस्तावित सिंचाई सुविधा की किस्म सहित राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस पैकेज का कार्यान्वयन तीन वर्षों की अवधि में किया जा रहा है।

1. प्रमुख सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आबंटन (परियोजनाओं की संख्या)			वित्तीय	2006-07 के लिए आवंटन वित्तीय
	वास्तविक				
	मूल पैकेज	अतिरिक्त	कुल		
आंध्र प्रदेश	04	10	14	3233.00	1078.00
कर्नाटक	04	05	09	1204.05	401.35
केरल	–	01	01	–	एनए
महाराष्ट्र	08	–	08	1260.43	420.14
कुल	16	16	32	5697.48	1899.49

2. मध्यम सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आबंटन (परियोजनाओं की संख्या)			वित्तीय	2006-07 के लिए आवंटन वित्तीय
	वास्तविक				
	मूल पैकेज	अतिरिक्त	कुल		
आंध्र प्रदेश	06	05	11	325.00	1.08.33
कर्नाटक	01	07	08	04.66	2.05
केरल	01	04	05	35.00	11.66
महाराष्ट्र	09	–	09	468.15	156.05
कुल	17	16	33	832.81	278.09

3. लघु सिंचाई

(करोड़ रुपये)

राज्य	पैकेज के अंतर्गत आवंटन		2006-07 के लिए आवंटन	
	वास्तविक (परियोजनाओं की संख्या)	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
आंध्र प्रदेश	932	2231.00	310	744.00
कर्नाटक	897	458.10	299	152.70
केरल	179	70.03	60	22.34
महाराष्ट्र	557	448.68	186	149.56
कुल	2565	3207.81	855	1068.60

4. सूक्ष्म सिंचाई

(करोड़ रुपये)

राज्य	पैकेज के अंतर्गत आवंटन		2006-07 के लिए आवंटन	
	वास्तविक (लाख हैक्टे.)	वित्तीय	वास्तविक (लाख हैक्टे.)	वित्तीय
आंध्र प्रदेश	4.27	640.00	1.42	213.33
कर्नाटक	0.430	64.00	0.153	23.00
केरल	0.130	19.53	0.043	6.51
महाराष्ट्र	0.534	78.00	0.173	26.00
कुल	5.364	801.53	1.789	268.84

फसलों का विविधीकरण

*16. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों के विविधीकरण से खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) विविधीकरण के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों का औसत उत्पादन 1996-97 से 2000-01 के दौरान 200.38 मिलियन टन की तुलना में 201.55 मिलियन टन था। खाद्यान्नों के उत्पादन में भिन्नता की वजह वर्षा में कमी-बेशी होना और अन्य जलवायु संबंधी कारक हैं क्योंकि देश में 60% से अधिक कृष्य क्षेत्र वर्षा

सिंचित हैं। ऊंचे मूल्य वाली अधिक लाभकारी फसलों की ओर विविधीकरण का संवर्धन किसानों के लिए तुलनात्मक लाभ के आधार पर किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनाज फसलों अर्थात् चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कृषि की बृहत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत समेकित अनाज विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। दलहनों और मक्का का उत्पादन भी समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का की प्रायोजित स्कीम (आइसोपाम) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दुग्ध एवं दुग्धोत्पादों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी

*17. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुग्ध एवं दुग्धोत्पादों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या हाल ही में दुग्ध व दुग्धोत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान "मदर डेयरी" और "दिल्ली दुग्ध योजना" द्वारा दुग्ध तथा दुग्धोत्पादों की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गयी है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त है। इसके अलावा, देश में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग तथा आपूर्ति के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि देश में उत्पादित दूध का अधिकांश हिस्सा, अर्थात लगभग 85% असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)	% वृद्धि
2003-04	88.1	2.20
2004-05	92.5	4.99
2005-06	97.1	4.97
2006-07 (अनुमानित)	100.0	2.98

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुग्ध पाउडर के ऊंचे मूल्यों के कारण, वर्ष 2005-06 के दौरान स्किम दुग्ध पाउडर (एसएमपी) के निर्यात में वृद्धि हुई थी तथा यह प्रवृत्ति वर्ष 2006-07 के दौरान जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि हुई। मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना ने विभिन्न संशोधनों के दौरान दूध की सभी श्रेणियों के लिए प्रत्येक बार दूध के मूल्यों में एक रुपए प्रति लीटर तथा घी के मूल्यों में 5 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर और मक्खन के मूल्यों में 2 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी। मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमतें अपने संचालनों की व्यवहार्यता को बरकरार रखने के लिए बढ़ाई।

मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना ने विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के मूल्य बढ़ाए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

संगठन	वर्ष	टोंड दूध	डबल टोंड दूध	फुल क्रीम दूध	घी	टेबल बटर
मदर डेयरी	2003-04	2	3	3	–	1
	2004-05	–	–	–	2	1
	2005-06	1	1	1	1	–
	2006-07	2	2	2	–	2
डीएमएस	2003-04	–	–	–	–	–
	2004-05	1	1	1	–	–
	2005-06	1	1	1	1	2
	2006-07	2	2	2	1	2

(च) (1) भारत सरकार ने 9.2.2007 से स्किम दुग्ध पाउडर, सम्पूर्ण दुग्ध पाउडर तथा शिशुओं के लिए दुग्ध आहार आदि सहित दुग्ध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि 30 सितम्बर, 2007 तक लागू रहेगा।

(2) मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा टेरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 10,000 मीट्रिक टन एसएमपी के बफर स्टाक को आयात करने को अनुमोदन दिया था। इस मात्रा के आयात पर टीआरक्यू के तहत 15% के स्थान पर 5% शुल्क लगेगा।

औसत कृषि विकास

*18. **श्री सर्वे सत्यनारायण:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) ने वर्ष 2000 से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि विषय पर जारी की गई अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में औसत कृषि विकास दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान कृषि विकास दर संबंधी निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त सफलता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि उत्पादन में अपेक्षित विकास दर हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि विकास हेतु कोई समेकित दृष्टिकोण तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत किन क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 2002-03 से 2006-07 की अवधि के लिए 4.0% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य के विरुद्ध केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए राष्ट्रीय लेखों के नवीनतम अनुमानों के अनुसार कृषि तथा वानिकी लट्ठा तथा मत्स्य के सम्बद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.3% (1999-2000 मूल्य) है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा प्राप्त की गई वृद्धि दर का वर्षवार विवरण दिया गया है।

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	
	दसवीं योजना के लक्ष्य (%)	वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर (%)
2002-03	3.5	-7.2
2003-04	3.7	10.0
2004-05	4.0	0.0
2005-06	4.2	6.0
2006-07	4.4	2.7 (त्वरित अनुमान)
2002-07 (दसवीं योजना)	4.0	2.3

स्रोत: 1. योजना आयोग

2. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वृद्धि दरें 1999-2000 के मूल्यों तथा वास्तविक लागत पर गणना की गई हैं।

(ग) से (ङ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम नीचे दिए गए हैं:

* चावल, गेहूं तथा अन्य अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, गन्ना आधारित फसल प्रणाली का भारी विकास तथा विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।
* तिलहनों, दालों, पाम तेल, मक्का के सम्भावित पैदावार बढ़ाने के लिए तिलहनों, दालों, पाम तेल तथा मक्का के लिए एकीकृत योजना का प्रारम्भ।
* किसानों को उनके द्वारा बोई जाने वाली फसलों की पसंदी पर निर्णय करने योग्य बनाने हेतु बुआई मौसम से तुरन्त पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा।
* बागवानी तथा फूलों की खेती द्वारा कृषि विविधिकरण।
* सीधे विपणन/अनुबन्ध खेती आदि के विकास के लिए निजी तथा सहकारी क्षेत्रों से निवेश आकर्षित करने के लिए स्थान बनाते हुए आधुनिक कृषि बाजारों का विकास/सुदृढ़ीकरण।
* ग्रामीण तथा किसान परिवारों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण, विशेषत: उत्पादन ऋण बढ़ाने के लिए बैंकों का पुन:सक्रियकरण।
* कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अग्रिमों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कृषि अनुसंधान का पुन:सक्रियकरण।

* प्रत्येक जिले में कृषि विकास केन्द्रों के द्वारा कृषि विस्तार प्रणाली का पुन:सक्रियकरण तथा जिला स्तर पर ''कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेंसी'' (ए.टी.एम.ए.) के रूप में तकनीकी फैलाव के लिए स्वायत्त संस्थागत प्रबन्धनों के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसान हितैषी बनाना।

* वर्षा प्रभावित क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय वर्षा प्रभावित क्षेत्र प्राधिकरण के गठन का अनुमोदन किया जा चुका है।

खिलौनों में प्रयुक्त होने वाले विषाक्त रसायनों का प्रभाव

***19. श्री उदय सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुलायम खिलौनों (साफ्ट ट्वायज) में प्रयुक्त होने वाले विषाक्त रसायनों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने मुलायम खिलौनों में कतिपय प्रकार के विषाक्त रसायनों के प्रयोग पर रोक लगायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) पूरे देश में मुलायम खिलौनों में विषाक्त रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) इंडस्ट्रीयल टाक्सिलाजी रिसर्च सैन्टर, लखनऊ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला काउंसिल, ने ''प्लास्टिक खिलौनों से पैथलेट, धातु और कोलोरेंट के अंतर्गठन के आकलन'' पर अध्ययन किया है। और वर्ष 2002 में पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अध्ययन का उद्देश्य एक प्रश्नपत्र के माध्यम से प्लास्टिक के खिलौनों की उन किस्मों और गुणता के सर्वेक्षण का अध्ययन करना है जिनसे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खिलौनों से पैथलेट प्लास्टिसाईजर, धातु और रंगों की मात्रा के निकलने, पैथलेट धातुओं और रंगों के निकलने को प्रभावित करने वाले कारणों और खिलौने से बच्चों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय जांच द्वारा प्रभाव पर सर्वेक्षण का अध्ययन करना था।

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि प्राकृतिक, विष रहित रंजकों और रंगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और खिलौनों के उपयोगों के दौरान इनके ऊपर से उतरने वाले संभाव्य पदार्थों को कम करने के लिए इनका विनिर्माण मानक प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार साफ्ट खिलौनों में रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जहां तक खिलौनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा का संबंध है भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित तीन मानक प्रकाशित किए हैं:-

1. आई एस 9873 (भाग 1): 2001/आईएसओ 8124-1: 2000 खिलौनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा : भाग 1 मकैनीकल और वास्तविक विशेषताओं से संबंधित सुरक्षा पहलु।

2. आई एस 9873 (भाग 2): 1999/आईएसओ 8124-2: 1994 खिलौनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा : भाग 2 : ज्वलनशील आवश्यकताएं।

3. आई एस 9873 (भाग 3) : 1999/आईएसओ 8124-3:1997 खिलौनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा : भाग 3 : कुछ पदार्थों का दूसरे पदार्थों पर चढ़ना, खिलौनों से एन्टीमोनी (एस बी), आर्सेनिकीय (ए एस) बेरियम (बी ए), केडमियम (सी डी), क्रोमियम (सी आर), सीसी (पीबी), पारा (एच जी) और सीलीनम (एस ई) के लिए कतिपय तत्वों के एक दूसरो के ऊपर चढ़ने की निर्धारित अधिकतम स्वीकार्यता।

प्रधान मंत्री विशेष सिंचाई कार्यक्रम हेतु निधियां

***20. श्री भर्तृहरि महताब: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री विशेष सिंचाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधियां निर्धारित कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों और गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कुल कितनी भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जल संसाधन मंत्रालय ''प्रधान मंत्री विशेष सिंचाई कार्यक्रम'' नामक कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा है। तथापि, सिंचाई भारत निर्माण का कार्यक्रम तथा कृषि संबंधित समस्याओं से ग्रस्त 31 जिलों के संबंध में प्रधान मंत्री के पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोतलबंद पानी की आपूर्ति करने वाली कंपनियां

1. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी कंपनियां बोतलबंद पानी/ मिनरल वाटर का विनिर्माण कर रही हैं और उसे बेच रही हैं;

(ख) क्या सरकार को बोतलबंद मिनरल वाटर का उत्पादन करने और उसे बेचने के लिए लाइसेंस देने हेतु नए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने बोतलबंद पानी के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किसी विनियामक की नियुक्ति की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों द्वारा संदूषित बोतलबंद पानी बेचने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) आई एस 14543:2004 के अनुसार आई एस आई चिह्नित बोतल बंद पीने के पानी का विनिर्माण और विक्रय करने वाली कंपनियों (लाइसेंसों) की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	लाइसेंसों की संख्या
आंध्र प्रदेश	237
केरल और पांडिचेरी	31
कर्नाटक	104
तमिलनाडु	437
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	38
उड़ीसा	13
बिहार और झारखण्ड	20
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम	15
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	44
राजस्थान	30
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	55
दिल्ली और नौएडा	60
हिमाचल प्रदेश	4
हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़	55
गुजरात	140
महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दादर नगर हवेली	151
योग	1434

(ख) और (ग) लाइसेंस की मंजूरी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा नए आवेदन-पत्र प्राप्त करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय मानक ब्यूरो में लंबित आवेदन पत्रों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	लंबित आवेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	56
केरल और पाण्डिचेरी	शून्य
कर्नाटक	5
तमिलनाडु	10
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	2

उड़ीसा	2
बिहार और झारखण्ड	शून्य
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम	शून्य
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	1
राजस्थान	2
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	2
दिल्ली और नौएडा	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य
हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़	2
गुजरात	6
महाराष्ट्र, गोवा, दमण व दादर नगर हवेली	2
योग	90

बी आई एस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार बी आई एस लाइसेंस की मंजूरी के लिए सभी आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) पैकेज में रखा पीने का पानी, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या जी एस आर 759(ई) दिनांक 29 सितम्बर, 2000 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के अधीन लाया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो सुपरिभाषित प्रमाणन योजना के माध्यम से लाइसेंसधारियों के पैकेज में रखे पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जिसमें लाइसेंसधारियों के प्रांगण में निगरानी निरीक्षण किए जाते हैं और आई एस 14543:2004 के अनुसार नमूनों की समनुरूपता की जांच करने के लिए फैक्ट्री तथा बाजार से नमूने लिए जाते हैं।

(ङ) और (च) बोतल बंद पानी की गुणवत्ता से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें बी आई एस में लंबित हैं। इन शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है और बी आई एस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार सुधारक कार्रवाई की जाती है।

राज्य	शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
केरल	1
असम	2
राजस्थान	1
मध्य प्रदेश	1
दिल्ली	1
हरियाणा	1
गुजरात	1
पश्चिम बंगाल	1
योग	11

इस्पात कारखानों के कारण प्रदूषण

2. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से संयंत्र हैं जहां पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण तंत्र लगाए गए हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) किन-किन इस्पात कारखानों में अभी प्रदूषण नियंत्रण तंत्र लगाए जाने हैं; और

(घ) शेष इस्पात कारखानों में इसे लगाने का काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) देश के आठ प्रमुख इस्पात संयंत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। इस्पात उद्योग में प्रदूषण उपशमन के लिए, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) अध्ययन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शुरू की जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय, प्रदूषण नियंत्रण तंत्र लगाने और अधिसूचित उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों के अनुपालन सहित पर्याप्त न्यूनीकरण उपाय सुझाए जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपाय लगाने के लिए उद्योग प्राय: पूंजी लागत का 3-5% खर्च करते हैं।

विवरण

भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र

स्टील अथारिटी आफ इंडिया, लिमिटेड

1. भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई
2. बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो
3. दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर
4. राऊरकेला स्टील प्लांट, राऊरकेला
5. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बुरानपुर

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

6. विशाखापटनम स्टील प्लांट, विशाखापटनम

निजी क्षेत्र

7. टाटा स्टील, जमशेदपुर
8. जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड

पशुधन की संख्या में गिरावट

3. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय पशुधन की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में पशुधन की संख्या में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बूचड़खानों में अधिकृत संख्या से अधिक गौ-वंश और चोरी किए गए अन्य जानवरों को भी वध किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) अक्टूबर, 2003 में आयोजित अद्यतन पंचवर्षीय पशुधन संगणना के अनुसार, देश में कुल 485002 हजार पशुधन उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां। वर्ष 1997 के 48,53,85,000 की तुलना में वर्ष 2003 में कम होकर 48,50,02,000 पशुधन रह गए हैं जो कि लगभग 0.08% है।

(ग) पशुधन संगणना पांच वर्ष में आयोजित की जाती है। पिछली संगणना 2003 में आयोजित की गई थी। अत:, विगत तीन वर्षों के दौरान की कुल पशुधन संख्या उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1997 तथा 2003 की संगणना के अनुसार देश में पशुधन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

स्वदेशी पशुओं तथा भारवाही पशुओं की संख्या में गिरावट का कारण यह हो सकता है कि कृषि गतिविधियों तथा परिवहन व्यवस्था का मशीनीकरण हुआ है जिसकी वजह से उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता कम हो गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) बूचड़खानों तथा पशुओं का वध राज्य का मामला है। बूचड़खानों नगर निगम/जिला पंचायत के नियंत्रण में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र/राज्यों में चलाए जाते हैं।

विवरण

1997 तथा 2003 की पशुधन की संगणना के अनुसार पशुधन का ब्यौरा

पशुधन प्रजातियां	पशुधन संख्या (हजार में)		% वृद्धि/कमी
	1997	2000	
1	2	3	4
वर्ण संकरित गोपशु	20099	24686	22.82
स्वदेशी गोपसु	178782	160495	-10.23

1	2	3	4
कुल गोपशु	198881	185181	-6.89
भैंस	89918	97922	8.90
याक	59	65	10.17
मिथुन	177	278	57.06
कुल बोवाईन	289035	283446	-1.93
भेड़	57494	61469	6.91
बकरी	122721	124358	1.33
सूअर	13291	13519	1.72
घोड़े एवं टट्टू	827	751	-9.19
खच्चर	221	176	-20.36
गधे	882	650	-26.30
ऊंट	912	632	-30.70
कुल पशुधन	485385	485002	-0.08

[हिन्दी]

वन भूमि का अधिग्रहण

4. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विकोली स्थित हिन्दुस्तान लालपेठ भूमिगत कोयला खान परियोजना के विस्तार हेतु 350 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके लंबित होने के क्या कारण है;

(ग) क्या विकोली की उक्त भूमिगत कोयला खान बंद होने के कारण हो रही राष्ट्रीय हानि को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नवम्बर, 2006 में हिन्दुस्तान लालपेठ अन्डरग्राउंड कलौरी, चन्द्रपुरा जिला, महाराष्ट्र से कोयला खनन के लिए 216.25 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गठित वन सलाहकार समिति, वैधानिक समिति, के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। यद्यपि वन सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एआईबीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

5. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में तराली परियोजना हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा परियोजना की निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है इसलिए यह परियोजना एआईबीपी में शामिल करने की पात्र नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र-प्रदेश की लंबित सिंचाई परियोजनाएं

6. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 की समाप्ति पर केन्द्र सरकार के पास लंबित आंध्र प्रदेश की प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं किस तारीख से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना का स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश की मूल्यांकनाधीन सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन परियोजनाओं के अनुमोदन में लगने वाला समय, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग/तकनीकी सलाहकार समिति/योजना आयोग के टिप्पणियों की अनुपालना तत्परता से किए जाने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	वृहद/मध्यम	नदी/बेसिन	प्राप्ति तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नेत्तामपाडु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	वृहद	कृष्णा	11/2000	10.926	134.30	ए
2.	कलवा कुर्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	वृहद	कृष्णा	11/2000	20.234	380.00	ए
3.	गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	वृहद	गोदावरी	10/2004	285.724	5216.34	ए
4.	झंझावती परियोजना (देवदुला)	मध्यम	झंझावती/नागावली	01/2002	9.970	121.0	ए
5.	मुसुरूमिल्ली जलाशय परियोजना	मध्यम	सीथापल्लीवागु/गोदावरी	अगस्त 2002	13.961	164.58	ए
6.	अरगुला राजाराम गुथपा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	वृहद	गोदावरी	दिसम्बर 2005	15.699	211.45	ए
7.	अलीसागर लिफ्ट सिंचाई	वृहद	गोदावरी	दिसम्बर 2005	21.770	223.56	ए
8.	इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुउद्देश्यीय परियोजना	वृहद	गोदावरी	अक्तूबर-दिसम्बर 2005	291.114 960 मेगावाट	9071.82	ए
9.	आंध्रप्रदेश जल क्षेत्र परियोजना-नागार्जुनसागर परियोजना	वृहद	कृष्णा/कृष्णा	04/05	895.0	2250.00	ए

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मोदिकुटावगु	मध्यम	गोदावरी	अक्तूबर 2006	6.60	23.66	ए
11.	पुलीचिंताला सिंचाई परियोजना	वृहद	कृष्णा	7/93	575	506.20	बी
12.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	वृहद	कृष्णा	1/96	575	659.16	बी
13.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	वृहद	भीमा/कृष्णा	1/96	83.78	744.00	बी
14..	जुराला	वृहद	कृष्णा	9/80	47.84	545.92	बी
15.	वम्सधारा परियोजना चरण-II (नेरादी बैराज)	वृहद	वम्सधारा	5/83	50.958	275.74	बी
16.	पेड्डेरु जलाशय	मध्यम	पूर्व को बहने वाली/शारदा	9/91	6.46	26.23	बी
17.	येर्रावागु	मध्यम	येर्रावागु/गोदावरी	3/99	4.46	31.28	बी
18.	सुद्दावागु	मध्यम	सुद्दावागु/गोदावरी	3/99	5.66	56.48	बी
19.	सुरामपालेम जलाशय स्कीम	मध्यम	बुरदाकलवा/गोदावरी	10/99	4.88	46.70	बी
20.	सुरामपालेम फेज-II	मध्यम	बुरदाकलवा/गोदावरी	7/2000	5.12	49.50	बी
21.	भूपतिपालेम	मध्यम	सीथापल्ली/गोदावरी	7/2000	5.419	47.23	बी
22.	पेड्डागेड्डा जलाशय परियोजना	मध्यम	वेगावती/नागावली	01/2002	4.858	32.11	बी
23.	नालवई	मध्यम	पेड्डावागु/गोदावरी	सितम्बर	5.260	48.90	बी

ए-मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में परियोजनाएं
बी-टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं।

[हिन्दी]

राज्यों में एन.एच.एम. के अंतर्गत किया गया कार्य

7. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) को 2005-06 से 18 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत चलाए जा रहे क्रियाकलापों में शामिल हैं:-

पादप रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, नए बागानों को लगाकर इसका क्षेत्र विस्तार किया जाना, पुराने और जराजीर्ण बागानों का पुनरुद्धार, समेकित कीट प्रबंधन/समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और जैविका कृषि को बढ़ावा देना, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन अवसंरचना का सृजन, मानव संसाधन का विकास आदि। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत चलाए जा रहे क्रियाकलापों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और धन को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य और धन का राज्यवार ब्यौरा

वास्तविक: हैक्टेयर क्षेत्र/संख्या, वित्त: लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र कवरेज		पुनरुद्धार		नर्सरियां		संरक्षित कृषि		जैविक कृषि		आईपीएम		पीएचएम		मण्डी	
		वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त
1.	आंध्र प्रदेश	25398	2333.13	9670	1450.53	5	90.00	58.25	24.55	200	20.00	8000	80.00				
2.	बिहार	3320	326.46	13367	2005.00	17	156.00	108.62	90.24	-	-	2500	25.00	3	18.00		
3.	छत्तीसगढ़	10740	859.01	2450	367.50	9	129.00	238.00	20.85	-	-	500	5.00	7	4.38		
4.	दिल्ली																
5.	गोवा	155	12.91	1250	187.50	2	21.00	15.00	43.18	300	30.00	500	5.00				
6.	गुजरात	27032	2594.84	400	60.00	42	157.50	105.94	32.70	50	5.00	7000	70.00				
7.	हरियाणा	2780	627.52	200	30.00	6	48.00	1.00	11.98	60	6.00	600	6.00				
8.	झारखंड	7000	857.58	-	-	75	348.00	153.80	16.80	-	-			14	204.80	28	597.50
9.	कर्नाटक	17010	1394.58	801	120.15	95	900.00	272.10	50.81	4800	480.00						
10.	केरल	10830	944.26	7500	1125.00	48	184.50	30.00	180.00	2019	201.91	3000	30.00				
11.	महाराष्ट्र	28495	3267.61	9000	1350.00	26	234.00	815.00	241.10	4400	440.00	19477	194.77				18.00
12.	मध्य प्रदेश	5950	680.52	1250	187.50	20	226.50			1668	186.80	11000	110.00				
13.	उड़ीसा	18900	1967.65	4500	675.00	35	288.00	13.94	11.97	100	10.00	200	2.00				
14.	पंजाब	2480	321.62	3350	502.50	5	45.00	360.06	468.50	-	-	-	-		176.00	44	165.00
15.	राजस्थान	11662	1300.31	70	10.50	15	105.00	54.47	16.98	500	50.00	1800.00	18.00	2	42.00	4	159.97
16.	तमिलनाडु	8369	919.57	650	97.50	25	270.00	30.11	73.97	800	80.00	3300	33.00	6	94.28		45.50
17.	उत्तर प्रदेश	14940	1897.69	4850	727.50	11	108.00	606.40	106.88	1050.00	105.00	400.00	4.00	950	197.53	39	1231.25
18.	पश्चिम बंगाल	8480	982.85	3900	585.00	4	72.00	192.80	39.80	2500.00	250.00	10000.00	100.00	33	919.75	5	18.75
19.	अंडमान व निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	203541	21288.11	63208	9481.18	440	3382.50	3055.49	1430.31	18447.00	1864.71	68277.00	682.77	1015	1656.74	120	2235.97

विवरण II

2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य और धन का राज्यवार ब्यौरा

(वास्तविक: हैक्टेयर क्षेत्र/संख्या, वित्त: लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र कवरेज		पुनरुद्धार		नर्सरियां		संरक्षित कृषि		जैविक कृषि		आईपीएम		पीएचएम		मण्डी	
		वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त	वास्त. (हैक्ट.)	वित्त
1.	आंध्र प्रदेश	42637.00	3605.00	7770	1165.550	66	310.500	552.00	100.04	1950	195.00	33250	332.50	576	877.41	61	817.58
2.	बिहार	17020.00	2028.95	-	-	100	630.00	467.00	852.00	2000	200.00	8000	80.00	30	236.75	59	2580.00
3.	छत्तीसगढ़	30681.10	3447.12	1420	213.00	8	144.00	187.00	123.50	1100	110.00	14000	140.00	8	92.00	-	-
4.	दिल्ली	150.00	37.60	-	-	3	13.50	0.90	10.17	-	-	-	-	20	286.25	3	6
5.	गोवा	750.62	48.19	951	76.53	2	4.50	2	0.14	450	45.00	0	0	1	6.00	4	22.50
6.	गुजरात	34460.00	3586.17	1450	217.50	55	225.00	208.80	50.50	100	10.00	7500	75.00	76	1408.75	28	1105.00
7.	हरियाणा	3553.56	622.15	939	140.85	16	73.50	80.4	52.55	380	38.00	1781	17.81	10	195.75	6	578.17
8.	झारखंड	28216.00	2404.45	-	-	87	327.00	1457.35	271.93	300	30	800	8	32	679.50	83	610.00
9.	कर्नाटक	37450.00	3683.38	2163.35	324.50	189	711.00	182.10	360.89	5500	550.00	45000	450.00	164	927.38	202	2855.75
10.	केरल	40645.40	3299.11	24416.65	3014.50	120	277.50	470	308.00	3000	300.00	5000	50.00	76	1481.90	232	5672.49
11.	महाराष्ट्र	93540.69	6788.24	15208	2281.20	29	186.00	2074.01	1446.94	5420	542.00	19260	192.60	321	1132.88	145	553.75
12.	मध्य प्रदेश	21250.00	2563.24	2445	366.75	52	340.50	102	34.70	2332	233.20	15800	158.00	118	288.50	50	187.50
13.	उड़ीसा	31401.00	3488.97	1533	229.95	56	426.00	176	41.70	2000	200.00	1400	14.00	53	600.64	57	1869.98
14.	पंजाब	9050.00	1035.00			2	12.00	150.00	75.00	3000	300			7	1050.00	19	167.50
15.	राजस्थान	28118.00	2832.92	97.58	14.64	32	159.00	115.87	44.72	1000	100.00	5623	56.23	21	459.00	5	118.75
16.	तमिलनाडु	39295.00	3547.69	2500	375.00	29	138.00	23.75	299.09	4200	420.00	14000	140.00	146	145.90	54	1245.84
17.	उत्तर प्रदेश	27392.40	3266.36	1483	222.45	84	279.00	1859.11	168.16	14000	1400.00	15660	156.00	82	1109.63	75	2718.65
18.	पश्चिम बंगाल	18500.00	1560.97	2000	300.00	259	612.00	230.30	59.25	4000	400.00	11000	110.00	582	2979.59	44	178.74
19.	अंडमान व निकोबार	582.00	64.68	100	15.00	2	21.00	108.00	23.40	70	7.00	100	1.00	-	-	-	-
20.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	10	30.00	2.00	1.40	5	25.00	-	-	-	-	-	-
21.	दादरा व नगर हवेली	-	-	120	3.00	-	-	-	-	50	5.00	-	-	-	-	4	15.00
	जोड़	504692.77	47910.19	64496.58	8960.42	1201	4920.00	8448.59	4324.08	50857	5110.20	198174.00	1981.14	2323	13957.83	1131	21303.20

पशु रोग

8. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर महाराष्ट्र से पशुओं को प्रभावित करने वाले रोगों को नियंत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यनारायण): (क) से (ग) राज्य सरकारों से गोपशु रोग नियंत्रण के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि चालू दसवीं योजना केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं नामत: (i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, (ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना, और (3) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गोपशु रोग नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को पुनर्वैधित/जारी राशि निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

	योजना का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
		पुनर्वैधित राशि	जारी राशि	पुनर्वैधित राशि	जारी राशि	पुनर्वैधित राशि	जारी राशि
(i)	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	20.80	91.20	92.90	665.65	100.53	704.53
(ii)	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	0.00	25.00	1.77	35.00	0.61	35.00
(iii)	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	122.00	99.58	180.00	191.55	0.00

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

9. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रिंट मीडिया (अर्थात् दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र मैगजीन और पुस्तकें) में स्वीकृति किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन विदेशी मीडिया एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऐसी स्वीकृति मिली है और उनकी निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा (i) समाचारपत्रों एवं समसामयिक विषयों से संबंधित पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए; तथा (ii) विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक/विशिष्टीकृत मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों के भारतीय संस्करणों के प्रकाशनार्थ दिशानिर्देशों तथा इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मामलों की सूची सहित वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्टीकृत मैगजीनों/पत्रिकाओं/आवधिकियों का प्रकाशन करने वाली भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश के संबंध में जारी विस्तृत दिशानिर्देश 'संहिताएं और दिशानिर्देश' शीर्षक से इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

गन्ने का उत्पादन

10. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में गन्ने के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितनी मात्रा में गन्ने का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार ने गन्ने के कम उत्पादन के कारणों की जांच के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है/गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गन्ने के उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को अधिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्यारहवीं योजनावधि में गन्ने की उत्पादकता में वद्धि करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं, देश में गन्ने के उत्पादन में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी गई है। निम्नलिखित सारणी में आंकड़ों में देश में 2004-05 से 2006-07 तक गन्ने के उत्पादन को दर्शाया गया है-

वर्ष	गन्ने का उत्पादन (मिलियन टन में)
2004-05	237.09
2005-06	281.17
2006-07*	315.53

*05.02.2007 तक दूसरे अग्रिम अनुमान

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए "गन्ना आधारित फसल बुआई प्रणाली क्षेत्रों का दीर्घकालीन विकास" पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम का प्रमुख दबाव किसानों को क्षेत्रीय प्रदर्शन, किसानों का प्रशिक्षण, कृषि औजारों की सप्लाई, बीज उत्पादन को बढ़ावा तथा कीट नियंत्रण उपायों के माध्यम से किसानों को प्रोद्योगिकी का हस्तांतरण तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा गन्ना पर अखिल भारतीय समेकित अनुसंधान के केन्द्रों द्वारा विकसित संरक्षण प्रौद्योगिकी कार्यरत है।

रुग्ण पुष्पोत्पादन इकाइयों का पुनरुद्धार

11. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई पुष्पोत्पादन इकाइयां रुग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुग्ण पुष्पोत्पादन इकाइयों की सहायता करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन इकाइयों का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) रुग्ण पुष्पकृषि इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अपेडा द्वारा शुरू कराए गए अध्ययन के हाल के निष्कर्षों के आधार पर 39 इकाइयों को रुग्ण और पुनरुद्धार की आवश्यकता के रूप में अभिज्ञात किया गया था। 39 अभिज्ञात रुग्ण इकाइयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) अपेडा द्वारा रुग्ण पुष्पकृषि इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोष शुरू करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिससे वे पुन: योग्य बन सकें और निर्यात योग्य गुणवत्ता उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम बन सकें।

(ङ) काफी समय के सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और यह अनुमान लगाया है कि इकाइयों के संबंधित बैंकरों के साथ उनके बकाया ऋणों का निपटान करने, पुन: पौधरोपण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 3 वर्ष का समय लगेगा जिसके पश्चात उनके पुन: अच्छी तरह से कार्य करने की संभावना है।

विवरण

अभिज्ञात रुग्ण इकाइयों की सूची

इकाई का नाम	स्थल	व्यवस्थापन कार्यवाहियों का स्तर
1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
1. कैमसन टेक्नोलोजिस लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
2. सी.सी.एल. फलावर्स लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
3. ब्लूमिंग मीडोस लिमिटेड	बंगलौर	बकाया
4. क्लासिक बायोटेक एंड एक्सपोर्ट	बंगलौर	बकाया
5. क्रिस्टल एग्रीटैक	बंगलौर	बकाया
6. स्कारलैट फलावर्स एंड एग्रीटैक	बंगलौर	बकाया
7. नागार्जुन एग्रीटेक	बंगलौर	आंशिक व्यवस्थित
8. रोसेट एग्रोटैक	बंगलौर	आंशिक व्यवस्थित
9. फलोरीटेक इंडिया लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
10. नूपुर बायोटेक प्रा. लिमिटेड (बंद)	बंगलौर	व्यवस्थित
11. पोछीराजु फलोरीटेक लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
12. करतूरी फलेरीटेक लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
13. वसावी फलेरेक्स लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
14. पुष्पम फलेराबेस प्रा. लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
15. इंडो ब्लूम लिमिटेड	बंगलौर	व्यवस्थित
16. इंडस फलोराबेस	बंगलौर	बकाया
17. सन ब्लोसमस	बंगलौर	बकाया
18. सुवर्ण फलोरेक्स	बंगलौर	आंशिक व्यवस्थित
19. सचिन फलोरीटेक	बंगलौर	आंशिक व्यवस्थित
20. मेघना फलोरीटेक	बंगलौर	बकाया
21. हाइटेक एग्रो प्लानटेशन लि.	बंगलौर	बकाया
22. गुडविल टेक्नोलोजिस लि. (बंद)	बंगलौर	बकाया
23. एस.पी.ए. एग्रो लि.	बंगलौर	आंशिक व्यवस्थित

1	2	3
24. स्पैन फलोरा	बंगलौर	बकाया
25. परिनिका हार्वेस्ट फ्लोरीटेक लि.	हैदराबाद	व्यवस्थित
26. नेचुरल सिनरजीस लि.	चैन्नई	बकाया
पश्चिमी क्षेत्र		
27. होरिजल फलोरा लिमिटेड	पुणे	बकाया
28. फर्मटेक एग्रो	पुणे	बकाया
29. ग्लोबल एग्रीटेक लिमिटेड	पुणे	बकाया
30. फिलेरोजिल एक्सपोर्टस प्रा. लिमिटेड	पुणे	बकाया
31. विक्रम ग्रीनटेक लिमिटेड	पुणे	व्यवस्थित
32. डिक्कन फलोराबेस लिमिटेड	पुणे	व्यवस्थित
33. एस्सार एग्रोटेक लिमिटेड	पुणे	व्यवस्थित
34. पिटी एग्रो वेन्चर्स लिमिटेड	पुणे	व्यवस्थित
35. एफ.एन. मसानी फार्मस	नासिक	व्यवस्थित
36. नासिक फलोर लिमिटेड	नासिक	व्यवस्थित
उत्तरी क्षेत्र		
37. कोसको ब्लोसमस लिमिटेड (बंद)	नई दिल्ली	बकाया
38. ग्लोबल इंडस्ट्रीज लि.	नई दिल्ली	बकाया
39. एल.आर. ब्रदर्स लिमिटेड	सहारनपुर	बकाया

टिप्पणी: यद्यपि उपर्युक्त सूचित अधिकतर इकाइयों का उनके कर्जदारों के साथ परिशोधन हो चुका है (व्यवस्थित/आंशिक व्यवस्थित) फिर भी वित्तीय साधनों की कमी के कारण ओटीएस को वित्तपोषित करने में असमर्थ हैं।

''केरल में मेनग्रोवों का संरक्षण''

12. श्री पी.सी. थामस: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में मैनग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों तथा संशोधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने कन्नूर और वेम्बनाद में कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मई 2006 में संशोधित प्रबंधन कार्य योजना प्रस्तुत की है। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वयन के लिए कन्नूर के लिए 49.21 लाख रुपए की कुल लागत और वेम्बनाद के लिए 51.25 लाख रुपए पहले ही मंजूर किए गए हैं।

[हिन्दी]

चीनी के मूल्य में कमी

13. श्री देविदास पिंगले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान चीनी के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी के मूल्यों में तीव्र गिरावट के कारण इन चीनी मिलों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है जो पहले से ही खराब स्थिति में थीं;

(घ) क्या सरकार प्रभावित चीनी मिलों को राहत उपाय के रूप में विशेष पैकेज प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। चीनी के निकासी मूल्य, जो अक्तूबर, 2006 माह में 1520-1830 रुपए प्रति क्विंटल की रेंज में थे, घटकर फरवरी, 2007 माह में 1230-1480 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। चीनी के मूल्यों में गिरावट मुख्य रूप से वर्तमान चीनी मौसम में अनुमानित अधिक उत्पादन के कारण आई है।

(ग) चीनी मिलों को हानियां, अन्य बातों के साथ-साथ, चीनी के मूल्यों में गिरावट आने के कारण हो सकती हैं।

(घ) और (ङ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

वनों में रहने वाली जनजातियों की समस्याएं

14. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वनों के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों अधिकांशतया जनजातियो द्वारा आजीविका के स्थायी साधनों को जुटाने में आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वनों में जनजातियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का युद्ध-स्तर पर समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार जनजातियों सहित स्थानीय समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए लाभ शेयरिंग तंत्र द्वारा वनों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन में पहले ही शामिल कर रही है। इस समय लगभग 1,03,000 संयुक्त वन प्रबंध समितियां 17.3 मिलियन से अधिक वनों का प्रबंधन कर रही है।

(घ) भारत सरकार ने "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006" को वनों और इसके आस-पास रहने वाले लोगों, विशेषकर आदिवासियों को व्यवसायिक और आवासीय अधिकारों के लिए अधिनामित किया है।

[हिन्दी]

जी.एम. फसलें

15. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री वी.के दुग्मर:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आनुवंशिक अभियांत्रिकी स्वीकृति समिति से स्वीकृति मिलने के पश्चात कितनी जी.एम. फसलों का परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या परीक्षण पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो फसलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी सफलताएं/विफलता दर रिकार्ड की गई;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने जी.एम. फसलों पर नई स्वीकृति से प्रतिबंध हटा लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) खरीफ-2006 और रबी 2006-07 के दौरान आर सी जी एम द्वारा यथा सिफारिश किए गए और जीईएसी के अनुमोदन के बाद आनुवांशिक रूप से परिवर्तित तेरह फसलों अर्थात कपास, बैंगन, बंदगोभी, केस्टर, फूलगोभी, मक्का, मूंगफली, भिण्डी, आलू, चावल, टमाटर, सरसों और ज्वार का परीक्षण किया गया था। खरीफ के मौसम के फील्ड परीक्षण पूरे हो चुके हैं। उत्तरी क्षेत्र के लिए बीटी काटन के फील्ड परीक्षण रिपोर्टों का आकलन किया गया है और इसके अंतर्गत कोई असफलता दर रिकार्ड नहीं की गई है। अन्य क्षेत्रों के लिए जी.एम. फसलों के फील्ड परीक्षण रिपोर्टों का अभी तक आकलन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आई ए संख्या 4/2006 में रिट याचिका संख्या 260/2005 के संबंध में दिनांक 22.9.2006 के आदेश के तहत जीईएसी को मामले की सुनवाई होने तक और न्यायालय द्वारा आगे निर्देश जारी किए जाने तक जी एम फसलों के फील्ड परीक्षण के लिए नए अनुमोदन दिए जाने को रोकने का निर्देश दिया है।

[अनुवाद]

गैर कृषि उद्देश्यों हेतु कृषि भूमि का उपयोग

16. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोनों के विकास सहित गैर कृषि उद्देश्यों के लिए बड़ी मात्रा में कृषि योग्य/कृषि भूमि को उद्योगों को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामत: कृषि/कृषि योग्य भूमि में हो रही लगातार कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बंजर/शुष्क भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर कृषि/कृषि-योग्य भूमि को बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में अब तक राज्यवार कितने हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि/कृषि योग्य भूमि बनाया गया है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार कृषि/कृषि योग्य भूमि कमी को रोकने के लिए राज्यों के साथ हल निकालने हेतु समन्वय कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है। प्रत्येक राज्य के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर आधारित अपनी विशिष्ट भूमि अधिग्रहण नीति है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण उनके संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा अधिशासित होता है। वाणिज्य मंत्रालय में गठित विशेष आर्थिक जोनों के अनुमोदन संबंधी बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा की गई होती है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में परती और बंजर भूमि के अधिग्रहण को पहली प्राथमिकता दी जाए और यदि आवश्यक हो तो एकल फसल की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना हेतु औपचारिक तथा सिद्धांतत: अनुमोदन की राज्य-वार सूची भूमि के ब्यौरे सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भू प्रयोग सांख्यिकी के आंकड़े दर्शाते हैं कि कृष्य/कृषि भूमि में वर्ष 1980 में 185 मिलियन है. से वर्ष 2003 में 183 मिलियन है. तक की कमी आई है। उक्त अवधि के दौरान गैर कृषि प्रयोगों के तहत भूमि में 19.66 मिलियन है. से 24.48 मिलियन है. तक की वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम नामत: (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (ii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.), (iii) झूमखेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.), (iv) क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.), (v) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), (vi) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), (vii) समेकित पनधारा विकास परियोजना

(आई.डब्ल्यू.डी.पी.), (viii) पनधारा विकास कोष, तथा (ix) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये कार्यक्रम अवक्रमित भूमि के विकास में मदद करते हैं।

(छ) और (ज) राज्य भूमि उपयोग बोर्ड का गठन लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में किया गया है। ये बोर्ड मुख्य मंत्रियों या राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ कर्मियों के अधीन कार्य करते हैं। इन बोर्डों को राज्य में कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोगों में लाने पर निगरानी रखने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ई जेड अनुमोदन बोर्ड द्वारा विशेष आर्थिक जोन संबंधी प्रस्तावों की जांच करने के मद्देनजर राज्य सरकारों को एक चेक परिचालित कर दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एस ई जेड की संख्या जिसके लिए औपचारिक अनुमोदन स्वीकृत की गई है	क्षेत्र है. में	मामलों की संख्या जिसमें सिद्धान्ततः अनुमोदन प्राप्त हुआ है	क्षेत्र है. में
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	44	9387.957	09	3768.39
2.	असम	–		–	
3.	बिहार	–		–	
4.	चंडीगढ़	02	87.49	–	
5.	छत्तीसगढ़	–		02	2029
6.	दादर व नगर हवेली	–		01	80
7.	दिल्ली	01	6	–	
8.	गोवा	04	290.98	–	
9.	गुजरात	19	10682.25	10	5439
10.	हरियाणा	19	818.408	27	43002
11.	हिमाचल प्रदेश	–		03	5030
12.	झारखंड	01	36	–	
13.	कर्नाटक	27	1566.339	17	4720.962
14.	केरल	10	569.651	02	414
15.	मध्य प्रदेश	04	71.25	06	9309.25
16.	महाराष्ट्र	47	8130.8	25	33041.09
17.	उड़ीसा	05	745.61	08	4263.3
18.	पांडिचेरी	01	346	–	
19.	पंजाब	04	252	07	1571

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	03	89.23	08	13351.32
21.	तमिलनाडु	25	1300.571	12	5078.02
22.	उत्तरांचल	03	468.2	01	14
23.	उत्तर प्रदेश	08	133.83	10	5954.25
24.	पश्चिम बंगाल	07	170.26	14	11827.14
	कुल	234	35152.826	162	148892.2

मुफ्त डी.टी.एच सैट

17. श्री अनवर हुसैन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती की पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुफ्त डी.टी.एच. (डी.डी प्लस) सैट वितरित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में जनवरी 2007 तक वितरित किए गए सेटों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) दूरदर्शन की कू बैंड प्रसारण (फ्री-टु-एयर) परियोजना के भाग के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के कवर न किए गए गावों में प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ 1095 डी.डी.एच. अभिग्रहण इकाईयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। वर्ष 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज के भाग के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के कवर न किए गए क्षेत्रों में टी.वी. सैटों सहित 25000 डी.टी.एच. अभिग्रहण इकाईयां उपलब्ध करवाने की परिकल्पना है। दूरदर्शन द्वारा इस सैटों को अधिप्राप्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सैटों के अधिष्ठापन का कार्य किया जाना होगा।

[हिन्दी]

वार्षिक विकास दर का आकलन

18. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
डा. चिन्ता मोहन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के आंकलन के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि की वार्षिक विकास दर में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितना सुधार हुआ है;

(ग) विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाले खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है और विकास में प्रत्येक मद का योगदान प्रतिशत में कितना है; और

(घ) पूर्व वर्ष की तुलना में किन-किन खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान, कृषि (पशुधन सहित) का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (1999-2000) मूल्यों पर, वृद्धि दर वर्ष 2004-05 के दौरान (-) 0.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत 6.3 प्रतिशत दर्ज की गई ।

(ग) खाद्यान्नों में फसलें चावल (पैदावार लागत में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर), ज्वार (पैदावार लागत में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर), मक्का (पैदावार लागत में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर) तथा तूर (पैदावार लागत में 9.4 प्रतिशत वृद्धिदर) का वर्ष 2005-06 के दौरान अधिकतम अंशदान रहा। इनका फसल योगदान वर्ष 2005-06 में कृषि तथा पशुधन की पैदावार की कुल लागत में क्रमश: 12.3 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत, तथा 0.7 प्रतिशत रहा।

(घ) खाद्यान्न जिनमें 2005-06 के दौरान उत्पादन में 2004-05 की तुलना में गिरावट आई, वे हैं बाजरा, रागी, छोटा बाजरा, अन्य खरीफ दालें तथा रबी दालें।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग के समक्ष समस्याएं

19. श्री ए. साई प्रताप: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक उद्योग कई समस्याओं यथा घरेलू और विदेशी निवेशों की कमी, या उन्हें वापस ले लेना अथवा रोक देना और सात वर्षों से उत्पादन क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होना का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) पिछले सात वर्षों के दौरान नई उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उर्वरक उद्योगों में कोई उल्लेखनीय निवेश नहीं किया गया है। विभाग ने यूरिया के क्षेत्र में नई और विस्तार योजनाओं के लिए दिनांक 29.1.2004 को एक नीति की घोषणा की है। देश की मौजूदा यूरिया इकाइयों के कठिनाई निवारण/आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार के लिए एक और नीति भी दिनांक 29.1.2004 को घोषित की गई थी।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश की कमी को देखते हुए सरकार ने 1 अक्तूबर, 2006 से कार्यान्वित की जा रही नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-III में कठिनाई निवारण की अवधारणा को छोड़ दिया है। नई मूल्य निर्धारण नीति-III के तहत मौजूदा इकाइयों से अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है और 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन के लिए सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, नई और विस्तार परियोजनाओं की मौजूदा नीति की समीक्षा विचाराधीन है।

निजी खरीद के कारण मूल्य वृद्धि

20. श्री राम कृपाल यादव:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि सुभिक्षा, स्पेन्सर, बिग बाजार, रिलायंस इत्यादि जैसे बड़े व्यावसायिक घराने बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं जिससे बाजार में कृत्रिम कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं जैसाकि दिनांक 4 फरवरी, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी निहित स्वार्थ वाली कंपनियों द्वारा अत्यधिक खरीद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार बड़ी प्राइवेट पार्टियां जैसे कार्गिल, आई टी सी, ग्लेनकोर, अडानी रिलायंस, ए डब्ल्यू बी आदि द्वारा रबी विपणन मौसम 2006-07 में गेहूं की खरीद केवल दो मिलियन टन की गई थी। यह मात्रा गेहूं के फसल वर्ष 2005-06 (जिसका रबी विपणन मौसम 2006-07 में विपणन किया जाना है) में गेहूं के 69.35 मिलियन टन के उत्पादन का एक छोटा हिस्सा है।

(ग) कृषि विपणन प्रणाली से विपणन हटाने के परिणामस्वरूप अब किसानों के पास सामान्यत: यह विकल्प होता है कि वे अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी दरों पर प्रत्याशित खरीददारों को अपना उत्पाद बेंचें। सरकार ने भी वर्ष 2006-07 के लिए गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर दी है।

कावेरी अधिकरण का निर्णय

21. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री मोहन सिंह:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी जल विवाद अधिकरण ने अपना अन्तिम पंचाट दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में जल आबंटन किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कावेरी अधिकरण के अंतिम पंचाट के अनुसार कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के पर्याप्त मात्रा में जल छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार जल छोड़े जाने की निगरानी हेतु किसी तंत्र की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां, कावेरी जल विवाद अधिकरण ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत 5 फरवरी, 2007 को रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) इस अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात अधिकरण का निर्णय प्रभावी हो जाता है। आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5 (3) के प्रावधान अर्थात "यदि, अधिकरण के निर्णय पर विचार करके, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का यह विचार होता है कि इसमें दी गई किसी बात पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अथवा किसी बिन्दु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिसे मूल रूप से अधिकरण को नहीं भेजा गया था, तो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, निर्णय की तारीख से तीन माह के भीतर, आगे विचार किए जाने पर, अधिकरण केन्द्र सरकार को, ऐसे संदर्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, ऐसा स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन जिसे यह उचित समझे, एक और रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे मामले में अधिकरण के निर्णय को तदनुसार संशोधित माना जाएगा" को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है।

(च) और (छ) उपरोक्त (ग) से (ङ) को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खण्ड-I

यह आदेश समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत शासकीय राजपत्र में इस अधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से प्रचालन में आएगा।

खण्ड-II

वर्ष 1892 और 1924 के समझौते

वर्ष 1892 और 1924 के समझौतों, जो कि तत्कालीन मैसूर और मद्रास सरकारों के बीच निष्पादित किए गए थे, को विशेषकर क्रमश: 110 और 80 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात अवैध नहीं माना जा सकता। इन दोनों समझौतों के निष्पादन के पूर्व तत्कालीन मद्रास और मैसूर सरकारों के बीच पूर्ण परामर्श हुआ था। तथापि, 1924 के समझौते में 1974 के पश्चात कुछ खंडों की समीक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, हमने न्यायोचित और समान बंटवारे के सिद्धांतों पर इस समझौते के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा और पुन: जांच की है।

खण्ड-III

यह आदेश निम्न का अतिक्रमण करेगा-

(1) तत्कालीन मद्रास सरकार और मैसूर सरकार के बीच 1892 का समझौता जहां तक यह कावेरी नदी प्रणाली से संबंधित है।

(2) तत्कालीन मद्रास सरकार और मैसूर सरकार के बीच 1924 का समझौता जहां तक यह कावेरी नदी प्रणाली से संबंधित है।

खण्ड-IV

यह अधिकरण एतद् द्वारा यह निर्धारण करता है कि 50 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर लोअर कोलेरून एनीकट स्थल पर कावेरी के जल की उपयोज्य मात्रा 740 हजार मिलियन घनफीट-टीएमसी (20,954 एम.क्यू.एम.) होगी।

खण्ड-V

यह अधिकरण एतद् द्वारा आदेश देता है कि कावेरी नदी के जल को नीचे उल्लिखित किए गए अनुसार तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के उनके लाभदायक उपयोगों के लिए आबंटित किया जाए:-

(i)	केरल राज्य	-	30 टीएमसी
(ii)	कर्नाटक राज्य	-	270 टीएमसी
(iii)	तमिलनाडु राज्य	-	419 टीएमसी
(iv)	संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	-	7 टीएमसी
			726 टीएमसी

इसके अतिरिक्त, (i) पर्यावरणीय सुरक्षा और (ii) समुद्र में अपरिहार्य रूप से बह जाने के संबंध में हम कुछ जल को नीचे दिए गए अनुसार बचाकर रखते हैं:-

(i)	पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आरक्षित जल की मात्रा	10 टीएमसी
(ii)	अपरिहार्य रूप से समुद्र में बह जाने के लिए निर्धारित जल मात्रा	4 टीएमसी
		14 टीएमसी
	कुल (726+14)	740 टीएमसी

खण्ड-VI

केरल राज्य को 30 टीएमसी का कुल हिस्सा आबंटित किया गया है, विभिन्न वितरिका बेसिनों के लिए जिसका वितरण नीचे दिए गए अनुसार है:-

(i)	काबिनी उप बेसिन	-	21 टीएमसी
(ii)	भवानी उप बेसिन	-	6 टीएमसी
(iii)	पाम्बर उप बेसिन	-	3 टीएमसी

खण्ड-VII

जल की कमी वाले किसी वर्ष के दौरान कावेरी बेसिन में जल की उपलब्धता कम होने के मामले में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच आबंटित हिस्सों को अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।

खण्ड-VIII

निम्नलिखित अंतर्राज्यीय संपर्क को जल आपूर्तियों की निगरानी के लिए अभिज्ञात किया गया है:

(i) केरल और कर्नाटक के बीच - काबिनी जलाशय

(ii) केरल और तमिलनाडु के बीच

(क) भवानी उप-बेसिन के लिए : चावाडियूर जी.डी स्थल

यह सूचना मिली है कि पहले चावाडियूर जी.डी. स्थल का प्रचालन केरल राज्य द्वारा किया जा रहा था जिसे अंतर्राज्यीय प्रेक्षणों के लिए पुन: प्रारंभ किया सकता है।

(ख) पाम्बर उप-बेसिन के लिए: अमरावती जलाशय स्थल

(iii)	कर्नाटक और साझी सीमा पर अन्य स्थलों के बीच	:	बिल्लीगुंडुलू जी.डी. स्थल/ तमिलनाडु को कोई स्थल
(iv)	तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच	:	सात संपर्क बिन्दु पहले से ही प्रचालन में हैं।

खण्ड-IX

चूंकि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी नदी के जल के प्रमुख हिस्साधारक हैं, हम आदेश देते हैं कि कर्नाटक सरकार द्वारा किसी समान्य वर्ष के दौरान अंतर्राज्यीय संपर्क बिन्दु, जिसे वर्तमान में साझी सीमा पर स्थित बिल्लीगुंडुलू गेज और निस्सरण केन्द्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है, पर अनन्तिम मासिक आपूर्तियां नीचे दिए गए अनुसार उपलब्ध कराई जाएं:-

माह	टीएमसी	माह	टीएमसी
जून	10	दिसम्बर	8
जुलाई	34	जनवरी	3
अगस्त	50	फरवरी	2.5
सितम्बर	40	मार्च	2.5
अक्टूबर	22	अप्रैल	2.5
नवम्बर	15	मई	2.5
			192 टीएमसी

192 टीएमसी की उपरोक्त मात्रा में तमिलनाडु को आबंटित हिस्से में से 182 टीएमसी और पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए आबंटित जल का 10 टीएमसी शामिल है।

विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त मासिक निर्मुक्तियों को 10 दैनिक अंतरालों में विभक्त किया जाएगा।

यह प्राधिकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए संबंधित राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग की सहायता से मासिक कार्यक्रम की कार्य प्रणाली की ठीक तरह से निगरानी करेगा और यदि बाद में कार्यक्रम में किसी संशोधन/समायोजन का आवश्यकता हो तो इसे पक्षकारों के बीच वार्षिक आबंटन में परिवर्तन किए बिना भविष्य में अपनाए जाने के लिए पक्षकार राज्यों के परामर्श और केन्द्रीय जल आयोग की सहायता से किया जाएगा।

खण्ड-X

किसी जल वर्ष के दौरान उपलब्ध उपयोज्य जल में 3 टीएमसी और अधिक की प्रभावी भंडारण क्षमता सहित सभी

जलाशयों में उस तारीख को उपलब्ध भंडारित जल के आधार पर 1 जून को आकलित किए गए अनुसार पूर्व जल वर्ष से आगे लाई गई जल की मात्रा शामिल होगी।

खण्ड-XI

कोई भी ऊपरी तटवर्ती राज्य ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे निचले तटवर्ती राज्यों की जल निर्धारित जल आपूर्तियों पर प्रभाव पड़े। तथापि, संबंधित राज्य पारस्परिक समझौते और विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से जल आपूर्तियों की प्रणाली में कोई संशोधन कर सकते हैं।

खण्ड-XII

किसी तटवर्ती राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी द्वारा भूजल के उपयोग को कावेरी नदी के जल के उपयोग के रूप में नहीं माना जाएगा। उपरोक्त घोषणा से किसी भी प्रकार से किसी निजी व्यक्ति, निकायों अथवा प्राधिकरणों के अधिकारों में, यदि कोई हों, उस समय लागू नियम के तहत परिवर्तन नहीं होगा।

खण्ड-XIII

कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों नें हमें यह बताया है कि साझी पहुंच सीमा में कुछ जल-विद्युत परियोजनाओं पर नेशनल हाइड्रो-पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) से बातचीत की जा रही है। इस संबंध में हमें केवल यह देखना है कि जब कभी भी ऐसी किसी जल-विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाता है और जलाशय में कावेरी नदी के दल को भंडारित किया जाता है तब अनुप्रवाह निर्मुक्तियों की प्रणाली हमारे आदेश के अनुरूप होनी चाहिए ताकि सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं जोखिम में न पड़ें।

खण्ड-XIV

जल के उपयोग का मापन किसी भी ढंग से इसकी विचरिकाओं सहित कावेरी नदी के जल में कमी की सीमा द्वारा किया जाएगा; गिरावट में जलाशयों से होने वाली वाष्पन क्षतियां भी शामिल हैं। वार्षिक वाष्पन क्षतियों के अतिरिक्त कावेरी नदी प्रणाली की किसी भी धारा पर किसी जलाशय में भंडारण उपलब्ध जल का हिस्सा होगा। किसी राज्य द्वारा किसी जल वर्ष के दौरान इसके अपने उपयोग के लिए व्यपवर्तित जल को उस राज्य द्वारा उस वर्ष के दौरान किया गया उपयोग माना जाएगा। घरेलू और नगरीय जल आपूर्ति, तथा औद्योगिक उपयोग का भी, मापन नीचे दिए गए ढंग से किया जाएगा:-

उपयोग	मापन
घरेलू और नगरीय जल आपूर्ति	नदी अथवा इसकी किसी वितरिका अथवा किसी जलाशय भंडारण या नहर से व्यपवर्तित अथवा उठाए गए जल की मात्रा का 20 प्रतिशत
औद्योगिक उपयोग	नदी अथवा इसकी किसी वितरिका अथवा किसी जलाशय, भंडारण या नहर से व्यपवर्तित अथवा उठाए गए जल की मात्रा का 2.5 प्रतिशत

खण्ड-XV

यदि कोई तटवर्ती राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी किसी विशेष जल वर्ष में किसी माह के दौरान अपने आबंटित हिस्से के किसी भाग का उपयोग नहीं कर पाता है और निर्दिष्ट जलाशयों में इसके भंडारण के लिए अनुरोध करता है तो उसे उसी जल वर्ष के बाद के किसी अन्य माह में अपने अप्रयुक्त हिस्से का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी बशर्ते कि कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था का अनुमोदन किया गया हो।

खण्ड-XVI

किसी राज्य को किसी जल वर्ष के दौरान आबंटित किए गए जल के कुछ हिस्से का उपयोग करने में इसकी असमर्थता को बाद के किसी जल वर्ष में जल के इसके हिस्से के जब्ती अथवा परित्याग नहीं होगा न ही अनुवर्ती वर्ष में इसके किसी अन्य राज्य के हिस्से में वृद्धि होगी यदि उस राज्य ने उस जल का उपयोग कर लिया है।

खण्ड-XVII

इसके अतिरिक्त ऐसे सभी आदेशों, निर्देशों, सिफारिशों, सुझावों इत्यादि पर ध्यान दिया जाएगा जिसका ब्यौरा उपयुक्त कार्रवाई के लिए निर्णय सहित विभिन्न अध्यायों/भागों में पहले दिया गया है।

खण्ड-XVIII

इस आदेश की कोई भी बात किसी राज्य की अपनी सीमाओं के भीतर जल के उपयोग, या उस राज्य के भीतर जल के विनियमन के अधिकार शक्ति अथवा प्राधिकरण को क्षीण नहीं करेगी।

खण्ड-XIX

इस आदेश में,

(क) "सामान्य वर्ष" वर्ष का माध्य होगा जिसमें कावेरी बेसिन की कुल उपलब्धि 740 टीएमसी है।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी सत्ता द्वारा जो भी हो राज्य के भूभाग के भीतर कावेरी नदी के जल का उपयोग उक्त राज्य द्वारा किए गए उपयोग के रूप में माना जाएगा।

(ग) ''जल वर्ष'' का अभिप्राय 1 जून से शुरू होने वाले तथा 31 मई को समाप्त वर्ष से होगा।

(घ) ''सिंचाई मौसम'' 1 जून से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 जनवरी की समाप्ति तक होगा।

(ङ) ''कावेरी नदी'' में कावेरी नदी की मुख्य धारा, इसकी सभी वितरिकाएं तथा कावेरी नदी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले जल सभी अन्य धाराएं शामिल हैं।

(च) ''टीएमसी'' का आशय हजार मिलियन घनफीट से है।

खण्ड-XX

यहां पर दी गई किसी भी बात से पक्षकारों के बीच समझौते के द्वारा पहले के सभी अथवा किसी खंड का परिवर्तन, संशोधन अथवा आशोधन बाधित नहीं होगा।

खण्ड-XXI

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य सरकारें और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र 15:40:40:5 के अनुपात में इस अधिकरण के खर्चों का वहन करेंगी। तथापि, ये पक्ष इस अधिकरण के समक्ष अपनी लागत वहन करेंगे।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

22. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री अनन्त नायक:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसएईसी) ने बेरोजगार श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए गत वर्ष राजीव गांधी श्रमिक कल्याण नामक एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार लाभार्थियों को अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या बंद होने के कारण प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों के पास बड़ी संख्या में आवेदन लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि का कितना आबंटन और उपयोग किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए और किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान की बंदी, छंटनी अथवा रोजगार-इतर लगी चोट से उत्पन्न होने वाले 50 प्रतिशत से अधिक स्थायी अशक्तता के कारण बीमा योग्य रोजगार से 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात अनिच्छापूर्वक बाहर होने वाले बीमित व्यक्ति, किसी बीमा योग्य रोजगार में होने तथा योजना में 5 अथवा अधिक वर्षों तक अंशदान करने के पश्चात सम्पूर्ण सेवा से दौरान अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए अपनी मजबूरी का 50 प्रतिशत तक बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के लिए पात्र हैं। ऐसा बीमित व्यक्ति और उसका परिवार बेरोजगारी की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए चिकित्सा लाभ का भी पात्र होगा।

(ग) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों तथा अदा की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अदा किया गया बेरोजगारी भत्ता

(31.01.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्षे.का./उ.क्षे.का.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या	पात्र न पाए गए आवेदनों की संख्या	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	वितरित की गयी धनराशि	
					मामलों की संख्या	धनराशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	216	216	शून्य	शून्य	216	23,45,598/-

1	2	3	4	5	6	7
औरंगाबाद	17	16	01	शून्य	16	1,35,608/-
चेन्नई	22	04	09	9	04	52,946/-
कोयम्बटूर	06	शून्य	06	शून्य	–	–
गोवा	142	70	40	32	70	11,76,801/-
हरियाणा	03	03	–	–	03	36,321/-
जम्मू-कश्मीर	34	27	07	–	27	2,02,680/-
कानपुर	311	288	21	02	274	38,06,144/-
केरल	111	102	09	शून्य	102	10,47,270/-
कोलकाता	01	–	01	–	–	–
मदुरै	03	02	–	01	02	15,150/-
मुंबई	16	–	16	–	–	–
नागपुर	140	69	68	03	64	7,45,920/-
उड़ीसा	24	06	03	15	06	54,416/-
पांडिचेरी	150	126	24	शून्य	107	15,76,131/-
पुणे	150	91	शून्य	59	91	17,58,315/-
पंजाब	06	04	01	01	04	55,324/-
राजस्थान	13	05	07	01	03	16,524/-
सूरत	18	15	02	01	15	1,01,160/-
ठाणे	14	04	10	–	04	1,01,565/-
बड़ोदरा	23	–	23	–	–	–
वाराणसी	64	–	64	–	–	–
विजयवाड़ा	01	–	01	–	–	–
कोल्लम	30	शून्य	शून्य	30*	शून्य	–
सेलम	31	शून्य	शून्य	31*	–	–
कुल	1546	1048	313	185	1008	1,32,27,873/-

आयातित सम्पाकों पर मूल्य नियंत्रण

23. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित सम्पाकों पर कोई मूल्य नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने उत्पादों को उक्त सम्पाकों हेतु मूल्य अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(घ) क्या कुछ कंपनियों ने तैयार सम्पाक मूल्यों के मामले में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कंपनियों के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) 74 बल्क औषधों (डीपीसीओ, 95 की पहली अनुसूची) और इन अनुसूचित औषधों वाले किसी फार्मूलेशन के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995, (डीपीसीओ, 95) के प्रावाधानों के तहत नियंत्रित हैं। डीपीसीओ, 95 के फार्मूले के अनुसार सरकार/राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) इनकी कीमतों की समय-समय पर समीक्षा/निर्धारण करता है। प्रत्येक विनिर्माता या आयातक, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी बल्क औषध या किसी फार्मूलेशन, जैसा भी हो, के मूल्य की सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से अथवा इसके लिए सरकारी आदेश की ऐसे विनिर्माता या आयातक द्वारा प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लागू करेगा।

डीपीसीओ, 95 के पैसा 7 के अनुसार किसी आयातित फार्मूलेशन के मामले में इसके मूल्य निर्धारण के लिए अवतरित लागत के साथ-साथ आयातक के मुनाफे व ब्याज सहित वितरण व बिक्री व्ययों को पूरा करने के लिए मार्जिन आधार होगा जो कि अवतरित लागत के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

डीपीसीओ, 1995 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषधों पर आधारित तैयार अवस्था में आयातित सभी फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं। ऐसे फार्मूलेशनों के मूल्य, समय-समय पर संबंधित आयातकों/कंपनियों से डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के तहत फॉर्म-4 में प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

हाल ही में एनपीपीए ने संबंधित आयातकों/कंपनियों से प्राप्त फॉर्म-4 आवेदनों के आधार पर इंसुलिन, मल्टीविटामिन, मिथाइल प्रेडनीसोलोन सोडियम सुसिनेट और कैल्सिपोट्रियोल प्लस बेटामेथासोन पर आधारित विभिन्न आयातित फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किए हैं।

जब कभी यह पाया जाता है कि कोई विनिर्माता/आयातक सरकार/एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर रहा है, तो उक्त कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

कपास की फसल का घटता बुआई क्षेत्र

24. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कपास के कुल बुआई क्षेत्र में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कीटों के हमले की वजह से कपास उत्पादन में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कीट-हमलों से कपास की रक्षा हेतु समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) के अंतर्गत ठोस कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्तमान में देश में राज्यवार कितने समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र कार्य कर रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, देश में कपास की खेती के तहत क्षेत्र वर्ष 2005-06 में 86.77 लाख है. से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 91.58 लाख है. हो गया है (अनन्तिम)।

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान किसी बड़े कीट के आक्रमण के कारण कपास उत्पादन में गिरावट की जानकारी किसी राज्य द्वारा नहीं दी गई है। कपास का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 184.99 से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 209.64 लाख गाठें हो गया है।

(घ) और (ङ) कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 13 राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है जिसमें समेकित कीट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(च) भारत सरकार ने 31 केंद्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की है। देश में आई.पी.एम. की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय आई.पी.एम. केन्द्र की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र के स्थान
1	2	3
1.	असम	गुवाहाटी
2.	हरियाणा	फरीदाबाद
3.	कर्नाटक	बंगलौर
4.	महाराष्ट्र	नागपुर
5.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
6.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
7.	बिहार	पटना
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर
9.	गुजरात	वडोदरा
10.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
11.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
12.	झारखंड	रांची
13.	केरल	एरनाकुलम
14.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
15.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
16.	पंजाब	जालंधर
17.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
18.	तमिलनाडु	त्रिची
19.	उत्तराखंड	देहरादून
20.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
22.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
23.	गोवा	मोर्मूगोवा
24.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
25.	मेघालय	शिलांग
26.	मणिपुर	इम्फाल
27.	मिजोरम	आईजोल
28.	नागालैंड	दीमापुर
29.	सिक्किम	गंगकोट
30.	त्रिपुरा	अगरतला
31	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर

[हिन्दी]

खुदरा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

25. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के महीने में देश के खुदरा बाजार में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश तथा उनके द्वारा दिल्ली स्थित मॉलों में दाल, सब्जियों, फलों जैसी मदों को पारम्परिक व्यावसायिकों की तुलना में सस्ती दरों पर बेचने की वजह से देश के पारंपरिक व्यवसायियों/व्यापारियों को हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्यों में एकरूपता लाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) सरकार इस संबंध में कोई

आंकड़े नहीं रखती। मौजूदा नीति के अनुसार "एकल" ब्रांड खुदरा व्यापार को छोड़कर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादन

26. श्री के.एस. राव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों द्वारा विभिन्न गुणवत्ता वाले इस्पात का कितना उत्पादन किया गया और कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग के विस्तार लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां निवेश करने और अतिरिक्त इस्पात निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) इस्पात मंत्रालय के मंत्राणाधीन सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात उत्पादन उद्यम नामत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) हैं। सेल अपने सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में मृदु इस्पात के उत्पादन के अलावा दुर्गापुर (अलॉय स्टील प्लांट) और भद्रावती (विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट) स्थित अपने इस्पात संयंत्रों में अलॉय स्टील का उत्पादन करता है और सेलम इस्पात संयंत्र में बेदाग इस्पात का उत्पादन करता है। आरआईएनएल परिसज्जित इस्पात का उत्पादन करता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

(इकाई: मिलियन टन)

विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन	2003-04	2004-05	2005-06
मृदु इस्पात	11.011	10.984	11.751
अलॉय स्टील	0.207	0.228	0.252
बेदाग इस्पात	0.065	0.105	0.048
कुल विक्रेय इस्पात	11.283	11.317	12.051
निवल लाभ (करोड़ रुपए)	2512	6817	4013

2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

(इकाई: मिलियन टन)

विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन	2003-04	2004-05	2005-06
विक्रेय इस्पात	3.169	3.173	3.237
निवल लाभ (करोड़ रुपए)	1547	2008	1252

(ख) और (ग) वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने के साथ ही इस्पात क्षेत्र को भी निजी निवेश के लिए खोल दिया गया था। निजी क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपने विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए 40,000 करोड़ रुपए का

निवेश कर रहा है और सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने विस्तार कार्यक्रम पर 8692 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है।

[हिन्दी]

पशुधन बीमा योजना

27. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुधन बीमा योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में पशुधन बीमा अनिवार्य बनाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) (1) दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2005-06 और 2006-07 के दौरान 100 चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर पशुधन बीमा योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना को गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(2) इस योजना के अंतर्गत, वर्ण-संकरित और उच्च उत्पादक गोपशु और भैंसों का उनके मौजूदा अधिकतम बाजार मूल्य पर बीमा किया जा रहा है।

(3) बीमा के प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक की राजसहायता दी जाती है। राजसहायता की समूची लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। प्रीमियम की शेष राशि को लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

(4) राजसहायता का लाभ प्रति लाभार्थी को अधिकतम दो पशुओं के लिए दिया जा रहा है।

(5) योजना को संबंधित राज्यों को पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख)(1) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 120.00 करोड़ रुपए था।

(2) योजना को फरवरी, 2006 में अनुमोदित किया गया था।

(3) योजना को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, 2005-06 के दौरान, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को 24.21 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

(4) आबंटित 51.00 करोड़ रुपए में से 2006-07 के दौरान 25.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(5) 2006-07 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य-वार जारी की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पशुधन बीमा योजना के लिए राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि		कुल
		2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	184.60	305.00	489.60
2.	बिहार	133.00	80.00	213.00
3.	छत्तीसगढ़	44.00	-	44.00
4.	गुजरात	150.00	221.00	371.00

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	133.00	89.00	222.00
6.	हिमाचल प्रदेश	44.00	23.00	67.00
7.	जम्मू-कश्मीर	44.00	15.00	59.00
8.	झारखंड	44.00	–	44.00
9.	कर्नाटक	110.00	33.00	143.00
10.	केरल	68.00	150.00	218.00
11.	मध्य प्रदेश	150.00	82.00	232.00
12.	महाराष्ट्र	150.00	245.00	395.00
13.	उड़ीसा	69.00	–	69.00
14.	पंजाब	125.00	252.00	377.00
15.	राजस्थान	150.00	256.00	406.00
16.	तमिलनाडु	106.00	113.00	219.00
17.	उत्तरांचल	44.54	17.00	61.54
18.	उत्तर प्रदेश	254.00	419.00	673.00
19.	पश्चिम बंगाल	68.00	–	68.00
	उप योग अन्य राज्य	2071.14	2300.00	4371.14
20.	अरुणाचल प्रदेश	47.00	–	47.00
21.	असम	47.00	78.00	125.00
22.	मणिपुर	47.00	21.00	68.00
23.	मेघालय	47.00	–	47.00
24.	मिजोरम	47.00	–	47.00
25.	नागालैंड	47.00	110.00	157.00
26.	सिक्किम	46.00	21.00	67.00
27.	त्रिपुरा	22.00	20.00	42.00
	उप योग पूर्वोत्तर राज्य	350.00	250.00	600.00
	सकल योग	2421.14	2550.00	4971.14

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

28. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार और परियोजनावार कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) देश में राज्यवार कितने प्रतिशत खेती योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त है;

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक योजनावार कितने प्रतिशत सिंचित भूमि खेती के अंतर्गत लायी गई है;

(घ) सिंचाई हेतु अब तक योजनावार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) प्रत्येक योजनावधि में सिंचाई की वृद्धि दर कितनी रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के नियोजन, निष्पादन, वित्त पोषण और प्राथमिकता राज्य सरकारों के दायरे में आता है। विभिन्न योजना/पूर्व-योजना अवधियों के दौरान शुरू की गई प्रमुख और मध्यम परियोजनाएं 1887 थीं। नौवीं योजना तक पूरी की गई प्रमुख, मध्यम, और विस्तार नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 1232 है और दसवीं योजना (2002-07) के अन्त तक पूरी किए जाने के लिए नियोजित परियोजनाएं 1410 हैं। दसवीं योजना से ग्यारहवीं योजना में लाई गई परियोजनाएं 477 हैं। 477 परियोजनाओं के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बोए गए निवल क्षेत्र, नए सिंचित क्षेत्र और खेती के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सभी क्षेत्रों के लिए कुल योजना व्यय, सिंचाई पर व्यय और सिंचाई पर प्रतिशत व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

योजना अवधि	सभी क्षेत्रों के लिए कुल योजना व्यय	सिंचाई पर व्यय	सिंचाई पर व्यय की प्रतिशतता
पहली योजना	1960	441.8	22.54
दूसरी योजना	4672	541.6	11.59
तीसरी योजना	8577	1019.1	11.89
वार्षिक	6625	990.7	15.04
चौथी योजना	15779	2415.7	15.31
पांचवीं योजना	28653	3925.8	14.22
वार्षिक	22950	3423.5	14.27
छठीं योजना	109292	11526.7	10.55
सातवीं योजना	218730	18734.1	8.56
वार्षिक	123120	9108.7	7.4
आठवीं योजना	483060	34957.2	7.59
नवीं योजना	941041	63049.0	6.7
दसवीं योजना	1525639	95734.4	6.28
कुल	3490098	245868.3	

पहली पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब तक निवेश की गई राशि 245868.30 करोड़ रुपए है। सृजित की गई सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का योजनावार की स्थिति (प्रत्येक योजना अवधि में सिंचाई की वृद्धि दर संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

दसवीं योजना से ग्यारहवीं योजना तक चली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

	प्रमुख	मध्यम	ई.आर.एम.	कुल
	1	2	3	4
दसवीं योजना में चल रही	171	233	86	490
छोड़ी गई/शिफ्ट की गई	6	4	4	14
शेष	165	229	82	476
दसवीं योजना में नई	49	84	46	179
कुल	214	313	128	655
दसवीं योजना में समाप्त होने वाली	48	91	39	178
ग्यारहवीं योजना तक चली	166	222	89	477
दसवीं योजना तक चली परियोजनाएं				
आंध्र प्रदेश	26	19	6	51
अरुणाचल प्रदेश**	0	0	0	0
असम	2	2	2	6
बिहार	10	2	5	17
छत्तीसगढ़	4	7	1	12
गोवा	0	0	0	0
गुजरात*	3	15	11	29
हरियाणा**	1	0	1	2
हिमाचल प्रदेश	1	3	0	4
जम्मू-कश्मीर**	0	6	4	10
झारखंड	6	16	0	22
कर्नाटक	15	27	5	47
केरल	3	4	2	9

	1	2	3	4
मध्य प्रदेश	18	8	5	31
महाराष्ट्र	53	83	3	139
मणिपुर	2	1	4	7
मेघालय**	0	1	0	1
मिजोरम**	0	0	0	0
नागालैंड	0	1	0	1
उड़ीसा	7	10	14	31
पंजाब**	1	0	2	3
राजस्थान	2	7	2	11
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु**	0	2	3	5
त्रिपुरा	0	3	0	3
उत्तर प्रदेश	9	0	13	22
उत्तरांचल**	1	0	0	1
पश्चिम बंगाल	2	5	6	13
कुल	166	222	89	477

विवरण II

निवल बुवाई क्षेत्र (एन.एस.ए), निवल सिंचित क्षेत्र (एन.आई.ए.) और सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के राज्यवार ब्यौरे

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निवल बुवाई क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	एन.आई.ए. से एन.एस.ए. तक की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10978.00	4538.00	41.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	185.00	36.00	19.46
3.	असम	2701.00	572.00	21.18
4.	बिहार	7431.00	3682.00	49.55

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	*	*	
6.	गुजरात	9674.00	3058.00	31.61
7.	हरियाणा	3628.00	2842.00	78.34
8.	हिमाचल प्रदेश	549.00	103.00	18.76
9.	झारखंड	**	**	
10.	जम्मू-कश्मीर	733.00	309.00	42.16
11.	कर्नाटक	10489.00	2492.00	23.76
12.	केरल	2259.00	375.00	16.60
13.	मध्य प्रदेश	19839.00	6560.00	33.07
14.	महाराष्ट्र	17732.00	2946.00	16.61
15.	मणिपुर	140.00	65.00	46.43
16.	मेघालय	221.00	48.00	21.72
17.	मिजोरम	109.00	9.00	8.26
18.	नागालैंड	261.00	63.00	24 14
19.	उड़ीसा	6048.00	2090.00	34.56
20.	पंजाब	4238.00	4004.00	94.48
21.	राजस्थान	16073.00	5499.00	34.21
22.	सिक्किम	95.00	16.00	16.84
23.	तमिलनाडु	5635.00	3019.00	53.58
24.	त्रिपुरा	277.00	35.00	12.64
25.	उत्तर प्रदेश	17585.00	12691.00	72.17
26.	उत्तरांचल	***	***	
27.	पश्चिम बंगाल	5440.00	1911.00	35.13
28	गोवा	142.00	22.00	15.49
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	2.00	2.00	100.00
31	दादरा और नगर हवेली	23.00	5.00	21.74

1	2	3	4	5
32.	दिल्ली	41.00	39.00	95.12
33.	दमन और दीव	4.00	1.00	25.00
34.	लक्षद्वीप	3.00	1.00	33.33
35.	पांडिचेरी	25.00	22.00	88.00
	कुल	142598.00	57055.00	40.01

*मध्य प्रदेश में शामिल
**बिहार में शामिल
***उत्तर प्रदेश में शामिल

विवरण III

सिंचाई संभावना की सृजित और प्रयुक्त करने की योजनावार स्थिति

(क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में)

योजना		सृजित संभावना					प्रयुक्त संभावना				
		प्रमुख एवं मध्यम	लघु		कुल	कुल	प्रमुख एवं मध्यम	लघु		कुल	कुल
			एस.डब्ल्यू	जी.डब्ल्यू				एस.डब्ल्यू	जी.डब्ल्यू		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1951 तक पूर्व योजना	संचयी	9.70	6.40	6.50	12.90	22.60	9.70	6.40	6.50	12.90	22.80
पहली योजना	दौरान	2.50	0.03	1.13	1.16	3.86	1.28	0.03	1.13	1.16	2.44
(1951-1958)	संचयी	12.20	6.43	7.63	14.06	26.26	1098	6.43	7.63	14.06	25.04
दूसरी योजना	दौरान	2.13	0.02	0.67	0.69	2.82	2.07	0.02	0.67	0.69	2.76
(1956-1961)	संचयी	14.33	6.45	8.30	14.75	29.08	13.05	6.45	8.30	14.75	27.80
तीसरी योजना	दौरान	2.24	0.03	2.22	2.25	4.49	2.12	0.03	2.22	2.25	4.37
(1961-1966)	संचयी	16.57	6.48	10.52	17.00	33.57	15.17	6.48	10.52	17.00	32.17
वार्षिक योजनाएं	दौरान	1.53	0.02	1.98	2.00	3.53	1.58	0.02	1.98	2.00	3.58
(1966-1969)	संचयी	18.10	6.50	12.50	19.00	37.10	16.75	6.50	12.50	19.00	35.75
चौथी योजना	दौरान	2.60	0.50	4.00	4.50	7.10	1.64	0.50	4.00	4.50	6.14
(1969-1974)	संचयी	20.70	7.00	16.50	23.50	44.20	18.39	7.00	16.50	23.50	41.89

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पांचवीं योजना	दौरान	4.02	0.50	3.30	3.80	7.82	2.70	0.50	3.30	3.80	6.50
(1974-1978)	संचयी	24.72	7.50	19.80	27.30	52.02	21.16	7.50	19.80	27.30	48.45
वार्षिक योजनाएं	दौरान	1.89	0.50	2.20	2.70	4.59	1.48	0.50	2.20	2.70	4.18
(1978-1980)	संचयी	26.61	8.00	22.00	30.00	56.61	22.64	8.00	22.00	30.00	52.64
छठी योजना	दौरान	1.09	1.70	5.82	7.52	8.81	0.93	1.01	4.24	5.25	6.18
(1980-1985)	संचयी	27.70	9.70	27.82	37.52	65.22	23.57	9.01	26.24	35.25	58.82
सातवीं योजना	दौरान	2.22	1.29	7.80	9.09	11.31	1.90	0.96	6.91	7.87	9.77
(1985-1990)	संचयी	29.92	10.90	35.62	46.52	76.44	25.47	9.97	33.15	43.12	88.69
वार्षिक योजनाएं	दौरान	0.82	0.47	3.27	3.74	4.58	0.85	0.32	3.10	3.42	4.27
(1990-1992)	संचयी	30.74	11.46	38.89	50.35	81.09	26.31	10.29	36.25	46.54	72.86
आठवीं योजना	दौरान	2.21	1.05	1.91	2.96	5.17	2.13	0.78	1.45	2.23	4.38
(1992-1997)	संचयी	32.95	12.51	40.80	53.31	86.26	28.44	11.07	37.7	48.77	77.21
नौवीं योजना	दौरान	4.10	1.09	2.50	3.59	7.69	2.57	0.37	0.85	1.22	3.79
(1997-2002)	संचयी	37.05	13.60	43.30	56.90	93.95	31.01	11.44	38.55	49.90	81.00
दसवीं योजना	दौरान	5.30	0.71	2.81	3.52	8.82	3.41	0.55	2.26	2.82	6.23
(2002-2007)*	संचयी	42.35	14.31	46.1	60.42	102.77	34.42	12.00	40.81	52.81	87.23

*अनन्तिम

नया भेषज संयंत्र

29. श्री अनन्त नायक: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नए भेषज संयंत्र स्थापित करने के कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातियों को वन भूमि

30. श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में जनजातियों को वन भूमि वितरित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) जी नहीं। केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत

प्रस्तावों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भूमिहीन आदिवासियों के पुनर्वास के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत फरवरी 2004 में 7.693.22 हैक्टेयर के वनेतर प्रयोग के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मछुआरों के लिए कल्याण योजनाएं

31. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सूनामी के बाद मछुआरों के कार्य करने की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पारम्परिक मछुआरों के कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित विस्तृत घटकों वाली राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना प्रचालन में है:-

(1) आदर्श मछुआरा गावों का विकास यानि मछुआरों के आवास, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल लगाना।

(2) बचत-सह-राहत।

(3) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा।

(घ) इस कल्याण योजना के तहत, आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निधियां जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मछुआरा कल्याण के केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय योजना के तहत विगत तीन वर्षों (2003-2006) तथा चालू वित्त वर्ष (2006-07) 21.02.2006 तक जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003-2006	2006-2007
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	424.61	65.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	32.00
3.	असम	18.40	0.00
4.	बिहार	66.69	60.79
5.	छत्तीसगढ़	50.70	21.02
6.	दमन एवं दीव	15.00	15.00
7.	गोवा	1.05	0.00
8.	गुजरात	63.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	12.37	5.10
10.	जम्मू-कश्मीर	100.30	20.00
11.	झारखंड	505.50	258.40
12.	कर्नाटक	743.77	348.20
13.	केरल	581.28	162.96
14.	महाराष्ट्र	53.97	61.86
15.	मध्य प्रदेश	44.16	33.82
16.	मणिपुर	46.52	0.00
17.	नागालैंड	151.55	54.00
18.	उड़ीसा	293.12	18.00
19.	पांडिचेरी	513.76	150.00
20.	राजस्थान	37.20	31.36

1	2	3	4
21.	तमिलनाडु	2456.96	300.00
22.	त्रिपुरा	50.20	24.00
23.	उत्तर प्रदेश	592.40	350.00
24.	उत्तरांचल	12.90	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	470.00	241.20
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.84	1.48
27.	फिशकोफेड	267.85	104.35
	कुल	7611.10	2358.90

वर्षा जल प्रबंधन

32. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने वर्षा जल प्रबंधन हेतु एक केन्द्रीय निकाय का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने वर्षा जल प्रबंधन के लिए कोई केन्द्रीय निकाय गठित नहीं किया है। तथापि, कृषि मंत्रालय ने वर्षापोषित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने तथा ऐसे क्षेत्रों के स्थाई विकास के लिए "राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए)" का गठन किया है।

प्रवासी कामगारों के लिए नौकरियां

33. **श्री जुएल ओराम:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उल्फा द्वारा हिन्दी भाषी प्रवासी कामगारों पर हाल के हमले के बाद लगभग ऐसे कितने कामगार असम छोड़कर बाहर गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके लिए वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मौसमी/हिन्दी भाषी प्रवासी कामगारों ने हाल के उल्फा आक्रमण के बाद से असम छोड़ दिया है।

(ख) सरकार का इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दवाइयों की कीमतों संबंधी पैनल की रिपोर्ट

34. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाइयों की कीमतों से संबंधित पैनल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य निगरानी अथवा औषधों एवं भेषजों के लागत आधारित मूल्य निर्धारण का सुझाव देने के लिए औषध उद्योग के सदस्यों के साथ सचिव (रसा. एवं पेट्रो रसा.) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 30.11.2006 को सरकार को सौंप दी है तथा राष्ट्रीय औषध नीति-2006 के मसौदे को अंतिम रूप देते समय इसकी कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

इस नीति को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्ट्या, इस पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। तत्पश्चात श्री शरद पवार, कृषि मंत्री एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है।

[हिन्दी]

ठेका श्रम पद्धति

35. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यकलाप

36. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक विस्तृत नीति उपायों/पैकेज के माध्यम से कृषि तथा इससे संबंधित गैर-फसल क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने हेतु उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यकलापों का स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्राप्त रुझानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेष रूप से गैर-हरित शुष्क भूमि खेती के लिए की गई नई कृषि पहलों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए यथोचित नीति तैयार की है। भारत में कृषि द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर विचार करते हुए, साम्या के साथ सतत पैदावार का विकास करने, घरेलू मंडियों की जरूरतों में पूरा करने और आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को देखते हुए कृष्य उत्पादों के निर्यातों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में तैयार की गई थी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए और सामान्यतया कृषकों की स्थिति के संबंध में कई पहलों की शुरुआत की है। इसके साथ-साथ इनमें अप्रैल, 2004 में ऋण नीति की घोषणा शामिल है, जिसमें 2007 तक कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को दुगुना करने के लिए विचार किया गया है। इसके अलावा खरीफ 2006-07 से किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक फसल ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज तैयार किया है और घोषणा की है। कृषि के विविधीकरण के लिए मुख्य प्रयास की शुरुआत की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को अनुसंधान, कटाई पहचान प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए अग्र एवं पश्च सम्पर्कों के साथ आद्योपांत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए यथास्थान रखा गया है। बागवानी विकास के लिए एवं विशेष कार्यक्रम भी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है। सरकार द्वारा शुरू की गई वर्षाजल एकत्रण का उन्नत जल प्रबंधन करना, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना करना।

[हिन्दी]

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

37. **श्री वी.के ठुम्मर:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास उत्पादकों को भारी घाटा हो रहा है और उन्हें अपने उत्पादों के लागत मूल्य भी नहीं मिल रहे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कपास मूल्य निर्धारण हेतु समिति में किसानों को शामिल नहीं किया जाता है और इस पर मध्यस्थ लोगों का पूरी तरह नियन्त्रण है जो किसानों की समस्या नहीं समझते; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति में किसानों को सहभागिता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कपास मूल्यों में गिरावट के मौके पर देश के कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार कपास मौसम प्रारम्भ होने से तुरन्त पहले प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए जाते हैं। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य आते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग कपास अर्थव्यवस्था के ढ़ांचे, प्रति हैक्टेयर पैदावार की लागत, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रति क्विंटल उत्पादन लागत, निवेश मूल्यों में बदलाव, श्रम व्यय, निवेश/उत्पादन मूल्य समानता, बाजार

मूल्यों प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति, अन्तः फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढ़ांचे पर प्रभाव, जीवन निर्वाह की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों तथा प्राप्त किए गए मूल्यों में समानता, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति इत्यादि सहित कपास उगाने वाले किसानों के उचित लाभ को ध्यान में रखता है।

कपास मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूने के मौके पर, भारतीय कपास निगम, भारत सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में ए.पी.एम.सी. बाजार यार्डों में (उचित औसत किस्म एफ.ए.क्यू.) श्रेणी की कपास खरीदा करती है। किसानों की सहायता तथा दबावपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए, भारतीय कपास किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भी, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यों के लिए नैफेड को भी दूसरी एजेंसी के रूप में नामित किया है।

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने से पहले, कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न पणधारियों तथा बड़ी हस्तियों जैसे कपास विकास निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादन विपणन संघ, गुजरात राज्य सहकारी कपास संघ, अखिल भारतीय सहकारी कपास परिसंघ, भारतीय कपास निगम, सी.आई.आर.सी.ओ.टी, कपड़ा उद्योग संघ अखिल भारतीय कपास बीज क्रशर्स एसोशिएशन से किसानों के प्रतिनिधि के रूप में भी विचार-विमर्श करता है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार

38. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री काशीराम राणा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के चलते सरकार गरीबों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य-वार तथा वर्ष-वार भ्रष्टाचार के कुल मामलों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 8 और 9 के तहत की गई कार्रवाई

वर्ष 2003-04 के लिए (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समाप्त तिमाही	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए/अभियोजित/ दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकानों के निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंसों और कारण बताओ नोटिसों की संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का प्रकार और मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.4.03 - 30.06.03	3689	3689	31	73	आवश्यक वस्तु-30,95,570/-
		1.7.03. - 30.9.03	3892	3892	25	75	आ.व. - 33,69,410/-
		1.10.03 - 31.12.03	3846	3846	24	77	आ.व. - 36,75,470/-
		1.1.04 - 31.3.04	3742	3742	4	220	आ.व. - 20,97,370/-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.4.03 - 30.6.03 1.7.03 - 30.9.03 1.10.03 - 31.12.03 1.1.04 - 31.3.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
3.	असम	1.4.03 - 30.6.03	21	17	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.03 - 30.9.03	10	8	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.03 - 31.12.03	15	13	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.04 - 31.3.04	17	12	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1.4.03 - 30.6.03 1.10.03 - 30.9.03 1.10.03 - 31.12.03					
		1.1.04 - 31.3.04	7898	14	1	1327	2346.34 क्विंटल चावल 162.01 क्विंटल गेहूं 100 ली. मि. का ते.
5.	छत्तीसगढ़	1.4.03 - 30.6.03 1.7.03 - 30.6.03 1.10.03 - 31.12.03 1.1.04 - 31.3.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
6.	दिल्ली	1.4.03 - 30.6.03	200	5	2	2	
		1.7.03 - 30.9.03	160	-	-	1	106.2 क्विंटल
		1.10.03 - 31.12.03	28	-	-	1	
		1.1.04 - 31.3.04	57	12	8	6	
7.	गोवा	1.4.03 - 30.6.03	24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.03 - 30.9.03	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.03 - 31.12.03	49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.04 - 31.3.04	42	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	गुजरात	1.4.03 - 30.6.03	4056	10	48	25	2,28,504/-
		1.7.03 - 30.9.03	5113	7	80	25	2,59,596/-
		1.10.03 - 31.12.03	4395	7	41	30	2,32,516/-
		1.1.04 - 31.3.04	4314	1	31	15	98,514/-
9.	हरियाणा	1.4.03 - 30.6.03	273	65	1 गिरफ्तार 1 अभियोजित	65 निलंबित 37 रद्द 244 का.ब.नो. जारी किए गए	1,02,600/- एएसएफ
		1.7.03 - 30.9.03	504	160	4 गिरफ्तार	102 निलंबित 72 रद्द 497 का.ब.नो. जारी किए गए	14,816/- 1,83,700/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.10.03 - 31.12.03	335	67	2 गिरफ्तार	52 निलंबित 48 रद्द 378 का.ब.नो. जारी किए गए	3,232/- 2,15,750/-
		1.1.04 - 31.3.04	295	107	-	71 निलंबित 57 रद्द 315 का.ब.नो. जारी किए गए	15,200/- 1,98,000/-
10.	हिमाचल प्रदेश	1.4.03 - 30.6.03	1759	शून्य	शून्य	16	1,0647/-
		1.7.03 - 30.9.03	1662	शून्य	शून्य	21	2,840/-
		1.10.03 - 31.12.03	1646	शून्य	शून्य	13	11,358/-
		1.1.04 - 31.3.04	1851	शून्य	1 गिरफ्तार	18	4,570/-
11.	जम्मू-कश्मीर	1.4.03 - 30.6.03	290	150	68	1	
		1.7.03 - 30.9.03	300	280	156	11	प्रस्तुत नहीं
		1.10.03 - 1.12.03	200	175	163	11	
		1.1.04 - 31.3.04	400	300	115	4	
12.	झारखंड	1.4.03 - 30.6.03 1.7.03 - 30.9.03 1.10.03 - 31.12.03 1.1.04 - 31.3.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	1.4.03 - 30.6.03	205	25	38	0	3,217,586
		1.7.03 - 30.6.03	284	15	61	0	13,816,375
		1.10.03 - 31.12.03	193	10	57	0	6,241,154
		1.1.04 - 31.3.04	229	7	134	0	9,218,989
14.	केरल	1.4.03 - 30.6.03	24860	909	2	53 निलंबित 2 रद्द	19902 मि. का ते., 6 क्विंटल चीनी, 16 एलपीजी, 3 आयल बैग, 80 ली. डीजल, 85 ली. पैट्रोल (1,80 2,50/-) 312 एलपीजी, 50 ली.
		1.7.03 - 30.9.03	25132	2123	-	37 निलंबित 4 रद्द	मि. का ते. (3,250/-) 888.65 ली. मि. का ते., 304 किलोग्राम
		1.10.03 - 31.12.03	27497	2120	-	29 निलंबित 2 रद्द	चावल, 225 एलपीजी, 455 ली. डीजल (2,256/-) 98 एलपीजी, 2130 ली. मि. का ते.
		1.1.04 - 31.3.04	32100	1432	-	20 निलंबित 6 रद्द	(19,000/-)

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मध्य प्रदेश	1.4.03 - 30.6.03	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
		1.7.03 - 30.9.03					
		1.10.03 - 31.12.03					
		1.1.04 - 31.3.04					
16.	महाराष्ट्र	1.4.03 - 30.6.03	उ.न.	260	453 गिरफ्तार 196 अभियोजित	उ.न.	143,892,146.25
		1.7.03 - 30.9.03	उ.न.	333	584 गिरफ्तार 345 अभियोजित	उ.न.	1,123,045,417.72
		1.10.03 - 31.12.03	उ.न.	336	613 गिरफ्तार 359 अभियोजित	उ.न.	39,981,783.00
		1.1.04 - 31.3.04	उ.न.	273	485 गिरफ्तार 279 अभियोजित	उ.न.	274,545,937.15
17.	मणिपुर	1.4.03-30.6.03	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
		1.7.03-30.9.03					
		1.10.03-31.12.03					
		1.1.04-31.3.04					
18.	मेघालय	1.4.03-30.6.03	172	137	शून्य	2	शून्य
		1.7.03-30.9.03	23	9	शून्य	2	शून्य
		1.10.03-31.12.03	25	16	शून्य	2	शून्य
		1.1.04-31.3.04	147	142	शून्य	8	शून्य
19.	मिजोरम	1.4.03-30.6.03	16	5	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.03-30.9.03	16	3	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.03-31.12.03	23	3	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.04-31.3.04	17	5	शून्य	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	1.4.03-30.6.03					
		1.7.03-30.9.03					
		1.10.03-31.12.03					
		1.1.04-30.6.04	30	11	-	-	-
21.	उड़ीसा	1.4.03-30.6.03	16973	115	10	461	मि. का ते., चावल-2,52,320
		1.7.03-30.9.03	16504	162	6	343	मि. का ते., चावल-1,05,587
		1.10.03-31.12.03	17727	146	13	399	मि. का ते., चावल-5,17,653
		1.1.04-31.3-04	17582	159	8	249	मि. का ते., चावल-2,33,415

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	1.4.03-30.6.03	7684	7616	10	250	-
		1.7.03-30.9.03	9287	12148	2	299	-
		1.10.03-31.12.03	8120	10956	0	255	-
		1.1.04-31.3.04	8427	11025	1	251	-
23.	राजस्थान	1.4.03-30.6.03	3	0	5	0	3.69 लाख
		1.7.03-30.9.03	13	0	5	0	3.62 लाख
		1.10.03-31.12.03	2	0	4	0	2.36 लाख
		1.1.04-31.3.04	12	1	9	0	4.94 लाख
24.	सिक्किम	1.4.03-30.6.03 1.7.03-30-9.03 1.10.03-31.12.03 1.1.04-31.3.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
25.	तमिलनाडु	1.4.03-30.6.03 1.7.03-30.9.03 1.10.03-31.12.03 1.1.04-31.3.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
26.	त्रिपुरा	1.4.03-30.6.03	1738	6	शून्य	2 रद्द 11 का.ब.नो.	शून्य
		1.7.03-30.9.03	1774	6	शून्य	2 निलंबित 1 रद्द 18 का.ब.नो.	चीनी-190 कि.ग्रा. 1,326/- रु.
		1.10.03-31.12.03	1772	5	शून्य	2 रद्द 24 का.ब.नो.	एचएसडी-300 ली.
		1.1.04-31.3.04	1713	शून्य	शून्य	1 निलंबित 1 रद्द 12 का.ब.नो.	दंड 1,525/- रु.
27.	उत्तरांचल	1.4.03-30.6.03 1.7.03-30.9.03 1.10.03-31.12.03 1.1.04-31.3.04	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	1.4.03-30.6.03	68079	1814	24	1153	3,761,282
		1.7.03-30.9.03	75409	3098	33	1385	4,800,729
		1.10.03-31.12.03	66159	2480	27	1550	4,339,747
		1.1.04-31.3.04	25231	1975	7	1125	825,089
29.	पश्चिम बंगाल	1.4.03-30.6.03	740	220	105-गिरफ्तार 52-अभियोजित शून्य-दोष सिद्ध	60-निलंबित 20-रद्द 142-का.ब.नो. जारी किए गए	52,28,336/- रु.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.7.03-30.9.03	810	116	65-गिरफ्तार 25-अभियोजित 1-दोष सिद्ध	100-निलंबित 40-रद्द 160-का.ब.नो. जारी किए गए	17,24,224/- रु.
		1.10.03-31.12.03	644	119	86-गिरफ्तार 33-अभियोजित 2-दोष सिद्ध	20-निलंबित शून्य-रद्द 95-का.ब.नो. जारी किए गए	81,07,555/- रु.
		1.1.04-31.3.04	752	154	63-गिरफ्तार 60-अभियोजित 2-दोष सिद्ध	40-निलंबित शून्य-रद्द 57-का.ब.नो. जारी किए गए	27,66,880/- रु.
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.4.03-30.6.03	205	शून्य	शून्य	15	शून्य
		1.7.03-30.9.03	144	शून्य	1	10	शून्य
		1.10.03-31.12.03	149	शून्य	शून्य	9	शून्य
		1.1.04-31.3.04	51	शून्य	शून्य	2	शून्य
31.	चंडीगढ़	1.4.03-30.6.03	14	-	-	1 निलंबित 2 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	- -
		1.7.03-30.9.03	19	-	-	5 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	-
		1.10.03-31.12.03	14	-	-	-	-
		1.1.04-31.3.04	17	-	-	1 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	-
32.	दादर व नगर हवेली	1.4.03-30.6.03	28	3	6	-	सा.वि.प्र. का मि. का ते.-10,197/- चावल-42,500
		1.7.03-30.9.03	28	-	-	-	-
		1.10.03-31.12.03	23	-	-	1	-
		1.1.04-31.3.04	15	-	-	-	-
33.	दमन व दीव	1.4.03-30.6.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.03-30.9.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.03-31.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.04-31.3.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	1.4.03-30.6.03 1.7.03-30.9.03 1.10.03-31.12.03 1.1.04-31.3.04	निरीक्षण नियमित आधार पर किए गए।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	1.4.03-30.6.03	346	6	10	29	पैट्रोल-5,253/- डीजल-31,570/-
		1.7.03-30.9.03	316	0	13	26	मि. का ते.-2,760/- पैट्रोल-10,654/- डीजल-24,372/-
		1.10.03-31.12.03	305	0	5	26	मि. का ते.-35,245/- पैट्रोल-1,200/- डीजल-30,790/- चावल-5,365/- चीनी-1,535/-
		1.1.04-31.3.04	444	10	1	46	पैट्रोल-1,600/- चावल-8,590/-

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 8 और 9 के तहत की गई कार्रवाई

वर्ष 2004-05 के लिए (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समाप्त तिमाही	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए/अभियोजित/ दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकानों के निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंसों और कारण बताओ नोटिसों की संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का प्रकार और मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.4.04-30.6.04	3270	3270	4	225	आवश्यक वस्तु- 23,59,566/-
		1.7.04-30.9.04	3457	3457	4	223	आ.व.-22,58,125/-
		1.10.04-31.12.04	3388	3388	4	244	आ.व.-28,74,419/-
		1.1.04-31.3.05	3281	3281	13	348	आ.व.-18,24,413/-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.4.04-30.6.03 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.04-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1.4.04-30.6.04	180	79	1	7	शून्य
		1.7.04-30.9.04	206	146	47	5	20 ली. मि. का ते.-177/-
		1.10.04-31.12.04	127	75	10	3	200 ली. मि. का ते.-2,945
		1.1.04-31.3.05	128	103	6	6	1496 ली. मि. का ते.-23,152/-
4.	बिहार	1.4.04-30.6.04	8997	17	2	1529	179.31 क्विंटल चावल 2521.03 क्विंटल-गेहूं 150 ली. मि. का ते.
		1.7.04-30.9.04	7876	2	-	852	1168.31 क्विंटल- चावल
		1.10.04-31.12.04	8628	13	3	537	1170 ली. मि. का ते. 1269.34 क्विंटल गेहूं 230 ली. मि. का. ते.
		1.1.04-31.3.05	5698	11	-	328	1326 क्विंटल चावल 175 ली. मि. का ते.
5.	छत्तीसगढ़	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.04-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
6.	दिल्ली	1.4.04-30.6.04	15	10	6	5	900 क्विंटल
		1.7.04-30.9.04	32	15	12	13	
		1.10.04-31.12.04	27	5	3	2	
		1.1.05-31.3.05	55	8	6	11	
7.	गोवा	1.4.04-30.6.04	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.04-30.9.04	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.04-31.12.04	27	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.05-31.3.05	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	गुजरात	1.4.04-30.6.04	3734	1	48	12	85,889
		1.7.04-30.9.04	4671	3	64	26	320,777
		1.10.04-31-12.04	8787	7	41	30	681,980
		1.1.05-31.3.05	5495	5	47	24	262,478
9.	हरियाणा	1.4.04-30.6.04	330	120	3 गिरफ्तार	42 निलंबित 35 रद्द 323 का.ज्ञ.नो. जारी किए गए	1,14,950

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.7.04-30.9.04	518	112	5 गिरफ्तार 1 अभियोजित	58 निलंबित 41 रद्द 486 का.ब.नो. जारी किए गए	2,48,800
		1.10.04-31.12.04	295	126	2 गिरफ्तार	28 निलंबित 22 रद्द 251 का.ब.नो. जारी किए गए	1,10,700
		1.1.05-31.3.05	237	78	1 गिरफ्तार	43 निलंबित 18 रद्द 215 का.ब.नो. जारी किए गए	87,500
10.	हिमाचल प्रदेश	1.4.04-30.6.04	1719	शून्य	शून्य	22	19,989
		1.7.04-30.9.04	1445	शून्य	3 गिरफ्तार	17	27.948
		1.10.04-31.12.04	1577	शून्य	शून्य	14	77,747
		1.1.05-31.3.05	1612	शून्य	शून्य	21	20,369
11.	जम्मू-कश्मीर	1.4.04-30.6.04	275	202	40	6	
		1.7.04-30.9.04	290	257	120	5	सूचित नहीं
		1.10.04-31.12.04	305	299	116	4	
		1.1.05-31.3.05	530	505	73	4	
12.	झारखंड	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.05-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	1.4.04-30.6.04	232	34	58	0	162,154,047
		1.7.04-30.9.04	234	1	56	0	4,425,949
		1.10.04-31.12.04	504	13	39	41	3,027,183
		1.1.05-31.3.05	724	26	100	39	2,892,965
14.	केरल	1.4.04-30.6.04	33547	1545	-	27 निलंबित 1 रद्द	825 ली. मि.का.ते., 67 एलीपजी-9,788.50
		1.7.04-30.9.04	35263	5192	-	28 निलंबित 11 रद्द	390 एलीपजी, 120 ली. मि.का.ते., 76.46 कि.ग्रा. गेहूं-53,543.20
		1.10.04-31.12.04	33633	2680	-	14 निलंबित	715 ली. मि.का.ते., 124 एलपीजी-1395.80
		1.1.05-31.3.05	37091	2140	7	19 निलंबित	100 ली. मि.का.ते., 2 ली. पैट्रोल, 442, एलपीजी-11,919.72

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मध्य प्रदेश	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.05-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1.4.04-30.6.04	उ.न.	298	530 गिरफ्तार 257 अभियोजित	उ.न.	268,078,090.50
		1.7.04-30.9.04	उ.न.	432	749 गिरफ्तार 356 अभियोजित	उ.न.	358,743,935.00
		1.10.04-31.12.04	उ.न.	381	650 गिरफ्तार 394 अभियोजित	उ.न.	13,049,937.71
		1.1.05-31.3.05	उ.न.	523	737 गिरफ्तार 390 अभियोजित	उ.न.	8,884,431.69
17.	मणिपुर	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.05-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
18.	मेघालय	1.4.04-30.6.04	29	16	शून्य	5	शून्य
		1.7.04-30.9.04	32	10	शून्य	4	शून्य
		1.10.04-31.12.04	42	17	शून्य	3	शून्य
		1.1.05-31.3.05	162	135	शून्य	3	शून्य
19.	मिजोरम	1.4.04-30.6.04	19	33	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.04-30.9.04	15	31	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.04-31.12.04	17	31	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.05-31.3.05	17	29	शून्य	शून्य	शून्य
20.	नागालैण्ड	1.4.04-30.6.04	30	11	-	-	-
		1.7.04-31.12.04 1.1.05-31-3.05	29	8	-	-	-
21.	उड़ीसा	1.4.04-30.6.04	17279	103	10	298	83,516
		1.7.04-30.9.04	20057	436	24	753	मि.का.ते., चावल, गेहूं-24,37,706
		1.10.04-31.12.04	20990	287	33	589	मि.का.ते., चावल, चीनी-16,75,472
		1.1.05-31.3.05	20242	824	44	1051	मि.का.ते., चावल, गेहूं-19,45,311
22.	पंजाब	1.4.04-30.6.04	7708	9730	12	150	-
		1.7.04-30.9.04	8523	12391	2	223	-
		1.10.04-31.12.04	7690	10795	1	125	-
		1.1.05-31.3.05	8356	9915	3	256	-

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	1.4.04-30.6.04	71	2	10	0	6.77 लाख
		1.7.04-30.9.04	2	0	13	0	9.33 लाख
		1.10.04-31.12.04	10	0	12	1	5.06 लाख
		1.1.05-31.3.05	66	0	15	7	10.03 लाख
24.	सिक्किम	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.05-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
25.	तमिलनाडु	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.05-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
26.	त्रिपुरा	1.4.04-30.6.04	1866	15	शून्य	1 निलंबित 1 रद्द 33 का.ब.नो.	भरे हुए सिलेन्डरों की संख्या-256 रु. 71,778
		1.7.04-30.9.04	1966	10	शून्य	1 निलंबित 1 रद्द 30 का.ब.नो.	चावल-100 कि.ग्रा., चावल-320 कि.ग्रा. रु. 26,032
		1.10.04-31.12.04	1994	13	1 गिरफ्तार	1 निलंबित 1 रद्द 40 का.ब.नो.	मि.का.ते.-200 ली., एचएसडी-66 ली. चावल 83 कि.ग्रा. 50,335 रु.
		1.1.05-31.3.05	2277	18	शून्य	2 रद्द 54 का.ब.नो.	मि.का.ते.-1617 ली. 26,245 रु.
27.	उत्तरांचल	1.4.04-30.6.04 1.7.04-30.9.04 1.10.04-31.12.04 1.1.05-31.3.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	1.4.04-30.6.04	20527	925	13	6023	758,782
		1.7.04-30.9.04	27857	1167	21	787	3,583,055
		1.10.04-31.12.04	12225	3000	52	283	9,487,432
		1.1.05-31.3.05	28795	994	30	621	2,918,660
29.	पश्चिम बंगाल	1.4.04-30.6.04	680	112	86-गिरफ्तार 74-अभियोजित 2-दोष सिद्ध	38-निलंबित 18-रद्द 106-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 12,70,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.7.04-30.9.04	756	97	50-गिरफ्तार 45-अभियोजित शून्य-दोष सिद्ध	36-निलंबित 18-रद्द 160-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 2,93,170
		1.10.04-31.12.04	760	72	40-गिरफ्तार 39-अभियोजित 1-दोष सिद्ध	18-निलंबित शून्य-रद्द 90-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 9,06,000
		1.1.05-31.3.05	800	92	32-गिरफ्तार 23-अभियोजित 1-दोष सिद्ध	17-निलंबित शून्य-रद्द 72-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 1,06,000
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.4.04-30.6.04	81	शून्य	शून्य	2	शून्य
		1.7.04-30.9.04	126	शून्य	शून्य	30	शून्य
		1.10.04-31.12.04	33	शून्य	शून्य	05	शून्य
		1.1.05-31.3.05	सुनामी के राहत कार्य के कारण कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।	सुनामी के राहत कार्य के कारण कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।	सुनामी के राहत कार्य के कारण कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।	सुनामी के राहत कार्य के कारण कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।	सुनामी के राहत कार्य के कारण कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
31.	चंडीगढ़	1.4.04-30.6.04	18	1	1	4 उ.द.दु. लाइसेंस निलंबित 4 का.ब.नो. जारी किए गए	30 ली. मि.का.ते.-282
		1.7.04-30.9.04	19	-	-	-	-
		1.10.04-31.12.04	18	-	-	-	-
		1.1.05-31.3.05	21	-	-	7 का.ब.नो. जारी किए गए	-
32.	दादर और नगर हवेली	1.4.04-30.6.04	23	-	-	-	-
		1.7.04-30.9.04	15	-	-	-	-
		1.10.04-31.12.04	19	1	1	-	सा.वि.प्र. के मिट्टी के
		1.1.05-31.3.05	24	-	-	-	तेल की कीमत-3,971
33.	दमन व दीव	1.4.04-30.6.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.04-30.9.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.04-31.12.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.05-31.3.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	1.4.04-30.6.04	नियमित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.40-30.9.04	आधार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.04-31.12.04	निरीक्षण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.05-31.3.05	किए गए।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	1.4.04-30.6.04	464	28	6	33	पैट्रोल-5,682 डीजल-2,373
		1.7.04-30.9.04	435	29	1	22	राशन चावल-1,00,000 मि.का.ते.-15,465
		1.10.04-31.12.04	409	71	17	34	पैट्रोल-13,195 डीजल-11,892 मि.का.ते.-14,932 चावल-5,785
		1.1.05-31.3.05	1157	59	7	20	मि.का.ते.-31,739 डीजल-8,583 पैट्रोल-1,440

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 8 और 9 के तहत की गई कार्रवाई

वर्ष 2005-06 के लिए (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समाप्त तिमाही	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए/अभियोजित/ दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकानों के निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंसों और कारण बताओ नोटिसों की संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का प्रकार और मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.4.05-30.6.05	3203	3203	2	172	आवश्यक वस्तु-57,54,524
		1.7.05-30.9.05	2768	2768	7	107	आ.व.-19,58,442
		1.10.05-31.12.05	3177	3177	1	128	आ.व.-19,27,287
		1.1.06-31.3.06	2089	2089	शून्य	13	आ.व.-7,08,401
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.4.05-30.6.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
		1.7.05-30.9.05					
		1.10.05-31.12.05					
		1.1.06-31.3.06					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1.4.05-30.6.05	410	357	37	11	1702 ली. मिट्टी का तेल-15,810 चावल-500 क्विंटल-5,000
		1.7.05-30.9.05	379	311	73	16	18029 ली., मि. का ते. 164,065
		1.10.05-31.12.05	850	847	12	19	1900 ली., मि. का ते. 12,805
		1.1.06-31.3.06	322	309	24	22	1475 ली., मि. का ते. 13,334
4.	बिहार	1.4.05-30.6.05	16559	236	3	1005	5679.87 क्विंटल चावल 3469.79 क्विंटल गेहूं 386 ली., मि. का ते. 300 सिलेन्डर एलपीजी 1.05 क्विंटल चीनी
		1.7.05-30.9.05	15708	15	1	818	8116 क्विंटल चावल 3751.18 क्विंटल गेहूं 3500 ली., मि. का ते.
		1.10.05-31.12.05	12272	37	22	1535	24.74 क्विंटल चावल 2554 ली., मि. का ते. 50 ली. डीजल 30 ली. डीजल 25 सिलेन्डर एलपीजी
		1.1.06-31.3.06	16093	122	1	1241	615 पैकेट चावल 1621 क्विंटल चावल 5050 ली., मि. का ते. 176 क्विंटल गेहूं
5.	छत्तीसगढ़	1.4.05-30.6.05 1.7.05-30.9.05 1.10.05-31.12.05 1.1.06-31.3.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
6.	दिल्ली	1.4.05-30.6.05	70	20	7	7	634 क्विंटल
		1.7.05-30.9.05	130	62	46	42	
		1.10.05-31.12.05	49	25	14	8	
		1.1.06-31.3.06	147	15	9	7	
7.	गोवा	1.4.05-30.6.05	11	शून्य	शून्य	1	शून्य
		1.7.05-30.9.05	28	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.05-31.12.05	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.06-31.3.06	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुजरात	1.4.05-30.6.05	5787	6	68	31	442,229
		1.7.05-30.9.05	6582	5	39	23	793,233
		1.10.05-31.12.05	3792	5	32	14	103,552
		1.1.06-31.3.06	4975	4	66	18	306,201
9.	हरियाणा	1.4.05-30.6.05	972	161	6 गिरफ्तार 14 अभियोजित	150 लाइसेंस निलंबित 105 रद्द 534 का.ज्ञ.नो. जारी किए गए	जब्त किए गए वस्तुओं का मूल्य 1,28,568/- रु. जब्त की गई प्रतिभूति की राशि-2,50,400/-
		1.7.05-30.9.05	375	132	25 गिरफ्तार 5 अभियोजित	134 लाइसेंस निलंबित 53 रद्द 378 का.ज्ञ.नो. जारी किए गए	जब्त किए गए वस्तुओं का मूल्य 46,667 जब्त की गई प्रतिभूति की राशि-2,15,950
		1.10.05-31.12.05	396	118	2 गिरफ्तार 5 दोष सिद्ध	113 निलंबित 58 रद्द 410 का.ज्ञ.नो. जारी किए गए	जब्त किए गए वस्तुओं का मूल्य 37,986 जब्त की गई प्रतिभूति की राशि-2,05,550/-
		1.1.06-31.3.06	555	105	2 गिरफ्तार 2 अभियोजित	120 लाइसेंस निलंबित 54 रद्द 426 का.ज्ञ.नो. जारी किए गए	जब्त किए गए वस्तुओं का मूल्य 8,232/- जब्त की गई प्रतिभूति की राशि-2,48,450
10.	हिमाचल प्रदेश	1.4.05-30.6.05	1566	शून्य	1 गिरफ्तार	20	22,428
		1.7.05-30.9.05	1568	शून्य	शून्य	26	58,713
		1.10.05-31.12.05	1544	शून्य	1 गिरफ्तार	28	27,900
		1.1.06-31.3.06	1611	शून्य	शून्य	30	69,100
11.	जम्मू-कश्मीर	1.4.05-30.6.05	380	230	92	6	सूचित नहीं
		1.7.05-30.9.05	394	207	139	6	
		1.10.05-31.12.05	360	244	160	4	
		1.1.06-31.3.06	663	390	209	4	
12.	झारखंड	1.4.05-30.6.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
		1.7.05-30.9.05					
		1.10.05-31.12.05					
		1.1.06-31.3.06					

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	1.4.05-30.6.05	277	15	9	28	2,807,038
		1.7.05-30.9.05	1270	44	22	63	4,982,339
		1.10.05-31.12.05	1331	11	60	32	2,614,666
		1.1.06-31.3.06	674	23	13	15	3,403,061
14.	केरल	1.4.05-30.6.05	38799	1246	2	26 निलंबित	940 ली., मि. का ते. 170 एलपीजी 60 ली. पैट्रोल 50 ली. डीजल- 10,090
		1.7.05-30.9.05	29584	1621	2 अभियोजित	21 निलंबित	769 एलपीजी 50 ली., मि. का ते.
		1.10.05-31.12.05	33410	1685	-	32 निलंबित 1 रद्द	1931 एलपीजी 635 ली., मि. का ते.
		1.1.06-31.3.06	33948	622	-	40 निलंबित 21 रद्द	449 एलपीजी
15.	मध्य प्रदेश	1.4.05-30.6.05 1.7.05-30.9.05 1.10.05-31-12.05 1.1.06-31.3.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1.4.05-30.6.05	उ.न.	452	701 गिरफ्तार 389 अभियोजित	उ.न.	164,748,702.20
		1.7.05-30.9.05	उ.न.	656	1015 गिरफ्तार 478 अभियोजित	उ.न.	77,819,193.50
		1.10.05-31.12.05	उ.न.	806	1116 गिरफ्तार 708 अभियोजित	उ.न.	3,644,846,613
		1.1.06-31.3.06	उ.न.	557	867 गिरफ्तार 582 अभियोजित	उ.न.	16,037,341
17.	मणिपुर	1.4.05-30.6.05 1.7.05-30.9.05 1.10.05-31.12.05 1.1.06-31.3.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
18.	मेघालय	1.4.05-30.6.05	121	29	7	10	724 ली. मि. का नीला तेल
		1.7.05-30.9.05	84	28	शून्य	4	शून्य
		1.10.05-31.12.05	52	29	शून्य	5	22 रिफिल व खाली सिलेन्डर प्रत्येक
		1.1.06-31.3.06	321	15	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मिजोरम	1.4.05-30.6.05	15	30	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.05-30.9.05	11	37	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.05-31.12.05	12	35	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.06-31.3.06	17	14	शून्य	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	1.4.05-30.6.05					
		1.7.05-31.12.05	31	12	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.06-30.6.06	33	11	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उड़ीसा	1.4.05-30.6.05	19598	320	18	567	मि. का ते., चावल, चीनी-16,97,735
		1.7.05-30.9.05	20081	286	63	986	-वही- 25,51,489
		1.10.05-31.12.05	17909	414	24	619	-वही- 44,24,468
		1.1.06-31.3.06	19039	261	41	556	-वही- 7,47,633
22.	पंजाब	1.4.05-30.6.05	8621	10436	3	252	-
		1.7.05-30.9.05	8968	12243	1	313	-
		1.10.05-31.12.05	7483	10661	4	211	-
		1.1.06-31.3.06					
23.	राजस्थान	1.4.05-30.6.05	69	3	9	0	23.32 लाख
		1.7.05-30.9.05	58	38	79	34	29.96 लाख
		1.10.0.05-31.12.05	127	26	70	10	28.37 लाख
		1.1.06-31.3.06	87	23	14	7	16.86 लाख
24.	सिक्किम	1.4.05-30.6.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
		1.7.05-30.9.05					
		1.10.05-31.12.05					
		1.1.06-31.3.06					
25.	तमिलनाडु	1.4.05-30.6.05	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
		1.7.05-30.9.05					
		1.10.05-31.12.05					
		1.1.06-31.3.06					
26.	त्रिपुरा	1.4.05-30.6.05	2642	16	1 गिरफ्तार 4 रद्द 54 का.ब.नो. जारी किए गए	4 निलंबित	मि. का ते.-400 ली., चीनी-200 कि.ग्रा., चावल-2000 कि.ग्रा., रु. 66,983
		1.7.05-30.9.05	2508	26	2 गिरफ्तार 45 का.ब.नो. जारी किए गए	2 निलंबित	मि. का ते.-175 ली., एचएसडी-600 ली., रु. 33,564

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.10.05-31.12.05	2409	24	शून्य	34 का.ब.नो. जारी किए गए	मि. का ते.-1730 ली., रु. 23,408
		1.1.06-31.3.06	2357	9	शून्य	2 निलंबित 2 रद्द 40 का.ब.नो. जारी किए गए	मि. का ते.-120 ली., एमएस-30 ली. रु. 3,219
27.	उत्तरांचल	1.4.05-30.6.05 1.7.05-30.9.05 1.10.05-31.12.05 1.1.06-31.3.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	1.4.05-30.6.05	22635	1209	32	496	9,487,164
		1.7.05-30.9.05	17943	2829	50	539	3,945,033
		1.10.05-31.12.05	21517	1924	52	1174	3,691,243
		1.1.06-31.3.06	22628	2175	49	1158	14,673,879
29.	पश्चिम बंगाल	1.4.05-30.6.05	360	106	50-गिरफ्तार 40-अभियोजित 2-दोष सिद्ध	36-निलंबित 18-रद्द 136-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 2,96,000
		1.7.05-30.9-05	410	139	67-गिरफ्तार 52-अभियोजित 2-दोष सिद्ध	54-निलंबित 18-रद्द 108-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 3,76,000
		1.10.05-31.12.05	540	105	52-गिरफ्तार 38-अभियोजित 2-दोष सिद्ध	18-निलंबित 36-रद्द 154-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 3,28,000
		1.1.06-31.3.06	790	108	61-गिरफ्तार 22-अभियोजित शून्य-दोष सिद्ध	18-निलंबित शून्य-रद्द 90-का.ब.नो. जारी किए गए	रु. 42,253
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.4.05-30.6.05	56		शून्य	1	शून्य
		1.7.05-30.9.05	43	शून्य	शून्य	5	शून्य
		1.10.05-31.12.05 1.1.06-31.3.06	06	शून्य	शून्य	शून्य	सुनामी में राहत और पुनर्वास कार्य के कारण कम निरीक्षण किए गए।

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चंडीगढ़	1.4.05-30.6.05	25	1	1	5 का.ब.नो. जारी किए गए	13 किलोलीटर ए.टी.एफ. खपत-3,900/-
		1.7.05-30.9.05	20	-	-	6 का.ब.नो. जारी किए गए	-
		1.10.05-31.12.05	23	-	-	6 का.ब.नो. जारी किए गए	-
		1.1.06-31.3.06	24	-	-	12 का.ब.नो. जारी किए गए	-
32.	दादर व नगर हवेली	1.4.05-30.6.05	21	-	-	का.ब.नो. जारी किए गए/1	-
		1.7.05-30.9.05	26	-	-	-	-
		1.10.05-31.12.05	20	-	-	-	-
		1.1.06-31.3.06	20	-	-	का.ब.नो. जारी किए गए/1	-
33.	दमन व दीव	1.4.05-30.6.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.05-30.9.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.05-31.12.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.06-31.3.06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	लक्षद्वीप	1.4.05-30.6.05	नियमित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.7.05-30.9.05	आधार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.10.05-31.12.05	निरीक्षण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		1.1.06-31.3.06	किए गए।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	1.4.05-30.6.05	1097	65	8	3	सा.वि.प्र. का मि. का ते.-40,000 मि. का ते.-900 पैट्रोल-5,707 डीजल-7,442
		1.7.05-30.9.05	846	68	8	2	पैट्रोल-6,926 डीजल-6,470 चावल-400 मि. का ते.-23,815
		1.10.05-31.12.05	796	70	15	2	पैट्रोल-8,630 डीजल-25,357 चावल-2,500 खाली सिलेन्डर-38,500
		1.1.06-31.3.06	850	62	4	1	डीजल-4,400 पैट्रोल-3,300

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 8 और 9 के तहत की गई कार्रवाई

वर्ष 2006-07 के लिए (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समाप्त तिमाही	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए/अभियोजित/ दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकानों के निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंसों और कारण बताओ नोटिसों की संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का प्रकार और मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.4.06-30-6.06 1.7.06-30.9.06	5180	1889	41	77	17,49,630
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
3.	असम	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
4.	बिहार	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	9338	16	-	497	87.3 क्विंटल गेहूं 462-45 ली.-चावल 6659 ली. मि. का ते.
5.	छत्तीसगढ़	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
6.	दिल्ली	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06 1.10.06-31.12.06	208 153	19 28	15 गिरफ्तार 22 गिरफ्तार	14 निलंबित 154 का.ब.नो. जारी किए गए 38 निलंबित/रद्द 108 का.ब.नो. जारी किए गए	15 गैस सिलेन्डर 2460 ली. मि. का ते. 139 क्विंटल गेहूं 58-घरेलू गैस सिलेन्डर 4-प्रोटोमैक्स गैस सिलेन्डर
7.	गोवा	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	24 32	2 3	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
8.	गुजरात	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
9.	हरियाणा	1.4.06-30.6.06	585	100	3-गिरफ्तार 2-अभियोजित	137-निलंबित 76-रद्द 616-का.ब.नो. जारी किए गए	जब्त किए गए वस्तुओं का मूल्य-85000 जब्त की गई प्रतिभूति की राशि-3,17,080

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.7.06-30.9.06	635	115	1-गिरफ्तार 1-अभियोजित	119-निलंबित 134-रद्द 584-का.ब.नो. जारी किए गए	जब्त किए गए वस्तुओं का मूल्य-57600 जब्त की गई प्रतिभूति की राशि-3,94,350
10.	हिमाचल प्रदेश	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	1681	उ.न.	3	उ.न.	रु. 34,482
11.	जम्मू-कश्मीर	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
12.	झारखंड	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
14.	केरल	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	41235	508	3	41 निलंबित 1 रद्द	14.5 क्विंटल चावल 2955 ली. मि. का ते. 187-गैस सिलेन्डर रु. 11,884
15.	मध्य प्रदेश	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
17.	मणिपुर	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
18.	मेघालय	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
19.	मिजोरम	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
20.	नागालैंड	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
21.	उड़ीसा	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
22.	पंजाब	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
23.	राजस्थान	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	सिक्किम	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
25.	तमिलनाडु	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
26.	त्रिपुरा	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
27.	उत्तरांचल	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	.1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
29.	पश्चिम बंगाल	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06 1.10.06-31.12.06	62 47 260	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	10 8 7 (1 निलंबित, 5 का.ब.नो. जारी किए गए)	शून्य शून्य शून्य
31.	चंडीगढ़	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	18	शून्य	शून्य	7 का.ब.नो. जारी किए गए	शून्य
32.	दादरा व नगर हवेली	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दमन व दीव	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	1.4.06-30.6.06 1.7.06-30.9.06 1.10.06-31.12.06	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
35.	पांडिचेरी	1.4.06-30.6.06	429	27	6	0	मि. का ते.-7,400 पैट्रोल-3,776 डीजल-2,370
		1.7.06-30.9.06	408	14	9	6(3 उ.द.द्र. निलंबित और (पांडिचेरी में 3 उ.द.द्र. को का.ब.नो. जारी किए गए)	मि. का ते.-1,547 पैट्रोल-5,695.55 डीजल-7,436

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

39. **श्री काशीराम राणा:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभागीय सतर्कता में ढील के चलते भारतीय खाद्य निगम में वित्तीय अनियमितताएं तथा कुप्रबंध चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सतर्कता को और प्रभावी बनाने तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए तरीका खोजने हेतु कोई जांच/अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुदेशों/परिपत्रों की गहराई से जांच की गई थी। सतर्कता में सुधार करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम का सतर्कता प्रभाव भ्रष्टाचार के क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखे हुए है और वह निगम के कर्मचारियों द्वारा अनियमितताओं और कुप्रबंधन के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सभी उपाय कर रहा है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सतर्कता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए पग

(1) प्रथम आदम-प्रथम निर्गम (फसल वर्ष) के स्थान पर वसूली क्षेत्र में वसूली की तारीख के संदर्भ में प्रथम आदम-प्रथम निर्गम को रखा गया है।

(2) लेवल प्लेयिंग फील्ड रखने के लिए 2 बोली की निविदा प्रणाली।

(3) उचित प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर व्यापक प्रचार।

(4) सफल निविदाकर्ताओं के नाम और दरों आदि के साथ निविदाओं के परिणामों को वैबसाइट पर रखना।

(5) डिपु निरीक्षण मानीटरिंग सैल का गठन करना।

(6) निम्नलिखित की गहराई से जांच और उन पर समय से कार्रवाई करना:-

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(ग) सी.टी.ई. निरीक्षणों की निगरानी

(7) कार्यकाल पूरा होने पर रोटेशन में स्थानांतरण-

रोटेट किए गए कर्मचारियों की संख्या

2004	-	1268
2005	-	3670
2006	-	1750

(8) भारतीय खाद्य निगम में (क) हैंडलिंग और ढुलाई ठेकों (ख) खरीदारी प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन।

(9) शिकायतों और सतर्कता मामलों के निपटान की प्रगति की मानीटरिंग।

(10) निम्नलिखित पर अधिकारियों की निगरानी:-

(क) सहमति सूची-82 (श्रेणी-1, 2 अधिकारी)

(ख) संदेहास्पद निष्ठा वालों की सूची-442 (श्रेणी-1, 14 अधिकारी)

(11) निम्न की पहचान करना-

(क) उच्च हानि वाले भंडारण डिपु

(ख) मार्गस्थ हानियों वाले उच्च हानि वाले रेल शीर्ष

(ग) बार-बार घटिया/खराब गुणवत्ता के चावल की वसूली करने वाले डिपु/केन्द्र (उदाहरण के लिए फरीदकोट, पंजाब का मुक्तसर केन्द्र)

(12) भारतीय खाद्य निगम को आदतन घटिया/खराब गुमवत्ता का चावल देने का अपराध करने वालों (चावल मिल-

मालिक) की पहचान की गई और पंजाब के 330 चावल मिल-मालिकों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले दर्ज किए गए।

(13) उपर्युक्त प्रचलनात्मक केंद्रों की गहन जांच।

(14) कम्प्यूटरों का व्यापक उपयोग, ई.सी.एस. के जरिए भुगतान, नकद में भुगतान पर प्रतिबंध।

(15) यांत्रिक तौल सेतुओं का इलेक्ट्रानिक तौल सेतुओं में उन्नयन (617 में से 315 का उन्नयन कर दिया गया है)।

(16) आई.एस.ओ. 9001-2000 के अनुसार रिकार्डों का रखरखाव, पारदर्शिता, दक्षता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग।

(17) ईमानदारी की संस्कृति विकासित करना-दोषियों को सजा देना और ईमानदार/उत्कृष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।

(18) पशुचारा स्टाक में परिवर्तित होने/निपटान की जांच करने के लिए विशिष्ट अनुदेश।

उपर्युक्त प्रयासों के कारण निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं-

1. भंडारण और मार्गस्थ हानियां, जो 2004-05 के दौरान 0.53 प्रतिशत थी 2005-06 के दौसन घटकर 0.36 प्रतिशत रह गई जो धनराशि के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए की बचत है।

2. गुणवत्ता संबंधी शिकायतों में अत्यधिक गिरावट, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

फसल वर्ष	गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की संख्या
2004-05	450
2005-06	20
2006-07	शून्य

पर्यावरणीय अदालतों में लंबित मामले

40. डा. धीरेंद्र अग्रवाल
श्री सुशिल कुमार महतो:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरणीय अदालतों में दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है तथा आज की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन मामलों के निबटान में विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) देश में अब तक पर्यावरण न्यायालय स्थापित नहीं किए गए है।

(ख) देश में किसी भी न्यायालय का पर्यावरणीय मामलों पर एकमात्र न्यायधिकार नहीं है पर्यावरण से संबंधित मामलों के निपटान में प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है।

(ग) विधि आयोग ने अपनी 186वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत अपील के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के अलावा पर्यावरणीय विवादों से निपटने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को शामिल करके राज्य स्तर पर ''पर्यावरण न्यायालय'' स्थापित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कपास उत्पादकों को सहायता

41. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास के किसान फसल खराब होने के कारण अत्यधिक कठिनाई अनुभव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार दर्ज की गई हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष तथा चालू वर्ष में संकट से निपटने के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की है/ प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार प्रदान की गई राशि तथा इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) वर्ष 2006-07 के दौरान कपास उत्पादक किसी भी राज्य से कपास की फसल के न होने की सूचना नहीं मिली है। कपास की उत्पादकता और उत्पादन सतत बढ़ रहा है। कपास का उत्पादन 2000-01 के 95-24 लाख गांठों से बढ़कर 2006-07 में लगभग 209.64 लाख गाठें हो गया है। संगत अवधि का उत्पाद भी 190 कि.ग्रा. लिंट प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 389 कि.ग्रा. लिंट प्रति हैक्टेयर हो गया है।

वाहनों में सी एन जी/रसोई गैस का उपयोग

42. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में सीएनजी की सफलता तथा अन्य प्रदूषित शहरों द्वारा सी एन जी/रसोई गैस के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद रसोई गैस/सीएनजी के उपयोग के लिए शहरों के नामों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(घ) क्या कार्ययोजना की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है; और

(ङ) ये शहर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के लिए सी एन जी/ रसोई गैस का कब तक उपयोग करने लगेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने विभिन्न आदेशों में देश के 16 अत्यधिक प्रदूषित शहरों की पहचान की है। ये शहर हैं:- अहमदाबाद, कानपुर, शोलापुर, लखनऊ, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, वाराणसी, झरिया, फरीदाबाद, पटना, जोधपुर, पुणे, मुम्बई और कोलकाता। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, इन 16 शहरों में से, सात शहरों अर्थात अहमदाबाद, कानपुर शोलापुर, लखनऊ, बंगलौर, चेन्नई और हैदराबाद की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में गठित की गई पर्यावरणीय प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जा रही है। सात शहरों, अर्थात, आगरा, झरिया, वाराणसी फरीदाबाद, पटना, जोधपुर और पुणे के लिए कार्ययोजनाओं की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानीटरी की जा रही है। कोलकाता और मुम्बई के लिए कार्ययोजनाओं की मानीटरी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जा रही है। इन कार्य योजनाओं में किए गए उपायों में से एक उपाय स्वच्छतर ईंधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) में परिवर्तित करना है। उपरोक्त 16 शहरों में सी एन जी/एल पी जी की आटोमोटिव फ्यूल के रुप में क्रियान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है।

[हिन्दी]

पैकेटों में कम मात्रा

43. श्री रामदास आठवले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियों के खिलाफ मूल मूल्य टैग के अनुसार शुल्क वसूल किए जाने लेकिन कम मात्रा में पैकिंग करने की शिकायत प्राप्त हुई है जैसाकि 17 जनवरी, 2007 के 'नवटाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। दिनांक 17 जनवरी, 2007 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ उतने ही मूल्य के लिए कम मात्रा पैक करने वाली कम्पनियों का उल्लेख किया गया है। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों में यह व्यवस्था है कि विनिर्माता पैकेज पर अन्य बातों के साथ-साथ खुदरा बिक्री मूल्य और निवल मात्रा घोषित करे। पैकेज पर इस प्रकार घोषित किए गए मूल्य विनिर्माता द्वारा तय किए जाते हैं। समाचारों में उल्लिखित ''पारले'' बिस्कुट और ''फेना'' डिटरजैंट के पैकेजों की जांच की गई और यह पाया गया कि उन पर खुदरा बिक्री मूल्य और निवल मात्रा की घोषणा की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

''सिमलीपाल'' रिजर्व का विकास

44. श्री सुदाम मरन्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सिमलापाल वन को विकसित करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिमलीपाल तथा दरीन बारी वन को राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा आज की तिथि तक आवंटित की गई धनराशि तथा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। सिमलीपाल बाघ रिजर्व की वर्ष 1973-74 के दौरान 2750 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर घोषणा की गई है।

(ग) से (ङ) राज्य ने सिमलीपाल बाघ रिजर्व के लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर को बाघ अभयारण्य घोषित किया है और बाद में उसी के लगभग 845.70 वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित करने की परिकल्पना की है। मंत्रालय को दरीन बारी वन की राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किए जाने के राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सिमलीपाल बाघ रिजर्व को आवंटित निधि और राज्य द्वारा प्रयोग की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	जारी 2004-05	*उपयोग की गई 2004-05	जारी 2005-06	उपयोग की गई 2005-06
1.	सिमलीपाल	116.4395	149.949	80.00	104.65

*स्कीम के अंतर्गत केन्द्र के साथ ही साथ राज्य के आवंटन का प्रयोग शामिल है।

[हिन्दी]

एक सींग वाले गैंडों की संख्या

45. **श्री मोहन सिंह:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार काजीरंगा पार्क को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) प्रत्येक वर्ष के अंत में उक्त राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडों, हाथियों तथा अन्य दुर्लभ वन्य प्राणियों की क्या संख्या थी; और

(ग) पार्क के विकास तथा रख रखाव तथा एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्कीम-वार, प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	
		राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास (लाख रु.)	हाथी परियोजना (लाख रु.)
1.	2003-04	50.00	1.80
2.	2004-05	153.00	11.45
3.	2005-06	83.60	8.84

(ख) की गई विभिन्न गणनाओं के आधार पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा, हाथी और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और हाथी परियोजना के अधीन केन्द्रीय सरकार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास और रखरखाव के लिए असम सरकार को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उद्यान के विकास और रखरखाव और एक सींग वाले गैंडे की संख्या में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. फ्रन्ट लाईन स्टाफ द्वारा शिकार विरोधी गश्त लगाना।
2. बाढ़ के मौसम में बाढ़ में फंसे हुए पशुओं के लिए आश्रय हेतु ऊंटे प्लेटफार्म का निर्माण करना।
3. वास-स्थलों का सुधार करना।
4. अवसंरचना में वृद्धि करना।
5. नमभूमियों की वीड़िग, डिस्लिटिंग आदि से आश्रय स्थल परिचालन।
6. क्षमता निर्माण करना और माननीय संसाधनों में सुधार करना।
7. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरुकता उत्पन्न करना।

विवरण

गणना का वर्ष	पशु	संख्या
2001	जंगली भैंस	1431
2005	हाथी	1940
2006	गैंडा	1855
2000	बाघ	85
2006	हॉग डियर	5374
2006	स्वैम्प डियर	815

[अनुवाद]

वन्य जीव संरक्षण हेतु निधि

46. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड धनराशि प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वर्ष 1972 में प्रकाशित भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्टाक फोर्स रिपोर्ट, जो बाघ परियोजना के आधार का स्वरूप है, के अनुसार इस परियोजना को राज्य और केन्द्र सरकार के बीच सक्रिय सहयोग के आधार पर पूरी तरह से भारतीय प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। विश्व वन्यजीव निधि जैसे कुछ अन्तरराष्ट्रीय संगठन आयोजन, निधियन और इसके पक्ष में लोगों के मत जानने के लिए जुड़े हुए थे। यद्यपि विश्व वन्यजीव निधि इस समय बाघ परियोजना के लिए केन्द्र सरकार को कोई निधि उपलब्ध नहीं करवा रही है।

लाभार्थियों की सूची की पुनरीक्षा

47. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से जाली राशन कार्ड को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों तथा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत धन का अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने लीकेज को रोकने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(च) कब तक शेष राज्य ऐसा तंत्र स्थापित कर लेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए है। विवरण के कालम 1 द्वारा)

(ग) और (घ) जी, हां। लिकेज को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों हेतु 9 बिन्दुओं की एक कार्य योजना तैयार की है ताकि वे इस पर निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकें:-

1. राज्यों को तीन माह के अंदर जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।
2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के खंड 9 के अधीन मांगी गई सूचना भी भेजी जाए।
3. पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाए, लाइसेंस स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि को दिए जाएं।
4. सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जानी चाहिए।
5. खाद्यानें का राज्य-वार और उचित दर दुकान-वार आवंटन वैबसाइट और अन्य प्रमुख स्थानों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि जनता इसकी संवीक्षा कर सके।
6. जहां कहीं संभव हो, राज्यों द्वारा समान की ढुलाई करने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों/थोक विक्रेताओं को अनुमति देने के बजाय खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
7. उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और राशन कार्डधारकों के लिए वितरण की निर्धारित तारीखें सुनिश्चित की जानी चाहिए।
8. उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण किया जाए।

इसके अलावा, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए निधियों का इलेक्ट्रानिक अंतरण लागू करने के लिए भी पग उठाए हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों/वाहनों के आगे के शीशे पर तथा पीछे की ओर बैनर/बोर्ड लगाने के अनुदेश जारी किए हैं जिनमें राज्य सरकार, गंतव्य, जिन्स और एजेंट के नाम के ब्यौरे दिए जाएं।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 9 बिंदुओं की कार्य योजना पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई के 9 बिन्दुओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग.रे.नी./अं.अ.यो. की सूची की समीक्षा	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करना	पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करना	उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूची प्रदर्शित करना	खाद्यान्नों का जिला और उचित दर दुकान-वार आवंटन जनता की संवीक्षा के रूप में वैबसाइट पर डालना	खाद्यान्नों को द्वार पर सुपुर्दगी	उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता	उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	चरणबद्ध ढंग से समीक्षा की जा रही है। चरण-1 में हैदराबाद जिले को छोड़कर राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है। चरण-2 में हैदराबाद जिले को लिया गया है। चरण-3 में राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र लिए गए हैं।	बार कोडेड कूपन प्रणाली प्रचलन में है जिसमें परिवार के सदस्यों को गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को जारी परिवार फोटो कार्ड सहित इसे प्रस्तुत करना होता है ताकि उचित दर दुकान वाला कार्ड पर फोटो देख सके, प्रस्तुतकर्ता को पहचान सके, उस माह के लिए	खाद्य परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन किया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुख भूमिका दी गई है।	भेजी नहीं गई।	उचित दर दुकान के लिए आवंटन और उठान की सम्पूर्ण सूचना विभाग की वैबसाइट पर रखने के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।	राज्य में द्वार पर सुपुर्दगी की प्रणाली का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार 720 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की राज-सहायता वहन कर रही है।	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न असुरक्षित सभी लोगों को कवर करने की जरूरत को न्यायोचित मानते हुए माह की शुरूआत से 7 दिन के अंदर माह का कोटा उठाने और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित द्वार पर सुपुर्दगी की पद्धति है।	भेजी नहीं गई।	राज्य सरकार ने भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			कूपन एकत्र कर सके जिसमें सुपुर्दगी की गई है।							
2.	अरुणाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं								
3.	असम	सूचना प्राप्त नहीं								
4.	बिहार	समीक्षा की जा रही है।	खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए सुपुर्दगी केन्द्रों पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लीकेज मुक्त रखने के लिए गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए कूपन प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है।	इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।	वैबसाइट पर किया जा रहा है।	राज्य खाद्य निगम को ब्लाक मुख्यालय पर खाद्यान्न सपुर्द करने का काम सौंपा गया है। उचित दर दुकान पर सुपुर्दगी करने के प्रयास किए जाएंगे।	आवश्यक पग उठाए गए हैं।	भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।	भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	सर्वेक्षण किया और अपात्र कार्ड समाप्त किए।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अधीन कार्रवाई की जाती है।	फिलहाल उचित दर दुकानें पंचायती राज संस्थाओं, महिला स्वयंसेवी संगठन, सहकारी समितियों आदि द्वारा चलाई जाती है।	उचित दर दुकानों पर लाभार्थियों की सूचियां प्रदर्शित की जाती हैं।	इस प्रयोजनार्थ वैबसाइट का विकास किया जा रहा है।	राज्य सरकार, निगम और प्रमुख एजेंसियां, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की सुपुर्दगी कर रही हैं।	एक अनुसूची तैयार की गई है और राज्य में प्रचालित की गई है।	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुसूची तैयार की गई है और टीआरएम स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में जिला स्तर पर हार्डवेयर दे दिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।
6.	दिल्ली	समीक्षा का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।	सयम-समय पर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।	क्रियान्वित की जा रही है।	पहले ही वैबसाइट पर उपलब्ध है।	कंप्यूटरीकरण पूरा होने पर बहुत शीघ्र किया जाएगा।	डीएससीएसी द्वारा समयबद्ध ढंग से उचित दर दुकान के द्वार पर सुपुर्दगी।	एसएफए की समय से सुपुर्दगी और माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्धता सुनिश्चित।	इस संबंध में विभाग में एक कार्यक्रम तैयार किया है।	पहले ही प्रगति में है।
7.	गोवा	सूचना प्राप्त नहीं								
8.	गुजरात	राज्य सरकार ने जाली राशन कार्ड को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए लगातार अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने जनवरी, 2006	राज्य सरकार ने खाद्यान्नों का लीकेज रोकना सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ विभिन्न कड़ी कार्रवाइयां की हैं। अप्रैल, 2006 से अक्तूबर, 2006 तक 9852 निरीक्षण किए, 688628 रुपये	(i) राज्य सरकार ने ग्राम सतर्कता समितियों का गठन किया और ग्राम के अध्यक्ष के रूप में ग्राम पंचायत के मुखिया को नियुक्त किया। राज्य में पहले ही 13279 ग्राम सतर्कता समितियां कार्यरत हैं और	राज्य सरकार ने राज्य के सभी कलक्टरों को दिनांक 27.9.06 के परिपत्र द्वारा उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित करने के लिए अनुदेश दिए हैं।	राज्य सरकार ने निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति को खाद्यान्नों के जिलावार आवंटन के ब्यौरे वैबसाइट पर रखने के अनुदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला कलक्टरों को	जहां तक राज्य का संबंध है गुजरात में 18000 ग्रामों में लगभग 16000 उचित दर दुकानें उपलब्ध हैं और नई उचित दर दुकानें खोलने का काम प्रगति पर है। सभी उचित दर दुकानों, दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में	राज्य सरकार ने गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने के लिए उचित दर दुकानों के मालिकों को परमिट जारी करने की समयावधि की स्कीम अपनाई है। राज्य सरकार ने परमिट जारी करने और	इस संबंध में राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।	राज्य सरकार ने निम्नानुसार दो प्रस्ताव भेजे हैं- (1) पत्र संख्या एफ पी ए-102006-2221-सी दिनांक 16.10.06 द्वारा 4.94 करोड़ रुपये के लिए आनंद जिले हेतु पायलट परियोजना, (2) पत्र संख्या एफपीएस-1-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		से अक्तूबर, 2006 तक 36262 जाली अपात्र कार्ड समाप्त किए हैं।	सीज किए, 716060 रुपये जब्त किए, 1332 लाइसेंस निलंबित किए, 53 लाइसेंस रद्द किए, 21 न्यायालय मामले चलाए गए।	दिशा निर्देशों के अनुसार बैठकें कर रही हैं। (ii) राज्य सरकार ने तालुक और जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करने के लिए भी आदेश जारी किए। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति पहले ही गठित कर दी गई है। 28.11.06 को एक बैठक भी हुई थी। (iii) राज्य सरकार ने दिनांक 21.8.06 के जीआर द्वारा उचित दर दुकानों के लाइसेंस एसएचजीआर को देने के आदेश जारी किए हैं। उपर्युक्त जीआर द्वारा 21.8.06 के बाद खोली जाने		खाद्यान्नों के आवंटन के तालुकावार और उचित दर दुकानदार ब्यौरे वैबसाइट तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर रखने के अनुदेश भी दिए हैं।	भी दुकानों पर कार्ड धारक सड़क और आवागमन की सुविधाओं के बहुत अच्छे नेटवर्क के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। इस संबंध में जनता को शिकायत नहीं है। अत: राज्य सरकार के विचार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के वितरण की द्वार पर सुपुर्दगी लागू करने की प्रणाली मितव्ययी और भौतिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी और न ही इस राज्य के लिए आवश्यक है।	गोदामों से उठान करने की तारीखें तय की है। तदनुसार, माह की 15 तारीख तक राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। पिछले 2 वर्ष से राज्य द्वारा शुरू की गई यह सर्वोत्तम पद्धति है।		02206-3582-सी दिनांक 21.12.06 द्वारा 33.06 लाख रुपये के लिए मेहसाणा जिले के ऊंझा तालुक हेतु सिम्प्यूटर स्मार्ट कार्ड प्रणाली के लिए पायलट परियोजना।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				वाली उचित दर दुकानों का 50% एसएसजीआर और 50% शिक्षित बेरोजगार युवकों को देने का निर्णय लिया है, पहले उचित दर दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती थी।						
9.	हरियाणा	राशन कार्डों की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है और सभी श्रेणियों को परिवार फोटो जारी किए गए हैं। इसलिए जाली राशन कार्डों का कोई मौका नहीं है	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अधीन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और संगत सूचना नियमित रूप से भारत सरकार भेजी जा रही है।	वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। उचित दर दुकानों के लाइसेंस भी भूतपूर्व सैनिकों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, विकलांग व्यक्तियों आदि को दिए जा रहे हैं।	प्रत्येक उचित दर दुकान पर गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।	इस संबंध में जिला अधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं।	एचएसएफसीसी (कनफेड) प्रत्येक उचित दर दुकान पर द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करता है।	कनफेड के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी उचित दर दुकान पर करनी अपेक्षित होती है।	टीआरएम स्कीम के अधीन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।	मामले पर कार्रवाई की जा रही है और भारत सरकार को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	हिमाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं								
11.	जम्मू-कश्मीर	सूचना प्राप्त नहीं								
12.	झारखंड	सूचना प्राप्त नहीं								
13.	कर्नाटक	सूचना प्राप्त नहीं								
14.	केरल	सूचना प्राप्त नहीं	चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।							
15.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार ने सभी मौजूदा कार्ड रद्द करने और गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के लिए नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है।		राज्य की सभी उचित दर दुकान सहकारी समितियों के पास हैं।	आदेश जारी कर दिए गए हैं और प्रदर्शित की जा रही है।	जिलावार और दुकान वार आवंटन वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।	द्वार पर सुपुर्दगी करने का तंत्र प्रक्रम पर में है।	प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के दौरान लाभार्थियों को वितरण करने के लिए अग्रिम में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।	भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा दी जा रही है।
16.	महाराष्ट्र	सूचना प्राप्त नहीं								
17.	मणिपुर	सूचना प्राप्त नहीं	कदाचार की गतिविधियों में संलिप्त डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।							
18.	मेघालय	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।		राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। अधिक पारदर्शिता के लिए स्वयंसेवी समूहों और सहकारी समितियों को उचित दर दुकान डीलरों के	इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।	राज्य की वैबसाइट पर उपलब्ध है।	चूंकि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है और निधियों की समस्या द्वार पर सुपुर्दगी में रुकावट का एक कारण है। तथापि, राज्य हिमाचल	इस संबंध में पग उठाए गए हैं।	कुछ जिलों और उप खंडों में उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। ऐसे प्रशिक्षण का	इस संबंध में राज्य एनआईसी से उपयुक्त स्कीम तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				रूप में तैनात किया है।			प्रदेश के माडल की जांच कर रहा है क्योंकि दोनों राज्यों में एक ही प्रकार का स्थल है। परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवस्था की वित्तीय निहितार्थों की भी जांच की जा रही है।		वितपोषण करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।	
19.	मिजोरम	उन्होंने हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करना शुरू किया है।	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है।	पारदर्शिता के लिए ग्राम परिषद और ग्राम समितियां खाद्यान्नों के वितरण में शामिल की जाती है।	सभी संबंधित उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जाती है।	फिलहाल विभाग की कोई वैबसाइट नहीं है। यह काम नहीं किया जा सकता है।	वित्तीय स्थिति के कारण द्वार पर सुपुर्दगी करने का तंत्र व्यवहारिक नहीं है।	खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता का प्रचलन है अर्थात ग्रामों में साप्ताहिक और कस्बों में पखवाड़ा	जैसी ही निधियां उपलब्ध होंगी उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।	वित्तीय रूकावटों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटीकरण करना संभव नहीं है।
20.	नागालैण्ड	समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अधीन कार्रवाई की जाती है।	ग्राम परिषद को उचित दर दुकान का स्तर दिया गया है और सतर्कता समितियों का गठन सभी स्तरों पर किया गया है।	नोट कर लिया	वैब पर सभी आवश्यक सूचना डालने के प्रयास किए जा रहे हैं।	भूस्थलीय समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण द्वार पर सुपुर्दगी व्यावहारिक नहीं है।	खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता कड़ाई से लागू की जाती है।	शीघ्र शुरू किया जाएगा।	शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	उड़ीसा	सूचना प्राप्त नहीं								
22.	पंजाब	सूचना प्राप्त नहीं								
23.	राजस्थान	सूचना प्राप्त नहीं								
24.	सिक्किम	सूचना प्राप्त नहीं								
25.	तमिलनाडु	सूचना प्राप्त नहीं								
26.	त्रिपुरा	सूचना प्राप्त नहीं								
27.	उत्तरांचल	सूचना प्राप्त नहीं								
28.	उत्तर प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।							
29.	पश्चिम बंगाल	समीक्षा की जा रही है और शीघ्र पूरा होने की आशा है।		पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानीटरिंग गतिविधि में शामिल किया जाता है। एमआर दुकानें चलाने में सहकारी समितियों की भागीदारी होती है।	समीक्षा पूरी होने पर सभी उचित दर दुकानों पर सूची लगाई जाएगी।	उचित दर दुकानदार प्रदर्शन अनिवार्य है। कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।	निधियों की कमी द्वार पर सुपुर्दगी में रूकावट है। यदि केन्द्र सरकार पूर्ण राज्य सहायता दे तो विचार किया जा सकता है।	जनता विवरण की निर्धारित तारीख नहीं मांगती है क्योंकि इससे बिन्नों के उठान में उनका लचीलापन पूर्णत: नष्ट होता है।	किया जा रहा है।	प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	समीक्षा की जा रही है।	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोषियों के	महिला, सहकारी समितियों, भूतपूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवकों को तरजीही दी जाती है।	इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।	मासिक आवंटन को वैबसाइट पर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।	जरूरी नहीं समझा गया है क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संतोषजनक रूप से चल रही है।	उचित दर दुकानों को सम्पूर्ण माह के दौरान खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं।	प्रशासन से परामर्श करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा।	संभव क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	चण्डीगढ़	प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना के कार्डों की समीक्षा की जाती है।	खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।	प्रत्येक वर्ष लाइसेंसों की समीक्षा की जाती है। स्वयंसेवी समूहों, भूतपूर्व सैनिकों, पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी समितियों को तरजीही दी जाती है।	सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाती है।	मामला विचाराधीन है।	छोटे राज्य होने के कारण प्रचलन में नहीं है। तथापि, खाद्यान्नों की बिक्री स्टाक का भौतिक सत्यापन करने के बाद अनुमत की जाती है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं माह के प्रथम सप्ताह में उचित दर दुकानों पर उपलब्ध करायी जाती हैं।	वहां 24 उचित दर दुकानें और 7 वार्ड/ग्राम स्तर की समितियां हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ पंजाब अथवा हरियाणा से जोड़ने का अनुरोध किया है।	मामला विचाराधीन है।
32.	दादर नगर हवेली	सूचना प्राप्त नहीं								
33.	दमन व दीव	सूचना प्राप्त नहीं								
34.	लक्षद्वीप	गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करना शुरू किया है।	नियमित मानीटरिंग प्रणाली है और चोर बाजारी अधिनियम के अधीन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।	सहकारी समितियों के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जाती है।	गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।	सहकारी समिति रजिस्ट्रार की वैबसाइट पर सूचना डाली जाएगी।	संघ राज्य क्षेत्र के छोटे आकार क्षेत्र को देखते हुए द्वार पर सुपुर्दगी के तंत्र को उपयोगी नहीं माना गया है।	संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदाम नहीं है और वे संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों का स्टाक नहीं रखते हैं। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम के साथ मामला उठाया जाता है।	टीआरएम स्कीम के अधीन प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	कंप्यूटरीकरण के लिए पर्याप्त निधियां नहीं है। तथापि, भारत सरकार को आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
35.	पांडिचेरी	सूचना प्राप्त नहीं								

[हिन्दी]

औषधि-मूल्य नियंत्रण

48. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मार्च, 2003 में यह आदेश जारी किया था कि आवश्यक एवं जीवनरक्षक औषधियों को मूल्य नियंत्रण के कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और उक्त दवाओं की समीक्षा 2 मई, 2003 तक पूरी की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सी) सं. 3668/2003 में दिनांक 10.3.2003 के अपने अंतरिम आदेश में सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिए कि "आवश्यक एवं जीवनरक्षक दवाइयां मूल्य नियंत्रण से बाहर न जाने पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित मानदंड पर विचार करे एवं तैयार करे और 2 मई, 2003 तक आवश्यक एवं जीवनरक्षक के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची, 1996 की समीक्षा एवं आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची 2003 (एनएलईएम 2003) प्रकाशित की।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मसौदा राष्ट्रीय औषध नीति 2006 में यह प्रस्ताव किया है कि वर्तमान में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन 74 दवाओं के अतिरिक्त एनएलईएम 2003 में शामिल आवश्यक दवाइयां मूल्य नियंत्रण की सूची में शामिल होंगी।

इस नीति को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्ट्या, इस पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। श्री शरद पवार, कृषि मंत्री एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में वायु-प्रदूषण

49. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियाई विकास बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली एशिया में सर्वाधिक वायु-प्रदूषण वाला शहर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) जी, हां। शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर एशियाई विकास बैंक (विचार-विमर्श प्रारूप, दिसम्बर, 2006) के अनुसार, चुनिंदा एशियाई शहरों में पीएम$_{10}$ की वार्षिक औसत परिवेशी सघनता की तुलना की गई है। आंकड़ा इंगित करता है कि बिजिंग, जियान, ढाका और काठमांडु में पीएम$_{10}$ का स्तर नई दिल्ली से अधिक है। तथापि, इस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ वायु गुणता दिशा-निर्देशों से इन शहरों के पीएम$_{10}$ स्तर की तुलना की गई है और इन पांच शहरों में से कोई भी पीएम$_{10}$ डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं करता है।

(ग) वायु प्रदूषण उपशमन हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

* सामान्य और स्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों की अधिसूचना;
* प्रदूषण के स्रोतों की पहचान;
* स्वच्छतर ईंधनों को प्रोत्साहित करके और निर्माण स्तर पर आटो उत्सर्जन मानको को लागू करके वाहनीय प्रदूषण का नियंत्रण;
* उपयोग में लगाए जा रहे वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण (पीयूसी) प्रमाणन लागू करना;

* वायु गुणता में सुधार के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना; और

* पर्यावरणीय अनुपालन के लिए नियमित मानीटरी।

मछुआरों के लिए बीमा योजना

50. श्री एम. अप्पादुरई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मछुआरों के लिए बीमा योजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के एक घटक सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा को राष्ट्रीय मछुआरा सहकारिता संगठन (फिशकोफेड) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, 14 रुपए प्रति लाभार्थी वार्षिक प्रीमियम को केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है तथा इसमें दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता के मामले में 50,000 रुपए तथा स्थायी आंशिक अपंगता के लिए 25000 रुपए का लाभ शामिल है।

गुजरात में जैव कृषि

51. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राष्ट्रीय जैव कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जैव कृषि के संबंध में किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, क्षेत्र प्रदर्शन, सेवा प्रदान करने वालों के माध्यम से क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करने और सेमिनारों का आयोजन करने जैसे विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के लिये 292.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिये गुजरात सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परियोजना के दिशा-निर्देशों और राशि की उपलब्धता के अनुसार 71.02 लाख रुपये के लिए स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 56.20 लाख रुपये राज्य सरकार को पहले ही जारी कर दिये गये हैं। उपर्युक्त के अलावा माडल जैविक फार्म की स्थापना के लिये गुजरात सरकार को 2004-05 के दौरान 2.00 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई थी।

गुजरात सरकार से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) को अलग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे 11वीं योजना में क्रियान्वित किये जाने के लिए कृषि मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

विश्व बैंक से जल क्षेत्र हेतु ऋण

52. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों ने जल योजनाओं हेतु 105 मिलियन डालर की संस्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे विभिन्न राज्यों में जल संबंधी निवेशों की उत्पादकता में वृद्धि करने और इनकी लागत में कमी लाने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) हिमाचल प्रदेश को कितना निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) विश्व बैंक ने 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जलविज्ञान परियोजना (चरण-2) के कार्यान्वयन के लिए 104.98 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत परियोजना है। इस आशय के साथ 19.1.2006 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कि कार्य के पूरा करने की तारीख 31.1.2012 है। इस परियोजना का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रह, प्रक्रियाबद्ध करने और एकत्रीकरण और जल संसाधन विकास और प्रबंधन की आयोजना और डिजाइनों के लिए मानक प्रक्रिया विकसित करने के सभी पहलुओं में सुधार करना है। परियोजना लागत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत कार्यकलापों द्वारा जल संसाधनों के उन्नत प्रबंधन, बेहतर डिजाइन कार्य प्रणाली और प्रणालियों के कुशल प्रचालन के लिए योगदान दिए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए प्रदान किया गया कुल निवेश 495 मिलियन रुपये है। इस परियोजना से राज्य को प्राप्त होने वाले लाभों में उन्नत जल वैज्ञानिक प्रेक्षण नेटवर्क की स्थापना, आंकड़ा प्रसंस्करण और उन्नत जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन के लिए भंडारण प्रणाली शामिल हैं।

विवरण

कार्यकलापों की अनुमानित लागत (राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लागत (रुपये मिलियन में)
1.	आंध्र प्रदेश	178.00
2.	छत्तीसगढ़	176.60
3.	गोवा	187.10
4.	गुजरात	198.80
5.	हिमाचल प्रदेश	495.00
6.	कर्नाटक	235.30
7.	केरल	183.60
8.	मध्य प्रदेश	202.50
9.	महाराष्ट्र	228.40
10.	उड़ीसा	213.50
11.	पांडिचेरी	131.60%
12.	पंजाब	409.50
13.	तमिलनाडु	206.50
14.	केन्द्रीय अभिकरण	2209.20

[अनुवाद]

चारे की कमी

53. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई भागों में चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश में चारे की मांग और पूर्ति में राज्य-वार कितना अंतर दर्ज किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) चारे की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुपालन और डेयरी से संबंधित कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मिलियन टनों में हरा चरा तथा सूखा चारा की मांग एवं पूर्ति के बीच का प्रतिलक्षित अनुमानित कमी कुल मिलाकर इस प्रकार है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	हरा चारा	सूखा चारा
2004	692.2	125.0
2005	635.1	126.0
2006	641.0	128.0
2007	647.0	131.0

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) चारे की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) चारा बीज की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के उत्पादन तथा चारा उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय चारा विकास संगठन को जारी रखा गया है जिसमें सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केंद्र तथा एक केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म शामिल है।

(2) चारा बीज मिनिकीटों के वितरण के लिए केंद्रीय मिनिकीट परीक्षण कार्यक्रम को भी जारी रखा गया है।

(3) चारा विकास के लिए राज्यों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें सहायता देने के लिए चारा घटकों के साथ यानि चारा ब्लाक बनाने वाली यूनिटों की स्थापना (25% केन्द्रीय राजसहायता), घास रिजर्वों सहित चारागाह का विकास (100% केंद्रीय अनुदान), (चारा बीज की खरीद पर 75% केंद्रीय अनुदान) तथा जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना (100% केंद्रीय अनुदान) के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना को जारी रखा गया है।

विवरण

अंतिम तीन वर्ष तथा जारी वर्ष में राज्यों को दी गई केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश			19.80	
2.	अरुणाचल प्रदेश		99.00		
3.	असम		68.35		
4.	छत्तीसगढ़		25.00		
5.	गुजरात			155.57	
6.	हरियाणा				21.25
7.	हिमाचल प्रदेश	2.00	5.00	100.00	
8.	झारखंड		150.00		
9.	जम्मू-कश्मीर			58.40	106.69
10.	कर्नाटक	25.00	9.50	100.00	
11.	केरल		90.00		
12.	मध्य प्रदेश				
13.	महाराष्ट्र	8.44	46.53		
14.	मणिपुर				
15.	मेघालय				
16.	मिजोरम	39.53	112.50	100.00	
17.	नागालैंड	27.58	112.50	120.50	120.00
18.	उड़ीसा				272.00
19.	पंजाब			129.82	
20.	राजस्थान	40.00	26.32	37.02	

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम		57.65	110.00	
22.	तमिलनाडु			24.00	
23.	त्रिपुरा	57.46	50.00	40.25	
24.	उत्तर प्रदेश		337.66	37.03	50.67
25.	उत्तरांचल			90.00	
26.	पश्चिम बंगाल			40.00	
	कुल	200.00	1190.01	1162.39	570.61

केरल में नकदी फसल क्षेत्र का विकास

54. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से नकदी फसल क्षेत्र का विकास करने हेतु विशेष पैकेज संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सांवलिराम पूरिया): (क) और (ख) केरल सरकार ने राज्य के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए एक विशेष पैकेज प्रस्तुत किया है। संघ सरकार ने केरल राज्य के तीन आत्महत्या संभावित जिलों के लिए एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी है जिसमें किसानों को ऋण राहत के जरिए दीर्घकालिक और व्यवहार्य कृषि तथा जीविका समर्थन, संस्थागत ऋण की उन्नत आपूर्ति, नगदी फसलों सहित कृषि संबंधी फसल केन्द्रित दृष्टिकोण, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि समर्थन सेवाएं, उन्नत विपणन तथा बागवानी, पशुधन, डेयरिंग और मात्स्यिकी के जरिए सहायता आय के अवसर का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा, केरल राज्य में नकदी फसलों सहित बागवानी विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वयनाधीन है।

[हिन्दी]

यूनियन कार्बाइड के विषैले रासायनिक कचरे को हटाना

55. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के परीक्षण के पश्चात विषैले रासायनिक कचरे को हटाने का कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कचरे को हटाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने श्री आलोक प्रताप सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्यों द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2802/2004 की सुनवाई के दौरान भोपाल में यूनियन कार्बाइड लि. (यूसीआईएल) संयंत्र में एवं इसके आसपास पड़े विषैले अपशिष्टों को हटाने/निपटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार रूपरेखा के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलाजी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड व कान्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया।

प्रधान सचिव, भोपाल गैस त्रासदी, राहत व पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार इस टास्कफोर्स के संयोजक हैं एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यकार एजेंसी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग ने भोपाल में यूसीआईएल संयंत्र में एवं इसके आसपास बड़े विषैले अपशिष्टों को हटाने/निपटाने के लिए अनुमान प्रस्तुत किया है जिसमें लगभग 346 मीट्रिक टन विषैला अपशिष्ट को अंकलेश्वर, गुजरात में भस्मक में भस्म करने के लिए भेजा जाएगा और लगभग 40 मीट्रिक टन लाइम स्लज मध्य प्रदेश में इंदौर के पास पीतमपुर में निर्मित सुरक्षित लैंडफिल पर भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को (देयता निर्धारण की शर्त पर) व्यय बराबर-बराबर वहन करना होगा।

राजस्थान में कुक्कुट एवं बागवानी का विकास

56. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुक्कुट एवं बागवानी के विकास हेतु राजस्थान को आवंटित किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कुक्कुट एवं बागवानी उत्पादों एवं इनसे संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा इनके निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े राज्य सरकार के कुक्कुट एवं बागवानी परियोजना संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) राजस्थान को वर्ष 2002-03 में राज्य कुक्कुट फार्म, खातीपाड़ा, जयपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए 77.79 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी। इसके बाद राज्य से कुक्कुट विकास के लिए कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बागवानी के संबंध में, राजस्थान में वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत 1464.00 लाख रुपए व्यय किए गए थे। वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) 1768.23 लाख रुपए भी व्यय किए गए हैं। वर्ष 2005-06 में, शामिल किए गए जिले थे अलवर, अजमेर, बाड़मेर, बारान, चित्तौड़, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर। वर्ष 2006-07 के दौरान 4 और जिलों अर्थात् सवाई माधोपुर, करौली, बांसवाड़ा (जनजाति एवं पहाड़ी) तथा टोंक को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शामिल किया गया था।

(ख) सरकार ने राजस्थान सहित देश में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं नामत:, ''राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता'' तथा ''डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीकोष'' क्रियान्वित की है। बागवानी के उत्पादन तथा उत्पादकता के सुधार के लिए एनएचएम के तहत कई गतिविधियां भी शुरू की गई है। इसमें उत्पाद के उचित पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन का सुनिश्चयै करने को शामिल किया गया है ताकि किसान अपने उत्पादों का उत्पादन कर सकें तथा उन्हें प्रतियोगी मूल्यों पर बेच सकें। राजस्थान में पहचान की गई फसलों में आंवला, मंदारिन, किनू, बेर, धनिया, जीरा, मेथी, पूल तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधे शामिल हैं।

(ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पास राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

लंबित उपभोक्ता मामले

57. श्री नवीन जिन्दल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) वर्तमान में कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या उपभोक्ता मामलों के निपटान में अत्यधिक समय लिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके निपटान में तेजी लाने और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद

प्रतितोष आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार पंजीकृत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या, उपरोक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या और वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या क्रमश: संलग्न विवरण-I और II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता मंच विभिन्न दबावों के बावजूद मामलों को यथासंभव अविलम्ब निपटाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा उपभोक्ता मंचों की कार्यप्रणाली की मानीटरिंग के अलावा उपभोक्ता मामलों के निपटान में तेजी लाने और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाने के लिए किए गए मुख्य उपचारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय दबावों को ध्यान में रखते हुए 'उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना' स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता मंचों के कुशल कार्यकरण के लिए उनकी अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए 1995-99 के दौरान 61.80 करोड़ रुपए और 2004-05 में 10.20 करोड़ रुपए और 2006-07 के दौरान (21.2.2007 तक) 21.18 करोड़ रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(2) मामलों के त्वरित निपटान के लिए मंचों को सुकर बनाने के उद्देश्य से 2002 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में व्यापक रूप से संशोधन किए गए थे। राष्ट्रीय आयोग ने केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उपभोक्ता मंचों के रोजमर्रा के कार्यकरण की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2005 को अधिसूचित किया है।

(3) उपभोक्ता मंचों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी समाधान मुहैया कराने, ई-गवर्नेंस पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने और मामलों का समयबद्ध निपटान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से मार्च, 2005 में टर्न-की परियोजना के रूप में "देश में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग" स्कीम शुरू की गई है जो 3 वर्ष की समयावधि में पूरी की जानी है। यह स्कीम विभिन्न प्रकार के मामलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, आंकड़े और रिपोर्ट तैयार करने में भी मदद करेगी और इससे राष्ट्रीय आयोग को बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण लागू करने में भी मदद मिलेगी।

विवरण I

राज्य आयोगों में वर्ष-वार दायर किए गए और निपटाए गए मामले

राज्य	2004		2005		2006	
	दायर	निपटान	दायर	निपटान	दायर	निपटान
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1728	1022	2176	995	1281	281
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	1	0	5	0	उ.न.	उ.न.
असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
बिहार	936	800	936	585	556	483
चंडीगढ़	520	581	181	112	976	821
छत्तीसगढ़	807	1054	539	874	865	895

1	2	3	4	5	6	7
दादर और नगर हवेली/दमन और दीव	2	2	2	3	1	1
दिल्ली	1272	1809	1294	2063	356	824
गोवा	84	132	70	127	14	28
गुजरात	3208	2566	2177	2265	उ.न.	उ.न.
हरियाणा	3370	407	2729	769	3025	1395
हिमाचल प्रदेश	1369	1273	1195	851	1664	2040
जम्मू-कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
झारखंड	562	306	511	645	143	85
कर्नाटक	1973	2446	2276	2823	3451	2516
केरल	1172	342	884	425	उ.न.	उ.न.
लक्षद्वीप	1	0	0	3	उ.न.	उ.न.
मध्य प्रदेश	2423	2507	2433	2534	2162	2014
महाराष्ट्र	2763	1678	2880	1383	2250	1395
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मेघालय	7	14	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मिजोरम	4	0	11	28	6	19
नागालैंड	2	4	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उड़ीसा	1157	538	1119	662	1194	1096
पांडिचेरी	16	3	66	27	45	48
पंजाब	1623	898	1719	1375	1661	1187
राजस्थान	2615	2906	2315	3709	2817	4804
सिक्किम	0	3	0	1	उ.न.	उ.न.
तमिलनाडु	930	660	787	934	उ.न.	उ.न.
त्रिपुरा	86	105	98	255	79	102
उत्तर प्रदेश	2780	1311	2572	1861	उ.न.	उ.न.
उत्तरांचल	648	323	292	61	241	17
पश्चिम बंगाल	784	1162	773	985	544	1016
कुल	32843	24852	30040	26355	23331	21067

नोट: (1) उपरोक्त आंकड़ों को कलेण्डरवार रखा जाता है।

(2) उ.न. से अभिप्राय उपलब्ध नहीं से है।

जिला मंचों में वर्ष-वार दायर किए गए निपटाए गए मामले

राज्य	2004		2005		2006	
	दायर किए गए	निपटान गए	दायर किए गए	निपटान गए	दायर किए गए	निपटान गए
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	7344	2942	7469	3414	4117	1526
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	17	11	6	8	उ.न.	उ.न.
असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
बिहार	2962	3270	3636	3029	1624	2338
चंडीगढ़	2600	2410	1393	1042	1850	1509
छत्तीसगढ़	1139	1001	738	824	2187	2084
दादरा और नगर हवेली/दमन व दीव	5	1	13	12	9	4
दिल्ली	11950	14206	113121	11833	2533	2276
गोवा	204	152	216	120	53	52
गुजरात	8301	8775	7390	6257	उ.न.	उ.न.
हरियाणा	9787	2641	10149	10023	10619	11871
हिमाचल प्रदेश	2435	2781	1868	1913	2096	1880
जम्मू-कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
झारखंड	2653	2911	2066	1905	458	773
कर्नाटक	6064	6044	6634	6271	8398	8535
केरल	5498	5459	4309	2112	उ.न.	उ.न.
लक्षद्वीप	0	0	3	4	उ.न.	उ.न.
मध्य प्रदेश	7640	8476	8006	8007	8067	6874
महाराष्ट्र	9628	12175	10519	12888	8233	10705
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मेघालय	28	16	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
नागालैंड	25	23	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	4275	4304	3471	3526	2844	3083
पांडिचेरी	112	66	94	68	88	88
पंजाब	9309	8973	8001	8735	6302	4663
राजस्थान	12368	13382	12399	13369	14064	13853
सिक्किम	0	0	11	6	उ.न.	उ.न.
तमिलनाडु	4567	4470	3961	3994	उ.न.	उ.न.
त्रिपुरा	116	113	16	15	उ.न.	उ.न.
उत्तर प्रदेश	16944	13335	19047	19108	उ.न.	उ.न.
उत्तरांचल	1118	1264	1064	1272	1413	898
पश्चिम बंगाल	3470	3433	3331	3009	3518	3165
कुल	130559	122634	127122	123424	78473	76177

नोट: (1) उपरोक्त आंकड़ों को कलेण्डरवार रखा जाता है।
(2) उ.न. से अभिप्राय उपलब्ध नहीं से है।

विवरण II

(31.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	स्थापना काल से दायर मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लंबित मामले	कुल निपटान का %	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय आयोग	45798	36914	8884	80.60%	
2.	राज्य आयोग	391425	282582	108843	72.19%	
3.	जिला मंच	2312844	2088941	223903	90.32%	
	कुल	2750067	2408437	341630	87.58	

कोकोनट पाम का कायाकल्प

58. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में कोकोनट पाम के कीट, रोग नियंत्रण और उसके कायाकल्प हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विकास बोर्ड द्वारा राज्य कोई कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस राशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, कर्नाटक सरकार ने नवम्बर, 2006 के

दौरान प्रमुख नारियल कीटों तथा इरीयोफाइड माईट, ब्लैक-हेडेड कैटरपिलर और रेड पाम वीविल के नियंत्रण के लिए 200.00 लाख रुपये की कुल लागत पर दो परियोजना प्रस्ताव नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) को प्रस्तुत कर दिये हैं।

	परियोजना का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)
1.	जैव-कीटनाशियों का प्रयोग करके नारियल के माईट और ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए परियोजना	150.00
2.	फेरोमोन ट्रेप का प्रयोग करके नारियल के रेड पाम वीविल के नियंत्रण के लिए परियोजना	50.00
	कुल	200.00

(ख) और (ग) सीडीवी ने मानकों के अनुसार 25% वित्तीय सहायता के साथ दिनांक 01.02.2007 को नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओसी) के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन जिसमें राज्य का शेयर/किसानों के योगदान और कार्यान्वयन हेतु चयनित स्थान के ब्यौरे दर्शाए गए हैं, के मिलने के बाद कोषों की निर्मुक्ति की जायेगी।

स्वयंसेवी संगठनों को धनराशि प्रदान करना

59. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कुछ स्वयंसेवी संगठनों को पर्यावरण संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या है और उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किस वर्ष से सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ऐसे सहायता अनुदान के तहत उन्हें प्रदान की गई धनराशि से किए गए कार्य की निगरानी करती है; और

(घ) यदि हां, तो निगरानी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान उपलब्ध करवाया गया उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निगरानी प्रक्रिया के अनुदानग्राही संगठन के अनिवार्य लेखा परीक्षा, लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यय विवरण प्रस्तुत करना और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए फील्ड दौरों के अलावा अनुदानग्राही संगठनों द्वारा किए कार्यों की रिपोर्ट शामिल है। वृक्षारोपण कार्यों के मामले में स्वतंत्र मूल्यांककों के द्वारा की गई मानीटरिंग और मूल्यांकन के अलावा राज्य वन विभाग द्वारा मध्य/अंतिम आकलन किया जाता है। विशेषज्ञ पुनरीक्षा समिति अनुसंधान परियोजनाओं की मानीटरिंग/वार्षिक पुनरीक्षा करती है।

विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	उद्देश्य
1	2	3
	2003-2004	
1.	बम्बई ने नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, बम्बई	अनुसंधान परियोजना
2.	भारतीय एग्रो-इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे	पर्यावरण जागरूकता
3.	रूरल फाउंडेशन	
4.	गुरुदेव सामाजिक सेवा मंडल	
5.	बास्को ग्रामीण विकास केन्द्र	वृक्षारोपण
6.	युवक प्रतिष्ठान	
7.	केसर-हिन्द	

1	2	3
	2004-2005	
1.	बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, बम्बई	अनुसंधान परियोजना
2.	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे	पर्यावरण जागरूकता
3.	एप्लाइड एन्वायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन, इरन्डवान	
4.	युवा ग्राम विकास मण्डल	
5.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी ट्रांसफर फार रूरल एरिया	वृक्षारोपण
6.	दत्ता सेवा समिति	
7.	इंस्टीट्यूट आफ सोशल एवयरनेस एण्ड रिफार्म	
8.	मृत्युंजय कृषि विज्ञान विकास मंडल	
9.	गोमुख ट्रेस्ट	
10.	अमरावती यूनिवर्सिटी	
11.	सिद्धेश्वर कृषि और ग्रामीण विकास	
	2005-2006	
1.	बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, बम्बई	अनुसंधान परियोजना
2.	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे	पर्यावरण जागरूकता

[हिन्दी]

एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति

60. श्री हंसराज ग. अहीर: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा लघु उद्योगों को गत तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति किए गए लौह अयस्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएमडीसी द्वारा लघु उद्योगों को की जाने वाली लौह अयस्क की आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क आधारित लघु उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई सुधारात्मक उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति लघु अथवा वृहत उद्योग वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। एनएमडीसी राज्य निवेश प्रवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी), छत्तीसगढ़ सरकार की सिफारिशों के आधार पर छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न स्पंज/कच्चा लोहा इकाइयों को बैलाडिला से लौह अयस्क की पेशकश कर रही है। इनमें से कुछ इकाइयां लघु उद्योग श्रेणी में भी आती हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ स्थित स्पंज/कच्चा लोहा इकाइयों द्वारा उठाई गई मात्रा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	उठाई गई मात्रा (लाख टन)
1.	2003-04	0.65
2.	2004-05	1.4
3.	2005-06	8.5

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 के दौरान छत्तीसगढ़ स्थित इकाइयों को 20 लाख टन मात्रा की पेशकश की गई है जिसमें से जनवरी, 2007 तक लगभग 14 लाख टन उठाई गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की बिक्री कंपनी का एक वाणिज्यिक निर्णय है जो लौह अयस्क की उपलब्धता तथा इसकी पूर्व आपूर्ति वचनबद्धताओं के आधार पर लिया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालय

61. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दक्षिणी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय क्षेत्रों में कार्यरत कृषि विश्वविद्यालयों का राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से बागवानी और पुष्प कृषि संबंधी अनुसंधान परियोजना वाले विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान परिणाम का किसानों तक किस प्रकार प्रसार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) इस समय दक्षिणी, पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों सहित देश में कार्यरत राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार कृषि विश्वविद्यालयों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से वित्त-पोषित बागवानी और पुष्प कृषि संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं वाले विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय-वार और राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

(ग) आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने को सुसाध्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी/उत्पादों का प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 541 कृषि विज्ञान केन्द्रों के एक नेटवर्क को स्वीकृत किया है जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित 364 कृषि विज्ञान केन्द्र भी शामिल हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यकलापों में विभिन्न कृषि प्रणालियों में प्रौद्योगिकियों की स्थान-विशिष्टता का पता लगाने के लिए खेत परीक्षण करना; किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमताओं को प्रमाणित करने के लिए अग्रपंक्ति प्रदर्शन करना, किसानों को उनके ज्ञान और कौशलों को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण देना तथा विस्तार कार्मिकों को प्रौद्योगिकी विकास के अग्रवर्ती क्षेत्रों में अभिमुख करने के लिए प्रशिक्षण देना शामिल है। कृषि विज्ञान केन्द्रों में उत्पादित बीजों, रोपण सामग्री और उपोत्पादों को भी किसानों को उपलब्ध किया जाता है।

विवरण I

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय
1	2
	असम
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013
	आंध्र प्रदेश
2.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500030
3.	श्री वेंकटेश्वरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरूपती-517502
	बिहार
4.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा-848125
	छत्तीसगढ़
5.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर-492012
	गुजरात
6.	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द-388110
7.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
8.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450
9.	सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाड़ा-385506

1	2
	हरियाणा
10.	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125006
	हिमाचल प्रदेश
11.	चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062
12.	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन-173230
	जम्मू-कश्मीर
13.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू-180004
14.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर-191121
	झारखण्ड
15.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची-834006
	कर्नाटक
16.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर-560065
17.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़-580005
18.	कर्नाटक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, बिदान-585401
	केरल
19.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा, त्रिचुर-680656
	मध्य प्रदेश
20.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482004
	महाराष्ट्र
21.	डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली-415712
22.	महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नागपुर-440006
23.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी-431402
24.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी-413722
25.	डा. पंजाबराव देशमुख, कृषि विद्यापीठ, अकोला-444104
	उड़ीसा
26.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003
	पंजाब
27.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004
28.	गुरु आनन्द देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004
	राजस्थान
29.	महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय एवं टेकनोलाजी, उदयपुर-313001
30.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002
	तमिलनाडु
31.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003
32.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई-600051
	उत्तर प्रदेश
33.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद-211007
34.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002
35.	दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001
36.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद-224229
37.	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम-250110
	उत्तरांचल
38.	बागवानी और कृषि वानिकी विश्वविद्यालय रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल

1	2
39.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
	पश्चिम बंगाल
40.	बिधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर-741252
41.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, जिला-कूच बिहार
42.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
	भा.कृ.अ.प. मानद विश्वविद्यालय
43.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली-110012
44.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122
45.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001
46.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई-400061
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
47.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
48.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
49.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
50.	विश्वभारती श्री निकेतन
51.	नागालैण्ड कृषि विश्वविद्यालय, मेडजीफेमा-797106

विवरण II

कृषि विश्वविद्यालयों में बागवानी में चलाई जा रही तदर्थ परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	बागवानी की परियोजना का ब्यौरा
1	2	3	4
दक्षिण भारत के राज्य			
1.	केरल	के ए यू, त्रिसूर	कीटरोगजनक कवक का प्रयोग करके सब्जियों के नाशीजीवों के प्रबन्धन के लिए जैव नियंत्रण उपायों का विकास करना। अल्पप्रयुक्त सब्जी की फसलों का सुधार करना। सब्जियों के उच्च मूल्य वाले बीजों की भण्डारण क्षमता में एम ए पी (संशोधित वातावरण पैकेजिंग) का प्रयोग करना। दक्षिणी केरल की पारम्परिक आम की किस्मों (मैंजीफेरा इण्डिका एल) का लक्षण-वर्णन करना। सत्य तकनीकों के मानकीकरण पर कट फ्लावर की फसलों की क्षमता के रूप में हैलीकोनियास का संग्रहण और मूल्यांकन करना। सब्जियों के उच्च मूल्य वाले बीजों की भण्डारण क्षमता में एम ए पी (संशोधित वातावरण पैकेजिंग) का प्रयोग करने पर नेटवर्क। अल्पप्रयुक्त सब्जी फसलों का सुधार पर नेटवर्क परियोजना। कट फ्लावर के आर्किडों कलिका की कटाई, सत्योतर उपचारों, सार-संभाल और भण्डारण तकनीकों का मानकीकरण।

1	2	3	4
			कोको के खेत पर स्तर पर परवर्धी प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।
			काजू में टी मच्छर बग हेलोपेल्टिस एन्टोनाई साइन (मिनीडी : हेमिप्टेरा) की पूर्व सूचना देना।
			उच्च उपज की गुणवत्ता वाले आयल जीनो टाइपों की पहचान करने के लिए अजवाइन (ट्रैकीस्पेरियम ऐमी) का संरक्षण और मूल्यांकन करना।
			नारियल के गुच्छों को संक्रमित करने वाले चूषक नाशीजीव काम्पलैक्स का जैव-सघन प्रबंधन।
2.	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयम्बटूर	लोबिया, कद्दूओं और टमाटर के विशेष संदर्भ के साथ सर्पेन्टीन लीफ माइनर, लिरियोमाईजा ट्री फोलाई बर्गेस के लिए जैव-पारिस्थितिकी तथा आई पी एम
			उभरते पादप विषाणुओं की नैदानिक किट
			स्वीट इमली (टैमारिण्डस इण्डिका एल) का सुधार करना।
			मिली मशरूम (कैलोसाइबे इण्डिका) संकरों का विकास करना।
			औषधीय मशरूम राईसी (मैनोडर्मा लुसीडम) पर आनुवंशिक, संवर्धन और भैषजगुणविज्ञानीय संबंधी अध्ययन करना।
3.	कर्नाटक	यू ए एस, धारवाड़	उत्तरी कर्नाटक में आलू के स्कलेरोटियम मुरझान रोग के लिए विकसित आई डी एम प्रौद्योगिकी का प्रभाव मूल्यांकन करना।
			उत्तरी कर्नाटक में हल्दी के प्रकन्द सड़न के हेतु विज्ञान और समेकित प्रबन्धन पर अन्वेषण करना।
		यूएएस, कृषि नगर, धारवाड़	मिर्च में ड्रिप सिंचाई फर्टिगेशन संबंधी अध्ययन करना।
			पैपरीका (ओलियोरेजिन) उत्पादन के लिए मिर्च के संकरों का विकास करना।
			जामुन में प्रवर्धन तकनीकों का सर्वेक्षण मूल्यांकन एवं मानकीकरण।
			पैपरीका (ओलियोरेजिन) उत्पादन के लिए मिर्च (कैप्सीकम एनम) के संकरों का विकास करने पर नेटवर्क।
			गैंदे (टार्गेटस इरेक्टा एल) में कैरीटेनोइड्स और मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए फसल सुधार और सस्य-तकनीकें।
		यूएएसजीकेवीके, बंगलौर	टमाटर के पर्ण कुंचन विषाणु को फैलाने वाले बायोटाइप बेनीसिया टैबेकी वायरस ट्रांसमिशन विशेषताओं की पहचान करने की मानीटरिंग विधियां तथा प्रबन्धन।

1	2	3	4
4.	आंध्र प्रदेश	एएनजीआरएयू, हैदराबाद	पैपरीका (ओलियोरेजिन) उत्पादन के लिए मिर्च के संकरों का विकास करना।
			नीबूवर्गीय फलों के येलो मोजैक वायरस का पता लगाने के लिए न्यूक्लियर एसिड प्रोबर का विकास करना तथा सथरूडफाई मौसंबी की वायरस मुक्त रोपण सामग्री का प्रमाणीकरण और उत्पादन करना।
			आंध्र प्रदेश में ताड़ों के लिए कलिका सड़न रोग के पूर्वानुमान माडल का विकास करना।
		एएनजीआरएयू, लाभ केन्द्र	पैपरीका (ओलियोरेजिन) उत्पादन के लिए मिर्च (कैप्सीकम एनम) के संकरों के विकास पर नेटवर्क।
5.	हिमाचल प्रदेश	डा. वाई.एस.पी.यू.एच.एफ. सोलन	बेल पीपर (कैप्सीकम एनम एल) में नर बन्ध्यता सजीवों का विकास करना।
			फल सड़न की प्रतिरोधी बेल पीपर की श्रेष्ठ किस्मों/संकरों का विकास करना तथा उनका महामारी विज्ञान और प्रबन्धन।
			हायोटैक्नीलोजिकल और पारिस्थितिक अनुकूल एपीपी के माध्यम से वायरस मुक्त लिलीयम का उत्पादन करने हेतु प्रमाणीकरण कार्यक्रम का विकास करना।
			पुष्प कृषि में ऐन्टिराइनम मैरीगोल्ड (पोनी और पेट्यूनिया) के एफ1 संकरों को बढ़ावा देने पर नेटवर्क।
			नेटिव से पश्चिमी हिमालय के चुनिंदा सजावटी पौधों के कार्यक्रम प्रवर्धन का मानकीकरण।
		सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कोल फसलों को संक्रमित करने वाले डायमण्ड बैक मोथ, प्लुटेला आक्सीस्टेल (एल) के जैव-कारक आधारित पारिस्थतिक अनुकूल प्रबन्धन का विकास करना।
			जैतून की किस्मों का उनकी सूखा सहिष्णु क्षमताओं की जांच करना तथा हिमाचल प्रदेश में टिकाऊ जैतून उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
			गुणवत्ता, लाभकारी और पैदावार के लिए वांछित पीकन स्ट्रैन्स का आण्विक लक्षण वर्णन मूल्यांकन, और चयन।
			पीकन में अनियमित फलन का नियंत्रण करना।
			लो चिल पीयर्स में हार्मोवल स्टेटस, उत्पादकता और फल की गुणवत्ता पर जैविक खेती का प्रभाव।
			मटर (पाइसम स्टाइवम एल) में फ्यूजेरियम मुरझान प्रतिरोधिता प्रेरित करने के लिए स्व:पात्रे और विट्रो मुटाजेन्सिस।

1	2	3	4
			परपोषी पादप प्रतिरोधिता पर बल देते हुए हिमाचल प्रदेश में गार्डन पी पर मटर के पत्ती मोड़क, क्रोमेटोमिया हार्टिकोला (गौरीयू) का प्रबन्धन।
6.	उत्तर प्रदेश	जीबी पंत यूएटी, पंतनगर	पालीहाउस खेती के लिए उपयुक्त पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर के शुद्ध वंशक्रम और एफ1 संकर किस्म का विकास करना तथा उनकी बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण।
7.	महाराष्ट्र	एमपीकेवी, राहुरी	महाराष्ट्र में उत्पादन, आय और रोजगार उपार्जन पर सब्जी अनुसंधान का प्रभाव मूल्यांकन करना।
			अनार के तैलीय धब्बों के समेकित रोग प्रबंधन के प्रमाणिकरण का विकास।
			नेटवर्क ''फलोरिकल्चर एंथीरिनियम मैरीगोल्ड पैसी एंड पी ट्यूनिया में एफ1 संकर का विकास।
		डा. बी.एस.के.के.वी., डपोली	महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र तथा भारत के अन्य काजू उगाए जाने वाले क्षेत्रों के लिए काजू की संकर किस्म एफ1, का मूल्यांकन।
8.	हरियाणा	सीपीएसएचएयू, हिसार	अल्पदोहित शाकीय फसलों का सुधार।
			एच ए यू हिसार में सोलनसीयम फल सब्जियों (टमाटर, बैंगन तथा मीर्च) में लवणीय वहनीय पर अध्ययन।
			नेटवर्क ''अल्पदोहित शाकीय फसलों का सुधार''
			मसाला बीज फसलों की नेमाटोड समस्या पर अध्ययन मसाला बीजों में लवणीय वहनीयता पर अध्ययन (सौंफ, धनिया, मेथी)
9.	जम्मू-कश्मीर	एसकेयूए एंड टी, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर	अल्पदोहित शाकीय फसलों का सुधार
			निष्कर्षण विधि की थिसीर कैर्नल आयल संदर्भ कम्पोजिशन के लिए लद्दाख की खूबानी का किस्मगत मूल्यांकन।
			सेब में कुटकी कीटनाशी का जैव सघन समेकित प्रबंधन।
			नेटवर्क ''अल्दोहित शाकीय फसलों का सुधार''
10.	उत्तराखंड	जीबीपीयू एंड टी, पंतनगर	एफीला सिस्टीलेटा बकटोन द्वारा आम में प्ररोह पिटिका (शूट गाल) बनाने के कारण और नियंत्रण।
11.	पश्चिम बंगाल	बीसीकेवीवी, पश्चिम बंगाल	गुणवत्ता, फलदायकता और पैदावार के लिए वांछनीय पीकन स्ट्रेन्स का आण्विक लक्षण वर्णन, मूल्यांकन और चयन।
			कंदीय फसल खेती प्रणाली में पर्णीय नेमाटोड (एगोमीकेबगीकीयूडस बौसीरी) पर अध्ययन।
12.	गुजरात	जीएयू, आनन्द	मूल गाठ सूत्रकृमि, मिलोईडोजीन इंडिका और नींबू वर्गीय फलों में इसका प्रबंधन (साईट्रस औरेंटीफोलिया स्वींगल)

1	2	3	4
		एसपी, विश्वविद्यालय	दो महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का व्यापक प्रगुणन तथा आण्विक लक्षण वर्णन।
13.	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर	मध्य प्रदेश के सतपूड़ा पठार में नागपुरी संतरों की उत्पादकता तथा लाभप्रदता सुधार के लिए स्थान विशिष्ट पोषण गार्डन का निर्माण।
14.	राजस्थान	आरसीए, उदयपुर	दक्षिणी राजस्थान के अरावली पर्वतों में शरीफा की पहचान, संरक्षण और प्रसारण।
		एमपीएयूए एंड टी, उदयपुर	कछारी (कुकुमिस कैलोसस) जननद्रव्य का सर्वेक्षण, संग्रहण, मूल्यांकन और संरक्षण और इनका सुधार तथा उचित कृषि तकनीकों का मानकीकरण/एमपीयूए एंड टी, उदयपुर (राज.)
			औषधीय मशरूम कृषि (गैनोडर्मा यूवीठस) पर आनुवंशिक, संवर्धन तथा फार्मकोलोजीकल अध्ययन।
15.	उड़ीसा	ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर	स्ट्रा-मशरूम (वोलवैरिलिया एस पी पी) की जैव-दक्षता का सुधार।
16.	असम	ए ए यू, जोरहट	संकरण द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देशी बागानों का विकास।
			अदरक के राईजोम सड़न रोग का समेकित प्रबंधन।
17.	पंजाब	पी ए यू, लुधियाना	उच्च पैदावार वाली प्लूरोटस फ्लोरिडा (डिरियोजन) का चयन और प्रजनन।
			भंडारण स्थितियों द्वारा प्रभावित पुष्प की कटाई उपरान्त गुणवत्ता पर जांच।
			नैटवर्क ''फ्लोरीकल्चर एंथीरिनियम मैरीगोल्ड पोनी एवं ट्यूनिया में एफ 1 संकर किस्म को बढ़ावा देना।
18.	छत्तीसगढ़	आईजीएयू, रायपुर	छत्तीसगढ़ की विभिन्न स्थलाकृति अनुक्रम के लिए स्थानीय उपलब्ध कंदफसल जननद्रव्य का संग्रहण, संरक्षण और मूल्यांकन।

कृषि विश्वविद्यालयों में चल रही बागवानी और पुष्प विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अ.भा.स.अ. परियोजना का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय,	*फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी*	
	हैदराबाद	उष्ण कटिबंधीय फल	कोवुर, तिरूपति
		उपोष्ण फल	हैदराबाद, संगारेड्डी
		शुष्क क्षेत्र फल	अनंतपुर,
		सस्योत्तर प्रौद्योगिकी	हैदराबाद

1	2	3	4
		रोपण फसलें	
		ताड़	अम्बाजीपेटा
			विजयराय
			पांडिरीमायिडी
		मसाले	चिंतापल्ली
			जगतियल
			गुन्तूर
		काजू	बापटला
		पान	चिंतलपुड़ी (बापटला)
		सब्जी	
		सब्जियां	हैदराबाद
			लाम
		राष्ट्रीय बीज परियोजना	लाम
		कंदीय फसलें	हैदराबाद
		पुष्प विज्ञान	हैदराबाद
असम			
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	*फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी*	जोरहाट
		उष्ण कटिबंधीय फल	तिनसुकिया
		पादप फसलें	
		ताड़	काहीकुची
		पान	जोरहाट
		सब्जी	
		सब्जी	जोरहाट
		कंदीय फसलें	जोरहाट
		आलू	जोरहाट
बिहार			
1.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	*फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी*	
		उष्ण कटिबंधीय फल	पूसा
		उपोष्ण फल	सैबौर
		सस्योत्तर प्रौद्योगिकी	पूसा
		रोपण फसलें	
		मसाले	ढोली
		पान	समस्तीपुर (दो केन्द्र)

1	2	3	4
		सब्जी	
		सब्जी	सैबोर
		कंदीय फसलें	ढोली
		आलू	ढोली
	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, रांची	*कंदीय फसलें*	रांची
		पुष्प विज्ञान	रांची
	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, पुण्डुवाड़ी	*रोपण फसलें*	कूचबिहार
छत्तीसगढ़			
1.		ताड़	जगदलपुर
गुजरात			
1.	दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, एस.के. नगर	*फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी*	
		उष्ण कटिबंधीय फल	गणदेवी
		उपोष्ण फल	पारिया
		शुष्क क्षेत्र फल	दंतीवाड़ा
			मुंडरा
	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	*कंदीय फसलें*	नवसारी
		आलू	डेस्सा
	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद	*रोपण फसलें*	
	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	एम. एण्ड ए.पी.	आनंद
		मसाले	जूनागढ़
		सब्जी	
हरियाणा			
1.	सी.सी.एस. हरियाणा	*फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी*	
	कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	शुष्क क्षेत्र फल	बावल
		सस्योत्तर प्रौद्योगिकी	हिसार
		रोपण फसलें	
		एम. एण्ड ए.पी.	हिसार
		मसाले	हिसार
		सब्जी	
		सब्जी	हिसार
		आलू	हिसार
हिमाचल प्रदेश			
1.	डा. वाई.एस. परमार बागवानी और	फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी	
	वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सस्योतर प्रौद्योगिकी	सोलन

1	2	3	4
		रोपण फसलें	
		एम. एण्ड ए.पी.	सोलन
		मसाले	सोलन
		सब्जी	
		सब्जी	सोलन
		एन.एस.पी.	सोलन
		पुष्प विज्ञान	सोलन
		खुम्भी	सोलन
जम्मू-कश्मीर			
1.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	*सब्जी*	
		सब्जी	श्रीनगर
		आलू	श्रीनगर
		पुष्प विज्ञान	श्रीनगर
कर्नाटक			
1.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	*फल/सस्योत्तर प्रौद्योगिकी*	
		उपोष्ण फल	धारवाड़
		रोपण फसलें	
		ताड़	गंगवती
		सब्जी	
		सब्जी	धारवाड़
		आलू	धारावड़
बंगलौर			
2.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	*बागानी फसलें*	
		तेलताड़	अरसिकेरा
		मसाले	मूदीगिरी (बंगलौर)
			सिरसि (धारवाड़)
		काजू	चिंतामणि
		सब्जी	
		आलू	हसन
		पुष्प विज्ञान	बंगलौर
केरल			
1.	केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिसूर, (केरल)	*फल/पी.एच.टी.*	
		उष्ण फल	कन्नड़
		बागवानी फसलें	
		एम. एण्ड ए.पी.	वेल्लानिक्कारा

1	2	3	4
		मसाले	पंपदुम्पाड़ा
			पेन्नियुर
		काजू	पिलिकोडे
			मेदाक्कथारा
		सब्जी	
		सब्जी	वेल्लानिक्कारा
		पुष्प विज्ञान	वेल्लानिक्कारा
		खुम्भी	वेल्लानिक्कारा
मध्य प्रदेश			
1.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)	*फल/पी.एच.टी.*	
		उपोष्ण फल	रीवा
		बागानी फसलें	
		एम. एण्ड ए.पी.	मंदसौर
			इंदौर
		पान	जबलपुर
		सब्जी	
		सब्जी	जबलपुर
		एन.एस.पी.	जबलपुर
		आलू	छिन्दवाड़ा
	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	*बागानी फसलें*	
		तेलताड़	जगदलपुर
		मसाले	राजगढ़
		काजू	जगदलपुर
		सब्जी	रायपुर
		एन.एस.पी.	रायपुर
		खुम्भी	रायपुर
		कंदफसलें	जगदलपुर
महाराष्ट्र			
1.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली (महाराष्ट्र)	*फल/पी.एच.टी.*	
		उपोष्ण फल	बैंगुर्ला
		कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी	दपोली
		बागानी फसलें	
		तेलताड़	रतनगिरी
			मुल्दे
		मसाले	दपोली
		काजू	बैंगुर्ला

1	2	3	4
2.	वी.एस.के.के.वी., दपोली	*सब्जी*	
		कंद फसलें	दपोली
		पान	संगली
		खुम्भी	पुणे
		पुष्प विज्ञान	पुणे
3.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	*सब्जी*	
		सब्जी	अम्बाजोगई
उड़ीसा			
1.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	*बागानी फसलें*	
		तेलताड़	कोणार्क
		पान	भुवनेश्वर
		मसाले	पोटांगी
		काजू	भुवनेश्वर
		सब्जी	
		सब्जी	भुवनेश्वर
		एन.एस.पी.	भुवनेश्वर
		आलू	भुवनेश्वर
		पुष्प विज्ञान	भुवनेश्वर
पंजाब			
1.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	*फल/पी.एच.टी.*	
		उष्ण फल	लुधियाना
		उपोष्ण फल	लुधियाना
		शुष्क क्षेत्रीय फल	अबोहर
		सब्जी	
		सब्जी	लुधियाना
		एन.एस.पी.	लुधियाना
		खुम्भी	लुधियाना
		पुष्प विज्ञान	लुधियाना
राजस्थान			
1.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	*फल/पी.एच.टी.*	
		उपोष्ण फल	उदयपुर
		शुष्क क्षेत्रीय फल	बीकानेर, जोबनेर
		पी.एच.टी.	जौबनेर
		बागानी फसलें	
		मसाले	जोबनेर
		एम. एण्ड ए.पी. पौधे	उदयपुर
		सब्जी	दुर्गापुर
		सब्जी	कोटा
		आलू	उदयपुर
		खुम्भी	उदयपुर
		पुष्प विज्ञान	

1	2	3	4
तमिलनाडु			
1.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	*फल/पीएच.टी.*	
		उष्ण फल	कोयम्बटूर
			पेरियाकुलम
		उपोष्ण फल	पेरियाकुलम
		शुष्क क्षेत्रीय फल	अरूप्पुकोटई
		पी.एच.टी.	पेरियाकुलम
		बागानी फसलें	
		तेलताड़	वेलप्पाकुलम
			अलियारनगर
			किल्लीकुलम
			अदुथौरई
		मसाले	कोयम्बटूर
			येरकोड
		काजू	वृधाचलम
		पान	सिरूगामणि
		सब्जी	
		सब्जी	कोयम्बटूर
		एन.एस.पी. (सब्जी)	पेरियाकुलम
		खुम्भी	कोयम्बटूर
		कंदफसलें	कोयम्बटूर
		पुष्प विज्ञान	कोयम्बटूर
उत्तराखंड			
1.	गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्त नगर, नैनीताल	*फल/पी.एच.टी.*	
		उपोष्ण फल	पन्तनगर
		सब्जी	
		सब्जी	पन्तनगर
		एन.एस.पी.	पन्तनगर
		आलू	पन्तनगर
		खुम्भी	पन्तनगर
		बागानी फसलें	पन्तनगर
		पुष्प विज्ञान	पन्तनगर
उत्तर प्रदेश			
1.	नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	*फल/पी.एच.टी.*	
		शुष्क क्षेत्रीय फल	फैजाबाद
		बागानी फसलें	
		एम. एण्ड ए.पी.	फैजाबाद
		मसाले	कुमारगंज

1	2	3	4
		सब्जी	
		सब्जी	फैजाबाद
		आलू	फैजाबाद
		खुम्भी	फैजाबाद
		कंदफसलें	फैजाबाद
2.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	*सब्जी*	
		सब्जी	कानपुर
		एन.एस.पी.	कानपुर
पश्चिम बंगाल			
1.	कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	*फल/पी.एच.टी.*	पैडोंग (वी.सी.के.वी.,
		उष्ण फल	कल्याणी)
		उपोष्ण फल	मालदा (वी.सी.के.वी.,
		पी.एच.टी.	कल्याणी)
			कल्याणी
		बागानी फसलें	
		तेलताड़	मन्दूरी
		मसाले	पुन्डीबारी
		काजू	झरग्राम
		पान	कल्याणी
		सब्जी	
		सब्जी	कल्याणी
		आलू	कल्याणी
		कंदफसलें	कल्याणी
		पुष्प विज्ञान	कल्याणी और कलिम्पौंग

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को नि:शुल्क जीवन बीमा प्रदान करना

62. **श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्रों के गरीब कामगारों को नि:शुल्क जीवन बीमा प्रदान करने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गरीब और पिछड़े जिलों की पहचान की है जिनमें असंगठित क्षेत्रों में कामगार हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना में शामिल किए जाने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या कितनी है और इस पर अनुमानित तौर पर कितना व्यय होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) सरकार सभी पणधारियों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग के परामर्श से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम को तैयार करने और विधान अधिनियमित करने पर विचार कर रही है। स्कीम की रूपरेखा तैयार करने और कामगारों को शामिल करने आदि की जांच-पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

यूरिया पर राजसहायता

63. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक उद्योग को यूरिया पर राजसहायता लंबित है जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2007 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरक उद्योग को नकदी के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा निर्माण इकाइयों को अभी तक धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित प्रतिपूर्ति के कब तक जारी होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) यूरिया सहित सभी उर्वरकों की बिक्री पर 1 जनवरी, 2007 तक लगभग 10,000 करोड़ रु. की राजसहायता देय थी। वर्ष 2006-07 की दूसरी अनुपूरक अनुदान मांग के तहत 4400 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे जिसे जनवरी, 2007 में उर्वरक उद्योग को जारी कर दिया गया है। आशा है कि वर्ष 2006-07 की तीसरी अनुपूरक मांग में राजसहायता के भुगतान के लिए शेष राशि प्राप्त हो जाएगी।

यूरिया उत्पादन संयंत्रों की स्थापना

64. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और विदेशी भागीदारों के बीच संयुक्त उद्यम से पश्चिम एशियाई देशों में यूरिया उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में निर्मित उत्पादन की स्वदेशी कीमतों से कम पर यूरिया उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) तथा बहुराज्यीय सहकारी समिति कृभको, जो उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, द्वारा कच्ची सामग्री संसाधनों से सम्पन्न देशों में नाइट्रोजनयुक्त/फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करने की संभावना की तलाश की जा रही है।

संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के यूरिया का मूल्य फीडस्टाक के मूल्य पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

65. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना में किसानों को जारी की गई कुल धनराशि में राज्य-वार राज्य तथा केन्द्र की हिस्सेदारी कितनी रही;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास कोई बीमा योजना लम्बित पड़ी है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त दावे कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में आवश्यक सुधार का अध्ययन करने के लिए गठित संयुक्त समूह की सिफारिशों के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ज) यदि हां, तो स्वीकार कर ली गई तथा लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को भुगतान किए गए राज्य-वार, मौसम/वर्षा-वार दावों को दर्शाने वाला एक विवरण-III संलग्न है।

(घ) से (च) 105.78 करोड़ रुपये के दावे राज्य के हिस्से की निधि के न चुकाए जाने के कारण लम्बित हैं। इन दावों का निपटान निधियों की प्राप्ति पर किया जायेगा।

लम्बित दावों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-IV संलग्न है।

(छ) और (ज) मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित संयुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संयुक्त दल ने सिफारिशें दी हैं जैसे- प्रमुख फसलों के लिए बीमा के इकाई क्षेत्र को ग्राम पंचायत तक कम करना, थ्रेश होल्ड उपज की गणना के आधार को उन्नत बनाना, उच्चतर क्षतिपूर्ति स्तर, पूर्व-बुआई जोखिम फसलोंपरान्त हानि का कावरेज आदि। सिफारिशों के आधार पर एन.ए.आई.एस. संबंधी सुधार प्रक्रियाधीन है।

विवरण I

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) की प्रमुख विशेषताएं

* यह स्कीम सभी किसानों, ऋणी तथा गैर-ऋणी, दोनों के लिए उपलब्ध है चाहे उनके जोतों का माप कुछ भी हो।
* ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक।
* यह स्कीम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है।
* बीमित क्षेत्र की थ्रेशहोल्ड पैदावार के मूल्य तक बीमित राशि में वृद्धि की जा सकती है।
* उन सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न तथा दालें) तिलहनों वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों का कवरेज जिनके मामले में पर्याप्त वर्षों के लिए विगत पैदावार संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।
* वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में मौजूदा समय में चौदह फसलों यथा- कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज, हल्दी, पटसन, टैपिओका, वार्षिक केला, अन्नानास, धनिया, जीरा और लहसुन शामिल है।
* प्राकृतिक न रोकी जा सकने वाली जोखिमों के कारण सभी पैदावार संबंधी हानियों को कवर करने वाली मूल रूप से सभी जोखिम बीमा स्कीमें।
* प्रीमियम की दरें बाजरा व तिलहनों के लिए 3.5% अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% तथा अन्य रबी फसलों के लिए 2% है। उस स्थिति में जब बीमांकिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई दर निर्धारित प्रीमियम दर से कम हो तो कम वाली दर लागू होगी।
* वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित दरें प्रभारित की जाती हैं।
* छोटे व सीमान्त किसानों को उनसे प्रभारित प्रीमियम पर 50% की सब्सीडी दी जाती है। इस सब्सीडी को 5 वर्षों की अवधि में क्रमशः चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

विवरण II

एन.ए.आई.एस. से लाभान्वित किसान

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित किसान 2003-04	लाभान्वित किसान 2004-05	लाभान्वित किसान 2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	318708	313435	672044
2.	असम	4088	2376	4737

1	2	3	4	5
3.	बिहार	61769	323175	228887
4.	छत्तीसगढ़	393	38123	2184
5.	गोवा	0	1	0
6.	गुजरात	30079	346963	14715
7.	हरियाणा	अधिसूचित नहीं	16799	32007
8.	हिमाचल प्रदेश	370	897	4705
9.	झारखंड	11869	59313	617226
10.	कर्नाटक	1531038	150926	130789
11.	केरल	16493	2144	10040
12.	मध्य प्रदेश	49748	259301	128239
13.	महाराष्ट्र	1439088	701543	259898
14.	मेघालय	0	90	0
15.	उड़ीसा	39529	51308	26391
16.	राजस्थान	997	376384	776142
17.	सिक्किम	0	0	0
18.	तमिलनाडु	16572	47478	49656
19.	त्रिपुरा	215	484	1621
20.	उत्तर प्रदेश	144821	619890	389820
21.	उत्तरांचल	4854	738	7062
22.	पश्चिम बंगाल	106516	119900	277425
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	592	0	0
24.	पांडिचेरी	592	647	780
25.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
	कुल	3778331	3433715	3634368

विवरण III

भुगतान किए गए राज्य-वार, मौसम-वार दावे तथा दावों की शेयरिंग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2003-04				वर्ष 2004-05				वर्ष 2005-06			
		भुगतान किए गए दावे 2003-04	एआईसी	राज्य शेयर	भारत सरकार का शेयर	भुगतान किए गए दावे 2004-05	एआईसी	राज्य शेयर	भारत सरकार का शेयर	भुगतान किए गए दावे 2005-06	एआईसी	राज्य शेयर	भारत सरकार का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	21491.66	5911.04	7790.31	7790.31	9296.85	8770.11	263.37	263.37	49335.01	8097.05	20618.98	20618.98
2.	असम	34.55	20.17	7.19	7.19	59.37	13.22	23.08	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	2638.30	283.69	1177.31	1177.30	23988.71	1100.63	11444.04	11444.04	15392.55	1274.04	7059.25	7059.25
4.	छत्तीसगढ़	5.17	5.17	0.00	0.00	504.64	356.92	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	585.49	585.49	0.00	0.00	28906.21	5606.46	11649.88	11649.88	249.19	249.19	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	133.36	108.44	12.46	12.46	66.23	40.53	12.85	12.85
8.	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.16	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	40.07	7.48	16.29	16.29
9.	झारखंड	267.70	43.36	112.17	112.17	1060.54	136.56	461.99	461.99	10471.69	686.39	4892.65	4892.65
10.	कर्नाटक	50780.64	4634.34	23073.15	23073.15	2648.17	2648.17	0.00	0.00	4536.60	4536.60	0.00	0.00
11.	केरल	648.32	75.53	286.40	286.40	39.17	39.17	0.00	0.00	147.24	50.36	48.44	48.44
12.	मध्य प्रदेश	876.73	851.97	12.38	12.38	5969.41	4476.49	746.46	746.46	2000.88	1895.92	52.48	52.48
13.	महाराष्ट्र	29558.46	3618.60	12969.93	12969.93	13005.76	2924.64	5040.56	5040.56	3231.54	3068.60	81.47	81.47
14.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	1830.79	1379.25	225.77	225.77	1504.79	1504.79	0.00	0.00	373.83	373.83	0.00	0.00
16.	राजस्थान	14.19	14.19	0.00	0.00	14333.79	5374.49	4479.65	4479.65	19069.37	4619.02	8568.46	5881.89
17.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	तमिलनाडु	894.48	205.50	344.49	344.49	3854.22	533.02	1660.60	1660.60	4607.41	496.21	2055.60	2055.60
19.	त्रिपुरा	3.66	1.44	1.11	1.11	3.85	3.23	0.31	0.31	36.16	10.93	12.61	12.61
20.	उत्तर प्रदेश	3695.92	1584.00	1055.96	1055.96	12200.76	3228.57	4486.10	4486.10	7926.66	3322.89	2301.89	2301.89
21.	उत्तरांचल	32.63	15.49	8.57	8.57	1.87	1.39	0.24	0.24	235.52	16.31	109.60	109.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	पश्चिम बंगाल	681.17	681.17	0.00	0.00	1861.73	1554.79	153.47	153.47	3149.14	1224.33	962.41	962.41
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
24.	पांडिचेरी	15.39	8.45	3.47	3.47	34.75	14.67	10.04	10.04	7.93	7.93	0.00	0.00
25.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
	जोड़	114055.41	19919.01	47068.21	47068.20	119410.50	38398.31	40506.10	40506.09	120877.03	29977.61	46792.99	44106.42

विवरण IV

अनुमोदित एन.ए.आई.एस. संबंधी दावे जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया (15 फरवरी, 2007) तक

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	मौसम	कुल बकाया दावे	एआईसी का हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेघालय	खरीफ, 2002	5.87	1.19	2.34	2.34	राज्य के हिस्से की प्रतीक्षा है।
2.	मेघालय	रबी, 2002-03	10.68	4.81	2.93	2.94	राज्य के हिस्से की प्रतीक्षा है।
3.	मेघालय	रबी, 2004	1.43	0.74	0.35	0.35	राज्य के हिस्से की प्रतीक्षा है।
4.	असम	रबी, 2004-05	9.57	9.57	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
5.	मेघालय	रबी, 2004-05	0.03	0.03	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
6.	गोवा	रबी, 2004-05	0.01	0.01	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
7.	कर्नाटक	रबी, 2004-05	402.23	248.65	0.00	153.58	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
8.	छत्तीसगढ़	खरीफ, 2005	5.86	5.86	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
9.	असम	खरीफ, 2005	1.31	1.31	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
10.	पश्चिम बंगाल	खरीफ, 2005	3355.13	625.58	1364.78	1364.77	राज्य के हिस्से की प्रतीक्षा है।
11.	राजस्थान	खरीफ, 2005	2538.22	0	0.00	2538.22	राज्य सरकार की देयता अभी प्राप्त की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	खरीफ, 2005	6.86	0.23	0.00	6.63	राज्य के हिस्से की प्रतीक्षा है।
13.	छत्तीसगढ़	रबी, 2005-06	6.35	6.35	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
14.	गुजरात	रबी, 2005-05	2.37	2.37	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
15.	आंध्र प्रदेश	रबी, 2005-06	357.96	357.96	0.00	0.00	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
16.	असम	रबी, 2005-06	130.38	50.05	40.16	40.17	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
17.	हरियाणा	रबी, 2005-06	1527.90	190.06	668.92	668.92	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
18.	तमिलनाडु	रबी, 2005-06	213.89	4.09	104.90	104.90	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
19.	पश्चिम बंगाल	रबी, 2005-06	1209.18	458.75	375.21	375.21	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
20.	महाराष्ट्र	रबी, 2005-06	1.19	0.00	0.59	0.59	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
21.	हिमाचल प्रदेश	रबी, 2005-06	64.35	5.68	29.33	29.34	राज्य के हिस्से की प्रतीक्षा है।
22.	झारखंड	रबी, 2005-06	266.77	35.36	115.71	115.71	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
23	छत्तीसगढ़	खरीफ, 2006	461.03	461.03	0	0	राज्य की प्रीमियम सब्सीडी की प्रतीक्षा है।
	कुल		10578.57	2469.68	2705.23	5403.67	

[अनुवाद]

संविदा कृषि

66. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों की सहायता हेतु संविदा कृषि शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संविदा कृषि शुरू करने हेतु कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर केन्द्र/राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत में छोटे किसानों के पास सामान्यत:

पूंजी बहुत कम होती है जिससे वे भूमि सुधार और आधुनिक आदानों में बहुत बड़ा निवेश नहीं कर पाते हैं। अनुबंधित खेती से इस समस्या को दूर किया जा सकता है क्योंकि इससे किसानों को गुणवत्ताप्रद आदान, तकनीकी सहायता और प्रबंधन कुशलता उपलब्ध कराई जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको विश्वसनीय और लाभप्रद मण्डियों से जोड़ा सकता है। उपर्युक्त की दृष्टि से सरकार अनुबंधित कृषि व्यवस्था को कृषि विपणन क्षेत्र में एक सुधार के रूप में समर्थन प्रदान कर रही है। ऐसा करते समय सरकार किसान तथा उद्योग दोनों के ही हितों की रक्षा करना चाहती है इसके लिए वह प्रायोजक कम्पनियों के पंजीकरण और अनुबंधित कृषि समझौते के दस्तावेजीकरण के लिए सुझाव देती है जिससे कि अविश्वसनीय और नकली कम्पनियों पर नियंत्रण रखा जा सके। विवादों के निपटान के लिए एकतंत्र की स्थापना किए जाने के लिए भी सलाह दी गई है जिससे कि किसानों और कम्पनियों के बीच यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उसका शीघ्रतापूर्वक तथा अर्धन्यायिक तरीके से समाधान किया जा सके और किसानों को किसी भी बदलाव की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके। एक माडल कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) जिसमें अन्य बातों के साथ उपर्युक्त प्रावधान भी शामिल हैं, को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचालित किया गया है जिससे कि वे इसे अपना सकें क्योंकि यह विषय उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र की राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने अपने-अपने नियमों में प्रावधान करके अनुबंधित खेती को विधिक समर्थन प्रदान किया है।

घरेलू उद्योग कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति

67. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उद्योग कामगारों के सशक्तिकरण के संबंध में हाल ही में भारत में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त कामगारों हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-गैस आधारित यूरिया उत्पादक इकाइयों का परिवर्तन

68. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री मो. ताहिर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा गैर-गैस आधारित यूरिया उत्पादक इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तन करने हेतु नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त इकाइयों के परिवर्तन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) वर्तमान में देश में कार्यरत गैस-आधारित इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ङ) क्या उक्त इकाइयों की उत्पादन क्षमता के संबंध में कोई आकलन किया गया है तथा उनके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार गैस-आधारित इकाइयों हेतु राज-सहायता बन्द करने का है, जैसा कि दिनांक 3 फरवरी, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से

(ग) सरकार ने मौजूदा गैर-गैस आधारित उत्पादन इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तन के लिए एक नीति की घोषणा की है ताकि देश में यूरिया के उत्पादन के लिए अत्यधिक दक्ष और अपेक्षाकृत सस्ता फीडस्टाक प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। नीति में अगले तीन महीने में सभी गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने की निश्चित योजना दी गई है। वर्तमान में देश में ऐसी 9 यूरिया इकाइयां (एमएफएल, स्पिक, जेडआईएल, एमसीएफएल, एमएफसी, जीएनएफसी, एनएफएल-नंगल, एनएफएल-भटिण्डा, एनएफएल-पानीपत) हैं जो फीडस्टाक के रूप में नेफ्था या एफओ/एलएसएचएस पर आधारित हैं। इस समय सीमा के बाद इन गैर-गैस आधारित इकाइयों द्वारा उत्पादित ऊंची लागत वाली यूरिया को मौजूदा स्तर पर राजसहायता नहीं दी जा सकेगी और इसे यूरिया के आयात सम मूल्य तक सीमित कर दिया जाएगा। जो इकाइयां गैर आधारित नहीं बन पाएंगी उन्हें कोल बेड मिथेन (सीबीएम) और कोयला गैस जैसे वैकल्पिक फीडस्टाक ढूंढने होंगे।

(घ) से (च) देश में कार्यरत गैस आधारित यूरिया इकाइयों का ब्यौरा उनके स्थान और उत्पादन क्षमता विवरण के रूप में संलग्न है।

(छ) और (ज) गैस आधारित इकाइयों की राजसहायता समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गैस आधारित यूरिया इकाइयों का ब्यौरा और स्थान

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	स्थान	संस्थापित क्षमता (लाख मी. टन)	फीडस्टाक
1	2	3	4	5
1.	कृभको	हजीरा	17.292	गैस
2.	टीसीएल	बबराला	8.646	गैस
3.	केएसएफएल	शाहजहांपुर	8.646	गैस
4.	आईजीएफएल	जगदीशपुर	8.646	गैस
5.	एनएफएल-विजयपुर-I	विजयपुर	8.646	गैस
6.	एनएफएल-विजयपुर-II	विजयपुर	8.746	गैस
7.	इफको आंवला-I	आंवला	8.646	गैस
8.	इफको आंवला-II	आंवला	8.646	गैस
9.	इफको फूलपुर-I	फूलपुर	7.0785	गैस
10.	इफको फूलपुर-II	फूलपुर	7.0785	गैस
11.	सीएफसीएल-गडेपन-I	गडेपन	8.646	गैस
12.	सीएफसीएल-गडेपन-II	गडेपन	8.646	गैस
13.	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	काकीनाडा	5.973	गैस
14.	एनएफसीएल-काकीनाडा-II	काकीनाडा	5.973	गैस
15.	आरसीएफ	थाल	17.068	गैस

1	2	3	4	5
16.	इफको	कलोल	5.445	गैस
17.	जीएसएफसी	बड़ोदा	3.7059	गैस
18.	बीवीएफसीएल-नामरूप-I	नामरूप	2.775	गैस
19.	बीवीएफसीएल-नामरूप-II	नामरूप	2.775	गैस
20.	आरसीएफ	ट्राम्बे	3.3	गैस

[अनुवाद]

स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण

69. श्री मनोरंजन भक्त: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों में स्थानीय जनता आदिवासी परिषद की ओर से अपने संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण करने की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय कार्यक्रमों का कवरेज क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सभी एल.पी.टी.एस. तथा वी.एल.पी.टी.एस. में स्वचालित स्विच-ओवर प्रणाली शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कारनिकोबार स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से स्थानीय कार्यक्रमों के रिले पर दूरदर्शन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यक्रमों को बदलने के लिए स्वचालित स्विच ओर सुविधा का प्रस्ताव है।

मौसम परिवर्तन से निपटने हेतु धनराशि

70. श्री जसुभाई धाणाभाई बारड:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेन्सी ने मौसम परिवर्तन से निपटने हेतु भारत को कई लाख डालर स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये धनराशि किस प्रकार उपयोग में ली गई है/उपयोग में लाये जाने की संभावना है; और

(घ) आज की तिथि तक इस प्रकार के व्यय से कितनी सफलता अर्जित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) भारत को वर्ष 1991 और जून 2006 के बीच जलवायु परिवर्तन मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण सुविधा के 129.46 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत को जुलाई, 2006 से जून, 2010 की अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा 4, संसाधन आवंटन फ्रेमवर्क के अंतर्गत 74.9 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं। आज की तारीख तक 4.927 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ग) और (घ) इन निधियों का उपयोग परियोजना की किस्म पर निर्भर करता है जिसे देश इन परियोजनाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ है और अनुमोदित करवाने के साथ ही साथ सफलतापूर्वक

कार्यान्वयन कर सकता है। वर्ष 1991-जून, 2006 के बीच अनुमोदित परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी है/कार्यान्वयन किया जा रहा है जबकि जी एफ ई 4 के अंतर्गत पहले से अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन अभी शुरू किया जाना है। इसके अलावा जी ई एफ प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार कोई देश अपने स्वीकार्य आवंटन के 50 प्रतिशत तक को अगले दो वर्षों (अर्थात् जून, 2008 तक) में प्रयोग कर सकता है। उसके बाद दिसम्बर, 2008 के अंत में देश के निष्पादन की जी ई एफ के स्वतंत्र मानीटरिंग और आकलन कार्यालय द्वारा विश्लेषण किया जाएगा जिसमें देश का आवंटन बढ़ सकता है अथवा कम हो सकता है।

उड़ीसा में अंगूर की कृषि

71. **श्री परसुराम माझी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कुल कितने क्षेत्र में अंगूर की खेती की जा रही है;

(ख) क्या राज्य में अंगूर की खेती को व्यापक तौर पर बढ़ावा दिये जाने की गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में अंगूर की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उड़ीसा में अंगूर की खेती का क्षेत्र नगण्य है। परीक्षण के तौर पर कोरापुट जिले में केवल 0.2 हैक्टेयर क्षेत्र में अंगूर की खेती की जा रही है।

(ख) वाणिज्यिक पैमाने पर अंगूर की खेती के लिये कल्टीवार्स और कृषि जलवायुवीय अनुकूलत के बारे में हाल में कोई परिशोधित आंकलन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में काफी प्लांटेशन

72. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश वन विकास विभाग ने राज्य के विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में अवक्रमित वन भूमि में काफी की प्लांटेशन बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश वन विकास निगम ने विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलों में अवक्रमित वन भूमि पर काफी रोपण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्ताव चूंकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में नहीं था इसलिए राज्य सरकार से प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

कृषि क्षेत्र में संकट

73. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षों से गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए कोई रूपरेखा/योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आगामी 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में कृषि क्षेत्र मुख्यत: कृषि विकास में मन्दी के कारण कठिनाई के दौर से गुजर रहा है जिसकी विकास दर वर्ष 1980 की अवधि से लेकर प्रतिवर्ष 3.2% से वर्ष 1996-97 तक प्रतिवर्ष लगभग 2% रही है। क्षेत्र द्वारा सामना की गई चुनौतियों में फसलों की स्थिर उत्पादकता, लाभप्रदता में गिरावट और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने पहले ही कई पहलें की हैं जैसे- इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कृषि ऋण नीति की

घोषणा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सहकारी क्रेडिट ढांचे में सुधार, कृषि मंडी में सुधार और राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण की स्थापना आदि। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न उपायों और पहलों के जरिए कृषि विकास में लगभग 4% सुधार लाने का प्रस्ताव है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि क्षेत्र हेतु आबंटनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

घटिया स्तर के गेहूं का आयात

74. **श्री उदय सिंह:**
श्री अमिताभ नन्दी:
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में गेहूं और आटे के खुदरा मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य देशों से आयात किए गए गेहूं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने घटिया स्तर के गेहूं के वितरण को बंद करने का फैसला किया है; और

(च) सरकार द्वारा आम आदमी को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं और आटा उपलब्ध कराने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के आरंभिक महीनों के दौरान वृद्धि दर्ज किए जाने के पश्चात गत तीन महीनों के दौरान गेहूं और आटे के खुदरा मूल्यों में लगातार गिरावट का रूख देखा गया है। आरंभिक महीनों के दौरान गेहूं के मूल्यों में वृद्धि का कारण 2005-06 के दौरान गेहूं का कम घरेलू उत्पादन और उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हैं।

(ग) अन्य देशों से आयातित गेहूं के स्टाक की गुणवत्ता पी एफ ए मानकों के अनुरूप है तथा मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। पोर्टों पर प्राप्त आयातित गेहूं के स्टाक की पी एच ओ/पी पी क्यू प्राधिकारियों द्वारा पोर्ट पर कड़ाई से सेम्पलिंग की जाती है और निरीक्षण किया जाता है तथा उनको स्वीकार करने से पूर्व अपनी प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं को स्वीकार किए जाने से पूर्व सरकार द्वारा यथा निर्णीत संविदा विनिर्देशनों के अनुसार स्टाक का विश्लेषण भी किया जाता है।

(घ) अब तक पी एफ ए मानकों से परे किसी स्टाक को स्वीकार नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने पहले ही में खुला बाजार बिक्री स्कीम के तहत 4 लाख मी. टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया है। फरवरी और मार्च, 2007 में देश भर में खुला बाजार बिक्री स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों को गेहूं की कुल 3.65 लाख मी. टन मात्रा रिलीज करने के आदेश 15.2.2007 और 20.2.2007 को जारी किए गए हैं। राज्यों को 986.06 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 35,000 मी. टन गेहूं भी राज्यों को उनकी मांग/उठान के आधार पर रिलीज किया जाएगा। खुला बाजार बिक्री स्कीम के तहत आबंटित किए गए गेहूं का राज्यवार विवरण संलग्न है। गेहूं को भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य स्तरीय संस्थाओं/निगमों अथवा एजेंसियों के जरिए उपभोक्ता को वितरण के लिए राज्य सरकारों को रिलीज किया जाएगा जिनके कार्य का राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि राजसहायता प्राप्त कम मूल्यों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा सके।

विवरण

खुला बाजार बिक्री स्कीम के तहत गेहूं का राज्यवार आबंटन

राज्य	मात्रा मीट्रिक टन में
1	2
दिल्ली	30,000
मध्य प्रदेश	20,000
उत्तर प्रदेश	20,000
पश्चिम बंगाल	20,000

1	2
बिहार	20,000
पंजाब	10,000
हरियाणा	10,000
जम्मू-कश्मीर	15,000
असम	6,000
हिमाचल प्रदेश	5,000
उत्तराखण्ड	5,000
त्रिपुरा	1,000
मिजोरम	1,000
मणिपुर	500
नागालैंड	500
मेघालय	500
अरुणाचल प्रदेश	500
महाराष्ट्र	60,000
कर्नाटक	60,000
केरल	25,000
उड़ीसा	20,000
गुजरात	20,000
तमिलनाडु	15,000
योग	3,65,000

[हिन्दी]

कम मूल्यों पर सरसों की बिक्री

75. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी खरीद मौसम के मद्देनजर सरसों के पुराने भण्डार की कम मूल्यों पर बिक्री करने की योजना को अनुमोदित कर दिया है जैसा कि दिनांक 9 फरवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बिक्री से हुए घाटे को पूरा करने के लिए राज्य-वार सरसों का चालू स्टाक और अनुमोदित धनराशि कितनी है; और

(ग) आगामी मौसम के दौरान सरसों की खरीद के लिए कितनी धनराशि अनुमोदित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। नैफेड प्रारम्भ से ही चालू मण्डी दरों पर सरसों का निपटान करता रहा है। आगामी सरसों फसल को देखते हुए सरसों उत्पादक क्षेत्रों में सरसों की बिक्री रोक दी गई तथापि, टर्मिनल मण्डियों में तथा बीज को तेल में प्रसंस्करण करने के जरिए सरसों की बिक्री चालू रखी जाती है।

(ग) आगामी मौसम के दौरान सरसों की खरीद के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

भारत-ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन परियोजना-II

76. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन परियोजना-II के दूसरे चरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कुल कितना निवेश अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण कार्य विभाग, यू.के. सरकार भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन चरण-II पर चार वर्षीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत है। अनुसंधान कार्यक्रम में भारतीय जलवायु परिदृश्य में सुधार और जल संसाधन, कृषि, वन और मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों का आकलन शामिल है। इसके अतिरिक्त चरण-II में भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण और संस्थानों का संस्थागत क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। यू.के. सरकार परियोजनाओं को 8,47,000 पाउंड अनुमानित परिव्यय निधि देगा। अध्ययन के विवरणों की अभी तक जांच नहीं की गई है।

कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम

77. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस अधिनियम के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) इस आदर्श अधिनियम के माध्यम से एपीएमसी में क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे किसानों को क्या-क्या लाभ पहुंचने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) माडल अधिनियम में दिए गए सुझावों के आधार पर संबंधित कृषि उत्पाद विपणन विनियम अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके कृषि विपणन क्षेत्र में किए गए सुधार के वर्तमान स्तर को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) अपेक्षित प्रमुख सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

(1) विधिक व्यक्तियों, उत्पादकों और स्थानीय प्राधिकरणों को किसी भी क्षेत्र में नए बाजारों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना;

(2) उत्पादकों पर से प्रतिबंधों को हटाना जिससे वे वर्तमान विनियमित बाजारों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेच सकें;

(3) सीधी बिक्री के लिए डाइरेक्ट पर्चेज सेन्टर्स और उपभोक्ता/कृषिक मण्डियों की स्थापना करना;

(4) प्याज, फल, सब्जियों और फूलों आदि जैसी जिन्सों के लिए विशेष मण्डियों की स्थापना के लिए अलग से प्रावधान करना; और

(5) अनुबंधित कृषि व्यवस्था के लिए संस्थागत समर्थन तंत्र की शुरूआत करना।

(घ) इस प्रकार के सुधार से उस क्षेत्र में विपणन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जहां कि स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विद्यमान है जिससे किसान उपलब्ध विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और अपने उत्पादों को उस केन्द्र में ले जा सकते है जहां से उनको सर्वाधिक मूल्य और सेवाएं मिलने की संभावना हो। अनुबंधित कृषि व्यवस्था से लघु कृषि क्षेत्र को कृषि प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ा जा सकता है और विस्तार सलाह, बीज उपलब्ध कराए जा सकते हैं और विश्वसनीय तथा लाभप्रद बाजारों में क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

विवरण

कृषि विपणन के क्षेत्र में लागू किए गए सुधार के स्तर

क्र.सं.	सुधार का स्तर	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां सुझाव के अनुसार एपीएमसी अधिनियम में सुधार किया गया है।	मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, नागालैण्ड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और चण्डीगढ़
2.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में निम्न प्रकार से आंशिक सुधार किया गया है	हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	(क) एपीएमसी अधिनियम/संकल्प में संशोधन करके	उत्तर प्रदेश
	(ख) शासन के आदेश से	
3.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम नहीं है अत: यहां सुधार की जरूरत नहीं है।	केरल, मणिपुर, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप

1	2	3
4.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में सुधार के लिए पहले ही प्रावधान है।	तमिलनाडु
5.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां सुधार के लिए प्रशासनिक कार्य शुरू किए गए हैं।	असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, गोवा, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और झारखण्ड।

कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

78. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि तथा वृक्षारोपण क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इससे किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में इस कदम के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) कृषि और समवर्गी क्षेत्र से संबंधित नियंत्रित स्थितियों और सेवाओं के अधीन पुष्पकृषि, बागवानी, बीज विकास, पशुपालन, मछलीपालन, जलकृषि, सब्जियों और खुम्भियों की खेती में स्वत: चालित मार्ग पर 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र में सरकार/विदेशी निवेश प्रवर्धन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति है, बशर्ते पांच वर्ष की अवधि में भारतीय साझीदार/भारतीय जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत साम्या का विनिवेश तथा भू-उपयोग हेतु राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन हो। अन्य किसी कृषि और पौध रोपण क्रियाकलाप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।

उद्यमियों द्वारा अपने तकनीकी-आर्थिक निर्णयों तथा वाणिज्यिक लब्धियों के आधार पर स्थान के विकल्प सहित निवेश निर्णय लिए जाते हैं।

सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसके अनुसार अधिकतर क्षेत्रों में स्वत: चालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है और अधिक उदारीकरण/युक्तिकरण के लिए नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। इस नीति का लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है, जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। इस क्षेत्र में उत्पादकता और विकास में सुधार लाने की क्षमता है।

असम कृषि विश्वविद्यालय का विकास

79. श्री अनवर हुसैन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार से असम कृषि विश्वविद्यालय के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार किस तरीके से उक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने का है तथा इसके लिए क्या आवंटन किया गया है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विकास की कोई विशेष योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। असम सरकार ने असम कृषि विश्वविद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए एक-मुश्त अनुदान का अनुरोध किया है।

(ग) कृषि शिक्षा एक राज्य का विषय है। असम कृषि विश्वविद्यालय सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बजट का एक बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यद्यपि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि शिक्षा के विकास एवं

सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र द्वारा भी सहायता दी जाती है। दसवीं योजना के दौरान स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत कृषि शिक्षा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय को 2600.07 लाख रु. की राशि जारी/आबंटित की गई हैं।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1993 में इम्फाल, मणिपुर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पहले स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

भेषज उद्योग का विकास

80. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के पहले नौ महीनों में भेषज उद्योग की वृद्धि दर 57 प्रतिशत तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, उक्त अवधि के दौरान इस उद्योग का कुल कारोबार कितना रहा है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में यह कुल कारोबार का कितना अधिक है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उद्योग की वृद्धि हेतु क्या वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) भारतीय फार्मा उद्योग का बाजार आकार उत्पादन/उपभोग/निर्यात के रूप में बढ़ रहा है। भारतीय फार्मा उद्योग का मूल्य वर्तमान में लगभग 12 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है, जबकि घरेलू मोर्चे पर तथा निर्यात मोर्चे पर यह क्रमश: लगभग 15-16% और 20-25% की दर से बढ़ रहा है। सरकार अपनी ओर से, अधिकांशत: अनुसंधान एवं विकास के लिए, फार्मा उद्योग में वृद्धि कतिपय वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देती है।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

81. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में संशोधन करने तथा नौकरी ढूंढने के लिए अपनी इच्छा से राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले व्यक्तियों को इसके दायरे में लाने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सिक्किम इत्यादि राज्यों से अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें अधिनियम के नाम में परिवर्तन और उन कामगारों को संरक्षण प्रदान करना शामिल है जो नौकरी की तलाश में अपनी इच्छा से प्रवास करते हैं और जिनकी भर्ती का तरीका चाहे कोई भी रहा हो।

यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्यनिर्धारण योजना

82. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) के चरण-तीन हेतु नीति स्वीकृत की है, जैसा कि दिनांक 2 फरवरी, 2007 के 'द हिन्दू में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नई योजना से देश में यूरिया की कमी को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) सरकार ने देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया संबंधी नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-III को अनुमोदन दे दिया है। इस नीति का उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में और निवेश को प्रोत्साहित करना, गैर-गैस आधारित इकाइयों को गैस आधारित

इकाइयों में परिवर्तित कर स्वदेशी यूरिया इकाइयों के यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना, अतिरिक्त यूरिया उत्पादन को प्रोत्साहित करना और विदेशों में संयुक्त उद्यम (जेवी) परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य देश के दूर-दराज इलाकों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया वितरण और संचलन की बेहतर प्रणाली स्थापित करना भी है।

[हिन्दी]

औषध कंपनियों को जारी किए गए नोटिस

83. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध कंपनियों मरीजों से औषधियों की ज्यादा कीमत वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा विभिन्न औषध कंपनियों को ज्यादा कीमत वसूलने के जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कंपनी पर कितनी देनदारियां हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों, लंबित मामलों और वसूली गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष धनराशि को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), औषध (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अधीन एनपीपीए द्वारा निर्धारित/अधिसूचित मूल्यों को कार्यान्वित नहीं करने वाली फार्मा कंपनियों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई करता है और यह एक सतत व अनवरत प्रक्रिया है। अगस्त, 1997 में अपनी स्थापना से अब तक, एनपीपीए ने डीपीसीओ 1995 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत 397 मामलों में अधिप्रभारित राशि की वसूली के लिए 738.15 करोड़ रु. की कुल मांग उठायी है। एनपीपीए ने (31.12.2006 तक) चूककर्ता कंपनियों से 99.99 करोड़ रु. की वसूली की है। एनपीपीए, अधिप्रभारित राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से समुचित कार्रवाई करता है। कुछ मामलों में वसूली माननीय उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा वर्तमान में न्यायालयों में चल रहे मामलों के कारण प्रभावित होती है।

[अनुवाद]

जल वर्ष 2007

84. श्री के.एस. राव:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न कृषि फसलों के लिए जल की प्रत्येक बूंद की कृषि फसल आय की वर्तमान दर क्या है;

(ख) उत्पादकता और कृषि की लाभकारिता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु तैयार किए गए कृषक भागीदारिता कार्यवाही अनुसंधान कार्यक्रम और जल साक्षरता अभियान शुरू करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007 को 'जल वर्ष' घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष 'जल वर्ष' के रूप में मनाने के लिए योजना की प्रमुख विशेषताएं और व्यापक रूपरेखा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कितना व्यय शामिल होने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न कृषि फसलों के लिए जल की प्रत्येक बूंद हेतु कृषि फसल आय की वर्तमान दर का कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा जल संचयन का संबंधित मुद्दों सहित जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), सेमी एरिड ट्रोपिक्स संबंधी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएएसटी), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मीस) और इस विषय में संगत विशेषज्ञता रखने वाले निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को शामिल करते हुए देश के 5000 गांवों में क्रियान्वित करने का विचार है।

भारत सरकार ने वर्ष 2007 को 'जल वर्ष' के रूप में घोषित किया है जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा:

(1) सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, विनियमित उपयोग एवं संरक्षण सहित जल क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन पर कानून बनाने सहित उपयुक्त उपायों पर सहमति बनाना;

(2) सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और किसानों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं का रख-रखाव करना;

(3) जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;

(4) विकास एवं प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।

वर्ष 2007 को जल वर्ष के रूप में मनाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का आयोजन करें। जल वर्ष 2007 से संबंधित सभी क्रियाकलाप जल संसाधन मंत्रालय तथा इसके संगठनों के अनुमोदित कार्यक्रम के तहत किए जाने हैं।

विवरण

वर्ष 2007 को 'जल वर्ष' के रूप में मनाने के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रमुख क्रियाकलाप
1	2	3
1.	जन.-दिसं., 2007	रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से जल संरक्षण संबंधी अभियान
2.	जन.-दिसं., 2007	जल संरक्षण की थीम सहित बच्चों के लिए कार्टून बुकलेटों का मुद्रण और वितरण
3.	जन.-दिसं., 2007	आम जनता, स्कूलों और कालेजों इत्यादि के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आयोजित किए जाने वाले जनजागरूकता कार्यक्रम
4.	जन.-दिसं., 2007	राज्य और केन्द्र सरकार पदाधिकारियों, अभियंताओं, वास्तुकार, ड्रिलर्स तथा अन्य स्वैच्छिक अभिकरणों के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आयोजित किए जाने वाले जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	जन.-दिसं., 2007	क्षेत्र विशिष्ट भूजल विकास और प्रबंधन योजना की डिजाइन के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन करना।
6.	जन.-दिसं., 2007	भूजल आंकड़ों के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रसार के लिए आंकड़ा भंडारण और सूचना प्रणाली की स्थापना/अद्यतन करना।
7.	जन.-दिसं., 2007	क्षेत्र विशिष्ट प्रविधियों को विकसित/अद्यतन करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन करना।
8.	फर.-मार्च, 2007	मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की सहभागिता और माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक।
9.	मार्च, 2007	मंत्रालय के तहत आने वाले संगठनों के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा दिल्ली में कर्टेन रेजर और देश के विभिन्न भागों में समारोहों का आयोजन करके विश्व जल दिवस मनाया जाना।
10.	अप्रैल, 2007	पानी पंचायत पर ग्राम समुदाय की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की संस्थापना।

1	2	3
11.	अप्रैल, 2007	जल के इष्टतम उपयोग की औपचारिक शुरूआत।
12.	मई, 2007	भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित करना।
13.	जून-दिस., 2007	5000 गांवों को शामिल करते हुए प्रत्येक पानी पंचायत में एक महिला और एक पुरुष को जल विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण।
14.	जून, 2007	भूजल पर राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन।
15.	जून, 2007	5000 गांवों में कृषि विश्वविद्यालयों/इकार संस्थानों/इक्रीसैट और वाल्मीस के माध्यम से कृषक सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना।
16.	जुलाई, 2007	प्रयोक्ता स्तर तक उपलब्ध सूचना और जानकारी के व्यापक और अधिक प्रभावी प्रसार संबंधी कार्यनीतियों पर मैन्युअल जारी करना।
17.	अगस्त, 2007	स्वाधीनता दिवस, 2007 इत्यादि जैसे विशिष्ट अवसरों पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से जल के संरक्षण संबंधी अभियान।
18.	सित.,-अक्तू., 2007	आईआईटीएफ-2007, कृषि एक्सपो-2007, सित.-अक्तू., 2007 में आयोजित होने की संभावना वाले 8वें वाटर एशिया तथा पूर्वोत्तर में आयोजित होने वाले एक अथवा दो मेलों इत्यादि में भाग लेना।
19.	सित.-दिसं., 2007	जल संसाधनों से संबंधित तकनीकी और प्रबंधन मुद्दों पर कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन।

[हिन्दी]

इस्पात प्रसंस्करण उद्योग

85. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए इस्पात डीलर्स बैठक कार्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में इस्पात प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) झारखंड में इस्पात प्रसंस्करण उद्योग की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) डीलर्स की हाल ही में हुई बैठक में सेल निम्नलिखित कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है:-

(1) सेल झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में 6 माडल स्टील विलेज पहले ही अपना चुका है। इससे अतिरिक्त बिहार राज्य में 5 माडल स्टील विलेज अपनाने का निर्णय भी लिया जा चुका है।

(2) व्यापक स्पष्टता और सेल के उत्पादों की ब्रांड छवि को सुधारने हेतु एक उपयुक्त प्रचार अभियान शुरू करना।

(3) खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए टीएमटी और जीपी/जीसी शीटों का सैक्शनल वेट आधार पर विपणन तथा जीपी/जीसी शीटों की छोटे बंडलों में सप्लाई करना।

(ग) और (घ) देश में इस्पात प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सेल कुछ अन्य राज्यों में इस्पात प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ङ) सेल की बोकारो, झारखंड में पहले ही एक ज्वाइंट वेंचर स्टील प्रोसेसिंग यूनिट है।

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार

86. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत कितने अतिरिक्त परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान अधिक परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत लाने के लिए इसका और विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान 20.2.2007 तक विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 25.502 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को कवर किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित राज्य

87. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखा प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस वर्ष देश में सूखे से कुछेक क्षेत्र प्रभावित हुए है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को कितनी हानि हुई है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी सहायता और कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की मांग की गई है; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) राज्यों के पास आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत निधियों की सहज उपलब्धता है ताकि राज्य सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तत्काल राहत उपाय करने में समर्थ हो सकें। जिन गंभीर किस्म की आपदाओं के मामले में सीआरएफ में निधियों की उपलब्धता स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं उनके लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) में से सीआरएफ से अधिक और अलग अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2006 के दौरान वर्षा की कमी के कारण इस वर्ष आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से विभिन्न गनहता के सूखे/सूखे जैसी स्थिति की सूचना मिली है।

कर्नाटक सरकार ने सूखे की स्थिति पर संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें राहत रोजगार के लिए 5.74 लाख एमटी खाद्यान्न और एनसीसीएफ से 1262.95 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई है। इस पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा विचार किया गया तथा एचएलसी ने राहत रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के तहत एक लाख एमटी चावल और एनसीसीएफ से 74.48 करोड़ रुपए (राज्य के सीआरएफ में उपलब्ध शेषों के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन) अनुमोदित किए। राज्य को 50,000 एमटी चावल पहले ही निर्मुक्त कर दिए गए हैं तथा चावल की शेष मात्रा प्रारंभिक 50,000 एमटी के उपयोग की रसीद पर निर्मुक्त की जाएंगी। यह राज्य सरकार द्वारा वास्तविक उपयोग पर निर्भर करते हुए समीक्षा के अध्यधीन है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूखे की स्थिति में एनसीसीएफ से 536.06 करोड़ रुपए की सहायता मांगने वाले ज्ञापन की अनुक्रिया के रूप में अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए हाल ही में राज्य का दौरा किया। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान सरकार ने जनवरी से जून, 2007 के दौरान सूखा राहत कार्यों को शुरू करने के लिए 5.04 लाख एमटी गेहूं के आबंटन के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार का अनुरोध विचाराधीन है।

अब तक किसी भी अन्य राज्य ने केन्द्रीय सहायता मांगने वाला कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

लौह अयस्क का निर्यात

88. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु गठित की गई सचिवों की समिति ने इस मामले को वापिस सरकार को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) जी, हां। चूंकि सचिवों की समिति "माध्यमीकरण के जरिए और नवीकरण के समय सभी मौजूदा दीर्घकालिक करारों की समीक्षा के जरिए 64% और उससे अधिक लौहांश वाले लौह अयस्क (चूरा और डाले) के निर्यात को अगले तीन वर्षों के लिए मौजूदा स्तर पर बनाए रखकर इस पर प्रतिबंध" के मामले में आम सहमति पर नहीं पहुंच सकी। अत: इस पर सहमति हुई थी कि इसका निर्णय सरकार द्वारा उपयुक्तत: लिया जा सकता है।

(ग) यह मुद्दा सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत प्रगति

89. श्री रघुनाथ झा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा कार्य योजना की वास्तविक प्रगति का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) गंगा कार्य योजना चरण I भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए प्रथम प्रयास के रूप में 1985 शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रतिदिन 882 मिलियन लीटर सीवेज का शोधन करना और इसकी जल गुणता का स्नान श्रेणी मानक तक सुधार करता था। इस चरण को प्रतिदिन 865 मिलियन लीटर की सीवेज शोधन क्षमता के सृजन के साथ मार्च, 2000 में पूरा हुआ घोषित किया गया था।

गंगा कार्य योजना चरण I में गंगा के पूरे प्रदूषण भार को शामिल नहीं किया गया था गंगा कार्य योजना चरण II को 1993 के आगे चरणों में अनुमोदित किया गया जिसमें गंगा के अलावा गंगा की सहायक नदियां नामत: यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा की योजनाएं शामिल हैं। योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों में सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, सीवरेज का अवरोधन और दिशापरिवर्तन, अल्प लागत शौचालय, उन्नत काष्ठ आधारित शवदाह गृह, नदी तट विकास आदि कार्य शामिल हैं। गंगा कार्य योजना I और II के अंतर्गत प्रदूषण निवारण की 669 स्कीमें अब तक पूरी हो चुकी हैं जिसमें प्रतिदिन 1728.37 मिलियन लीटर की अतिरिक्त सीवेज शोधन क्षमता का सृजन हुआ है। राज्यों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी त्रिपक्षीय निगरानी तंत्र के माध्यम से सतत आधार पर केन्द्र और राज्य दोनों द्वारा की जाती है। इसके अलावा ख्याति प्राप्त स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से नियमित आधार पर नदी की जल गुणता निगरानी के अनुसार गंगा नदी की जल गुणता में अधोप्रवाह शहरी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद प्रदूषण निवारण कार्यों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जैविक भार के संदर्भ में सुधार दिखाई दिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उद्यानों का अतिक्रमण

90. श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राष्ट्रीय उद्यानों का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उद्यान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में अतिक्रमण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की है। भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों में

अतिक्रमण निषेध किया गया है। केंद्र सरकार ने भी अपने दिनांक 3.5.2002 के पत्र सं. 7-16/2002-एफसी द्वारा सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वन भूमियों से अपात्र अतिक्रमणों को हटाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना जैसी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अतिक्रमणों के निवारण सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय उद्यानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्यों द्वारा अतिक्रमण रोकने के लिए किए गए विशेष उपचारात्मक उपाय निम्नलिखित है:-

(क) उद्यान की चहारदीवारों का समेकन और सीमांकन करना।

(ख) अतिक्रमण के लिए दिए जाने वाले दंड की धारा की चेतावनी वाले सिग्नेजिज लगाना।

(ग) बेदखली के बाद उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर वनीकरण के अंतर्गत लाना।

(घ) बाउण्ड्री ट्रैन्चों/एलीफेण्ट प्रूफ ट्रेन्चों की खुदाई और मेसनरी रबल दीवार का निर्माण।

(ङ) कानून के अनुसार, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राष्ट्रीय पार्क	क्षेत्र (हेक्टे.)
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान	25.00
2.	आंध्र प्रदेश	महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान	16.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	नाम्दाफा राष्ट्रीय उद्यान	3005.00
4.	असम	नामेरी राष्ट्रीय उद्यान	2100.00
	असम	राजीव गांधी ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान	800.00
	असम	मानस राष्ट्रीय उद्यान	1700.00
	असम	डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान	300.00
	असम	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (अतिरिक्त क्षेत्र में)	7790.00
5.	बिहार	शून्य	शून्य
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	कांघर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	293.6
8.	दादर एवं नागर हवेली	शून्य	शून्य
9.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	शून्य	शून्य
11.	गोवा	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	शून्य	शून्य
13.	हरियाणा	शून्य	शून्य

1	2	3	4
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
15.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य
16.	झारखंड	शून्य	शून्य
17.	कर्नाटक	बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान	482.32
	कर्नाटक	अंशी राष्ट्रीय उद्यान	39.40
	कर्नाटक	बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान	12.80
	कर्नाटक	रांजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान	1.60
	कर्नाटक	कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान	141.49
18.	केरल	शून्य	शून्य
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	0.793
21.	मध्य प्रदेश	माधव राष्ट्रीय उद्यान	7.84
22.	महाराष्ट्र	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	200.0
23.	मणिपुर	शून्य	शून्य
24.	मेघालय	शून्य	शून्य
25.	मिजोरम	शून्य	शून्य
26.	नागालैंड	शून्य	शून्य
27.	उड़ीसा	शून्य	शून्य
28.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य
29.	पंजाब	शून्य	शून्य
30.	राजस्थान	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	0.15
31.	सिक्किम	शून्य	शून्य
32.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
33.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
34.	उत्तर प्रदेश	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	240.00
35.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य
36.	पश्चिम बंगाल	न्यौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान	34.90

पुष्पकृषि को बढ़ावा देना

91. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में भारत के आयात-निर्यात बैंक द्वारा देश में पुष्पकृषि की वर्तमान स्थिति और देश में इसकी संभाव्यता के संबंध में किए गए अध्ययन की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) देश में पुष्पकृषि के संवर्द्धन के लिए कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा बहुत से क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं। ये हैं:-

(1) **रुग्ण पुष्पकृषि यूनिटों की पुन:स्थापना–** अपेडा द्वारा रुग्ण पुष्पकृषि यूनिटों की पुन:स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक कोष स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ताकि उनको पुन: जीवन्त बनाते हुए उनको निर्यात के योग्य गुणवत्ताप्रद उत्पादों के उत्पादन में मदद की जा सके।

(2) **पुन:रोपण और पालिशीटों का प्रतिस्थापन–** पुन:रोपण का कार्य करने और पुराने पौधों के स्थान पर नई किस्मों आदि के रोपण के लिए यूनिटों को मदद करने हेतु पालिशीटों के प्रतिस्थापन और पुन:रोपण के लिए अपेडा द्वारा प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं। क्षतिग्रस्त पालिशीटों के प्रतिस्थापन के लिए और सहायता से यूनिटों को उनको प्रतिस्थापित करने तथा पादप गुणवत्ता बनाए रखने तथा रोगों से बचाने में मदद मिलेगी।

(3) **कृषि-निर्यात अंचल–** देश के विभिन्न भागों में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में यथा तमिलनाडु (2 पुष्पकृषि एईजेड), कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तरांचल प्रत्येक में एक-एक, पुष्पकृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 6 कृषि निर्यात अंचलों की स्थापना की गई है।

(4) **फसलोपरान्त अवसंरचना–** चूंकि हवाई अड्डों तक फूलों के पहुंचने और हवाई जहाज में उसको लादने के बीच सामान्यत: समय सीमा होती है, इसलिए निर्यातकों को उनके उत्पादों के भण्डारण में मदद करने के लिए मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम जैसे विभिन्न हवाई अड्डों पर अपेडा द्वारा प्रायोजित शीतगारों की स्थापना की गई है।

(5) **प्रोडक्ट बास्केट का विस्तार–** केवल फूलों के निर्यात के अलावा उत्तरांचल से जरबेराज, हिमाचल प्रदेश से कारनेशन, केरल से हेलिकोनिआस तथा पश्चिम बंगाल से ट्यूबरोज व गेंदा आदि का निर्यात करके उत्पाद परास में विविधीकरण लाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर (मिजोरम, मेघालय) से एथ्यूरियम्स जैसे विदेशी फूलों का भी निर्यात शुरू हो गया है। साथ ही, सरकार की एएसआईडीई स्कीम के तहत वित्त पोषित एक शल्क विविधीकरण परियोजना उत्तरांचल में चल रही है।

(6) **मालभाड़े पर सब्सिडी–** चूंकि मालभाड़े की उच्च लागत की वजह से भारतीय पुष्पकृषि निर्यात प्रतिस्पर्द्धा करने में अक्षम हो जाता है, अत: अपेडा मालभाड़े की लागत को सामान्य बनाने के लिए निर्यातकों को परिवहन सहायता सब्सिडी प्रदान करता है। इसके निर्यातकों को बहुत अधिक मदद मिलती है और इससे उनकी कारोबार लागत और हवाई मालभाड़े की लागत संबंधी घाटे जिसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों से तुलना करते हुए परिकलित किया जाता है, में पर्याप्त कटौती हुई है। इस स्कीम को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(7) **मण्डी सुविधा केन्द्र–** अपेडा ने नीदरलैण्ड में 2001 में अपना पहला एम.एफ.सी. स्थापित किया था। भारतीय ताजे तथा तराशे हुए फूलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए यह एक प्रमुख क्रियाकलाप है। उस स्थल पर जहां अधिकतम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एमएफसी की उपस्थिति के कारण भारतीय उत्पादकों को परिवर्तनशील प्रवृत्तियों और मण्डी की आवश्यकताओं आदि की एक संदर्शी स्थिति की जानकारी मिली है। इसके अलावा इस केन्द्र की स्थापना से अस्वीकृति में कमी लाने, उन्नत गुणवत्ता प्राप्त करने और हमारे निर्यात

के प्रस्तुतीकरण में मदद मिली है। इसकी सफलता और प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यापक मण्डी अवसरों का लाभ उठाने के लिए टोकियो और दुबई में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने की योजना बना रही है।

(8) **आधुनिक पुष्प नीलामी केन्द्र–** किसी मण्डी का स्थानीय रूप से विकास करने (तथा निर्यात के लिए आपूर्ति आधार) हेतु अपेडा ने बंगलौर, मुम्बई, कोलकाता और नोएडा में नीलामी केन्द्रों की स्थापना से संबंधित क्रियाकलाप शुरू किया है। आपूर्ति के स्रोतों को समेकित करने से आयातकों को इन नीलामी केन्द्रों से अंतर्राष्ट्रीय मण्डियों में अपनी आपूर्ति को माध्यम देने में मदद मिलेगी। मूल्य पारदर्शिता तथा त्वरित भुगतान से उद्योग का तीव्र विकास होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय मण्डी में प्रतियोगी आपूर्तियों के लिए अपेक्षित मात्रा के सृजन में मदद मिलेगी।

(9) **अन्तर्राष्ट्रीय वनस्पति प्रदर्शनियों का आयोजन–** इस क्रियाकलाप से भारतीय उत्पादकों और अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के लिए भारतीय पुष्पकृषि उद्योग की क्षमता से वाकिफ होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। इन प्रदर्शनियों के दौरान भारतीय उत्पादक प्रजनकों और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं से संपर्क करने में सक्षम हुए हैं और इस प्रकार उनको अंतर्राष्ट्रीय मण्डियों की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं की एक गहरी समझ प्राप्त हुई है।

(ग) भारत में पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए ये चालू क्रियाकलाप हैं।

खाद्य नीति

92. श्री रामदास आठवले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक खाद्य नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार की एक व्यापक खाद्य नीति है, जिसके अधीन देश भर के सभी जिलों में जहां विपणन के लिए अधिशेष खाद्यान्न होते हैं, वहां सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाए जाते हैं। किसानों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, अपना उत्पाद बेचने का विकल्प होता है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले। इससे सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न खरीद लेती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखना भी खाद्य नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

[अनुवाद]

ग्राम ज्ञान केन्द्र

93. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने ग्राम ज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में विशेषकर जामनगर जिलों में और ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने और उन्हें स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग 'ग्रामीण ज्ञान केन्द्र' नामक कोई स्कीम क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्राडबैंड तथा इन्टरनेट से जुड़े हुए कामन सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता देने हेतु एक स्कीम का अनुमोदन किया है। राज्य में प्रत्येक 6 संगणना गांवों के लिए एक कामन सेवा केन्द्र के अनुपात में ये केन्द्र खोले जाएंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तथा निजी सेवाएं संयुक्त रूप से प्रदान करेंगे। इस स्कीम को सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।

इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग "कृषि-क्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र" नामक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत शामिल किए जाने के लिए चयनित कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण और सहायक सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षित स्नातकों से किसानों को शुल्क आधारित विस्तार एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्व-रोजगार प्रणाली के तहत कृषि उद्यमों की स्थापना की अपेक्षा की जाती है।

एसीएबीसी स्कीम के तहत प्रशिक्षित स्नातकों द्वारा अब तक कुल 3904 कृषि उद्यमों की स्थापना की गई है। विभिन्न राज्यों में स्थापित ऐसे कृषि उद्यमों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को गुजरात में सीएससी स्कीम की मंजूरी के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एसीएबीसी स्कीम के मामले में गुजरात सरकार से कृषि एवं सहकारिता विभाग को कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गुजरात कृषि उद्योग निगम लि. ने एसीएबीसी स्कीम के तहत गुजरात में लगभग 400 संदर्शी कृषि शिक्षितों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए मैनेज और जीएआईसी के बीच करार जो जीएआईसी के हस्ताक्षर हेतु लंबित है, पर हस्ताक्षर किए जाने की अपेक्षा है। इस प्रस्ताव के तहत प्रशिक्षण एसीएबीसी स्कीम के मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

विवरण

कृषि-क्लिनिक तथा कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम स्थापित कृषि-क्लिनिकों की राज्यवार संख्या

(22.2.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित कृषि-क्लिनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	215
2.	असम	15
3.	बिहार	340
4.	छत्तीसगढ़	42
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	141
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	10
9.	जम्मू-कश्मीर	11
10.	झारखंड	8
11.	कर्नाटक	570
12.	केरल	15
13.	मध्य प्रदेश	122
14.	महाराष्ट्र	696
15.	मणिपुर	20
16.	उड़ीसा	74
17.	पांडिचेरी	1
18.	पंजाब	12
19.	राजस्थान	490
20.	तमिलनाडु	176
21.	उत्तर प्रदेश	847
22.	उत्तरांचल	35
23.	पश्चिम बंगाल	51
	कुल	3904

[हिन्दी]

स्पंज लौह संयंत्र

94. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार सरकारी क्षेत्र के कितने स्पंज लौह संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनकी स्थापना से रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ है;

(ग) क्या स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के किसी निश्चित प्रतिशत के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) आज की तारीख में सरकारी क्षेत्र में केवल एक स्पंज आयरन संयंत्र अर्थात मैसर्स स्पंज आयरन (इंडिया) लिमिटेड (सिल) है जो भारत सरकार का उपक्रम है और आंध्र प्रदेश में पलोंचा, जिला-खम्मम में स्थित है।

(ख) वर्तमान में सिल में 306 कर्मचारी हैं।

(ग) से (ङ) कामगार और पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए केवल स्थानीय व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है जबकि अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। वर्तमान में सिल में 95% कर्मचारी स्थानीय हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लंबित बागवानी प्रस्ताव

95. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री डी.बी. पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के किसानों के अनेक प्रस्ताव राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इस प्रक्रिया को सरल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), एन.एच.बी. और मंत्रालय की अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां हासिल की गईं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल "उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के लिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास" स्कीम के तहत राजसहायता की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास महाराष्ट्र राज्य से 1100 प्रस्ताव लम्बित हैं।

(ग) और (घ) सरकार यथा आवश्यकता: स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण करती है। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने 10.00 लाख रु. की पिछली सीमा के मुकाबले 20.00 लाख रु. की लागत की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के राज्य अधिकारियों को राजसहायता की स्वीकृति और निर्मुक्ति का अधिकार दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने इन परियोजनाओं को संयुक्त निरीक्षणों की सीमा से बाहर रखा है तथा निजी बैंकों और सहकारी समितियों (जो सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं हैं) को छोड़कर उधारदान संस्थाओं को स्थानीय निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ङ) "बागवानी उत्पादों हेतु शीतागार/भण्डार-गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता" स्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जाती है। जबकि नाबार्ड उधारदान संस्थाओं को पुन: वित्त प्रदान करता है और एनसीडीसी सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करता है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ऋणियों को 25% पार्श्वांत पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान करता है। संस्थागत स्रोतों से ऋण न लेने वाले लाभानुभोगियों को परियोजनाओं की पूर्ति पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा सीधे पूंजी राजसहायता दी जाती है।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में शीतागारों के निर्माण हेतु प्रदत्त निधियों और उपलब्धि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

बागवानी उत्पादन हेतु शीतागारों और भंडार-गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम

महाराष्ट्र

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	उपलब्धि (लाख मी. टन में)	प्रदत्त निधियां (लाख रु. में)
2003-04	13	19145	142.58
2004-05	82	67292	485.81
2005-06	6	13396	70.18
2006-07 (जनवरी, 2007 तक)	2	10000	100.00

कपास की फसल की बीमा प्रीमियम की दर में वृद्धि

96. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (आर.के.बी.वाई.) के अंतर्गत वर्ष 2006 के खरीफ मौसम के लिए कपास की फसल की बीमा-प्रीमियम की दर में भारी वृद्धि देश की संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी भारी वृद्धियों के भार से कपास के किसानों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कपास के एक वाणिज्यिक फसल होने की वजह से स्कीम के प्रावधानों के अनुसार प्रीमियम की बीमांकित दर प्रभारित की जाती है। ये दरें उपज में विचलन को ध्यान में रखते हुए वर्ष प्रति वर्ष और राज्य दर राज्य बदल सकती हैं। खरीफ, 2006 मौसम में महाराष्ट्र में कपास की फसल के लिए प्रीमियम दर खरीफ, 2005 में 7.5% और खरीफ, 2004 में 6.10% की तुलना में 7.5% थी जो अत्यधिक वृद्धि नहीं है। यह कृषि अर्थव्यवस्था में अवरोध नहीं है। इसके बजाय इससे कृषि में उनके उच्च निवेश को संरक्षण के जरिये किसानों को मदद मिलती है।

मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने और इस स्कीम को किसानों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु गठित संयुक्त समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों को उचित प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करने की सिफारिश की है। संयुक्त समूह की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में संशोधन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ. पर ब्याज दर

97. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री मो. ताहिर:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ई.पी.एफ. पर ब्याज दर को घटाने अथवा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है/किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मजदूर संघों द्वारा व्यक्त विचार क्या है और उनके द्वारा क्या आकलन किया गया है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने चार मुख्य उपभोक्ताओं की धनराशि के 5 प्रतिशत हिस्से को शेयर बाजार में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) ब्याज की दर का निर्धारण सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से किया जाता है। सरकार को वर्ष 2006-07 के लिए ब्याज दर संबंधी कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारियों के प्रतिनिधि वर्तमान ब्याज दर में किसी भी प्रकार की कटौती करने के खिलाफ हैं।

(घ) और (ङ) सरकार को इस मामले पर बोर्ड की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

चीनी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया जाना

98. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कदम से घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) चीनी के लिए निर्धारित बफर मानदंडों का ब्यौरा क्या है और वास्तविक स्टाक कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने 4 जनवरी, 2007 की अधिसूचना के जरिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को शिथिल किया है और अग्रिम लाइसेंसों के प्रति निर्यात की अनुमति दी है। सरकार ने प्रतिबंध में आगे और ढील दी है तथा 23 जनवरी, 2007 की अधिसूचना के जरिए सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

(ग) चीनी के निर्यात से चीनी कारखानों को चीनी का स्टाक समाप्त करने में सहायता मिलेगी और चीनी कारखानों के हाथ में नकदी आएगी जिससे वे किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान कर सकेंगे।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने बफर स्टाक बनाने का कोई निर्णय नहीं किया है, अत: चीनी के लिए बफर मानदंड तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बाल श्रम उन्मूलन

99. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री मोहन रावले:
श्री रामदास आठवले:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों को मुख्य धारा में वापस लाने तथा उनके माता-पिता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक योजना तथा निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां। सरकार देश से बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के प्रति कृतसंकल्प है। तथापि, समस्या की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए एक क्रमिक और अनुवर्ती दृष्टिकोण

अपनाया जा रहा है जिसकी शुरूआत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रमों में कार्यरत बच्चों से करते हुए इसमें क्रमश: गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को भी शामिल किया जाएगा।

(ख) कार्यरत बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। दसवीं योजना से पूर्व, योजना 100 जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी। 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का देश के 250 जिलों तक विस्तार किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में, कार्यरत बच्चों को नियमित विद्यालयों की मुख्यधारा में लाना शामिल है। बाल श्रमिक के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के विभागों की आय/रोजगारसर्जक योजनाओं के आमेलन के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) कार्यरत बच्चों के पुनर्वास हेतु 10वीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के तहत 602/- करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ङ) योजना पहले ही से कार्यान्वयनाधीन है।

स्कूल की सीएनजी बसों के लिए सुरक्षा विनियम

100. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण ने राजधानी में स्कूल की सीएनजी बसों के लिए सुरक्षा विनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबद्ध एजेंसियां प्राधिकरण के निर्देशों को कार्यान्वित करने में असफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली परिवहन निगम के किसी भी मान्य केन्द्र की सभी सी.एन.जी. चालित बसों के लिए तिमाही सुरक्षा जांच को अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने 15.02.2007 को सभी सी एन जी चालित स्टेज और कांट्रेक्ट कैरिज ओमनी बसों के लिए परमिट देने की शर्तों में संशोधनों से संबंधित सार्वजनिक सूचना जारी की है।

ओलिव रिडलीज़ कछुओं का संरक्षण

101. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री जुएल ओराम:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में ओलिव रिडलीज़ समुद्री कछुओं की जनसंख्या बढ़ाने तथा इनके संरक्षण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगाल की खाड़ी के तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों तथा हिन्द महासागर में प्रजनन क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रशान्त महासागर से भारतीय समुद्री सीमा में आने वाले औलिव रिडलीज़ समुद्री कछुओं को कोई खतरा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) ओलिव रिडलीज़ कछुओं (लैपिडोचैलिस ओलिवसीआई) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इस प्रकार उन्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) ओलिव रिडलीज़ कछुओं द्वारा प्रमुख अपतटीय खतरों में शामिल हैं बाई कैचिस के रूप में यंत्रिकृत नौकाओं द्वारा ट्रालिंग, समुद्र में तेल की खोज के कारण उच्च तीव्रता की विघ्नताएं आदि। इसके अलावा, भूमि पर प्रमुख खतरों में सियारों,

कुत्तों और अन्य मांसाहारियों द्वारा अण्डों की प्रिडेशन और मानवीय हस्तक्षेप भी शामिल हैं। ओलिव रिडलीज़ कछुओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) ओलिव रिडलीज़ कछुओं के मुख्य नेस्टिंग स्थलों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(2) मछुआरों को यह सलाह दी गई है कि वे ट्रालिंग के दौरान टर्टल एक्सक्ल्यूडिंग डिवाइस (टीईडी) का इस्तेमाल करें और नेस्टिंग सीजन के दौरान ट्रालिंग करने से बचें।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है और इसे और कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में दण्ड को और बढ़ाया गया है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध करने हेतु इस्तेमाल में लिए गए किसी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का प्रावधान है।

(4) राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(5) राज्य मत्स्य विभागों और भारतीय तट रक्षक बल के सहयोग से वन्यजीव विभाग द्वारा समुद्र में नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है।

(6) फील्ड स्टाफ को सावधान किया गया है वे अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी अवैध शिकार गतिविधि पर पैनी नजर रखें।

(7) अवैध शिकार के खिलाफ वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(8) प्रभावी संचार प्रणाली के जरिए कड़ी निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

गन्ने की खेती

102. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 के दौरान गन्ने की खेती के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने हेक्टेयर भूमि क्षेत्र आता है;

(ख) क्या सरकार ने गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2006 के दौरान गन्ने की खेती के अधीन कुल क्षेत्र 47.87 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
आंध्र प्रदेश	2.57
बिहार	1.77
गुजरात	1.90
हरियाणा	1.51
कर्नाटक	2.10
महाराष्ट्र	8.40
पंजाब	0.92
तमिलनाडु	3.50
उत्तर प्रदेश	22.47
उत्तराखंड	1.21

(ख) और (ग) गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बृहत कृषि प्रबंधन के अंतर्गत गन्ना आधारित फसलन प्रणाली के सतत विकास (एसयूबीएसीएस) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है, जिनके नाम इस प्रकार हैं- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी। यह स्कीम खेत पर प्रदर्शनों, किसानों और विस्तार कामगारों के प्रशिक्षण, फार्म उपस्करों/मशीनरी, ताप उपचार संयंत्रों, पौध रोपण सामग्री के उत्पादन और ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय चीनी मिलों को चीनी विकास कोष से आसान शर्तों पर ऋण प्रदान कर हा है ताकि ताप उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा सके और बीज नर्सरियों का संवर्धन, कृमि नियंत्रण उपाय,

किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों को लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य, सिंचाई स्कीमें आरंभ, पेड़ी प्रबंधन और टिशू कल्चर/मृदा परीक्षण/जैव विज्ञानीय नियंत्रण प्रयोगशालाएं लगाने के कार्य किए जा सकें।

[अनुवाद]

शास्त्रीय गीतों का परिरक्षण

103. श्री अनवर हुसैन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में ज्योति प्रसाद, बिश्नु राभा, पार्वती प्रसाद बरूआ, डा. भूपेन हजारिका, रूद्र बरूआ, रेकिबुद्दीन अहमद और प्रतिमा पांडे के अमर गीतों का परिरक्षण करने के लिए आकाशवाणी द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन गीतों को सी.डी. के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इन कलाकारों के गीत आकाशवाणी, गुवाहाटी के पास उपलब्ध हैं और उस स्टेशन से विभिन्न कार्यक्रमों में उनका प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी ने निम्नलिखित रिकार्डिंग का परिरक्षण किया है:-

क्र.सं.	कलाकारों का नाम	अवधि
1.	ज्योति प्रसाद	25 मिनट
2.	बिश्नु राभा	80 मिनट
3.	पार्वती प्रसाद बरूआ	100 मिनट
4.	डा. भूपेन हजारिका	360 मिनट
5.	रूद्र बरूआ	45 मिनट
6.	रेकिबुद्दीन अहमद	60 मिनट
7.	प्रतिमा पांडे	300 मिनट

(ग) और (घ) आकाशवाणी ने इनमें से किसी भी कलाकार की सी.डी. रिलीज नहीं की है। तथापि, आकाशवाणी इनमें से कुछ लोकप्रिय कलाकारों के गीत रिलीज करने की योजना बना रहा है।

[हिन्दी]

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम

104. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री रशीद मसूद:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को सेट टाप बाक्स के खर्च से बचाने के लिए डायरेक्ट-टू-होम सेवा के विस्तार की कोई योजना बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डायरेक्ट-टू-होम सेवा के अंतर्गत चैनलों की दर निर्धारित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) को उच्च न्यायालय के निदेशानुसार कार्यान्वित कर दिया गया है। सरकार ने स्टेक होल्डरों नामत: प्रसारकों, बहु-प्रणाली संचालकों, केबल आपरेटरों और उपभोक्ता संगठनों तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के साथ दिनांक 27.03.2006, 31.03.2006, 03.04.2006 और 07.04.2006 को हुई बैठकों में यथोचित परामर्श के पश्चात संशोधित कैस स्कीम को लागू कर दिया है।

(घ) और (ङ) सरकार के पास दूरदर्शन द्वारा प्रदत्त उसकी फ्री-टु-एयर डी.डी. डायरेक्ट सेवा, जिसका विस्तार मौजूदा 33 से 50 चैनलों तक किया जा रहा है, को छोड़कर, डायरेक्ट-टू-होम

(डी.टी.एच.) सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सभी डी.टी.एच. सेवाओं के लिए तहत ग्राहकों के लिए सेट टाप बाक्स खरीदना आवश्यक है।

(च) जी, नहीं।

(छ) डी.टी.एच. सेवा अभी भी अपनी शैशवावस्था में है और इसलिए सशुल्क डी.टी.एच. सेवा को संचालित करने वाले मात्र दो निजी सेवा प्रदाताओं के साथ पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

105. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री रशीद मसूद:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्य कर रही उर्वरक इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उर्वरक की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में अपनी स्थापित क्षमता से कम उर्वरक का उत्पादन करने वाली, बंद पड़ी, घाटे में चल रही और लाभ कमा रही उर्वरक इकाइयों का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में इन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करने और बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) घाटे में चल रही इकाइयों को क्या सहायता दी गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) देश में वर्तमान में चल रही उर्वरक इकाइयों के राज्यवार ब्यौरे के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित उर्वरकों की मात्रा सहित पोषकतत्वों के रूप में स्थापित क्षमता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) तीन वर्षों के लिए उर्वरक इकाइयों की पोषकतत्व के रूप में इकाईवार स्थापित क्षमता, उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग संलग्न विवरण-III(क) और (ख) में दिया गया है।

घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं फैक्ट, एमएफएल और बीवीएफसीएल और लाभ में चल रही इकाइयां हैं एनएफएल, आरसीएफ और फैगमिल।

(घ) और (ङ) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावनाओं की खोज कर रही है।

पुनरुद्धार किए जाने से ये इकाइयां उर्वरक आपूर्ति में योगदान करेंगी तथा अन्य उपायों जैसे कठिनाइयां दूर करने/विस्तार/विदेशों में संयुक्त उद्यम/आधुनिकीकरण के माध्यम से भावी मांग के पूरा होने की संभावना है।

(च) चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान फैक्ट के लिए 670.37 करोड़ रुपए के वित्तीय पुनर्गठन पैकेज को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया है।

विवरण I

देश में चल रही प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्यों का नाम	चल रही प्रमुख उर्वरक इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक	सहकारी	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4			4	4
2.	असम	1	1			1

1	2	3	4	5	6	7
3.	गोवा	1			1	1
4.	गुजरात	8		3	5	8
5.	हरियाणा	1	1			1
6.	कर्नाटक	1			1	1
7.	केरल	2	2			2
8.	मध्य प्रदेश	2	2			2
9.	महाराष्ट्र	5	4		1	5
10.	उड़ीसा	2			2	2
11.	पंजाब	3	2		1	3
12.	राजस्थान	3			3	3
13.	तमिलनाडु	4	1		3	4
14.	उत्तर प्रदेश	7		4	3	7
15.	पश्चिम बंगाल	1			1	1
	कुल	45	13	7	25	45

विवरण II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अप्रैल 2006 से जनवरी, 2007 तक की अवधि में प्रत्येक इकाई की पोषकतत्ववार स्थापित क्षमता और उत्पादन

('000' मी. टन में)

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (01.04.06)	उत्पादन			अप्रैल, 2006 से जनवरी 2007 (वास्तविक)
		2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र					
एनएफएल-नागल-I	0.0	16.0	3.5	0.0	0.0
एनएफएल-नागल-II	220.1	220.1	227.2	220.9	202.6
एनएफएल-भटिंडा	235.3	235.4	246.8	238.3	217.6
एनएफएल-पानीपत	235.3	235.3	244.4	231.7	193.5

1	2	3	4	5	6
एनएफएल-विजयपुर	397.7	406.4	426.2	421.4	329.4
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	397.7	400.3	432.2	426.1	381.3
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	110.4	0.0	0.0	14.9	21.7
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	144.9	110.7	94.8	100.9	86.6
फैक्ट-उद्योगमंडल	77.0	68.1	62.3	65.0	52.3
फैक्ट-कोचीन-II	97.0	85.3	94.7	120.5	93.2
आरसीएफ-ट्राम्बे	45.0	44.4	52.5	64.4	60.1
आरसीएफ-ट्राम्बे-IV	75.1	48.8	46.4	46.3	7.3
आरसीएफ-ट्राम्बे-V	151.8	8.1	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ-थाल	785.1	796.5	823.4	774.9	720.5
एमएफएल-चेन्नई	366.7	253.5	270.9	204.4	1967
उप उत्पाद	38.7	19.9	29.2	28.7	15.8
फास्फेट					
सरकारी क्षेत्र					
फैक्ट-उद्योगमंडल	29.7	28.2	20.2	28.6	22.0
फैक्ट-कोचीन-II	97.0	85.3	94.7	120.5	93.2
आरसीएफ-ट्राम्बे	45.0	44.4	52.5	64.4	60.1
आरसीएफ-ट्राम्बे-IV	75.1	48.8	48.4	46.3	7.3
एमएफएल-चेन्नई	142.8	77.6	52.5	34.9	6.3

विवरण III (क)

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अप्रैल 2006 से जनवरी, 2007 तक की अवधि में प्रत्येक इकाई की पोषकतत्ववार स्थापित क्षमता और उत्पादन

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (01.4.06)	उत्पादन (हजार मी. टन में)				प्रतिशत क्षमता उपयोग			
		2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 (वास्तविक)	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सरकारी क्षेत्र									
एनएफएल-नागल-I	0.0	16.0	3.5	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
एनएफएल-नागल-II	220.1	220.1	227.2	220.9	202.5	100.0	103.2	100.4	110.5
एनएफएल-भटिंडा	235.3	235.4	246.8	238.3	217.6	100.0	104.9	101.3	111.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एनएफएल-पानीपत	235.3	235.3	244.4	231.7	193.5	1000	103.9	98.5	98.7
एनएफएल-विजयपुर	397.7	406.4	426.2	421.4	329.4	102.2	107.2	106.0	99.4
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	397.7	400.3	432.2	426.1	381.3	100.7	108.7	107.1	115.1
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	110.4	0.0	0.0	14.9	21.7	0.0	0.0	13.5	23.6
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	144.9	110.7	94.8	100.9	86.6	73.4	85.4	69.6	71.7
फैक्ट-उद्योगमंडल	77.0	68.1	62.3	65,0	52.3	88.4	81.0	84.4	81.5
फैक्ट-कोचीन-II	97.0	85.3	94.7	120.5	93.2	87.9	97.6	124.2	115.3
आरसीएफ-ट्राम्बे	45.0	44.4	52.5	64.4	60.1	98.7	116.7	143.1	160.3
आरसीएफ-ट्राम्बे-IV	75.1	48.8	46.4	46.3	7.3	65.0	61.8	61.7	11.7
आरसीएफ-ट्राम्बे-V	151.8	8.1	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ-थाल	785.1	796.5	823.4	774.9	720.5	101.5	104.9	98.7	110.1
एमएफएल-चेन्नई	366.7	253.5	270.9	204.4	1967	69.1	73.9	55.7	64.4
उप उत्पाद	38.7	19.9	29.2	28.7	15.8	51.4	75.3	74.2	49.0
सहकारी क्षेत्र									
इफको-कांडला	351.5	322.1	3625	369.6	276.7	91.6	113.7	105.1	94.5
इफको-कलोल	250.5	220.6	255.1	250.5	210.5	88.1	101.8	100.0	100.8
इफको-फूलपुर-I	253.5	248.7	260.0	253.5	218.0	98.1	102.5	100.0	103.2
इफको-फूलपुर-II	397.7	391.5	397.8	406.9	321.2	98.4	100.0	102.3	96.9
इफको-आंवला-I	397.7	397.8	397.7	397.0	333.1	100.0	100.0	99.8	100.5
इफको-आंवला-II	397.7	397.8	398.0	402.3	327.8	100.0	100.1	101.2	98.9
इफको (ओसीएफ) पाराद्वीप	325.2	65.1	114.6	47.9	114.4	20.0	35.2	14.7	42.2
कृभको-हजीरा	795.4	815.6	830.6	831.0	645.0	102.5	104.4	104.5	97.3
निजी क्षेत्र									
जीएसएफसी-वडोदरा	248.1	223.1	235.4	241.9	184.0	89,9	94.9	97.5	89.0
जीएसएफसी-सिक्का-I	105.8	81.0	51.5	58.4	70.2	76.5	48.7	55.2	79.6
जीएसएफसी-सिक्का-II	71.3	9.5	50.3	58.2	63.9	13.3	70.5	81.6	107.5
सीएफएल-विजाग	124.0	133.8	164.9	209.8	184.8	107.9	133.0	169.2	178.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एसएफसी-कोटा	174.3	167.4	174.3	174.3	135.3	96.0	100.0	100.0	93.1
डीआईएल-कानपुर	332.1	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0
जेडआईएल-गोवा	288.7	278.1	307.6	301.1	275.8	96.3	106.5	104.3	114.6
एसपीआईसी-तूतीकोरिन	370.7	344.3	385.7	357.8	303.1	92.9	104.1	96.5	98.1
एमसीएफ-मंगलौर	207.2	170.9	192.5	219.5	193.6	82.5	92.9	105.9	112.1
सीएफएल-इन्दौर	41.2	34.0	44.9	42.9	47.4	82.5	109.0	104.1	138.1
जीएनएफसी-भरूच	356.7	336.5	371.9	379.6	296.1	94.3	104.3	106.4	99.6
टीएसी-तूतीकोरिन	16.0	20.5	18.8	20.0	12.8	128.1	117.5	125.0	96.0
टीसीएल-हल्दिया	121.5	91.1	78.1	99.0	128.5	75.0	64.3	81.5	126.9
जीएफसीएल-काकीनाडा	120.6	142.8	146.4	164.9	144.3	118.4	121.4	136.7	143.6
आईजीसीएल-जगदीशपुर	397.7	396.6	453.2	457.7	389.3	99.7	114.0	115.1	117.5
हिन्डालको इंडस्ट्रीज लि.-दाहेज	72.0	40.9	51.5	35.7	28.3	56.8	71.6	49.6	47.2
डीएफसीएल-तलोजा	52.9	34.6	20.6	12.5	12.5	65.4	39.0	23.6	28.4
एनएफसीएल-काकीनाडा-I	274.8	275.3	302.2	323.7	276.6	100.2	110.0	117.8	120.8
एनएफसीएल-काकीनाडा-II	274.8	273.9	338.2	310.7	240.3	99.7	123.1	113.1	104.9
सीएफसीएल-गडेपान-I	397.7	417.6	442.2	446.2	392.4	105.0	111.2	112.2	1184
सीएफसीएल-गडेपान-II	397.7	393.1	411.4	428.5	378.9	98.8	103.5	107.7	114.3
टीसीएल-बबराला	397.7	397.7	445.4	441.6	383.9	100.0	112.0	111.0	115.3
केएसएफएल-शाहजहांपुर	397.7	394.5	396.1	412.9	322.7	99.2	99.6	103.8	97.4
पीपीएल-पाराद्वीप	129.6	164.9	184.3	221.0	190.9	127.2	142.2	170.5	176.8
उप उत्पाद	7.1	3.7	0.6	0.5	2.5	52.1	7.9	7.0	42.3
फास्फेट									
सरकारी क्षेत्र									
फैक्ट-उद्योगमंडल	29.7	28.2	20.2	28.6	22.0	94.9	68.0	96.3	88.9
फैक्ट-कोचीन-II	97.0	85.3	94.7	120.5	93.2	87,9	97.6	124.2	115.3
आरसीएफ-ट्राम्बे	45.0	44.4	52.5	64.4	60.1	98.7	116.7	143.1	160.3
आरसीएफ-ट्राम्बे-IV	75.1	48.8	46.4	48.3	7.3	65.0	61.8	61.7	11.7
एमएफएल-चेन्नई	142.8	77.6	52.5	34.9	6.3	54.3	36.8	24.4	5.3
एसएसपी इकाइयां	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सहकारी क्षेत्र									
इफको-कांडला	910.0	832.6	938.3	962.0	722.1	91.5	113.7	105.7	95.2
इफको (ओसीएफ)-पारादीप	802.8	151.5	282.7	73.8	212.3	18.9	35.2	9.2	31.7
निजी क्षेत्र									
जीएसएफसी-वडोदरा	75.9	65.0	62.0	85.9	45.9	85.6	81.7	113.2	72.6
जीएसएफसी-सिक्का-I	270.5	206.9	131.6	149.4	180.2	76.5	48.7	55.2	79.9
जीएसएफसी-सिक्का-II	182.2	24.2	128.7	148.9	163.3	13.3	70.6	81.7	107.6
सीएफएल-विजाग	166.0	175.7	216.2	244.3	214.4	105.8	130.2	147.2	155.0
जेडआईएल-गोवा	197.4	166.1	178.0	202.3	178.7	84.1	90.2	102.5	108.6
एसपीआईसी-तूतीकोरिन	218.5	146.2	176.9	178.6	133.8	66.9	81.0	81.7	73.5
एमसीएफ-मंगलौर	82.8	40.2	84.4	82.3	93.4	48.6	101.9	99.4	135.4
सीएफएल-एन्नोर	48.0	38.4	49.6	50.2	47.4	80.0	103.3	104.6	118.5
जीएनएफसी-भरूच	28.5	24.3	36.0	40.7	31.8	85.3	126.2	142.8	133.9
टीसीएल-हल्दिया	336.9	234.0	220.6	275.7	355.8	69.5	71.1	81.8	126.7
जीएफसीएल-काकीनाडा	308.2	362.2	373.9	419.7	362.4	117.5	121.3	136.2	141.1
हिन्डालको-दाहेज	184.0	103.6	131.7	96.9	77.3	56.3	71.6	52.7	50.4
डीएफपीसीएल-तलोजा	52.9	34.6	20.6	12.5	12.5	65.4	39.0	23.6	28.4
पीपीएल-पारादीप	331.2	344.0	407.3	494.3	407.9	103.9	123.0	149.2	147.8
एसएसपी इकाइयां	901.1	396.6	362.4	409.0	348.0	44.0	40.2	45.4	46.3

विवरण III (ख)

निम्नलिखित 10 यूरिया इकाइयां वर्तमान में बंद हैं/बंद होने वाली है

क्र.सं.	कंपनी/इकाई का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (लाख मी. टन में)
1	2	3
1.	एफसीआई: गोरखपुर	2.85
2.	एफसीआई: रामागुण्डम	4.95
3.	एफसीआई: तलचर	4.95
4	एफसीआई: सिंदरी	3.30
5.	एचएफसी: दुर्गापुर	3.30
6.	एचएफसी: बरौनी	3.30
7.	आरसीएफ: ट्राम्बे-I	0.98
8.	एनएलसी: नवेली	1.53
9.	डीआईएल: कानपुर	7.22
10.	फैक्ट: कोचीन-I	3.30

[हिन्दी]

खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल का अन्यत्र उपयोग

106. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संवितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल को खुले बाजार में बेचे जाने संबंधी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और इसके अंतर्गत संवितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2005 के दौरान चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंदी के मामलों का राज्यवार और तारीखवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार ने नौ बिन्दुओं की एक कार्य योजना बनाई है और उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे सभी राज्य सरकारों को भेज दिया है। कार्य योजना में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:-

1. राज्यों को तीन माह के अंदर जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।
2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के खंड 9 के अधीन मांगी गई सूचना भी भेजी जाए।
3. पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाए, लाइसेंस स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि को दिए जाएं।
4. सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जानी चाहिए।
5. खाद्यान्नों का राज्य-वार और उचित दर दुकान-वार आवंटन वैबसाइट और अन्य प्रमुख स्थानों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि जनता इसकी संवीक्षा कर सके।
6. जहां कहीं संभव हो, राज्यों द्वारा समान की ढुलाई करने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों/थोक विक्रेताओं को अनुमति देने के बजाय खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
7. उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और राशन कार्डधारकों के लिए वितरण की निर्धारित तारीखें सुनिश्चित की जानी चाहिए।
8. उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण किया जाए।

(ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कार्य योजना को लागू कर रही हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 9 बिन्दुओं की कार्य योजना पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

वर्ष 2006 के दौरान नजरबंदी के मामलें

क्र.सं.	राज्य	नजरबंद व्यक्ति का नाम	नजरबंदी की तिथि	आवश्यक जिन्सों में कदाचार
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	श्री सेन्थिल राजन	7.1.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
2.	वही	श्री दुरैराज	13.1.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
3.	वही	श्री रंगास्वामी	13.1.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
4.	गुजरात	श्री नीलेशभाई नागजीभाई अहीर	18.1.2006	नीला मिट्टी का तेल
5.	वही	श्री हरगोविंद गिरधर लाल थोरिया	18.1.2006	गेहूं, चावल, चीनी (सा.वि.प्र.)
6.	वही	श्री बिपिन भाई उदयभाई रतिलाल	18.1.2006	गेहूं, चावल, चीनी (सा.वि.प्र.)
7.	तमिलनाडु	श्री पेरूमल	21.1.2006	(सा.वि.प्र.) चावल
		फरवरी, 2006		
8.	गुजरात	श्री प्रजापति हरगोविंद केशवलाल	1.2.2006	एल.पी.जी.
9.	तमिलनाडु	श्री धर्मराज	3.2.2006	(सा.वि.प्र.) चावल
10.	वही	श्री के.पी. जनार्दन	3.2.2006	(सा.वि.प्र.) चावल
11.	गुजरात	श्री पंकज श्यामलाल जायसवाल	18.2.2006	नीला मिट्टी का तेल और सालवेन्ट
12.	वही	श्री जितेन्द्र रिंकु कपूरचंद जैन	18.2.2006	नीला मिट्टी का तेल और सालवेन्ट
13.	वही	श्री संजय कुमार बंटी राजकुमार जैन	18.2.2006	नीला मिट्टी का तेल और सालवेन्ट
14.	वही	श्री राहुल कुमार प्रेमचंद जैन	18.2.2006	नीला मिट्टी का तेल और सालवेन्ट
15.	वही	श्री अब्दुलवाहिद अब्दुल माजिद मोमिन	20.2.2006	नीला मिट्टी का तेल और सालवेन्ट
16.	वही	श्री अब्दुल इस्माईल कुंभर	28.2.2006	पेट्रोलियम सालवेन्ट (नाथा)
17.	वही	श्री संजय सांगा जोगी	28.2.2006	(सा.वि.प्र.) चावल
18.	तमिलनाडु	श्री आर. मुरिगसेन	28.2.2006	(सा.वि.प्र.) चावल
19.	वही	श्री एस. कल्लीपन	27.2.2006	सा.वि.प्र. (चावल और नीला मिट्टी का तेल)
		मार्च, 2006		
20.	गुजरात	श्री बुधाभाई मालाभाई परमार	3.3.2006	गेहूं, चावल, चीनी और नीला मिट्टी का तेल
21.	वही	श्री करसन लख्खु अहीर (चवडा)	15.3.2006	नीला मिट्टी का तेल
22.	वही	श्री श्यामजीरामजी अय्यर (गोयल)	15.3.2006	नीला मिट्टी का तेल

1	2	3	4	5
23.	गुजरात	श्री सुरेशचंद प्रागजी भाई कन्नानी	12.3.2006	नीला मिट्टी का तेल
24.	वही	श्री चिम्मनलाल बाबुभाई जायसवाल	18.3.2006	नीला मिट्टी का तेल और सालवेन्ट
25.	तमिलनाडु	श्री के. नैना रंगास्वामी	24.3.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
26.	गुजरात	श्री अब्दुल माजिद अहमद पटेल	23.3.2006	नीला मिट्टी का तेल
27.	वही	श्री सरतान भाई गंदाभाई रबरी	28.3.2006	नीला मिट्टी का तेल
		अप्रैल, 2006		
28.	गुजरात	श्री प्रफुल्लभाई लाधाभाई रेयान	6.4.2006	खाद्य तेल
29.	वही	श्री किशोर कुमार मोहनभाई बावरिया	6.4.2006	खाद्य तेल
30.	वही	श्री धीरजलाल कंजीभाई सुरानी	6.4.2006	खाद्य तेल
31.	वही	श्री भुपताभाई बच्चूभाई खानपाड़ा	6.4.2006	खाद्य तेल
32.	वही	श्री रमनीकलाल घेलाभाई अमर्त्य	6.4.2006	खाद्य तेल
33.	वही	श्री जगदीश भाई प्रवीणभाई भूत	6.4.2006	खाद्य तेल
34.	वही	श्री आशीष मनसुख भाई गजेरा	6.4.2006	खाद्य तेल
35.	वही	श्री विजयदान खोदियान गाडवी	12.4.2006	नीला मिट्टी का तेल
36.	वही	श्री मनोजभाई अर्जनभाई नंदासाणा	11.4.2006	नीला मिट्टी का तेल
37.	वही	श्री बाबूभाई सतीश चेलाजी मारू	11.4.2006	नीला मिट्टी का तेल
38.	वही	श्री भावसाड़ कमलेशकुमार हरिकृष्णाभाई	18.4.2006	नीला मिट्टी का तेल
39.	वही	श्री दिलीपभाई विपीनभाई पटेल	13.4.2006	गेहूं, चावल, चीनी और नीला मिट्टी का तेल
40.	वही	श्री विक्रमसिंह चर्तुसिंह गोहिल	17.4.2006	नीला मिट्टी का तेल
41.	तमिलनाडु	श्री चेल्लपा	19.4.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
42.	वही	श्री बाबू	20.4.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
		मई, 2006		
43.	गुजरात	श्री के.ओ. पटेल सोमाभाई मोहनभाई	1.5.2006	सालवेन्ट (नाथा)
44.	वही	श्री कमलेशभाई सोमाभाई बारोट	2.5.2006	एल.पी.जी.
45.	वही	श्री विनोदभाई माथुरभाई पटेल	2.5.2006	एल.पी.जी.
46.	वही	श्री हर्षदभाई भीखाभाई पटले	2.5.2006	एल.पी.जी.
47.	वही	श्री सतीशभाई हरमनभाई पटेल	2.5.2006	एल.पी.जी.
48.	वही	श्री अजीजुल रहमानखान तफज्जुल हुसैनखान	4.5.2006	एल.पी.जी.
49.	वही	श्री सोहनलाल प्रतापजी चंदेल	4.5.2006	नीला मिट्टी का तेल

1	2	3	4	5
50.	गुजरात	श्री माहेश्वरी कांतीभाई बिहारीलाल	17.5.2006	सा.वि.प्र. (गेहूं)
		जून, 2006		
51.	गुजरात	श्री सादिकभाई तैयाभाई गोरा	1.6.2006	नीला मिट्टी का तेल
52.	तमिलनाडु	श्री बाबू मोहम्मद रफीक	10.6.2006	सा.वि.प्र. (चावल)
53.	वही	श्री जी. केशवन	19.6.2006	
54.	गुजरात	श्री किशोरभाई दशरथभाई बारोट	26.6.2006	एल.पी.जी.
55.	वही	श्री संदीपकुमार किशोरभाई बारोट	26.6.2006	एल.पी.जी.
		जुलाई, 2006		
56.	गुजरात	श्री विनोद रामजीभाई जोशी	6.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
57.	वही	श्री बाबूभाई विठ्ठल दास पटेल	7.7.2006	एल.पी.जी.
58.	वही	श्री गोविंदभाई रामदास पटले	7.7.2006	एल.पी.जी.
59.	वही	श्री शाहदेव सिंह करण सिंह जडेजा	7.7.2006	एल.पी.जी.
60.	वही	श्री पृथ्वीराज पातुभा पी. चुडास्मा	7.7.2006	एल.पी.जी.
61.	तमिलनाडु	श्री महेश	9.7.2006	चावल
62.	वही	श्री काजा मोइद्दिन	9.7.2006	चावल
63.	गुजरात	श्री नीलेशकुमार रमेशचन्द्र साह	12.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
64.	तमिलनाडु	श्री रवि	12.7.2006	सा.वि.प्र. चावल
65.	वही	श्री ख्वाजा मोइद्दिन	15.7.2006	चावल
66.	वही	श्री परमेश्वरन	12.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
67.	वही	श्री शक्तिबेल	15.7.2006	सा.वि.प्र. चावल
68.	वही	श्री के. शेरमाराजा	18.7.2006	सा.वि.प्र. चावल
69.	वही	श्री अय्यप्पन	18.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
70.	वही	श्री ए. अमीथ	17.7.2006	चावल
71.	गुजरात	श्री रामस्नेह छबीलदास लोधा	17.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
72.	वही	श्री राजेशकुमार मोहनाला मकवाना	17.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
73.	वही	श्री शोएबभाई हुसैनभाई देदकी	24.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
74.	वही	श्री रफीकभाई सुलेमानभाई कालू	24.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
75.	वही	श्री मफतभाई लालूभाई कच्छैया	24.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
76.	वही	श्री मुकेश शांतिलाल मारवाड़ी (खटीक)	24.7.2006	नीला मिट्टी का तेल

1	2	3	4	5
77.	तमिलनाडु	श्री राजा	26.7.2006	चावल
78.	वही	श्री साहुल हमीद	26.7.2006	सा.वि.प्र. चावल, नीला मिट्टी का तेल
79.	वही	श्री शान मुगराज	23.7.2006	चावल
80.	वही	श्री शिवशंकर	20.7.2006	चावल
81.	वही	श्री अब्दुल हकीम हाकीम	20.7.2006	चावल
82.	वही	श्री गोपाल कृष्णन	20.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
83.	वही	श्री लारेंस आर.सी. स्ट्रीट लारेंस	31.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
84.	वही	श्री सेन्थिल सेन्थिलकुमार	29.7.2006	चावल
85.	महाराष्ट्र	श्री भाऊराव	27.7.2006	नीला मिट्टी का तेल
		अगस्त, 2006		
86.	तमिलनाडु	श्री पोन्नीयाह	3.8.2006	सा.वि.प्र. चावल
87.	वही	श्री क्रिस्टोफर	12.8.2006	चावल
88.	वही	श्री सुन्दरम	18.8.2006	चावल
89.	वही	श्री बालासुब्रमन्यिम	17.8.2006	
90.	वही	श्री आदिकलाम	18.8.2006	सा.वि.प्र. चावल
91.	गुजरात	श्री श्यामलाल मनमाल माली	23.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
92.	वही	श्री योगेशभाई प्रभुदास पारीख	25.8.2006	एल.पी.जी.
93.	वही	श्री मदनलाल थानाजी खटीक	23.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
94.	वही	श्री देवेन्द्रभाई प्रवीणभाई पटेल	29.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
95.	वही	श्री पंकजभाई मानीभाई पटेल	29.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
96.	वही	श्री प्रतापसिंह रायजीभाई परमार	29.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
97.	वही	श्री तरूण हर्षदभाई पटेल	29.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
98.	वही	श्री दुल्हाजी धीराजी दमोड़	29.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
99.	वही	श्री विन्देशभाई जोरावरसिंह नाकुम	29.8.2006	नीला मिट्टी का तेल
100.	तमिलनाडु	श्री सुब्रहमन्यिम	21.8.2006	चावल
101.	वही	श्री श्रवणन	25.8.2006	सा.वि.प्र. चावल
102.	वही	श्री रामशंकर	25.8.2006	
103.	वही	श्री मोतीशंकर	25.8.2006	चावल

1	2	3	4	5
		सितम्बर, 2006		
104.	गुजरात	श्री शक्तिसिंह महेन्द्रसिंह जडेजा	1.9.2006	एल.पी.जी.
105.	वही	श्री मुकेशकुमार प्यारेलालजी वीरबल	2.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
106.	वही	श्री पूनमचंद चुन्नीलाल चवेला	2.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
107.	तमिलनाडु	श्री वी. चिन्नाकल्लई	5.9.2006	सा.वि.प्र. चावल
108.	गुजरात	श्री मोहसिन उमरभाई सेठ	8.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
109.	वही	श्री मनोहरलाल बलरामजी कुमावत	8.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
110.	वही	श्री विजय भोगीलाल साह	15.9.2006	पेट्रोल
111.	वही	श्री घनश्यामभाई विहाभाई नाकूम	15.9.2006	पेट्रोल
112.	वही	श्री चन्द्रसिंह चन्दूभान जे. चौहान	16.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
113.	वही	श्री बाबूभाई भोजाभाई दोरू	16.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
114.	वही	श्री दिनेशभाई मोहनलाल खत्री (मारवाड़ी)	29.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
115.	वही	श्री मोहनलाल मोदीराम खिच्ची	29.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
116.	वही	श्री मोहनलाल देवीलाल खत्री (मारवाड़ी)	29.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
117.	वही	श्री विजयबाई गोविन्दभाई ठक्कर	25.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
118.	वही	श्री मांगीलाल नरायणभाई मारवाड़ी	25.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
119.	वही	श्री भागचंद वरधीचंग मारवाड़ी	25.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
120.	तमिलनाडु	श्री थंगराज	25.9.2006	सा.वि.प्र. चावल
121.	उड़ीसा	श्रीमती जयंतीबाला साहू	8.9.2006	नीला मिट्टी का तेल
		अक्तूबर, 2006		
122.	तमिलनाडु	श्री मणिकंदन	30.10.2006	चावल
123.	गुजरात	श्री महेन्द्रभाई माधीभाई शियाल	3.10.2006	सा.वि.प्र. मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल और चीनी
124.	तमिलनाडु	श्री राजन	7.10.2006	सा.वि.प्र. चावल
125.	गुजरात	श्री कमलेशकुमार भीखाभाई मोदी	31.10.2006	एल.पी.जी.
126.	वही	श्री नारनजी केशाजी गेलातर	30.10.2006	नीला मिट्टी का तेल
127.	तमिलनाडु	श्री के. शक्तिवेल	28.10.2006	सा.वि.प्र. चावल
		नवम्बर, 2006		
128.	तमिलनाडु	श्री सेल्वन	1.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
129.	वही	श्री वी. शनमुगम	12.11.2006	नीला मिट्टी का तेल
130.	वही	श्री शेखर	12.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
131.	वही	श्री पालूराज	12.11.2006	सा.वि.प्र. चावल

1	2	3	4	5
132.	गुजरात	श्री विशुभा कनुभा परमार	15.11.2006	नीला मिट्टी का तेल
133.	वही	श्री सत्तारभाई दाउदभाई चौहान	15.11.2006	नीला मिट्टी का तेल
134.	वही	श्री किशोरभाई केतनभाई	15.11.2006	नीला मिट्टी का तेल
135.	वही	श्री कीमत कुमार सेवकराम ठक्कर	21.11.2006	नीला मिट्टी का तेल
136.	तमिलनाडु	श्री करप्पू गुणेशकरण	22.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
137.	वही	श्री राधाकृष्णन	29.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
138.	वही	श्री चन्द्रकुमार	17.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
139.	वही	श्री मुरूगेशन	27.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
140.	वही	श्री पी.ए. जिआउलहक जियान	23.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
141.	वही	श्री चिन्नपा	26.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
142.	वही	श्री वैथियलीगाम	13.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
143.	वही	श्री पी. थिल्लईवन्नम	15.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
144.	वही	श्री धनपाल	23.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
145.	वही	श्री राजमणि	14.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
146.	वही	श्री मुरूगन	15.11.2006	सा.वि.प्र. चावल
147.	वही	श्री मोहम्मद शरीफ	21.11.2006	
		दिसम्बर, 2006		
148.	तमिलनाडु	श्री अन्बूरोज	2.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
149.	वही	श्री रामास्वामी	8.12.2006	
150.	वही	श्री मुरूगसेन	13.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
151.	वही	श्री पी. रंगराज	16.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
152.	वही	श्री सुयाम्बू नादर	6.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
153.	वही	श्री ए.एन. ईस्मायल	12.12.2006	
154.	वही	श्री पी. शानमुगम विजयकुमार ,विजी डोरी	16.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
155.	वही	श्री सेन्थिल कुमार	13.12.2006	नीला मिट्टी का तेल
156.	वही	श्री कुरूवरन	20.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
157.	वही	श्री रामलिंगम	22.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
158.	वही	श्री मणि	22.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
159.	वही	श्री एम. नलथम्बी	6.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
160.	वही	श्री थिरूमलाईराज	20.12.2006	सा.वि.प्र. चावल
161.	वही	श्री अरूणाचलम	8.12.2006	सा.वि.प्र. चावल

विवरण II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई के 9 बिन्दुओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग.रे.नी./अं.अ.यो. की सूची की समीक्षा	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करना	पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करना	उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूची प्रदर्शित करना	खाद्यान्नों का जिला और उचित दर दुकान-वार आवंटन जनता की संवीक्षा के रूप में वैबसाइट पर डालना	खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी	उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता	उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	चरणबद्ध ढंग से समीक्षा की जा रही है। चरण-1 में हैदराबाद जिले को छोड़कर राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है। चरण-2 में हैदराबाद जिले को लिया गया है। चरण-3 में राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र लिए गए हैं।	बार कोडेड कूपन प्रणाली प्रचलन में है जिसमें परिवार के सदस्यों को गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को जारी परिवार फोटो कार्ड सहित इसे प्रस्तुत करना होता है ताकि उचित दर दुकान वाला कार्ड पर फोटो देख सके, प्रस्तुतकर्ता को पहचान सके, उस माह के लिए	खाद्य परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन किया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुख भूमिका दी गई है।	भेजी नहीं गई।	उचित दर दुकान के लिए आवंटन और उठान की सम्पूर्ण सूचना विभाग की वैबसाइट पर रखने के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।	राज्य में द्वार पर सुपुर्दगी की प्रणाली का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार 720 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की राज-सहायता वहन कर रही है।	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न असुरक्षित सभी लोगों को कवर करने की जरूरत को न्यायोचित मानते हुए माह की शुरूआत से 7 दिन के अंदर माह का कोटा उठाने और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित द्वार पर सुपुर्दगी की पद्धति है।	भेजी नहीं गई।	राज्य सरकार ने भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			कूपन एकत्र कर सके जिसमें सुपुर्दगी की गई है।							
2.	अरुणाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं								
3.	असम	सूचना प्राप्त नहीं								
4.	बिहार	समीक्षा की जा रही है।	खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए सुपुर्दगी केन्द्रों पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लीकेज मुक्त रखने के लिए गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए कूपन प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है।	इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।	वैबसाइट पर किया जा रहा है।	राज्य खाद्य निगम को ब्लाक मुख्यालय पर खाद्यान्न सपुर्द करने का काम सौंपा गया है। उचित दर दुकान पर सुपुर्दगी करने के प्रयास किए जाएंगे।	आवश्यक पग उठाए गए हैं।	भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।	भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	सर्वेक्षण किया और अपात्र कार्ड समाप्त किए।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अधीन कार्रवाई की जाती है।	फिलहाल उचित दर दुकानें पंचायती राज संस्थाओं, महिला स्वयंसेवी संगठन, सहकारी समितियों आदि द्वारा चलाई जाती है।	उचित दर दुकानों पर लाभार्थियों की सूचियां प्रदर्शित की जाती हैं।	इस प्रयोजनार्थ वैबसाइट का विकास किया जा रहा है।	राज्य सरकार, निगम और प्रमुख एजेंसियां, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की सुपुर्दगी कर रही हैं।	एक अनुसूची तैयार की गई है और राज्य में प्रचालित की गई है।	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुसूची तैयार की गई है और टीआरएम स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में जिला स्तर पर हार्डवेयर दे दिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।
6.	दिल्ली	समीक्षा का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।	समय-समय पर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।	क्रियान्वित की जा रही है।	पहले ही वैबसाइट पर उपलब्ध है।	कंप्यूटरीकरण पूरा होने पर बहुत शीघ्र किया जाएगा।	डीएससीएसी द्वारा समयबद्ध ढंग से उचित दर दुकान के द्वार पर सुपुर्दगी।	एसएफए की समय से सुपुर्दगी और माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्धता सुनिश्चित।	इस संबंध में विभाग में एक कार्यक्रम तैयार किया है।	पहले ही प्रगति में है।
7.	गोवा	सूचना प्राप्त नहीं								
8.	गुजरात	राज्य सरकार ने जाली राशन कार्ड को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए लगातार अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने जनवरी, 2006	राज्य सरकार ने खाद्यान्नों का लीकेज रोकना सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ विभिन्न कड़ी कार्रवाइयां की हैं। अप्रैल, 2006 से अक्तूबर, 2006 तक 9852 निरीक्षण किए, 688628 रुपये	(i) राज्य सरकार ने ग्राम सतर्कता समितियों का गठन किया और ग्राम के अध्यक्ष के रूप में ग्राम पंचायत के मुखिया को नियुक्त किया। राज्य में पहले ही 13279 ग्राम सतर्कता समितियां कार्यरत हैं और	राज्य सरकार ने राज्य के सभी कलक्टरों को दिनांक 27.9.06 के परिपत्र द्वारा उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित करने के लिए अनुदेश दिए हैं।	राज्य सरकार ने निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति को खाद्यान्नों के जिलावार आवंटन के ब्यौरे वैबसाइट पर रखने के अनुदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला कलक्टरों को	जहां तक राज्य का संबंध है गुजरात में 18000 ग्रामों में लगभग 16000 उचित दर दुकानें उपलब्ध हैं और नई उचित दर दुकानें खोलने का काम प्रगति पर है। सभी उचित दर दुकानें, दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में	राज्य सरकार ने गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने के लिए उचित दर दुकानों के मालिकों को परमिट जारी करने की समयावधि की स्कीम अपनाई है। राज्य सरकार ने परमिट जारी करने और	इस संबंध में राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।	राज्य सरकार ने निम्नानुसार दो प्रस्ताव भेजे हैं- (1) पत्र संख्या एफ पी एस-102006-2221-सी दिनांक 16.10.06 द्वारा 4.94 करोड़ रुपये के लिए आनंद जिले हेतु पायलट परियोजना, (2) पत्र संख्या एफपीएस-1-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		से अक्तूबर, 2006 तक 36262 जाली अपात्र कार्ड समाप्त किए हैं।	सीज किए, 716060 रुपये जब्त किए, 1332 लाइसेंस निलंबित किए, 53 लाइसेंस रद्द किए, 21 न्यायालय मामले चलाए गए।	दिशा निर्देशों के अनुसार बैठकें कर रही हैं। (ii) राज्य सरकार ने तालुक और जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करने के लिए भी आदेश जारी किए। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति पहले ही गठित कर दी गई है। 28.11.06 को एक बैठक भी हुई थी। (iii) राज्य सरकार ने दिनांक 21.8.06 के जीआर द्वारा उचित दर दुकानों के लाइसेंस एसएचजीआर को देने के आदेश जारी किए हैं। उपर्युक्त जीआर द्वारा 21.8.06 के बाद खोली जाने		खाद्यान्नों के आवंटन के तालुकावार और उचित दर दुकानदार ब्यौरे वैबसाइट तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर रखने के अनुदेश भी दिए हैं।	भी दुकानों पर कार्ड धारक सड़क और आवागमन की सुविधाओं के बहुत अच्छे नेटवर्क के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। इस संबंध में जनता को शिकायत नहीं है। अत: राज्य सरकार के विचार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के वितरण की द्वार पर सुपुर्दगी लागू करने की प्रणाली मितव्ययी और भौतिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी और न ही इस राज्य के लिए आवश्यक है।	गोदामों से उठान करने की तारीखें तय की है। तदनुसार, माह की 15 तारीख तक राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। पिछले 2 वर्ष से राज्य द्वारा शुरू की गई यह सर्वोत्तम पद्धति है।		02006-3582-सी दिनांक 21.12.06 द्वारा 33.06 लाख रुपये के लिए मेहसाणा जिले के ऊंझा तालुक हेतु सिम्प्यूटर स्मार्ट कार्ड प्रणाली के लिए पायलट परियोजना।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				वाली उचित दर दुकानों का 50% एसएसजीआर और 50% शिक्षित बेरोजगार युवकों को देने का निर्णय लिया है, पहले उचित दर दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती थी।						
9.	हरियाणा	राशन कार्डों की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है और सभी श्रेणियों को परिवार फोटो जारी किए गए हैं। इसलिए जाली राशन कार्डों का कोई मौका नहीं है	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अधीन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और संगत सूचना नियमित रूप से भारत सरकार भेजी जा रही है।	वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। उचित दर दुकानों के लाइसेंस भी भूतपूर्व सैनिकों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, विकलांग व्यक्तियों आदि को दिए जा रहे हैं।	प्रत्येक उचित दर दुकान पर गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।	इस संबंध में जिला अधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं।	एचएसएफसीसी (कनफेड) प्रत्येक उचित दर दुकान पर द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करता है।	कनफेड के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी उचित दर दुकान पर करनी अपेक्षित होती है।	टीआरएम स्कीम के अधीन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।	मामले पर कार्रवाई की जा रही है और भारत सरकार को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	हिमाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं								
11.	जम्मू-कश्मीर	सूचना प्राप्त नहीं								
12.	झारखंड	सूचना प्राप्त नहीं								
13.	कर्नाटक	सूचना प्राप्त नहीं								
14.	केरल	सूचना प्राप्त नहीं	चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।							
15.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार ने सभी मौजूदा कार्ड रद्द करने और गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के लिए नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है।		राज्य की सभी उचित दर दुकान सहकारी समितियों के पास हैं।	आदेश जारी कर दिए गए हैं और प्रदर्शित की जा रही है।	जिलावार और दुकान वार आवंटन वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।	द्वार पर सुपुर्दगी करने का तंत्र प्रचलन पर में है।	प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के दौरान लाभार्थियों को वितरण करने के लिए अग्रिम में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।	भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा दी जा रही है।
16.	महाराष्ट्र	सूचना प्राप्त नहीं								
17.	मणिपुर	सूचना प्राप्त नहीं	कदाचार की गतिविधियों में संलिप्त डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।							
18.	मेघालय	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।		राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। अधिक पारदर्शिता के लिए स्वयंसेवी समूहों और सहकारी समितियों को उचित दर दुकान डीलरों के	इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।	राज्य की वैबसाइट पर उपलब्ध है।	चूंकि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है और निधियों की समस्या द्वार पर सुपुर्दगी में रूकावट का एक कारण है। तथापि, राज्य हिमाचल	इस संबंध में पग उठाए गए हैं।	कुछ जिलों और उप खंडों में उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। ऐसे प्रशिक्षण का	इस संबंध में राज्य एनआईसी से उपयुक्त स्कीम तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				रूप में तैनात किया है।			प्रदेश के माडल की जांच कर रहा है क्योंकि दोनों राज्यों में एक ही प्रकार का स्थल है। परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवस्था की वित्तीय निहितार्थों की भी जांच की जा रही है।		वित्तपोषण करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।	
19.	मिजोरम	उन्होंने हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करना शुरू किया है।	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है।	पारदर्शिता के लिए ग्राम परिषद और ग्राम समितियां खाद्यान्नों के वितरण में शामिल की जाती है।	सभी संबंधित उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जाती है।	फिलहाल विभाग की कोई वैबसाइट नहीं है। यह काम नहीं किया जा सकता है।	वित्तीय स्थिति के कारण द्वार पर सुपुर्दगी करने का तंत्र व्यवहारिक नहीं है।	खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता का प्रचलन है अर्थात ग्रामों में साप्ताहिक और कस्बों में पखवाड़ा	जैसे ही निधियां उपलब्ध होंगी उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।	वित्तीय रूकावटों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटीकरण करना संभव नहीं है।
20.	नागालैण्ड	समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के अधीन कार्रवाई की जाती है।	ग्राम परिषद को उचित दर दुकान का स्तर दिया गया है और सतर्कता समितियों का गठन सभी स्तरों पर किया गया है।	नोट कर लिया	वैब पर सभी आवश्यक सूचना डालने के प्रयास किए जा रहे हैं।	भूस्थलीय समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण द्वार पर सुपुर्दगी व्यावहारिक नहीं है।	खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता कड़ाई से लागू की जाती है।	शीघ्र शुरू किया जाएगा।	शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	उड़ीसा	सूचना प्राप्त नहीं								
22.	पंजाब	सूचना प्राप्त नहीं								
23.	राजस्थान	सूचना प्राप्त नहीं								
24.	सिक्किम	सूचना प्राप्त नहीं								
25.	तमिलनाडु	सूचना प्राप्त नहीं								
26.	त्रिपुरा	सूचना प्राप्त नहीं								
27.	उत्तरांचल	सूचना प्राप्त नहीं								
28.	उत्तर प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।							
29.	पश्चिम बंगाल	समीक्षा की जा रही है और शीघ्र पूरा होने की आशा है।		पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानीटरिंग गतिविधि में शामिल किया जाता है। एमओआर दुकानें चलाने में सहकारी समितियों की मौजूदगी होती है।	समीक्षा पूरी होने पर सभी उचित दर दुकानों पर सूची लगाई जाएगी।	उचित दर दुकानदार प्रदर्शन अनिवार्य है। कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।	निधियों की कमी द्वार पर सुपुर्दगी में रूकावट है। यदि केन्द्र सरकार पूर्ण राज्य सहायता दे तो विचार किया जा सकता है।	जनता विवरण को निर्धारित तारीख नहीं मांगती है क्योंकि इससे जिन्सों के उठान में उनका लचीलापन पूर्णत: नष्ट होता है।	किया जा रहा है।	प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	समीक्षा की जा रही है।	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोषियों के	महिला, सहकारी समितियों, भूतपूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवकों को तरजीही दी जाती है।	इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।	मासिक आवंटन को वैबसाइट पर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।	जरूरी नहीं समझा गया है क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संतोषजनक रूप से चल रही है।	उचित दर दुकानों को सम्पूर्ण माह के दौरान खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं।	प्रशासन से परामर्श करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा।	संभव क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	चण्डीगढ़	प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना के कार्डों की समीक्षा की जाती है।	दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।	प्रत्येक वर्ष लाइसेंसों की समीक्षा की जाती है। स्वयंसेवी समूहों, भूतपूर्व सैनिकों, पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी समितियों को तरजीही दी जाती है।	सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाती है।	मामला विचाराधीन है।	छोटे राज्य होने के कारण प्रचलन में नहीं है। तथापि, खाद्यान्नों की बिक्री स्टाक का भौतिक सत्यापन करने के बाद अनुमत की जाती है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं माह के प्रथम सप्ताह में उचित दर दुकानों पर उपलब्ध करायी जाती हैं।	वहां 24 उचित दर दुकानें और 7 वार्ड/ग्राम स्तर की समितियां हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ पंजाब अथवा हरियाणा से जोड़ने का अनुरोध किया है।	मामला विचाराधीन है।
32.	दादर नगर हवेली	सूचना प्राप्त नहीं								
33.	दमन व दीव	सूचना प्राप्त नहीं								
34.	लक्षद्वीप	गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करना शुरू किया है।	नियमित मानीटरिंग प्रणाली है और चोर बाजारी अधिनियम के अधीन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।	सहकारी समितियों के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जाती है।	गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।	सहकारी समिति रजिस्ट्रार की वैबसाइट पर सूचना डाली जाएगी।	संघ राज्य क्षेत्र के छोटे आकार क्षेत्र को दखते हुए द्वार पर सुपुर्दगी के तंत्र को उपयोगी नहीं माना गया है।	संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदाम नहीं है और वे संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों का स्टाक नहीं रखते हैं। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम के साथ मामला उठाया जाता है।	टीआरएम स्कीम के अधीन प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	कंप्यूटरीकरण के लिए पर्याप्त निधियां नहीं है। तथापि, भारत सरकार को आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
35.	पांडिचेरी	सूचना प्राप्त नहीं								

[अनुवाद]

गोदामों के निर्माण हेतु राजसहायता

107. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु राजसहायता देने संबंधी किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राजसहायता दी गई है और इस संबंध में आज की तिथि तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में इस योजना को जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम को गोदामों का निर्माण करने के लिए कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। तथापि, योजना स्कीम के अधीन भंडारण गोदामों का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजनाओं के तहत आबंटित निधियां इक्विटी के रूप में भारतीय खाद्य निगम को जारी की जाती हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर की वर्ष 2007-2008 के लिए भण्डारण गोदामों का निर्माण क़रने हेतु योजना स्कीम के लिए 20.80 करोड़ रुपये का आबंटन करने का प्रस्ताव है।

कोकिंग कोल की कमी

108. श्री बसुदेव आचार्य: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को अपने प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कोकिंग कोल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल का आयात भी कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में कोकिंग कोल ब्लाकों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड संयुक्त रूप से विदेशों में कोल ब्लाकों का अधिग्रहण करने के साथ-साथ देश में भी साथ मिलकर कोकिंग कोल ब्लाकों का खनन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) के साथ समझौता करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान कोककर कोयले की कुल 14 एमटी की आवश्यकता में से केवल 5.2 एमटी स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध थी और शेष 8.8 एमटी का आयात किया गया था। एक विस्तार परियोजना, जिसमें तप्त धातु के उत्पादन को वर्ष 2010 तक बढ़ाकर 23.8 एमटी करने की परिकल्पना की गई है, सेल को 22.5 एमटीपीए धुले कोककर कोयले की आवश्यकता होगी जबकि स्वदेशी स्रोतों से धुले कोककर कोयले की मौजूदा उपलब्धता लगभग 5 एमटीपीए है।

(घ) और (ङ) सेल विदेशों में कोककर कोयला खानों में कुछ साम्या भागीदारी अधिगृहीत करने की प्रारंभिक संभावनाओं का पता लगा रही है।

(च) और (छ) सेल, मामला दर मामला आधार पर प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करते हुए विदेशी कोयला ब्लाक अधिगृहीत करने के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के साथ सहयोग करने के संबंध में विचार कर सकता है।

सेल में मूनीदीह खान के चरण-I के उन्नयन के लिए वित्त पोषण हेतु भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) (सीआईएल की सहायक कंपनी) के साथ 27 अप्रैल, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और झरिया कोल फील्ड्स में कपूरिया ब्लाक को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए बीसीसीएल/ सीआईएल से भी बातचीत कर रहा है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों और तिलहनों का आयात

109. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में खाद्य तेलों और तिलहनों की कितनी मात्रा का और कितने मूल्य का आयात किया गया है;

(ख) क्या किसानों ने चालू वर्ष में रेपसीड की फसल का भारी मात्रा में उत्पादन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी एजेंसियां इस उपज का छोटा सा हिस्सा ही खरीद रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आगामी मौसम के दौरान तिलहनों का आयात मूल्य कम रहने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो देश के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2005-06 के दौरान आयातित खाद्य तेलों और तिलहनों की कुल मात्रा क्रमश: 42.88 लाख मी. टन तथा 0.36 लाख मी. टन थी। आयात का संगत मूल्य क्रमश: 8960.99 करोड़ रुपये और 54.60 करोड़ रुपये था। वर्ष 2006-07 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान आयातित खाद्य तेलों की कुल मात्रा 21.58 लाख मी. टन थी जिसका मूल्य 4798.5 करोड़ रुपये था। अप्रैल, 2006 से जून, 2006 की अवधि के लिये आयातित तिलहनों की कुल मात्रा 0.065 लाख मी. थी जिसका मूल्य 10.15 करोड़ रुपये था।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार तोरिया एवं सरसों का उत्पादन 75.68 लाख मी. टन आकलित किया गया है जो वर्ष 2006-07 के लिये उत्पादन के अन्तिम आकलन की तुलना में कम है।

(ग) से (च) जब कभी खुली मण्डी में मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाते हैं, सरकार द्वारा उचित औसत गुणवत्ता वाली स्टाक के लिये घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन स्कीम के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा तोरिया/सरसों बीज की खरीद की व्यवस्था की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड), जो एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी है, ने इस स्कीम के तहत रबी, 2006 के दौरान 22.05 लाख मी. टन तोरिया/सरसों की खरीद की थी।

आगामी मौसम के दौरान तिलहनों के प्रत्याशित आयात मूल्य के संबंध में कोई आकलन करना कठिन है। तथापि, सरकार तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिये और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा मूल्य समर्थन स्कीम जैसे क्रियाकलापों तथा हस्तक्षेपों के जरिये देश के किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

आम उत्पादन के संवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

110. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आम उत्पादन के संवर्द्धन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 से 10वीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू की है ताकि तुलनात्मक लाभ वाली बागवानी फसलों के विकास हेतु क्षेत्र आधारित प्रदेश विशिष्ट समूह दृष्टिकोण अपनाकर बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सके। इस मिशन के अंतर्गत आम मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किये जाने वाली फसलों में से एक है। यह स्कीम 18 राज्यों और तीन संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयनाधीन है।

(ग) आम सहित विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रदत्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान आम सहित विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु वास्तविक लक्ष्य और प्रदत्त निधियों और वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य और निधियों के ब्यौरे

(क्षेत्र है. और रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	आंध्र प्रदेश	25398.00	2333.13	42637.00	3605.00
2.	बिहार	3320.00	326.46	17020.00	2028.95
3.	छत्तीसगढ़	10740.00	859.01	30681.10	3447.12
4.	दिल्ली			150.00	37.60
5.	गोवा	155.00	12.91	750.62	48.19
6.	गुजरात	27032.00	2594.84	34460.00	3586.17
7.	हरियाणा	2780.00	627.52	3553.56	622.15
8.	झारखंड	7000.00	857.58	28216.00	2404.45
9.	कर्नाटक	17010.00	1394.58	37450.00	3683.38
10.	केरल	10830.00	944.26	40645.40	3299.11
11.	महाराष्ट्र	28495.00	3267.61	93540.69	6788.24
12.	मध्य प्रदेश	5950.00	680.52	21250.00	2563.24
13.	उड़ीसा	18900.00	1967.65	31401.00	3488.97
14.	पंजाब	2480.00	321.62	9050.00	1035.00
15.	राजस्थान	11662.00	1300.31	28118.00	2832.92
16.	तमिलनाडु	8369.00	919.57	39295.00	3547.69
17.	उत्तर प्रदेश	14940.00	1897.69	27392.40	3266.36
18.	पश्चिम बंगाल	8480.00	982.85	18500.00	1560.97
19.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	582.00	64.68
20.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
21.	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-
	कुल	203541.00	21288.11	504692.77	47910.19

खराब हो चुके खाद्यान्न

111. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारी मात्रा में गेहूं खराब हो गया था और वह मानव उपभोग के अनुकूल नहीं रह गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान वर्ष के दौरान, देश में खरीदे गए और आयात किए गए 142 लाख टन गेहूं में से केवल 828 टन गेहूं प्राकृतिक आपदाओं और प्रचालनात्मक हानियों के कारण क्षतिग्रस्त/मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने गोदामों और अस्थायी भण्डारण में गेहूं का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करने के लिए कई पग उठाए हैं। स्टाक की स्थिति का आकलन करने और भंडारित गेहूं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक पग उठाने हेतु नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि

112. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री रशीद मसूद:
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना की बची हुई अवधि के दौरान सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है;

(ग) क्या बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें वर्ष 2005-06 में पूरा किया जाना था, पूरी हो चुकी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं की लागत में कुल कितनी धनराशि की वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्यों के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का समुचित उपयोग किया जा रहा है; और

(च) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा तैयार की गई सिंचाई परियोजनाओं, विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के संबंध में कोई आकलन कराया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (च) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत योजना आयोग द्वारा अनुदान के रूप में 2098.33 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है। सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, कार्यान्वयन और उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके संसाधनों से किया जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब से चिन्तित होकर भारत सरकार ने वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2006 तक एआईबीपी के तहत 19437.8837 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में मुहैया कराई है। वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तारीख तक 1160.5972 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। एआईबीपी में शामिल 83.47 लाख हेक्टेयर की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता में से मार्च, 2006 तक 40.40 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई है। मार्च, 2006 तक लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता 1.53 लाख हेक्टेयर है।

एआईबीपी में विशिष्ट निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने तथा सिंचाई क्षमता के सृजन पर महत्व दिया जाता है। 200 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें एआईबीपी के तहत सहायता मुहैया कराई गई थी उनमें से 50 वृहद/मध्यम और 5562 सतही लघु सिंचाई (एमआई) स्कीमों में से 4187 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को मार्च, 2006 तक पूरा कर लिया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में जारी की गई निधि के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से परियोजना के लिए वर्ष के दौरान अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्व में जारी किए गए अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही अगला अनुदान जारी किया जाता है।

नवीनतम आकलन के अनुसार 166 वृहद, 222 मध्यम और 89 विस्तार नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कुल मिलाकर 477 चालू परियोजनाओं को ग्यारहवीं योजना में आगे लाए जाने की संभावना है। इसमें से 53 वृहद, 83 मध्यम एवं 3 ईआरएम इस प्रकार कुल 139 परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं।

[अनुवाद]

सी होर्स फिश का संरक्षण

113. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने सी होर्स फिस के संरक्षण हेतु एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मछुआरों के लिए नई प्रौद्योगिकी के किस सीमा तक मददगार होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मछली के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी एम एफ आर आई), कोचीन ने नियंत्रित स्थितियों के तहत हैचरियों में सी-होर्स के प्रजनन एवं जीरा (सीड) उत्पादन के लिए एक तकनीकी विकसित की है। हैचरी की समुद्री रैंचिंग से सी-होर्स के जीरे (सीड) का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा जिससे स्टाक वृद्धि, संरक्षण और इस संसाधन के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

(ग) सी-होर्स एक सजावटी मछली भी है जिसमें औषधीय गुण हैं और बाजार में इसका उच्च मूल्य है। इसके पालन द्वारा मछुआरों के स्व-रोजगार तथा आय सृजन की गुंजाइश है।

(घ) और (ङ) सी-होर्स को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे इसे उच्च सुरक्षा मिली हुई है। इस अधिनियम के तहत इस प्रजाति की मछली का संग्रहण/फिशिंग/हंटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस प्रजाति का निर्यात भी प्रतिबंधित है। इस प्रजाति की मछली के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम की सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

114. श्री अनवर हुसैन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या असम राज्य सरकार ने राज्य की किसी सिंचाई परियोजना को प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की यथास्थिति और ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) के अंतर्गत स्वीकृत निधि की कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के लिए एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करना एक सतत प्रक्रिया है जो कि निधि के उपयोग और उसके बाद समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोग प्रमाण पत्र पर आधारित है।

विवरण

एआईबीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई निधि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि 2004-05 (ऋण+अनुदान)	राशि 2005-06 (अनुदान)	राशि 2006-07 (अनुदान)
1.	असम	16.93	34.9332	27.3585
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	18.0000	24.30
3.	मणिपुर	13.00	75.7035	77.5242
4.	मेघालय	1.7438	1.5750	शून्य
5.	मिजोरम	5.00	9.3150	9.00
6.	नागालैंड	4.00	7.9987	10.0095
7.	सिक्किम	0.7500	0.9113	3.3236
8.	त्रिपुरा	11.00	31.9950	21.5731

सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई निधि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि 2004-05	राशि 2005-06	राशि 2006-07
1.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	212.10	188.13
3.	मणिपुर	128.1	121.428	207.038
4.	मेघालय	16.399	शून्य	शून्य
5.	मिजोरम	14.21	13.616	शून्य
6.	नागालैंड	50.00	109.505	शून्य
7.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
8.	त्रिपुरा	7.52	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान हेतु बजटीय सहायता

115. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार अनुसंधान और विकास पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बजटीय आबंटन के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्यों के आधार पर निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके संस्थान राज्य-क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के आधार पर कार्य नहीं करते हैं जिनका पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास संबंधित विषय-वस्तु प्रभागों, संस्थान प्रबंधन समितियों, योजना कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग प्रभाग और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की बैठकों द्वारा नियमित अन्तराल पर बजटीय आबंटनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपने अधीनस्थ सभी संस्थानों की मानीटरिंग का स्व:निर्मित तंत्र है।

विवरण

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान की गई बजटीय सहायता तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च किये गए व्यय का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन		व्यय	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
2004-05	1000.00	753.31	858.99	775.00
2005-06	1150.00	792.00	1048.98	876.17
2006-07	1350.00 + 50.00*	810.00	0941.25	676.77 (दिसम्बर, 2006 तक)

*अनुपूरक अनुदान के रूप में 50 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

[अनुवाद]

प्राणी उद्यानों को सहायता

116. श्री नवीन जिन्दल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश के कितने प्राणी उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) प्राणी उद्यानों में पशुओं और पक्षियों की समुचित देखभाल को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में लापरवाही की वजह से पशुओं के मरने की कुछ घटनाएं आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2004-2005 के दौरान 33 प्राणी उद्यानों और 2005-06 के दौरान 28 प्राणी उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) प्राणी उद्यान मान्यता नियमावली, 1992 में प्राणी उद्यानों में जीव जन्तुओं और पक्षियों की उपयुक्त रूप से देखभाल के लिए मानक और दिशा निर्देश निर्धारित हैं। इन मानकों और दिशा निर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए इन प्राणी उद्यान का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। उन प्राणी उद्यानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है जो इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहते हैं और उनकी मान्यताओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी चैनलों पर नियंत्रण

117. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में पंजीकृत कुछ चैनल अपने कार्यक्रम भारत में दिखा रहे हैं जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे चैनलों से राजस्व की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) यह मंत्रालय विदेशों में पंजीकृत चैनलों द्वारा अर्जित राजस्व संबंधी कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

गेहूं का उत्पादन और खरीद

118. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री वसुदेव आचार्य:
श्री महावीर भगोरा:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री मो. ताहिर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो दशकों के दौरान गेहूं के उत्पादन की दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी रबी की फसल मौसम के दौरान गेहूं के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आगामी रबी फसल की स्थिति का जायजा लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है और इन लक्ष्यों को राज्य-वार किस सीमा तक प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार ने गेहूं उत्पादक राज्यों के कृषकों को राज्य-वार अबाध बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं पर गेहूं के उत्पादन में गिरावट से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ञ) देश में गेहूं के सतत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) निम्न सारणी 1990-91 से 2006-07 तक गेहूं का उत्पादन दर (उत्पादकता) को दर्शाती है:

उत्पादकता (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
उत्पादकता	2281	2394	2327	2380	2559	2483	2679	2485	2590
वर्ष	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	
उत्पादकता	2778	2708	2762	2610	2713	2602	2619	2675	

*05.02.07 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

वर्ष 1990-91 से 2006-07 तक गेहूं की उत्पादकता दीर्घावधि बढ़त प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह 1990 के दशक के दौरान 2281 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2778 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई। हाल में, वर्ष 2002-03 सूखा प्रभावित था, 2004-05 में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा अपने दीर्घावधि औसत से 13 प्रतिशत कम थी और 2005-06 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में तापमान में असामान्य वृद्धि हुई और इन सब ने इन वर्षों के दौरान गेहूं की उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

(ग) और (घ) चालू रबी मौसम 2006-07 के लिए सरकार ने 75.53 मिलियन टन का गेहूं का उत्पादन लक्ष्य रखा है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा मंत्रालय में होने वाली साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह की बैठकों में फसल की स्थिति की निरन्तर निगरानी की जाती है। 5.2.2007 को जारी गेहूं उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किये गये। राज्यवार 2006-07 वर्ष के लिये लक्ष्य और अनुमानित उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) सरकार ने 2006-07 के दौरान गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने की नीति तथा पानी, बिजली और अन्य निवेशों की समीक्षा करने के लिए गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों के साथ कई बैठकें की हैं।

(झ) रबी विपणन मौसम 2006-07 के दौरान गेहूं का प्रापण कम था और सरकार ने टी.पी.डी.एस. और अन्य वैल्फेयर स्कीमों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 55 लाख टन गेहूं का आयात किया। ऐसा अनुमान है कि अधिक उत्पादन अनुमान और अधिक प्रापण मूल्य के कारण रबी विपणन मौसम 2007-08 के दौरान टी.पी.डी.एस. और अन्य वैल्फेयर स्कीमों के लिए पर्याप्त गेहूं का प्रापण कर लिया जाएगा।

(ञ) देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-गेहूं)' लागू है जिसे अक्टूबर 2000 से कृषि के वृहत प्रबंधन मोड में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सुधारीकृत उत्पादन तकनीक के प्रचार; मैदानी प्रदर्शनों के द्वारा एकीकृत कीट प्रबन्धन; महिलाओं सहित किसानों का प्रशिक्षण; छिड़काव सिंचाई प्रणाली को लगाने; किस्मों को बदलना और प्रमाणित बीजों का उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

2006-07 के दौरान गेहूं उत्पादन का राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि

(लाख टन)

राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3
आंध्र प्रदेश	0.05	0.1
अरुणाचल प्रदेश	0.09	#
असम	0.69	0.7
बिहार	38.64	32.4
छत्तीसगढ़	0.82	0.7
गुजरात	19.89	31.1
हरियाणा	98.96	97.0
हिमाचल प्रदेश	7.51	3.7
जम्मू-कश्मीर	4.76	4.7
झारखंड	1.50	2.0
कर्नाटक	1.88	1.5
मध्य प्रदेश	82.25	60.6
महाराष्ट्र	18.53	15.3
मणिपुर	0.03	#
मेघालय	0.02	#
नागालैंड	0.15	#
उड़ीसा	0.06	0.1
पंजाब	159.75	145.0
राजस्थान	62.55	56.7
सिक्किम	0.08	#
तमिलनाडु	0.01	0.0
त्रिपुरा	0.03	#

1	2	3
उत्तर प्रदेश	239.85	255.0
उत्तरांचल	8.04	7.8
पश्चिम बंगाल	8.43	9.5
दादरा और नगर हवेली	0.01	#
दिल्ली	0.72	#
अन्य	एनए	1.3
समस्त भारत	755.30	725.00

*05.02.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान
एनए : लागू नहीं
: अन्य में शामिल

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

119. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों से सम्पूर्ण अधिशेष खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य से निर्धारित सीमा तक गेहूं की खरीद की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सरकार की मौजूदा खाद्यान्न वसूली नीति के अनुसार देश भर के सभी जिलों में जहां विपणन के लिए अधिशेष खाद्यान्न होते हैं, वहां सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाए जाते हैं। किसानों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, अपना उत्पाद बेचने का विकल्प होता है। अत: सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली वसूली की मात्रा उत्पादन, बाजार आमद, खुला बाजार मूल्य, प्राइवेट प्रतिभागिता की सीमा आदि जैसे कई घटकों पर निर्भर करती है। अत: सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूली करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की पर्याप्त वसूली सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है जो रबी विपणन मौसम 2006-07 के लिए घोषित 650 रुपये प्रति क्विंटल से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। 12.2.2007 को हुई बैठक के दौरान गेहूं उत्पादक राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम ने पुष्टि की है कि आगामी रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए गेहूं की पर्याप्त वसूली सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं। बैठक के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अधिकतम वसूली के लिए पर्याप्त संख्या में वसूली केंद्र खोलें।

अल्फांसों आम का उत्पादन

120. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में अल्फांसों आम का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसका उत्पादन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार किसानों को इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र के जिले में एलफान्सों आम की खेती 1.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। महाराष्ट्र के अलावा, अलफान्सों आम की खेती गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में भी की जाती है।

(ग) और (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने तुलनात्मक लाभ वाली बागवानी फसलों के विकास हेतु क्षेत्र आधारित क्षेत्र विशिष्ट सामूहिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 9वीं योजना के दौरान वर्ष 2005

से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अधीन आम की अलफान्सों किस्म सहित आम को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन निधियों का किस्मवार आवंटन नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान आम सहित विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्कीमों के जरिये पिछले 3 वर्षों के दौरान किसानों को लगभग 37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान आम सहित विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु वास्तविक लक्ष्य और प्रदत्त निधियों और वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य और निधियों के ब्यौरे

(क्षे. है. और रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25398.00	2333.13	42637.00	3605.00
2.	बिहार	3320.00	326.46	17020.00	2028.95
3.	छत्तीसगढ़	10740.00	859.01	30681.10	3447.12
4.	दिल्ली			150.00	37.60
5.	गोवा	155.00	12.91	750.62	48.19
6.	गुजरात	27032.00	2594.84	34460.00	3586.17
7.	हरियाणा	2780.00	627.52	3553.56	622.15
8.	झारखंड	7000.00	857.58	28216.00	2404.45
9.	कर्नाटक	17010.00	1394.58	37450.00	3683.38
10.	केरल	10830.00	944.26	40645.40	3299.11
11.	महाराष्ट्र	28495.00	3267.61	93540.69	6788.24
12.	मध्य प्रदेश	5950.00	680.52	21250.00	2563.24
13.	उड़ीसा	18900.00	1967.65	31401.00	3488.97
14.	पंजाब	2480.00	321.62	9050.00	1035.00
15.	राजस्थान	11662.00	1300.31	28118.00	2832.92
16.	तमिलनाडु	8369.00	919.57	39295.00	3547.69
17.	उत्तर प्रदेश	14940.00	1897.69	27392.40	3266.36

1	2	3	4	5	6
18.	पश्चिम बंगाल	8480.00	982.85	18500.00	1560.97
19.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	582.00	64.68
20.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
21.	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-
	कुल	203541.00	21288.11	504692.77	47910.19

ग्रामीण श्रमिकों और कृषि कामगारों संबंधी सर्वेक्षण

121. श्री अनवर हुसैन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिकों और कृषि कामगारों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कल्याण उपायों हेतु ग्रामीण और कृषि कामगारों के पंजीकृत मजदूर संघों को शामिल करने के लिए कोई रणनीति अपनाई गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिकों और कृषि कामगारों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वर्षा बीमा योजना

122. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही वर्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना से केवल वे कृषक लाभान्वित हो सकते हैं जिनके पास वर्षा संबंधी आंकड़े एकत्र किये जाने की सुविधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां के किसान वर्षा संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी चयनित राज्यों के सभी कृषकों को उक्त योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई नहीं जाती है। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) द्वारा स्वयं पायलट आधार पर चलाई जा रही है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(1) यह स्कीम उन विशिष्ट फसलों के लिए अभिकल्पित है जिनके मामले में ऐतिहासिक साक्ष्य यह दर्शाता है कि इन फसलों की उपज वर्षा से अत्यधिक सहसम्बन्धित है।

(2) यह स्कीम तीन कवरेज विकल्प प्रदान करती है:-

* बुवाई की अवधि के दौरान अपर्याप्त वर्षा को कवर करने वाला बुवाई विफलता बीमा (एसएफआई)।
* सम्पूर्ण फसल मौसम के दौरान वर्षा को कवर करने वाला मौसमी वर्षा बीमा (एसआरआई)।
* अवधि (16 अगस्त से 31 अक्तूबर/30 नवम्बर) को कवर करने वाला वर्धी चरण बीमा।

(ख) और (ग) जी, हां। यह स्कीम केवल उन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा सकती है जिनके मामले में विगत 10 से 15 वर्षों के ऐतिहासिक उपज आंकड़े और कम से कम 30 वर्षों की

अवधि के वर्षा आंकड़े उपलब्ध हैं। खरीफ 2006 मौसम के दौरान यह स्कीम आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की गई। शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में यह स्कीम क्रियान्वित नहीं की गई, अत: इन क्षेत्रों में किसान इस स्कीम के लाभ प्राप्त नहीं कर सके।

(घ) फिलहाल सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का उत्पादन

123. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 2006-07 के दौरान वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन और गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्न-वार हुई वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 5.2.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 209.17 मिलियन टन अनुमानित है, जोकि 2005-06 के दौरान प्राप्त 208.59 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 0.58 मिलियन टन अधिक है।

(ग) निम्नलिखित तालिका पिछले वर्ष पर वृद्धि अथवा कमी की मात्रा के साथ विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन दर्शाती है:

फसलें	उत्पादन (मिलियन टनों में)		
	2006-07*	2005-06	अन्तर (कालम 2-3)
चावल	90.13	91.79	-1.66
गेहूं	72.50	69.35	3.15
ज्वार	7.72	7.63	0.09
बाजरा	7.54	7.68	-0.14
मक्का	13.56	14.71	-1.15
कुल मोटा अनाज	32.02	34.06	-2.04
तूर	2.64	2.74	-0.10
चना	6.16	5.60	0.56
कुल दालें	14.52	13.39	1.13
कुल खाद्यान्न	209.17	208.59	0.58

*5.2.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु आबंटन

124. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) हेतु राज्य-वार एवं अनुसंधान केन्द्र-वार कुल कितना बजट आबंटित किया गया है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आबंटन का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न शीर्षों पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष (2006-07) के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए कुल आबंटित बजट योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रु. और गैर-योजना के अंतर्गत 810 करोड़ रु. है। आगे, यह बताया जाता है कि राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए संस्थानवार आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो रहा है। व्यय का विवरण 31 दिसम्बर, 2006 तक के लिए तैयार किया गया है और संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वार्षिक योजना 2006-07 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। योजना और गैर-योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित संस्थानों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की गतिविधियों का संबंधित विषय-वस्तु प्रभागों, संस्थान प्रबंधन समितियों, अनुसंधान सलाहकार समितियों, क्षेत्रीय समितियों और पंचवर्षीय समीक्षा दलों द्वारा नियमित अंतरालों पर मानीटर किया जा रहा है।

विवरण

योजना
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिसम्बर, 2006 तक के व्यय की तुलना में बजट आकलन 2006-07 का सार

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विषय वस्तु मामला	बजट आकलन 2006-07	व्यय दिसम्बर, 2006 तक	बजट आ. के संबंध में उपयोग प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1.	फसल विज्ञान	31800.00	21635.88	68%
2.	बागवानी विज्ञान	7000.00	3342.69	48%
3.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	8500.00	5680.39	67%
4.	कृषि अभियांत्रिकी	4000.00	2233.47	56%
5.	पशु विज्ञान	8500.00	3853.39	45%
6.	मात्स्यिकी	3000.00	1846.05	62%
7.	कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	400.00	215.99	54%
8.	कृषि शिक्षा	26200.00	28163.04	107%
9.	कृषि विस्तार	26950.00	15976.24	59%

1	2	3	4	5
10.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय	2550.00	202.31	8%
11.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10050.00	258.77	3%
12.	सामरिक महत्व के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि	5000.00	0.79	0%
	कुल - क, भा.कृ.अ.प.	133950.00	83408.22	62%
13.	सी ए यू*	5500.00	4761.61	87%
14.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	50.00	21.65	43%
15.	इंडो-यू एस जानकारी पहल	500.00	180.07	36%
	कुल - (ख) डेयर	6050.00	4963.33	82%
	कुल योग - [योजना] (क+ख)	140000.00	88371.55	63%

*केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, गुणवत्ता मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थान विशेष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी परिणाम

योजना 2006-07 के साथ-साथ खर्च दिसम्बर, 2006 तक

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत साथ-ही-साथ ब.आ.
1	2	3	4	5
	फसल विज्ञान			
1.	सी आई सी आर, नागपुर	200.00	84.76	42%
2.	सी आर आई जे ए एफ, बैरकपुर	112.82	47.17	42%
3.	सी आर आर आई, कटक	380.00	161.88	43%
4.	सी टी आर आई, राजमुन्द्री	100.00	94.11	94%
5.	आई ए आर आई, नई दिल्ली	1703.00	942.76	55%
6.	आई जी एफ आर आई, झांसी	300.00	204.45	68%
7.	आई आई पी आर, कानपुर	268.00	136.36	51%
8.	आई आई एस आर, लखनऊ	151.00	116.98	77%
9.	एन बी ए आई एम एम ए यू, नाथ भंजन	354.32	269.85	76%

1	2	3	4	5
10.	एन बी पी जी आर, डी एन ए फिंगरप्रिंट, नई दिल्ली	1100.00	312.70	28%
11.	एस बी आई, कोयम्बटूर	295.79	180.25	61%
12.	बी पी के ए एस, अल्मोड़ा	121.00	81.02	67%
13.	एन आर सी* मूंगफली, जूनागढ़	170.00	63.40	37%
14.	एन आर सी* तोरिया, सरसों, भरतपुर	220.00	89.04	40%
15.	एन आर सी* ज्वार, हैदराबाद	35.53	24.32	68%
16.	एन आर सी* सोयाबीन, इन्दौर	200.00	85.95	43%
17.	एन सी आई पी एम, नई दिल्ली	100.00	66.74	67%
18.	एन आर सी पौध जैवप्रौद्योगिकी, नई दिल्ली	110.00	113.58	103%
19.	पी डी** जैविक नियंत्रण, बंगलौर	80.00	43.83	55%
20.	पी डी** मक्का, दिल्ली	272.00	132.14	49%
21.	पी डी** तिलहन, हैदराबाद	250.00	173.49	69%
22.	पी डी** चावल, हैदराबाद	275.00	110.68	40%
23.	पी डी** गेहूं, करनाल	84.01	60.57	72%
24.	बीज अनुसंधान निदेशालय, एम ए यू	493.00	377.75	77%
25.	कृषि फसल तथा मात्स्यिकी में बीज उत्पादन	13789.94	11394.33	83%
	कुल: संस्थान	21165.41	15368.11	73%

*राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

**परियोजना निदेशालय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	फसल विज्ञान			
1.	अप्रयुक्त फसलें तथा यू ई पी-एन बी पी जी आर	90.00	74.00	82%
2.	शुष्क फलियां-जी ए जैड आर आई, जोधपुर	36.81	25.46	69%
3.	चना-आई आई पी आर, कानपुर	298.64	104.14	35%
4.	अरहर आई आई पी आर, कानपुर	322.00	250.30	78%

1	2	3	4	5
5.	मुलार्प-आई आई पी आर, कानपुर	210.67	153.74	73%
6.	बाजरा-जोधपुर एच क्यू आर	220.00	154.15	70%
7.	गौण मोटे अनाज, बंगलौर एच क्यू आर	210.00	141.39	67%
8.	जैव नियंत्रण-पी डी बी सी, बंगलौर	53.00	24.33	46%
9.	ज्वार-एन आर सी ज्वार, हैदराबाद	254.32	204.73	81%
10.	अलसी-कानपुर एच क्यू आर	261.00	112.53	43%
11.	कपास-सी आई सी आर, नागपुर	316.00	253.90	80%
12.	जूट तथा संबद्ध रेशे-सी आर आई जे ए एफ, बैरकपुर	150.00	122.97	82%
13.	तम्बाकू-सी टी आर आई, राजमुन्द्री	156.00	79.00	51%
14.	गन्ना-आई आई एस आर, लखनऊ	210.00	232.42	111%
15.	मूंगफली-एन आर सी मूंगफली, जूनागढ़	196.00	139.49	71%
16.	तोरिया सरसों-एन आर सी आर एम, भरतपुर	228.93	181.72	79%
17.	सोयाबीन-एन आर सी-सोयाबीन, इन्दौर	260.00	139.88	54%
18.	मधुमक्खी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, हिसार एच क्यू आर	23.58	11.83	50%
19.	सफेद सूड़ी अथ्रोपोड्स, जयपुर एच क्यू आर	15.22	7.58	50%
20.	कृषि एकोलोजी, बंगलौर	20.00	0.00	0%
21.	नाशी जीवनाशी अवशिष्ट-आई ए आर आई, नई दिल्ली	201.00	107.52	53%
22.	सूत्रकृमि, आई ए आर आई, नई दिल्ली	102.00	81.47	80%
23.	आर्थिक पक्षी विज्ञान, हैदराबाद	4.60	2.69	58%
24.	कीट जैव प्रणाली पर नेटवर्क कार्यक्रम आई ए आर आई, नई दिल्ली	512.00	321.73	63%
25.	चावल-पी डी चावल, हैदराबाद	578.00	448.13	78%
26.	तिल तथा रामतिल-डी ओ आर, हैदराबाद	213.00	167.80	79%
27.	मक्की-पी डी मक्का, नई दिल्ली	245.00	142.20	58%
28.	गेहूं तथा जौ-पी डी गेहूं, करनाल	501.25	385.90	77%
29.	कृन्तक नियंत्रण-सी ए जैड आर आई, जोधपुर	68.89	42.44	62%
30.	तिलहन-डी ओ आर, हैदराबाद एच क्यू आर	162.00	135.70	84%

1	2	3	4	5
31.	कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन, सी आई सी आर, नागपुर	400.00	329.53	82%
32.	चारा फसलें-आई जी एफ आर आई, झांसी	44.59	37.16	83%
33.	पराजीनी पर नेटवर्क कार्यक्रम	1215.51	450.94	37%
34.	माक्रोआर्ग. का उपयोग	1600.69	1201.00	75%
35.	मार्गस्थ परियोजना	1253.89		0%
	कुल: अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	10634.59	6267.77	59%
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना			
	कुल फसल विज्ञान	31800.00	21635.88	68%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	बागवानी फसलें			
1.	सी ए आर आई, पोर्टब्लेयर	315.50	86.77	28%
2.	सी आई ए एच, बीकानेर	183.45	19.72	11%
3.	सी आई एस एच, लखनऊ	256.00	136.93	53%
4.	सी आई टी एच, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	273.91	66.70	24%
5.	सी पी सी आर आई, कासरगोड	195.06	76.87	39%
6.	सी पी सी आर आई, विट्टल	50.00	33.50	67%
7.	सी पी सी आर आई, कयानगुलम	35.00	9.02	26%
8.	सी पी आर आई, शिमला	183.86	69.31	38%
9.	सी टी सी आर आई, तिरूवनन्थपुरम	120.78	53.82	45%
10.	आई आई एच आर, बंगलौर	302.02	245.01	81%
11.	आई आई एस आर, कालीकट	135.00	47.56	35%
12.	आई आई वी आर, वाराणसी	451.54	97.78	22%
13.	एन आर सी केला, त्रिचनापल्ली	114.30	39.65	35%
14.	एन आर सी काजू, पुत्तूर	127.00	64.98	51%

1	2	3	4	5
15.	एन आर सी नीबू वर्गीय फल, नागपुर	126.59	101.43	80%
16.	एन आर सी-अंगूर, पुणे	250.31	130.70	52%
17.	एन आर सी-औषधीय तथा सुगंधीय पौधे, आनन्द	285.00	183.89	65%
18.	एन आर सी खुम्बी, सोलन	134.07	96.27	72%
19.	एन आर सी तेलताड़, पेडावेगी	78.13	16.98	22%
20.	एन आर सी प्याज तथा लहसुन, पुणे	200.00	112.32	56%
21.	एन आर सी आकिड्स, सिक्किम	214.10	69.77	33%
22.	एन आर सी बीज मसालें, अजमेर	113.43	24.27	21%
23.	एन आर सी-लीची, मुजफ्फरपुर	404.08	88.75	22%
24.	अनार पर एन आर सी, सोलापुर	592.50	211.44	36%
	कुल : संस्थान	5141.63	2083.44	41%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	अ.भा.स.अ.प. का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	बागवानी विज्ञान			
1.	उष्ण कटिबंधीय फल आई आई एच आर, बंगलौर	116.87	75.94	65%
2.	उपोष्ण फल सी आई एस एच, लखनऊ	131.58	108.65	83%
3.	शुष्क फल सी आई ए एच, बीकानेर	140.00	74.33	53%
4.	एन एस पी सब्जियां-आई आई वी आर, वाराणसी	159.44	13.66	9%
5.	खुम्बी-एन आर सी खुम्बी, सोलन	71.82	52.35	73%
6.	आलू-सी पी आर आई, शिमला	105.25	57.00	54%
7.	कंदवर्गीय फसलें-सी टी सी आर आई, तिरूवनन्तपुरम	94.00	78.33	83%
8.	तेल-ताड़-सी पी सी आर आई, कासरगोड	170.18	151.53	89%
9.	काजू-एन आर सी काजू, पुतुर	92.10	78.85	86%
10.	मसालें-आई आई एस आर, कालीकट	119.00	92.29	78%
11.	औषधीय एवं सुगंधीय पौधे-एन आर सी एम एवं ए पी, आनन्द	103.20	54.43	53%

1	2	3	4	5
12.	पान-एन आर सी एम एवं ए पी, आनन्द	80.00	42.36	53%
13.	सब्जी पर अ.भा.स.अ.प.-आई आई वी आर, वाराणसी	329.62	294.42	89%
14.	पुष्पोत्पाद-आई ए आर आई एन आर सी पी बी	145.31	85.11	59%
	कुल: अ.भा.स.अ.प.	1858.37	1259.25	68%
	बागवानी विज्ञान	7000.00	3342.69	48%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन			
1.	सी ए जैड आर आई, जोधपुर	240.00	98.55	41%
2.	क्रीडा, हैदराबाद	150.00	104.06	69%
3.	सी एस एण्ड डब्ल्यू सी आर एण्ड टी आई, देहरादून	360.00	250.47	70%
4.	सी एस एस आर आई, करनाल	279.26	161.27	58%
5.	उ.पू.प. क्षे. के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़पानी*	610.00	367.00	60%
6.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, पटना*	124.74	140.34	113%
7.	मखाना के लिए केन्द्र	355.00	78.97	22%
8.	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, गोवा	193.50	79.70	41%
9.	आई आई एस एस, भोपाल	243.00	127.16	52%
10.	एन बी एस एस एण्ड एल यू पी, नागपुर	759.00	197.76	26%
11.	पूर्वी क्षेत्र के लिए डब्ल्यू टी सी, भुवनेश्वर	181.00	119.39	66%
12.	एन आर सी-कृषि वानिकी, झांसी	253.00	151.87	60%
13.	एन आर सी-खरपतवार विज्ञान, जबलपुर	121.50	96.54	79%
14.	पी डी फसल प्रणाली, मोदीपुरम	73.14	69.73	95%
	कुल संस्थान	3943.14	2042.81	52%

*उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित संस्थान क्षेत्र विशेष अनुसंधान करने के लिए

(रु. लाख में)

क्र.सं.	एआईसीआरपी के नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध			
1.	एग्रो मोटोलोजी-क्रीडा, हैदराबाद	303.00	252.50	83%
2.	नेटवर्क एमपेक्ट-एडअपटेशन-क्रीडा, हैदराबाद	213.00	177.50	83%
3.	कृषि वानिकी-एन आर सी ए एफ, झांसी	482.00	411.00	85%
4.	खरपतवार नियंत्रण-एन आर सी डब्ल्यू एस, जबलपुर	201.36	190.35	95%
5.	फसल प्रणाली अनुसंधान-पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	551.00	488.47	89%
6.	जल प्रबंध-डब्ल्यू टी सी ई आर, भुवनेश्वर	697.35	582.00	83%
7.	भूमि जल उपयोग-डब्ल्यू टी सी ई आर, भुवनेश्वर	222.75	115.00	52%
8.	दियारा कृषि-क्रिडा, हैदराबाद	782.00	650.04	83%
9.	लवणता प्रभावित मृदा-सी एस एस आर आई, करनाल	400.00	146.86	37%
10.	नेटवर्क-जैविक कृषि-पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	38.40	29.30	76%
11.	सुक्ष्म गौण एवं प्रदुषित तत्व-आई आई एस	294.00	196.75	67%
12.	नेटवर्क जैव उर्वरक-आई आई एस एस, भोपाल	93.00	77.16	83%
13.	फसल प्रतिक्रिया मृदा परीक्षण के साथ-आई आई एस एस, भोपाल	238.00	197.78	83%
14.	दीर्घ अवधि उर्वरक प्रयोग-आई आई एस एस, भोपाल	41.00	122.87	300%
	कुल: ए आई सी आर पी	4556.86	3637.58	80%
	कुल प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	8500.00	5680.39	67%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	कृषि अभियांत्रिकी			
1.	सी आई ए आई, भोपाल	400.35	313.67	78%
2.	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना	358.00	137.32	38%
3.	सी आई आर सी ओ टी, मुंबई	732.54	290.77	40%

1	2	3	4	5
4.	आई एल आर आई, रांची	129.01	92.16	71%
5.	एन आई आर जे ए एफ ओ जे टी आर एल, कोलकाता	123.63	70.59	57%
	कुल संस्थान	1743.53	904.51	52%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	ए आई सी आर पी के नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
	कृषि अभियांत्रिकी			
1.	एफ आई एम-सी आई ए ई, भोपाल	400.00	229.42	57%
2.	मानव अभियांत्रिकी-सुरक्षा अध्ययन-सीआई एई, भोपाल	157.36	120.59	77%
3.	कृषि में प्लास्टिक उपयोग-सी आई पी एच ई टी	79.92	63.78	80%
4.	कटाई बाद की प्रौद्योगिकी-सी आई पी एच ई टी, लुधियाना	1253.14	663.13	53%
5.	उर्जा नवीनीकरण स्रोत-सी आई ए ई, भोपाल	220.00	141.74	64%
6.	पशु उर्जा का उपयोग-सी आई ए ई, भोपाल	139.05	103.39	74%
7.	आर एन ए ई एम पर नेटवर्क-सी आई ए ई, भोपाल	7.00	6.91	99%
	कुल : ए आई सी आर पी	2256.47	1328.96	59%
	कुल : कृषि अभियांत्रिकी	4000.00	2233.47	56%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	पशु विज्ञान			
1.	सी ए आर आई, इज्जतनगर	218.00	113.22	52%
2.	सी आई आर बी, हिसार	401.00	62.90	16%
3.	सी आई जी, मखदुम	141.00	10.06	7%
4.	सी एस डब्ल्यू आर आई, अविकानगर	200.00	67.79	34%
5.	आई वी आर आई भोपाल-एच एस ए डी एल	659.55	353.08	54%
6.	आई वी आर आई, इज्जतनगर	1030.85	484.52	47%

1	2	3	4	5
7.	एन बी ए जी आर, करनाल	250.00	118.86	48%
8.	एन डी आर आई, करनाल	699.00	228.15	33%
9.	एन डी आर आई, बंगलौर	101.00	43.15	43%
10.	एन आई ए एन पी, बंगलौर	318.00	214.56	67%
11.	एन आर सी, उट, बीकानेर	123.00	93.39	76%
12.	एन आर सी, अश्व, हिसार पशु चिकित्सा टाइप कल्चर रु. 415 लाख इसमें शामिल है	930.00	181.30	19%
13.	एन आर सी मीट, हैदराबाद	340.00	59.17	17%
14.	एन आर सी मिथुन, झरनापानी**	141.00	93.58	66%
15.	एन आर सी सूअर, गुवाहाटी**	600.00	469.33	78%
16.	एन आर सी याक, दिरांग**	131.00	103.51	79%
17.	पी डी ए डी एम ए एस, बंगलौर	108.00	63.47	59%
18.	पी डी एफ एम डी, मुक्तेश्वर	150.00	125.00	83%
19.	पी डी मवेशी, मेरठ	204.00	32.96	16%
20.	पी डी मुर्गी पालन, हैदराबाद	183.00	128.29	70%
21.	आई वी आर आई, बंगलौर	42.05	20.60	49%
22.	आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	78.55	54.01	69%
	कुल संस्थान	7049.00	3120.90	44%

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित संस्थान क्षेत्र विशेष अनुसंधान करने के लिए

(रु. लाख में)

क्र.सं.	ए आई सी आर पी के नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	पशु विज्ञान			
1.	नेटवर्क-पशु आनुवांशिक संसाधन-एन बी ए जी आर	85.00	78.39	92%
2.	भेड़-सी एस डब्ल्यू आर आई, अंबिकानगर	148.00	87.17	59%

1	2	3	4	5
3.	बकरी-सी आई आर जी, मखदुम	97.00	44.75	46%
4.	भैंस-सी आई आर बी, हिसार	167.00	71.93	43%
5.	सूअर-एन आर सी सूअर-गुवाहाटी**	150.00	44.56	30%
6.	मवेशी अनुसंधान-पी डी-मवेशी	416.00	182.61	44%
7.	समेकित ग्रामीण विकास एन डी आर आई, करनाल	0.00		
8.	आर एन डी सहायता देशी दूध-एन डी आर आई, करनाल	0.00		
9.	खुर एवं मुंह पक्का रोग-आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	0.00		
10.	मुर्गी पालन-पी डी मुर्गी पालन, हैदराबाद	145.00	117.77	81%
11.	गैस्टरों इन्टेटीनल पैरासिटीजम, आई वी आर आई, इज्जतनगर			
12.	हेमोहरिज सपटसिमिया इन जी आई पी	80.00	49.68	62%
13.	ब्ल्यूटंग रोग इन जी आई पी			
14.	एन आई ए एन पी-फीड स्रोत का सुधा	163.00	55.63	34%
	कुल : ए आई सी आर पी	1451.00	732.49	50%
	कुल : पशु विज्ञान	8500.00	3853.39	45%

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित संस्थान क्षेत्र विशेष संस्थान करने के लिए

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	मात्स्यिकी			
1.	सी आई बी ए, चेन्नई	300.38	183.32	61%
2.	सी आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	242.73	141.45	58%
3.	सीफा, भुवनेश्वर	400.12	271.38	68%
4.	सी आई एफ ई, मुंबई	468.89	283.64	60%
5.	सी आई एफ टी, कोच्चि	454.71	302.35	66%
6.	सी एम एफ आर आई, कोच्चि	513.02	392.22	76%
7.	एन बी एफ जी आर, लखनऊ	239.07	160.48	67%
8.	एन आर सी सीत जल मात्स्यिकी, भीमताल	246.82	111.21	45%
9.	मार्गस्थ परियोजना	134.26		
	कुल : मात्स्यिकी	3000.00	1846.05	62%

1	2	3	4	5
	कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी			
1.	आई ए एस आर आई, नई दिल्ली	182.01	126.90	70%
2.	एन सी ए पी, नई दिल्ली	217.99	89.09	41%
	कुल: कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	400.00	215.99	54%
	कृषि शिक्षा			
1.	नार्म, हैदराबाद	164.75	130.04	79%
2.	कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	26000.00	28033.00	108%
3.	मार्गस्थ परियोजना	35.25		
	कुल: कृषि शिक्षा	26200.00	28163.04	107%

(रु. लाख में)*

क्र.सं.		बजट आकलन 2006-07	खर्च दिसम्बर, 2006 तक	उपयोग प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5
	कृषि विस्तार			
1.	एन आर सी-महिलाएं, भुवनेश्वर	107.85	43.42	40%
2.	जैड सी-टी ओ टी-I, लुधियाना*	39.46	34.88	88%
3.	जैड सी-टी ओ टी-II, कोलकाता	65.07	48.86	75%
4.	जैड सी-टी ओ टी-III, बड़ापानी**	52.39	51.34	98%
5.	जैड सी-टी ओ टी-कानपुर	55.10	36.28	66%
6.	जैड सी-टी ओ टी-हैदराबाद	68.60	58.53	85%
7.	जैड सी-टी ओ टी-जोधपुर	41.90	32.92	79%
8.	जैड सी-टी ओ टी-जबलपुर	37.25	20.04	54%
9.	जैड सी-टी ओ टी-बंगलौर	76.90	55.97	73%
10.	नए कृषि विज्ञान केन्द्र/संस्थानों द्वारा खर्च	26345.33	15594.00	59%
11.	मार्गस्थ परियोजना	60.15		
	कुल कृषि विस्तार	26950.00	15976.24	59%

*क्षेत्रीय समन्वय इकाई प्रौद्योगिकी स्थानांतरण

**क्षेत्र विशेष के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

1	2	3	4	5
	मुख्यालय विविध			
1.	ए एस आर बी, पूसा	30.00	45.00	150%
2.	मुख्यालय विविध और आम	2470.00	132.75	5%
3.	प्रकाशन विभाग, पूसा, नई दिल्ली	50.00	24.56	49%
	कुल: विविध	2550.00	202.31	8%
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	इंडो फ्रेंच सीबास प्रजनन-सी आई बी ए	50.00	46.87	94%
2.	एन ए आई पी जारी/खर्च	10000.00	211.90	2%
	कुल: ई ए पी	10050.00	258.77	3%
	कुल योग:	128950.00	83408.22	65%
	सी ए यू	5500.00	4761.61	87%
	डेयर	50.00	21.65	43%
	नीति परक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि	5000.00	0.79	0%
	इन्डो यू एस जानकारी पहल	500.00	180.07	36%
	कुल: भा.कृ.अ.प. डेयर	140000.00	88372.34	63%

*उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मानव संसाधन गुणवत्ता, क्षेत्र विशेष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिसम्बर, 2006 तक के व्यय की तुलना में बजट आकलन 2006-07 का सार

(रु. लाख में)

गैर-योजना

क्र.सं.	विषय संबद्ध प्रभाग	बजट आकलन 2006-07	व्यय दिसम्बर, 2006 तक	बजट आ. के संबंध में उपयोग प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1.	फसल विज्ञान	19460.00	17492.86	90%
2.	बागवानी विज्ञान	7120.00	6683.29	94%

1	2	3	4	5
3.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	8165.00	7815.95	96%
4.	कृषि अभियांत्रिकी	2390.00	2248.81	94%
5.	पशु विज्ञान	12190.00	11037.43	91%
6.	मात्स्यिकी	5820.00	5202.39	89%
7.	कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	1260.00	1017.19	81%
8.	कृषि शिक्षा	525.00	428.57	82%
9.	कृषि विस्तार	80.00	64.32	80%
10.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय	6075.00	4446.60	73%
	कुल	63085.00	56437.41	89%
11.	पेंशन	11750.00	10188.70	87%
12.	व्यक्तिगत ऋण तथा अग्रिम	1600.00	552.61	35%
	कुल-ख	13350.00	10741.31	80%
	कुल योग-गैर योजना, (क+ख)	76435.00	67178.72	88%

गैर योजना बजट आकलन 2006-07, साथ ही साथ व्यय-दिसम्बर, 2006 तक

गैर-योजना (रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्ति ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	फसल विज्ञान						
1.	सी आई सी आर, नागपुर	1004.00	801.01	68.18	1.56		80%
2.	सी आर आई जे एफ, बैरकपुर	836.00	778.90	95.72	6.51		93%
3.	सी आर आर आई, कटक	11.41.00	1134.86	95.53	7.99		99%
4.	सी टी आर आई, राजमुन्द्री	1030.00	883.05	181.08	2.84		86%
5.	आई ए आर आई, नई दिल्ली	7236.00	6842.90	2248.72	14.29	148.12	95%
6.	आई जी एफ आर आई, झांसी	1054.00	929.67	50.09	11.36		88%

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	आई आई पी आर, कानपुर	569.00	457.39	14.97	2.95	1.47	80%
8.	आई आई एस आर, लखनऊ	867.00	779.57	48.12	13.39		90%
9.	एन बी पी जी आर, नई दिल्ली, डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग सहित	1175.00	1052.13	78.63	5.66		90%
10.	एस बी आई, कोयम्बटूर	759.00	649.35	53.09	8.37	1.41	86%
11.	वी पी के ए एस, अल्मोड़ा	469.00	415.83	23.48	1.60		89%
12.	एन आर सी-मूंगफली, जूनागढ़	248.00	191.15	12.13			77%
13.	एन आर सी-सरसों, भरतपुर	165.00	138.20		5.59		84%
14.	एन आर सी-ज्वार, हैदराबाद	348.00	323.82	28.57	2.17		93%
15.	एन आर सी-सोयाबीन, इंदौर	211.00	180.63	17.78	2.00		86%
16.	एन सी आई पी एम, नई दिल्ली	157.00	117.06	1.89	2.79		75%
17.	एन आर सी जैव प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली	235.00	194.88	14.06			83%
18.	पी डी-जैविक नियंत्रण, बंगलौर	203.00	167.19	14.16	4.02		82%
19.	पी डी-मक्का, नई दिल्ली	262.00	203.67	22.04	33.00		78%
20.	पी डी-तिलहन, हैदराबाद	504.00	402.11	20.03			80%
21.	पी डी-चावल, हैदराबाद	598.00	518.84	67.44	7.14	2.36	87%
22.	पी डी-गेहूं, करनाल	389.00	330.65	18.07	3.69		85%
	कुल	19460.00	17492.86	3173.78	136.92	153.36	90%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्तिगत ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	बागवानी विज्ञान						
1.	सी ए आर आई, पोर्ट ब्लेयर	470.00	389.36	11.47	10.00		83%
2.	सी आई ए एच, बीकानेर	279.00	245.29	11.29	0.57		88%
3.	सी आई ए एस एच, लखनऊ	443.00	492.21	36.88	5.07		111%

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सी आई टी एच, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	82.00	73.75	0.46	1.21		90%
5.	सी पी सी आर आई, आरएस, कयांगुलम	194.75	183.80	43.58	0.73		
6.	सी पी सी आर आई, कासरगोड	660.72	602.70	166.66	5.68		91%
7.	सी पी सी आर आई, विठल	245.53	209.41	39.92	1.47		85%
8.	सी पी आर आई, शिमला	1109.00	1144.37	152.24	11.89		103%
9.	सी टी सी आर आई, तिरूवनंतपुरम	482.00	448.93	59.62	9.46		93%
10.	आई आई एच आर, बंगलौर	1391.00	1301.10	342.84	9.34	2.01	94%
11.	आई आई एस आर, कालीकट	334.00	302.99	29.44	0.67		91%
12.	आई आई वी आर, वाराणसी	210.00	248.55	11.25	7.11		118%
13.	एन आर सी-केला, तिरूचिरापल्ली	144.00	106.23		2.60		74%
14.	एन आर सी-काजू, पुत्तूर	161.00	128.21	7.02	0.39		80%
15.	एन आर सी-नीबू, नागपुर	231.00	175.18	0.54	2.70		76%
16.	एन आर सी-अंगूर, पुणे	95.00	104.40				110%
17.	एन आर सी-औषधीय व सुगंधीय पौधे, आनन्द	92.00	69.42		4.16		75%
18.	एन आर सी-मशरूम, सोलन	138.00	131.81	3.50	5.19		96%
19.	एन आर सी-तेलताड़, पेदावेगी	170.00	149.08	30.39	2.04		88%
20.	एन आर सी-प्याज व लहसुन, पुणे	81.00	78.75	7.02	1.66		97%
21.	एन आर सी-आर्किड, सिक्किम	60.00	56.33				94%
22.	एन आर सी-बीज मसाले, अजमेर	47.00	41.42				88%
	कुल	7120.00	6683.29	954.12	81.94	2.01	94%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्ति ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध						
1.	सी ए जैड आर आई, जोधपुर	1433.00	1347.32	331.75	22.95	12.31	94%
2.	सी आर आई डी ए, हैदराबाद	678.00	656.87	157.00	0.71		
3.	सी एस एण्ड डब्ल्यू सी आर एण्ड टी आई, देहरादून	1163.00	1151.92	143.52	9.26		99%
4.	सी एस एस आर आई, करनाल	661.00	655.75	76.35	4.00		99%

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	आई सी ए आर रिसर्च कोम्प्लेक्स, एन ई एच, बड़ापानी**	1703.00	1554.39	42.00	20.42		91%
6.	आई सी ए आर रिसर्च कोम्प्लेक्स, पूर्वी क्षेत्र, पटना	416.00	438.73	11.62	3.10		105%
7.	आई सी ए आर रिसर्च कोम्प्लेक्स, गोवा	164.00	148.96	19.19	2.63		91%
8.	आई आई एस एस, भोपाल	225.00	179.16		7.95		80%
9.	एन बी एस एस एण्ड एल यू पी, नागपुर	869.00	949.40	168.41	7.16		109%
10.	डब्ल्यू टी सी पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर	162.00	142.82	0.83	3.69		88%
11.	एन आर सी, कृषि वानिकी, झांसी	141.00	125.64	1.75	0.75		89%
12.	एन आर सी-खरपतवार विज्ञान, जबलपुर	178.00	183.68	1.42	4.79		103%
13.	पी डी-फसल प्रणाली, मोदीपुरम	284.00	226.62	23.86	5.04		80%
14.	पी सी यू-एग्रो-मीट, क्रीडा, हैदराबाद	13.00	3.60				28%
15.	पी सी यू-दियाराभूमि, क्रीडा, हैदराबाद	18.00	13.83				77%
16.	पी सी यू, सुक्ष्म-पोषण, आई आई एस एस, भोपाल	21.00	13.69				65%
17.	पी सी यू-मृदा परीक्षण, आई आई एस, भोपाल	7.00	10.34				148%
18.	पी सी यू-लवणता, सी एस एस आर आई, करनाल	21.00	8.28				39%
19.	पी सी यू-डब्ल्यू एम, डब्ल्यू टी सी फार, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर	8.00	4.95				62%
	कुल	8165.00	7815.95	977.70	92.45	12.31	96%

**आयोजन के लिए एन ई आर में स्थित क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्ति ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि अभियांत्रिकी						
1.	सी आई ए ई, भोपाल	765.00	799.51	22.76	17.77		105%
2.	सी आई पी एच ई टी, लुधियाना	162.00	151.53	6.88	2.00		94%
3.	सी आई आर सी ओ टी, मुंबई	562.00	510.78	135.42	1.83		91%

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	आई एन आर आई, रांची	415.00	329.10	29.15	6.91		79%
5.	एनआईआरजेएएफटी, जेटीआरएल, कोलकाता	413.00	398.63	73.72	0.95		97%
6.	सी आई ए ई, भोपाल, गैर योजना स्कीम	55.00	43.93				80%
7.	सी आई ए ई, भोपाल						
8.	सी आई ए ई, भोपाल						
9.	पीसीयू[$] एपीए, सीआईपीएचईटी, लुधियाना	7.00	3.35				48%
10.	पीसीयू[$] पीएचटी, सीआईपीएचईटी, लुधियाना	11.00	11.98				109%
	कुल	2390.00	2248.81	267.93	29.46	0.00	94%

[$]परियोजना समन्वयक इकाई

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्ति ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	पशु विज्ञान						
1.	सी ए आर आई, इज्जतनगर	612.00	664.31	52.93	6.90	9.76	109%
2.	सी आई आर बी, हिसार	491.00	478.53	23.69	20.57		97%
3.	सी आई आर जी, मखदूम	569.00	519.53	17.90	3.99		91%
4.	सी एस डब्ल्यू आर आई, अंबिकानगर	1066.00	825.25	143.54	2.58		77%
5.	आई वी आर आई, भोपाल, एचएसएडीएल	199.25	166.33		2.00		83%
6.	आई वी आर आई, बंगलौर	380.25	289.65	15.80	6.04		76%
7.	आई वी आर आई, इज्जतनगर	3829.25	3608.12	1232.43	44.46	75.67	94%
8.	आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	543.25	430.17	110.94	1.62		79%
9.	एन बी ए जी आर, करनाल	217.00	190.65	0.20	0.72		88%
10.	एन डी आर आई, करनाल	2597.40	2442.25	707.31	14.00	46.75	94%
11.	एन डी आर आई, बंगलौर	478.60	376.85	19.68	1.04		79%
12.	एन आई ए एन पी	197.00	177.41	0.01	5.00		90%

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	एन आर सी, उष्ण, बीकानेर	165.00	139.72	13.17	8.28		85%
14.	एन आर सी-अश्व, हिसार	236.00	228.78	13.15	4.40		97%
15.	एन आर सी-मांस, हैदराबाद	36.00	40.09		0.50		111%
16.	एन आर सी-मिथुन, झरनापानी**	56.00	44.79				80%
17.	एन आर सी-सुअर, गुवाहाटी**	26.00	27.07		0.20		104%
18.	एन आर सी-याक, दिरांग**	91.00	65.05	0.35	5.25		71%
19.	पी डी ए डी एम ए एस, बंगलौर	40.00	44.64				112%
20.	पी डी एफ एम डी, मुक्तेश्वर	26.00	23.99	3.89			92%
21.	पी डी-मवेशी, मेरठ	152.00	115.44	0.68	1.61		76%
22.	पी डी-मुर्गीपालन, हैदराबाद	182.00	138.81	0.61	1.53		76%
	कुल	12190.00	11037.43	2356.28	130.69	132.18	91%

**आयोजन के लिए एन ई आर में स्थित क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्तिगत ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	मात्स्यिकी						
1.	सी आई बी ए, चेन्नई	409.00	387.15	25.03	3.95		95%
2.	सी आई एफ आर आई, बैरकपुर	892.00	794.40	551.33	10.00	1.24	89%
3.	सी आई एफ ए, भुवनेश्वर	731.00	550.34	31.97	5.45	19.33	75%
4.	सी आई एफ ई, मुंबई	1069.00	939.19	38.57	3.09	18.00	88%
5.	सी आई एफ टी, कोचीन	826.00	751.48	106.66	1.98		91%
6.	सी एम एफ आर आई, कोचीन	1550.00	1483.11	603.52	14.81	1.52	96%
7.	एन बी एफ जी आर, लखनऊ	223.00	200.96	18.34	3.84		90%
8.	एन आर सी-शीतजल मात्स्यिकी, भीमताल	120.00	95.76	11.30	1.05		80%
	कुल	5820.00	5202.39	1386.72	44.17	40.09	89%

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बजट आकलन 2006-07	व्यय	पेंशन दिसम्बर, 2006 तक	व्यक्तिगत ऋण	एनपीएस	उपयोग प्रतिशत साथ ही साथ ब.आ.
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी						
1.	आई ए एस आर आई, नई दिल्ली	1149.00	951.60	130.69	2.74	16.99	83%
2.	एन सी ए पी, नई दिल्ली	111.00	65.59	13.49		17.07	59%
	कुल	1260.00	1017.19	144.18	2.74	34.06	81%
	कृषि शिक्षा						
1.	नार्म, हैदराबाद	525.00	428.57	16.46	2.87	13.10	82%
	कृषि विस्तार						
1.	एन आर सी-महिलाएं, भुवनेश्वर	80.00	64.32	0.00	0.00		80%
2.	जे सी यू-पेंशन, ऋण व अग्रिम	0.00	13.54	0.10	14.43	0.94	
	सूचना प्रबंध प्रणाली						
1.	ए एस आर बी, पूसा	367.00	243.00				66%
2.	मुख्यालय, विविध व सामान्य+पीआर+एन काउं.	3818.80	2251.73	911.43	16.94		59%
3.	प्रकाशन प्रभाग, दीपा, पूसा	260.00	183.91				71%
4.	शिक्षा प्रभाग, ए, अन्य मद्दें	1300.00	1125.26				87%
	बी-अन्य प्रभार	329.20	254.65				77%
	कुल	6075.00	4058.55	911.43	16.94	0.00	67%
	पेंशन	11750.00					0%
	व्यक्तिगत ऋण एवं अग्रिम	1600.00					0%
	कुल	76435.00	56062.90	10188.70	552.61	388.05	73%
	एपीएस निधि	4000.00					
	डेयर	565.00					
	कुल योग	81000.00					

*पीआईयू, एनएटीपी को शामिल करते हुए

बगलिहर जल विद्युत परियोजना

125. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बगलिहर बांध परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बगलिहर बांध परियोजना के लिए विश्व बैंक एक विशेष समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने कोई निर्णय अथवा रिपोर्ट दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में यह मामला किस चरण पर है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) बगलीहर जल विद्युत संयंत्र की डिजाइन के विषय में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मार्च 2000 और मई 2004 के दौरान आयोजित की गई स्थायी सिन्धु आयोग की 8 बैठकों में तथा जून, 2004 एवं जनवरी 2005 में दोनों सरकारों के संबंधित सचिव स्तर की बैठकों में चर्चा की गई थी लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाए गए असहमति के मुद्दों पर विशेषज्ञ निर्धारण करने के लिए पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक के 10.05.2005 को स्विटजरलैंड के प्रोफेसर रेमंड लैफिट को एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया।

(घ) उपरोक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने 12.02.2007 को अपना विशेषज्ञ निर्धारण दिया है।

(ङ) विशेषज्ञ निर्धारण इस प्रकार है:-

- पाकिस्तान के 14,900 क्यूमेक की गणना की तुलना में 16,500 क्यूमेक के भारत के डिजाइन फ्लड वेल्यू का समर्थन।
- भारत के द्वारयुक्त स्पिलवे की डिजाइन का समर्थन।
- भारत के आकार की डिजाइन तथा स्लूइस स्पिलवे के स्तर का समर्थन।
- भारत द्वारा डिजाइन किए गए 4.5 मीटर तथा पाकिस्तान द्वारा आकलित किए गए 0.84 मीटर की तुलना में 3 मीटर के एक फ्रीबोर्ड की व्यवस्था है।
- भारत द्वारा आकलित किए गए 37.5 मिलियन घनमीटर तथा पाकिस्तान द्वारा 6.22 मिलियन घन मीटर की तुलना में 32.56 मिलियन घनमीटर के अधिकतम संग्रहण की व्यवस्था है।
- भारत द्वारा डिजाइन किए गए अनुसार 3 मीटर की ऊंचाई पर अंतर्ग्रहण स्तर का निर्धारण करना।
- भारत को प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम के दौरान इसके रखरखाव एवं स्थायित्व के लिए जलाशय के अपकर्ष का सहारा लेने की व्यवस्था है इससे अवसाद प्रबंधन तथा परियोजना का स्थायित्व सुनिश्चित होगा।

सिन्धु जल संधि 1960 के संगत प्रावधान के अनुसरण में, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर तटस्थ विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम और पक्षकारों तथा संधि के प्रावधान के तहत स्थापित किसी माध्यस्थ पर बाध्यकारी होगा।

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री पी. चिदम्बरम।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने का कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-5790/07]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5791/07]

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): महोदय, मैं श्री आस्कर फर्नांडीस की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5792/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2007 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 1)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 29 जनवरी, 2007 को प्रख्यापित राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 2)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 29 जनवरी, 2007 को प्रख्यापित राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 3)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 2 फरवरी, 2007 को प्रख्यापित खेलकूद प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ आज्ञापक हिस्सा बंटाना) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5793/07]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) का.आ. 2163(अ) जो 28 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है जिसमें उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और संयोजक शामिल हैं।

(2) उर्वरक मंत्रालय (तीसरा संशोधन) आदेश, 2006 जो 28 दिसम्बर, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2164(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) का.आ. 2165(अ) जो 28 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले अनंतिम फर्टिलाइजर यूरिया फास्फेट के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्देशन अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-5794/07]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे हैं, और आप लोग सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। सभा में यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5795/07]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 23 नवम्बर, 2006 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तेरह विधेयक लोक सभा पटल पर रखता हूं:

1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2006
2. भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006
3. विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2006
4. विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 2006
5. आवश्यक (वस्तु) (संशोधन) विधेयक, 2006
6. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2006
7. विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2006
8. प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006
9. बालक विवाह प्रतिषेध विधेयक, 2006
10. अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
11. राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
12. त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
13. सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सात विधेयकों, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित, की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं।

1. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006;
2. उत्तरांचल (नाम का परिवर्तन) विधेयक, 2006;
3. भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006;
4. अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006;
5. डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006;
6. बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006; और
7. केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-5789/07]

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सुबोध मोहिते का दिनांक 14 फरवरी, 2007 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्याग पत्र 14 फरवरी, 2007 से स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री लालू प्रसाद बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

रेल बजट-2007-2008*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा रेल बजट 2007-08 पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय मैं यह चौथा रेल बजट प्रस्तुत करते हुए बेहद कृतज्ञ एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारतीय रेल इजाफे की ओर जा रही है। यह गरीबोन्मुखी बजट है, इस बजट को ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)* मुझे गर्व इस बात का है कि आम जनता पर कोई बोझ डाले बिना रेलवे गत वर्ष के 14 हजार 700 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष बीस हजार करोड़ रुपए का मुनाफा भारतीय रेल ने बनाया है। कैश सरप्लस अर्जित करने का एक नया इतिहास रचा है। इसी से ये लोग घबरा कर और बहाना बना कर गरीबों के बजट को सुनना नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: असंसदीय शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

[हिन्दी]

लाभांश पूर्व कैश सरप्लस अर्जित करने का एक नया इतिहास रचने जा रही है। यह वही रेलवे है जो वर्ष 2001 में डिविडेंड का भुगतान करने से चूक गई थी और जिसका फंड बैलेंस गिरकर 359 करोड़ रुपए रह गया था। ये लोग गरीबों का बहाना बनाते हैं, लेकिन गरीबों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। भाजपा के शासन में डिवीडेंड देने की स्थिति नहीं थी। इसलिए ये घबराए हुए हैं। *...(व्यवधान)** मैं तहेदिल से आभारी हूं उन चौदह लाख रेलकर्मियों का जिन्होंने कड़ी प्रतियोगिता का सामना पूरे जोश-खरोश और बेजोड़ टीम भावना के साथ किया। महोदय, जब कृष्ण भगवान ने संकट के समय गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था तो वे गिरधर कहलाए लेकिन पर्वत उठाने में हजारों ग्रामवासियों की लाठियां उन्हें सहारा दे रही थीं। आज भले ही लोग रेलवे के कायाकल्प का श्रेय मुझे दे रहे हैं लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ सम्मानित सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह करिश्मा चौदह लाख रेलकर्मियों के अथक परिश्रम और देशवासियों के अपार स्नेह और समर्थन की बदौलत ही हो पाया है। महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि-

नाविजश है सबकी, करम है सभी का,
बड़े फख्र से हम बुलंदी पर आये।
तरक्की के सारे मयारों से आगे,
नये ढंग लाये, नई सोच लाये।

हमने यात्री किरायों में कमी के बावजूद ऐतिहासिक सरप्लस अर्जित करके इस मिथक को तोड़ा है कि रेलवे अपने सामाजिक दायित्वों की वजह से वित्तीय संकट में फंसती जा रही थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत दुःखद दिन है कि रेल बजट, जो संवैधानिक आवश्यकता है, को प्रस्तुत नहीं करने दिया जा रहा है।

वस्तुतः हमारी कायाकल्प की रणनीति व्यावसायिक सूझ-बूझ एवं आम जनता के प्रति संवेदनशीलता का ऐसा प्रतीक बन गई है जिसने भारतीय रेल को देश-विदेश में आकर्षण का केंद्र बना दिया है:

माना कि बड़ी-बड़ी बातें करना हमें नहीं आया
मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-5796/07

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चालू वर्ष में निष्पादन

चालू वर्ष के प्रथम नौ माह में रेलवे ने रिकार्ड तोड़ निष्पादन किया है। प्रथम नौ महीनों में हमारी यात्री आय में 14 प्रतिशत एवं अन्य कोचिंग आय में 48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर माह तक माल आय एवं सकल यातायात आय में 17 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। अभी तक दर्ज की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यात्री, अन्य कोचिंग माल एवं सकल यातायात आय के संशोधित अनुमान क्रमश: 17 हजार 400, 1 हजार 726, 42 हजार 299, एवं .63 हजार 120 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सकल यातायात आय गत वर्ष की अपेक्षा 16 प्रतिशत और बजट अनुमानों की अपेक्षा 5.5 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

डीजल के दामों एवं बढ़ी हुई दरों पर बोनस के भुगतान के बावजूद खर्चों में किफायत बरत कर साधारण संचालन व्यय को नियंत्रित रखा गया है। लेखा सुधार की प्रक्रिया के तहत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइनों के परिचालन हेतु हो रहे खर्चों के लिए वित्त मंत्रालय से मिलने वाली राशि को साधारण संचालन व्यय से घटाने के बाद दिखाया गया है। तदनुसार संशोधित अनुमान में इन्हें 64 करोड़ रुपए बढ़ाकर 38 हजार 91 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया गया है। संशोधित अनुमानों में डीआरएफ और पेंशन फंड के लिए क्रमश: 4 हजार 108 और 7 हजार 416 करोड़ रुपये का प्रावधान करने पर कुल संचालन व्यय 49 हजार 615 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इस प्रकार लाभांश के भुगतान से पूर्व रेलवे का कैश सरप्लस 20 हजार 63 करोड़ रुपये, शुद्ध राजस्व 14 हजार 870 करोड़ रुपये एवं 3 हजार 579 करोड़ रुपये का चालू वर्ष का लाभांश एवं 663 करोड़ रुपये का बकाया लाभांश का भुगतान करने के बाद शुद्ध सरप्लस 10 हजार 627 करोड़ रुपये होने की संभावना है। वर्ष 2006-07 में रेलवे का आपरेटिंग रेशियो 78.7 एवं होने की संभावना है। महोदय, रेलवे के 150 साल से अधिक के गौरवशाली इतिहास में शायद यह पहला वर्ष है। जब हमारा फंड बैलेंस बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपये और लगाई गई पूंजी पर रिटर्न का प्रतिशत अर्थात प्रभार्य पूंजी पर शुद्ध राजस्व रेशियो 20 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा। भारतीय रेलवे का नाम अब विश्व की उन चुनिंदा रेलवे में शुमार हो जाएगा जिनका ऑपरेटिंग रेशियो 80 प्रतिशत से कम है। लेकिन हमें इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होना है। वस्तुत: नये उत्साह और जोश से लबालब रेलकर्मी अब विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए बेताब हैं:

जितना अब तक देख चुके हो, ये तो बस शुरुआत है।
खेल तमाशा आगे देखो दरियादिल सौदागर का॥

माल व्यवसाय की ऊंची छलांग

माल परिवहन में लगातार तीसरे साल हमारा प्रदर्शन शानदार रहा है और इस वर्ष लगभग 60 मिलियन टन की अतिरिक्त लोडिंग होने की संभावना है। इस प्रकार यूपीए सरकार के तीन वर्षों में लगभग 170 मिलियन टन की अतिरिक्त लोडिंग हो जाएगी जो 90 के पूरे दशक में हुई लोडिंग के 120 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रगति दर को बनाए रखने के लिए हमने जहां एक ओर गाड़ियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं वहीं बाजार एवं ग्राहकों की जरूरतों के आलोक में अपनी नीतियों को ढाला है।

स्टील और सीमेंट ट्रैफिक-मिशन 200 मिलियन टन

महोदय, 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से रेलवे लगातार सीमेंट और स्टील के परिवहन में अपनी भागीदारी गंवाती रही है। फलस्वरूप इन वस्तुओं के परिवहन में हमारा हिस्सा 1991 के दो तिहाई की तुलना में घटकर एक तिहाई के लगभग रह गया

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल रेल मंत्री का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में सीमेंट और स्टील के परिवहन में अपनी हिस्सेदारी पांच से सात प्रतिशत तक बढ़ाई है।

अपराह्न 12.11 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. राम गोपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

इस वर्ष सीमेंट और स्टील उद्योग ने जहां 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है वहीं हमारे सीमेंट और स्टील ट्रैफिक में बीस से तीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह बाजार और ग्राहक उन्मुख नीतियों का ही नतीजा है। अब हमने मिशन 200 मिलियन टन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हम आशा करते हैं कि 2011-12 तक सीमेंट और स्टील दोनों उद्योगों से रेलवे का ट्रैफिक बढ़ाकर दो-दो सौ मिलियन टन हो जाएगा।

कंटेनर ट्रैफिक मिशन 100 मिलियन टन

महोदय, पिछले दो वर्षों में कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए 15 लाइसेंस किया जा चुके हैं। मिशन 100 मिलियन टन के अंतर्गत

[श्री लालू प्रसाद]

हम 2011-12 तक कंटेनर ट्रैफिक 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 100 मिलियन टन करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है कि अगले पांच सालों में कई हजार करोड़ रुपये का निवेश कंटेनर वैगन, टर्मिनल और इससे जुड़ी अन्य रेल संरचना के विकास में किया जाएगा।

इन दोनों को प्राप्त करने के लिए हमने एक उच्चस्तरीय कार्य दल गठित किया है। जो लगातार सीमेंट, स्टील उद्योग और कंटेनर ऑपरेटरों से वार्ता कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पैकेज तैयार कर क्रियान्वित करेगा।

ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन

महोदय, हमने डीजल रूट पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने का सफल प्रयोग किया है। और अब पिपावाव से जयपुर तक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है। वर्ष 2007-08 में पायलट बेसिस पर कम ऊंचाई वाले कंटेनरों के साथ डीजल रूट पर तीन मंजिल वाली कंटेनर ट्रेन एवं विद्युतीकृत मार्गों पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने के प्रयास किये जाएंगे। इस तरह के कंटेनर मोटर वाहनों के लदान में बहुत उपयोगी होंगे।

दीर्घकालीन सर्विस लेवेल एग्रीमेंट

हाल ही में हमने कोयले के परिवहन के लिए तीस सालों का दीर्घकालीन सर्विस लेवेल एग्रीमेंट अर्थात एसएलए साइन किया है। देश में अनेक नये सीमेंट, स्टील एवं मेगा पॉवर प्लांट लग रहे हैं। हम उनके कारखानों तक नई रेलवे लाइन बिछाने अथवा लाइन क्षमता का विस्तार करने, उनकी आवश्यकता के अनुरूप नये डिजाइन के वैगन उपलब्ध कराने, मूल्य नीति बनाने एवं लोडिंग-अनलोडिंग टर्मिनल विकसित करने में उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। हम सभी उद्यमियों को रेलवे के साथ दीर्घकालिक एसएलए साइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

कोयले के लिए मैरी गो राउंड सिस्टम

एनटीपीसी सहित कई कंपनियां स्वयं एमजीआर सिस्टम को ऑपरेट कर रही हैं। नये पॉवर प्लांट भी एमजीआर सिस्टम बनाने की योजना बना रहे हैं। रेलवे को इस प्रकार की प्रणाली अधिक कार्यकुशल एवं किफायती तरीके से चलाने के लिए रेलवे के साथ एसएलए करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया पेपर मत दिखाइये। यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मैं नोटिस जारी करूंगा। ऐसा मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि रेलवे उनकी मौजूदा परिवहन लागत से कम लागत पर कोयले का परिवहन करेगी।

फ्रेट टर्मिनल्स का विकास

बंगलौर के गुड्स शेड में वेयर हाउस काम्प्लेक्स बन जाने के बाद रेलवे ट्रैफिक में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। अत: हमने निर्णय लिया है कि एक महीने में 15 से ज्यादा रेक हैंडल करने वाले फ्रेट टर्मिनल्स में सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के काम को अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा। इन कार्यों के लिए धनराशि की कमी न हो इसलिए हमने फ्रेट टर्मिनल्स के विकास, एवं उन्यन एवं रख-रखाव के लिए एक नया उप योजना शीर्ष सृजित करने का निर्णय लिया है। ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इरकान, केआरसीएल एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

एनटीकेएम जीटीकेएम रेशियो में सुधार

महोदय, रेलवे एक टन राजस्व उपार्जित करने वाला माल ढोने के लिए एक टन से कुछ कम टेयरवेट अर्थात बोझा ढोती है। इस अनुपात में एक प्रतिशत सुधार होने से रेलवे को सालाना 1 हजार 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। देश की बात करो। ...*(व्यवधान)** अत: अगले कुछ वर्षों में इस अनुपात में पांच प्रतिशत सुधार लाने के लिए गाड़ियों का पे-लोड बढ़ाना और टेयरवेट घटाना, गाड़ियों को दोनों दिशाओं में लोड करना, रख-रखाव एवं परीक्षण के लिए गाड़ियों को कम से कम खाली दौड़ाना जैसे अनेक उपाय एक साथ करने होंगे। सभी प्रकार के वैक्यूम ब्रेक रोलिंग स्टॉक को दो किश्तों में फेज आउट किया जाएगा। गाड़ियों के रख-रखाव एवं परीक्षण बिंदुओं को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा कि एम्प्टी रनिंग कम से कम हो। अनेक गाड़ियों में कुछ ऐसे वैगन रहते हैं जो दोनों दिशाओं में खाली चलते हैं। एफओआइएस के पूरा हो जाने पर इस तरह के वैगनों की संख्या एवं स्थान का पता लगा कर उसे गाड़ी से निकालकर निकटस्थ डिपो में रिपेयर कराने की कार्रवाई की जाएगी।

हायर एक्सल लोड की मालगाड़ियां

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि पायलट बेसिस पर 22.3 और 22.9 टन एक्सल लोड लागू करने के अच्छे परिणाम आये हैं। हाल ही में पायलट बेसिस पर 25 टन एक्सल लोड की गाड़ियां चलाई गई हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान अनेक रूटों पर 22.9 टन एक्सल लोड वाली गाड़ियां तथा कुछ और रूटों पर 25 टन एक्सल लोड की गाड़ियां चलाई जाएंगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बेहतर पे-लोड टेयरवेट रेशियो के वैगन

महोदय, वैगन रेलवे का कमाऊ घोड़ा है। वैगन उत्पादकता में 10 प्रतिशत वद्धि होने से रेलवे की सालाना आय 4 हजार करोड़ रुपये बढ़ जाती है। टर्न राउंड टाइम घटाकर और पे-लोड बढ़ाकर हमने कई हजार करोड़ रुपये कमाये हैं। आरडीएसओ द्वारा 22.9 टन एक्सल लोड के लिए उपयुक्त खुले एवं कवर्ड वैगनों के नये डिजाइन तैयार किये हैं जिनका पे-लोड टेयर वेट रेशियो 3 से अधिक है। ऐसे वैगनों से बनी खुली एवं कवर्ड मालगाड़ी की लदान क्षमता भा आज की गाड़ियों की अपेक्षा क्रमश: 10 एवं 30 प्रतिशत अधिक है। अत: हमने निर्णय लिया है कि रेलवे द्वारा 2007-08 में की जाने वाली निविदा से 20.3 टन एक्सल लोड के पुराने डिजाइन के खुले एवं कवर्ड वैगनों का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। 2007-08 से 22.9 टन एक्सल लोड के नये डिजाइन के वैगन के साथ-साथ 25 टन एक्सल लोड के वैगन का भी उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार 22.9 एक्सल लोड के स्टील एवं पेट्रोलियम पदार्थों के लदान में उपयोग होने वाले वैगन भी तैयार कराये जाएंगे।

निर्माताओं द्वारा नये डिजाइन के वैगन का निर्माण

रेलवे आरडीएसओ द्वारा दिये गये डिजाइन के अनुसार वैगनों का निर्माण कराती है। हमने इस पूरी पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अब वैगन निर्माता आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित बोगी, कपलर, ड्राफ्ट एवं ब्रेक गियर का उपयोग करते हुए अपने डिजाइन के अनुसार वैगन तैयार कर सकेंगे। आरडीएसओ द्वारा नये डिजाइन के वैगन को संरक्षा के दृष्टिकोण से अधिकतम नौ महीने के अंतर्गत प्रमाणित एवं अनुमोदित किया जाएगा। महोदय, ज्यादा पे-लोड और कम टेयरवेट वाले नई तकनीक के वैगन पुराने वैगनों की अपेक्षा महंगे होंगे। अत: नई तकनीक के वैगनों का विकास एवं उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए मालभाड़े में डिस्काउंट देने की नीति इस प्रकार बनाई जाएगी ताकि नई तकनीक की फायदा रेलवे और निवेशक दोनों को मिल सके इस बारे में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत शीघ्र निर्गत किये जाएंगे।

रोलिंग स्टाक रख-रखाव की व्यवस्था

महोदय, हमने अपने रोलिंग स्टाक का बेहतरीन उपयोग कर उपलब्ध साधनों से ही अधिक माल लदान किया है। इंजन और ड्राइवर के लिंक्स का युक्तिकरण करके हमने पिछले दो वर्षों में कुल 250 से अधिक इंजनों को बचाकर उन्हें दूसरी ट्रेनों को चलाने में लगाया है। प्रतिदिन 5 से अधिक माल गाड़ियों का परीक्षण करने वाले परीक्षण यार्डों को अपग्रेड कर उनमें विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2007-08 के दौरान अधिकांश एयर ब्रेक वाली गाड़ियों का परीक्षण प्रीमियम सीसी अथवा प्रीमियम एंड टु एंड परीक्षण पद्धति के अनुसार करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। हमने सभी प्रकार के रोलिंग स्टॉक में यूनिट एक्सचेंज मेन्टीनेंस की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से रोलिंग स्टॉक की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

थ्रूपुट एनहैन्समेंट कार्य

महोदय, वर्तमान प्रगति दर बनाये रखने के लिए बीस हजार किलोमीटर लंबे डेंसिटी नेटवर्क पर तेजी से क्षमता विस्तार करना नितांत जरूरी है। इन मार्गों पर किये जाने वाले निवेश का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए रूट वार कार्य योजना बनाकर विभिन्न कार्यों को समेकित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इस नेटवर्क को 23 टन एवं मिनरल रूट को 25 टन एक्सल लोड की गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। ऐसे मार्गों पर लाइन क्षमता के विस्तार के लिए आवश्यकतानुसार दूसरी, तीसरी अथवा चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। लाइन क्षमता में विस्तार करने के लिए दो सेक्शनों के बीच की दूरी आईबीएस लगाकर घटाई जाएगी और व्यस्त जंक्शनों के दोनों ओर आटोमेटिक सिगनलिंग की व्यवस्था की जाएगी। निर्बाध और तेज गति से रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यस्त जंक्शन स्टेशनों पर फ्लाई ओवर, बाई पास इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। और यार्ड डिजाइन में परिवर्तन कर गाड़ियों के क्रॉस मूवमेंट से बचा जाएगा। ऐसे मार्गों पर 30 किमी प्रतिघंटा की उच्च स्पीड वाले टर्न आउट लगाये जाएंगे। वर्ष 2007-08 में दो-दो सौ डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन एवं 11 हजार वैगन का उत्पादन किया जाएगा। थ्रूपुट एनहैन्समेंट कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

शिकायत निवारण प्रणाली

महोदय अधिकांश रेल ग्राहकों को टैरिफ से नहीं अपितु सेवा की गुणवत्ता जैसे बिन्दुओं पर हमसे शिकायत है। अत: हमने निर्णय लिया है कि हर जोनल रेलवे में ग्राहकों की समस्याएं सुनने के लिए तीन महीने के अंदर उन ग्राहकों की सभी शिकायतों का निस्सारण करें। मैंने अपने स्तर पर भी सभी माल ग्राहकों के लिए माल ग्राहक समन्वय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है।

बाजार सर्वेक्षण

रेलवे का 90 प्रतिशत से अधिक माल व्यवसाय चंद वस्तुओं के परिवहन से ही प्राप्त होता है व्यापार को व्यापक आधार प्रदान कर प्रगति दर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के दायरे एवं संख्या को विधिता प्रदान करना चाहते हैं। ट्रैफिक की नई संभावनाओं का पता लगाने

[श्री लालू प्रसाद]

के लिए जोनल रेलवे द्वारा एक स्वतंत्र मार्केटिंग एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।

यात्री व्यवसाय

महोदय, यात्री किराया बढ़ाने से प्रति पैसेंजर आय तो बढ़ सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि इससे ट्रेन से प्राप्त होने वाली आमदनी में भी इजाफा हो। हमने चालू वर्ष में लोकप्रिय गाड़ियों में सात सौ अतिरिक्त डिब्बे लगाकर न केवल जरूरतमंद लोगों को यात्रा कराई अपितु रेलवे की आमदनी भी बढ़ाई। खुली निविदा के माध्यम से पार्सल एवं कैटरिंग लाइसेंस देने की हमारी नीति भी रंग लाई है। वर्ष 2006-07 में अन्य कोचिंग आय में 48 प्रतिशत और कैटरिंग लाइसेंस फीस से प्राप्त होने वाली आय बढ़कर 120 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यही कारण है कि किरायों में् की गई कटौती के बावजूद चालू वर्ष में यात्री व्यवसाय में हो रहे घाटे में कमी होने की संभावना है। महोदय, हमने दिखा दिया है कि आम जनता की सेवा करते हुए भी वाल्यूम गेम खेलकर कमाई की जा सकती है। वर्ष 2007-08 में भी हम इस खेल को जारी रखते हुए लोकप्रिय गाड़ियों में आठ सौ अतिरिक्त डिब्बे उपलब्ध करायेंगे। सुन लीजिए। अब मैं आपकी बात करता हूं। अरे थोड़ा रैस्ट ले लीजिए।

अनारक्षित सेकेंड क्लास सवारी डिब्बों में गद्देदार कुशन सीटों का प्रावधान

महोदय, अनारक्षित सेकेंड क्लास के डिब्बों में यात्रा करने वालों की तकलीफ एवं कठिनाइयों से भलीभांति वाकिफ हूं। वर्तमान में ज्यादातर मेल-एक्सप्रेस एवं साधारण पैसेंजर गाड़ियों के अनारक्षित सेकेंड क्लास सवारी डिब्बों में बिना कुशन की लकड़ी की पट्टी वाली सीटें लगाई जाती हैं। इससे यात्रियों को बैठने में असुविधा होती है। अत: हमने निर्णय लिया है कि 2007-08 के दौरान से लक्री की पट्टी वाली सीटों का उत्पादन बंद कर दिया जाए। भविष्य में अनारक्षित सेकेंड क्लास के डिब्बों के लिए भी स्लीपर कोच की तरह गद्देदार कुशन वाली सीटों का ही उत्पादन किया जाएगा। महोदय: आल ओवर इंडिया लगा दिया जाएगा।

बात मैं कायदे की करता हूं, देश के फायदे की करता हूं।
जिस तरह पेड़ छाया देता है, हर मुसाफिर का ध्यान रखता हूं॥

साधारण श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था

साधारण श्रेणी के डिब्बों की कमी के कारण आम जनता के भारी भीड़ में यात्रा करना पड़ता है। यह गरीबों का बजट है। इनकी मंशा इसे रोकने की है। में शाम 5.00 बजे तक पढ़ूंगा, यह जान लीजिए। अत: हमने निर्णय लिया है कि इस वर्ष शुरू की जाने वाली प्रत्येक नई रेलगाड़ी में अनारक्षित सेकेंड क्लास के चार की जगह छ: डिब्बे लगाए जाएंगे। ताकि लोग आराम से बैठ सकें। साथ ही पूर्णतया एसी एवं जनशताब्दी गाड़ियों को छोड़कर चल रही गाड़ियों में भी यथा संभव अनारक्षित सेकेंड डिब्बों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए लोअर बर्थ के आरक्षण की सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों और ज्या उम्र की महिलाओं के ऊपर अथवा बीच की बर्थ पर आरक्षण मिलने से काफी असुविधा होती है। अत: हमने निर्णय लिया है कि अकेले यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए एसी तथा सेकेंड क्लास स्लीपर में पर्याप्त लोअर बर्थ का कोटा रखा जाएगा। ताकि महिलाएं नीचे बैठ सकें।

विद्यार्थियों के लिए रियायत

महोदय, मैंने 2004-05 एवं 2005-06 का बजट प्रस्तुत करते हुए क्रमश: केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सेवाओं में चयन के लिए साक्षात्कार हेतु यात्रा करने वाले बेरोजगारों को द्वितीय श्रेणी के यात्री किराए में रियायत देने की घोषणा की थी। प्रस्ताव है कि अगले वर्ष से केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रधान परीक्षाओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को दूसरी श्रेणी के किराये में पचास प्रतिशत रियायत दी जाएगी।

विकलांग यात्रियों के लिए विशेष कोच की व्यवस्था

विकलांग यात्रियों की सुविधा के लिए हमने एसएलआरडी एवं एसआरडी सवारी डिब्बों का निर्माण किया है। इन डिब्बों में विशेष रूप से डिजाइन किये गये कम्पार्टमेंट में चौड़े दरवाजे, कुशन वाली चौड़ी सीटें, सीटों के बीच अधिक फासला तथा विशेष रूप से निर्मित शौचालय है जिसका प्रयोग व्हील चेयर के साथ किया जा सकता है। अब तक हमने ऐसे एक हजार दो सौ पचास डिब्बों का निर्माण कर लिया है और अगले दो वर्षों में सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में ऐसे कोच लगाने की योजना है। विकलांगों के लिए कोच लगाने की योजना है।

वेंडर्स कोच की व्यवस्था

सब्जी विक्रेता, दूध वाले अन्य खुदरा व्यापारी फल, सब्जी एवं दूध का परिवहन रेल गाड़ियों से करते हैं। पैसेंजर गाड़ियों में इनके

लिए अलग से कोच का इंतजाम किया जाएगा। इनके लिए सवारी गाड़ियों में कोई जगह निर्धारित नहीं होती है जिसके फलस्वरूप वे दूध के डिब्बे, टोकरी इत्यादि खिड़कियों में लटकाकर ले जाते हैं। ऐसे खंडों में जहां आम तौर पर इन वस्तुओं का परिवहन यात्री गाड़ियों से किया जाता है, उनमें चलने वाली यात्री गाड़ियों में वेंडर्स कोच लगाया जाएगा।

ट्रेन इन्क्वायरी कॉल सेंटर की शुरुआत

जून से सितंबर 2007 के दौरान देश के सभी चारों क्षेत्रों में ट्रेन इन्क्वायरी काल सेंटर काम करना शुरू कर देंगे। यात्री गण 139 टेलीफोन नंबर डायल कर स्थानीय काल दरों पर देश के किसी भी हिस्से से गाड़ियों के आवागमन एवं प्रस्थान, सीट की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। महोदय, काल सेंटर में एसएमएस एलर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में काल सेंटर से फोन पर रेलवे टिकट, टैक्सी बुकिंग, होटल बुकिंग जैसी अनेक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

टीटीई के लिए हैन्ड हेल्ड कम्प्यूटर टर्मिनल की व्यवस्था

वर्तमान पीआरएस प्रणाली के अंतर्गत गाड़ी छूटने से कुछ घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट निकाला जाता है। प्राय: अनेक यात्री रिजर्वेशन होने पर भी अपरिहार्य कारणवश यात्रा नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप बहुत सी बर्थ खाली रह जाती है। चूंकि यह सूचना पीआरएस सिस्टम में फीड नहीं होती है। इसलिए ट्रेन में सवार अथवा अगले स्टेशनों पर वेटलिस्टेड यात्रियों को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। अत: हमने आरक्षित डिब्बों में टीटीई को ऐसे हैन्ड हेल्ड कम्प्यूटर टर्मिनल देने की योजना बनाई है। ट्रेन चलने पर टीटीई चेकिंग करने के समय ही कोचवार एवं बर्थवार आरक्षण की अद्यतन स्थिति हैण्ड हेल्ड कम्प्यूटर टर्मिनल में फीड कर देगा। यह टर्मिनल सीधा पीआरएस सिस्टम से जुड़ा होगा और इसके माध्यम से कोच में बर्थ के आरक्षण की वस्तुस्थिति चलती ट्रेन से सीधे पीआरएस प्रणाली में लोड कर दी जायेगी। इस सूचना के आधार पर खाली बर्थों को पीआरएस प्रणाली द्वारा ट्रेन में सवार एवं आगे के स्टेशनों पर प्रतीक्षा सूची यात्रियों को आबंटित कर दिया जा सकेगा। अगले वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जोड़ी ट्रेनों पर टीटीई को हैण्ड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराये जाएंगे। इनमें नई दिल्ली-अमृतसर, नई दिल्ली-देहरादून तथा नई दिल्ली-अजमेर के बीच चलने वाली तीन शताब्दी एक्सप्रेस तथा गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस गाड़ियां सम्मिलित हैं।

आरक्षित टिकट वितरण

प्रतिदिन पांच लाख से अधिक आरक्षित टिकटें लगभग तेरह आरक्षण कार्यालयों में तीन हजार से अधिक पीआरएस काउंटरों के वितरित की जाती हैं। अगले दो वर्षों में डी श्रेणी के सभी स्टेशनों एवं ई श्रेणी के कुछ स्टेशनों पर पीआरएस की सुविधा पीआरएस काउंटर खोलकर अथवा यूटीएस-कम-पीआरएस काउंटर खोलकर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस एवं डिफेंस कार्यालयों में भी उन्हीं के द्वारा संचालित पीआरएस काउंटर खोले जाएंगे। इन्टरनेट के माध्यम से आरक्षित रेल टिकट वितरित करने की योजना लोकप्रिय हुई है। देश के हर हिस्से में रेलवे आरक्षण आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की ई-सेवा, डाकघर, पेट्रोल पंप, बैंकों के एटीएम इत्यादि के माध्यम से ई-टिकट वितरित किये जाएंगे।

अनारक्षित टिकट वितरण

संप्रति पूरे देश में लगभग 2 लगभग 2 हजार 200 कम्प्यूटरीकृत यूटीएस काउंटर हैं। अगले दो वर्षों में ऐसे काउंटरों की संख्या बढ़ाकर 8 हजार कर दी जाएगी। अगले दो वर्षों में बड़े शहरों में 6 हजार आटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। और इन्हें यूटीएस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। लोग स्मार्ट कार्ड अथवा करेंसी के करेंसी के सिक्कों का उपयोग कर बटन दबाते ही टिकट प्राप्त कर सकेंगे। मुंबई में उपनगरीय यात्रियों के लिए टिकट वितरण की कूपन प्रणाली लोकप्रिय हुई है। इसे हम कोलकाता तथा चेन्नई में भी शुरू करने के प्रयास करेंगे। इंटरनेट पर एमएसटी नवीकरण करने की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष सेंट्रल रेलवे द्वारा मुंबई में बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड पर आधारित टिकट वितरण की एक पायलट योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत एक स्मार्ट कार्ड पर ग्राहकों को एमएसटी निर्गत हो जाएंगे और इसी कार्ड पर दैनिक टिकट भी लोड हो जाएंगे। इस कार्ड को शहर में जगह-जगह से खरीदा और रीचार्ज कराया जा सकेगा। टीटीई के हैण्ड हेल्ड टर्मिनल पर इस कार्ड को देखते ही टिकट और एमएसटी की चेकिंग हो जाएगी। पायलट सफल होने पर इसका विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।

अगले दो वर्षों में इन सभी उपायों से टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी लाइनों की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।

यात्री डिब्बों की क्षमता में बढ़ोत्तरी

महोदय, इनोवेशन का अर्थ इन्वेंशन अथवा डिस्कवरी नहीं होता। वस्तुत: रोजमर्रा की गतिविधियों में नया तरीका अपनाना भी इनोवेशन होता है। हमने विभिन्न श्रेणियों के यात्री डिब्बों के नये ले आउट बढ़कर 72 से 84 एसी चेयरकार की 67 से 102 एसी

[श्री लालू प्रसाद]

थ्री की 64 से 81, एसी टू की 46 से 48 और एसी फर्स्ट की 18 से 22 हो जाएगी। मैंने स्वयं रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला जाकर इन नये डिजाइन के डिब्बों को देखा है। ये डिब्बे यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं आरामदायक होंगे। अत: हमने निर्णय लिया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान नये डिजाइन के कोच का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा।

स्टैंडर्ड कम्पोजीशन के रेक

यात्री गाड़ियों का स्टैंडर्ड कम्पोजीशन नहीं होने के कारण अनेक गाड़ियां सवेरे पहुंचकर रात तक खड़ी रहती हैं। डिब्बों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि स्टैंडर्ड रेक कम्पोजीशन की अधिक से अधिक गाड़ियां बनाई जाएंगी। गत वर्ष हमने यात्री गाड़ियों की रख-रखाव पद्धति में परिवर्तन कर 2 हजार 500 किलोमीटर की बीपीसी की बजाय पायलट बेसिस पर 3 हजार 500 किलोमीटर की बीपीसी की बजाय पायलट बेसिस का और अधिक विस्तार किया जाएगा। इन दोनों निर्णयों के फलस्वरूप डिब्बों की उपलब्धता में सुधार होगा।

स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

महोदय, मैंने गत वर्ष यह घोषणा की थी कि अगले दो वर्षों में सभी प्रमुख स्टेशनों के गेट-अप एवं उपलब्ध सुविधाओं में जनता फर्क महसूस करेगी। इस घोषणा के तहत हमने प्रत्येक डिवीजन में पांच रेलवे स्टेशन को मॉर्डन स्टेशन के रूप में विकसित करने क कार्य शुरू किया था। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मार्च 2007 तक ऐसे 225 स्टेशनों पर यह कार्य संपन्न हो जाएगा। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम इस वर्ष भी 300 और स्टेशनों को इसी प्रकार विकसित करेंगे।

स्वच्छता वर्ष-2007

महोदय, हमने वर्ष 2006 को मुस्कान के साथ ग्राहकों की सेवा वर्ष के रूप में मनाकर स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाने का प्रयास किया है। वर्ष 2007-08 को स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष के दौरान स्टेशन परिसर, यात्री गाड़ियों, रेलवे लाइन, प्रतीक्षालय इत्यादि स्थलों पर एक अभियान के रूप में साफ-सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी।

रेलवे की नई तस्वीर-ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

वर्ष 2007-08 में 11वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हो रहा है। महोदय:

हो इजाजत तो करूं बयां दिल अपना
संजो रखा है मैंने रेल का एक सपना

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रेलवे की फ्रेट लोडिंग 1 हजार 100 मिलियन टन और यात्रियों की संख्या बढ़ाकर 840 करोड़ करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस अभूतपूर्व प्रगति दर को अमलीजामा पहनाने के लिए अगले कुछ वर्षों में रेलवे की परिवहन क्षमता का विस्तार कर दोगुना करना, वॉल्यूम गेम खेलकर प्रति इकाई लागत में लगातार कमी लाना और ग्राहकों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराना नितांत जरूरी होगा। इन उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए हमें निवेश, मूल्य एवं व्यावसायिक नीतियों के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

निवेश की ऊंची उड़ान

11वीं पंचवर्षीय योजना में हम पूर्व की योजनाओं की अपेक्षा कई गुना निवेश करेंगे। रेलवे जैसे विशालकाय सिस्टम के लिए कोई रेडीमेड निवेश की नीति नहीं हो सकती। वस्तुत: अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीति के सुंदर संयोग से ही ट्रैफिक की बढ़ती हुई मांग से निपटा जा सकता है। कम लागत और ऊंची रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश करने की हमारी अल्पकालिक नीति नेटवर्क की बाधाओं को दूर करने एवं रोलिंग स्टॉक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इसके साथ-साथ मध्यम एवं दीर्घकालीन निवेश रणनीति के तहत आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन द्वारा क्षमता विस्तार करने के साथ-साथ नेटवर्क एवं रोलिंग स्टॉक का विस्तार कर क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण

पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में प्रारंभ किया जाएगा। इनको लगभग तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किया जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उसके विकर्ण मार्ग रेल नेटवर्क के मात्र 16 प्रतिशत हिस्से के बराबर हैं लेकिन आधे से भी ज्यादा ट्रैफिक इन्हीं मार्गों पर चलता है। चूंकि ये मार्ग बुरी तरह संतृप्त हो गये हैं इसलिए हमने पूर्व-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण, उत्तर-दक्षिण एवं दक्षिण-दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए प्री फिजिबिलिटी सर्वे कराने के निर्देश दिये हैं। हमारा सपना इन गलियारों का निर्माण इस प्रकार करने का है ताकि ये लंबी, भारी और तेज गाड़ियों के किफायती एवं कुशल ट्रंक रूट के रूप में विकसित हो सकें। फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के बाद अलग-अलग स्पीड वाली यात्री एवं माल गाड़ियों के एक नेटवर्क पर चलने की समस्या का निदान हो जाएगा और अधिकांश लेवेल क्रॉसिंग भी आरओबी में बदल दिये जाएंगे। इन मार्गों पर चलने वाली साधारण पैसेंजर गाड़ियों को यथासंभव मेमू एवं डेमू से बदला जाएगा। इससे यात्री गाड़ियों की स्पीड में वृद्धि होगी।

आमान परिवर्तन

महोदय, अनेक मार्गों पर आधा-अधूरा आमान परिवर्तन होने के कारण बाकी बची मीटर एवं छोटी लाइनें द्वीप की तरह बन गई हैं। प्रमुख नेटवर्क से अलग-थलग पड़ जाने के कारण इन लाइनों से रेलवे को सालाना एक प्रतिशत से भी कम फ्रेट ट्रैफिक प्राप्त होता है, जबकि ये कुल नेटवर्क के 20 प्रतिशत से अधिक हैं। फलस्वरूप रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का सालाना घाटा हो रहा है। यहां तक कि इन लाइनों का माल भी घाटे का सौदा बन गया है। अत: 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अधिकांश मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसी योजनाओं को स्वीकृति एवं क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जो व्यस्त नेटवर्क के वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करायेगी, जिनमें उदयपुर-अहमदाबाद, लखनऊ-सीतापुर-पीलीभीत-शाहजहांपुर, ढासा-जेतलसर, जयपुर-सीकर-चुरु-झुंझनू, रतलाम-खंडवा-अकोला, छिंदवाड़ा-नैनपुर, अहमदाबाद-बोताड़ प्रमुख हैं। ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत एवं क्रियान्वित किया जाएगा, जिनमें कुल लागत का पचास प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें वहन करने के लिए तैयार हैं। आमान परिवर्तन होने से दूरदराज के इलाकों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी। एक एकीकृत नेटवर्क का हिस्सा बनने से ट्रैफिक में वृद्धि एवं प्रति इकाई लागत में कमी होने से इन मार्गों पर हो रहे घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर का निर्माण

महोदय, आज भारत को विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में हो रहे तेजी से विकास, बढ़ते हुए औद्योगीकरण एवं शहरीकरण और दो शहरों के बीच यात्री यातायात में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर की असीम संभावनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए भारतीय रेल द्वारा विश्वस्तरीय पैसेंजर सिस्टम विकसित करने की आशा व्यक्त की थी। अत: हमने तीन सौ से साढ़े तीन सौ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आधुनिक सिगनलिंग एवं ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से लैश देश के उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में एक हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर बनाने के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराने का निर्णय लिया है। ये गाड़ियां 600 किमी तक की दूरी दो से तीन घंटे में पूरी कर सकेंगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित क्रियान्वयन के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। आज विश्व मौसम के बदलते मिजाज को लेकर चिंतित है। ऊर्जा की खपत की दृष्टि से किफायती पर्यावरण के अनुकूल इस प्रणाली के विकसित होने से इन चिंताओं का कुछ हद तक निवारण हो सकेगा।

उपनगरीय सेवाएं

उपनगरीय सेवाएं हमारे देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई की ट्रेनों में भरी भीड़ को हलका करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमें इन सेवाओं की क्षमता को बढ़ाना होगा। इस योजना के दौरान एमयूटीपी फेज-1 को पूरा किया जाएगा। पांच हजार करोड़ रुपये की लागत पर फेज-2 का वित्त पोषण रेलवे, राज्य सरकार एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से सहयोग प्राप्त कर किया जाएगा। इन दोनों चरणों को योजना के दौरान पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी ताकि उपनगरीय गाड़ियों को लंबी दूरी की गाड़ी से पूरी तरह अलग किया जा सके। इससे इनकी क्षमता में 56 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी। कोलकाता और चेन्नई उपनगरीय सेवाओं में भी चल रहे कार्यों को प्रथामिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चेन्नई, कोलकाता एवं मुंबई में वातानुकूलित श्रेणी सेवा उपनगरीय गाड़ियों में उपलब्ध कराने एवं प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर्स लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार

ट्रैफिक की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता में स्टॉक के प्रभावी उपयोग, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण तथा नई उत्पादन इकाइयां लगाकर बढ़ोत्तरी की जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व की योजना से दोगुना से अधिक रोलिंग स्टॉक का उत्पादन किया जाएगा। और अधिक अश्व शक्ति वाले एवं कम ऊर्जा खपत करने वाले नई तकनीक के लोको का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। साथ ही एक-एक नई रेल कोच, डीजल एवं इलेक्ट्रिक लोको तथा व्हील फैक्ट्री लगाई जाएगी। इन इकाइयों में बनने वाले आधुनिक तकनीक के लोको लंबी, भारी और हाई एक्सल लोड की गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त होंगे। नई रेल कोच फैक्ट्री में हाई कैपेसिटी वाले आरामदेह एवं आधुनिक कोच का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार नये फ्रेट कॉरिडोर के लिए 32 टन एक्सल लोड के ज्यादा पे-लोड कम टेयरवेट एवं ट्रैक फ्रेंडली वाले वैगनों का निर्माण शुरू किया जाएगा।

रेल सेवाओं में आईटी का उपयोग

भारतीय रेल के हित में आईटी उपयोग की अपार संभावनाओं का दोहन करने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईटी योजनाओं पर निवेश कई गुना बढ़ाकर कई हजार करोड़ रुपये किया जाएगा। इसका उपयोग माल एवं यात्री व्यवसाय की आमदनी बढ़ाने, ग्राहकों की दृष्टि में रेलवे की छवि में निखार

[श्री लालू प्रसाद]

लाने, आपरेंटिंग लागत घटाने, मानव एवं भौतिक संपदा का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने एवं शीर्ष नेतृत्व को दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहयोग हेतु एमआईएस एवं एलआरडीएसएस विकसित करने के लिए किया जाएगा। रोलिंग स्टॉक रख-रखाव एवं परीक्षण तथा राजस्व के बंटवारे संबंधी मॉड्यूल सहित एफओआईएस, क्रू मैनेजमेंट, कंट्रोल चार्टिंग, सीओआईएस इत्यादि सभी साफ्टवेयर्स को एकीकृत कर क्रियान्वयन का कार्य कालबद्ध करीके से 2010 तक पूरा किया जाएगा। साथ ही ईआरपी पैकेज वर्कशॉप, उत्पादन इकाई एवं चुनिंदा जोनल रेलवे में लागू किये जाएंगे। रेलवे में चल रही पचास से अधिक वेबसाइटों को मिलाकर एक समेकित वेबसाइट, ई-पेमेंट और ई-टेंडरिंग आदि सुविधाओं सहित विकसित की जाएगी। रेलवे में चलाये जा रहे आईटी संबंधी सभी कार्यक्रमों के एकीकरण और आईटी के प्रति समेकित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आईटी संबंधी सभी कार्यों को क्रिस के माध्यम से संचालित किया जाएगा। क्रिस को एक स्वायत्त एवं सशक्त संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें रेलवे की विभिन्न सेवाओं के अधिकारी पदस्थापित हो सकेंगे। भारत की आईटी कंपनियों पूरे विश्व में परचम फहराया है। हम इन कंपनियों को रेलवे के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत रेलवे के विभिन्न आईटी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।

रेल विद्युतीकरण

विद्युतीकरण रेल नेटवर्क का विस्तार संपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज़ एवं उसके विकर्णों सहित कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुवाहाटी से अमृतसर तक चारों दिशाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कर दिया जाएगा। तिरुअनन्तपुरम-कन्याकुमारी, त्रिशूर-गुरवायूर, तिरुचिरापल्ली-मदुरै, बाराबंकी-गोरखपुर-बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी एवं जालंधर से बारामूला का विद्युतीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया जाएगा। प्रथम चरण में वर्ष 2007-08 में जालंधर से जम्मू, बाराबंकी-गोरखपुर-बरौनी एवं त्रिचरापल्ली-मदुरै का विद्युतीकरण 2007-08 में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार पुणे-वाडी-गुन्टकल खंड के दोहरीकरण के साथ विद्युतीकरण एवं दैतारी-बांसपानी, हरिदासपुर-पाराद्वीप नई लाइनों का भी विद्युतीकरण भारतीय रेल के उपक्रम आर वी एन एल द्वारा आगामी वर्षों में किया जाएगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाएं

उपरोक्त नेटवर्क एवं क्षमता विस्तार कार्यों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कई गुना अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। कई लाख करोड़ रुपये की इस योजना का वित्त पोषण मुख्य रूप से आंतरिक संसाधन, बाजार ऋण, सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं एवं बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे के वित्तीय कायाकल्प के मद्देनजर इस योजना का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक एवं बजटेतर माध्यमों से वित्त पोषित किया जाएगा। मैं रेलवे के अंधाधुंध निजीकरण के खिलाफ हूं। हमारे लिए पीपीपी न तो कोई मजबूरी है और न ही फैशन। हम निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी अपनी शर्तों पर रेलवे और ग्राहकों के व्यापक हित में करना चाहते हैं। उदाहरणत: हमने कैटरिंग, पार्सल इत्यादि सेवाओं को लीज पर देकर इन सेवाओं पर होने वाले कई हजार करोड़ रुपये के घाटे को कम कर दिया है। वैगन निवेश योजना, साइडिंग उदारीकरण इत्यादि योजनाओं के माध्यम से हमने निजी पार्टियों को लाइसेंस देकर हमने ट्रेन संचालन के प्रमुख काम को अपने पास रखा है तब भी वैगन की उपलब्धता तथा टर्मिनल के निर्माण में हजारों करोड़ रुपये का निवेश रेलवे में अगले कुछ वर्षों में होने की संभावना है। उक्त योजनाओं की तरह हम ऐसी अन्य पीपीपी योजनाएं चाहते हैं जिनमें एक और एक मिलकर दो नहीं ग्यारह हो जाएं। इसी उद्देश्य से मेट्रो एवं मिनी स्टेशनों का आधुनिकीकरण एवं उनमें विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं की व्यवस्था, एग्रो रीटेल आउटलेट एवं सप्लाई चेन का विकास, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क तथा वेयर हाउस निर्माण, बजट होटल का निर्माण, नेटवर्क एवं उत्पादन क्षमता विस्तार की संभावनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं के माध्यम से तलाशी जाएंगी। हमने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी सेल का गठन किया है जो निवेशकों को भेद-भाव रहित लेवेल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करेगी और बैंकेबल कागजात तैयार कर खुली निविदा से साझेदारी अवार्ड करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

रेल संरक्षा

रेल संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब रेलवे में परिसंपत्तियां जैसे ही गतायु होती हैं उन्हें तत्काल बदलने के लिए राशि की व्यवस्था कर दी जाती है। महोदय, हमने रेल संरक्षा कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीआरएफ निधि में वर्ष 2001-02 में दी गई 2 हजार 1 सौ करोड़ रुपये का राशि की तुलना में वर्ष 2007-08 में बढ़ाकर 5 हजार 5 सौ करोड़ रुपये कर दिया है। इसका सीधा असर रेल संरक्षा रिकार्ड पर पड़ा है। सकल यातायात वॉल्यूम जो 2001 में 724 मिलियन ट्रेन किलोमीटर था। वह वर्ष 2005-06 में 825 मिलियन ट्रेन किलोमीटर हो गया। इसके बावजूद वर्ष 2001 में हुई 473 रेल दुर्घटनाओं की तुलना में वर्ष 2006-07 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 200 से भी कम रहने की संभावना है।

रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 17 हजार करोड़ रुपये की लागत से किये जाने वाले गतायु ट्रैक पुल, ट्रैक सरकिटिंग एवं रोलिंग स्टॉक से रिन्यूवल के अधिकांश कार्य मार्च 2007 तक पूरे कर लिये जाएंगे और मार्च 2008 तक सभी लंबित कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। महोदय, कार्पोरेट संरक्षा प्लान के मुताबिक एन्टी कोलिजन डिवाइस का परीक्षण भी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में अंतिम चरण में है और मार्च 2007 तक इसको पूरा कर लिये जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को मानव रहित समपार पर भूमिगत पैदल पार पथों के निर्माण के लिए पचास लाख रुपये तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दे दिये गये हैं। बेहतर क्रैशवर्दी डिब्बों का निर्माण शुरू हो गया है। भविष्य में यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे डिब्बों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।

रेलवे सुरक्षा

गत सप्ताह 18 फरवरी को पानीपत के निकट गाड़ी संख्या 4001 दिल्ली-अटारी लिंक एक्सप्रेस एवं जुलाई 2006 में मुंबई उपनगरीय रेल सेवा के अंतर्गत हुए गंभीर बम धमाकों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रेल सुरक्षा कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण एवं अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए धनराशि यात्री सुविधा एवं मशीन एवं प्लांट योजना शीर्ष से आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। इन कार्यों के लिए आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी एवं मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। मौजूदा डॉग स्क्वॉड के प्रत्येक दस्ते में प्रशिक्षित डॉग की संख्या बढ़ाने के अलावा देश में बहुत से संवेदनशील मंडलों में रेलगाड़ियों और रेलयात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्फोटकों का पता लगाने वाली मशीन, डोर-फ्रेम तथा हैंण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टरों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा सभी संवेदनशील स्टेशनों पर सीसीटीवी और स्मार्ट वीडियो कैमरे जैसे उपकरण लगाये गये हैं। सुरक्षा बल प्रतिदिन 1 हजार 450 से अधिक ट्रेनों को एस्कोर्ट कर रहा है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल में लगभग आठ हजार रिक्त पदों को अखिल भारतीय स्तर पर जल्द ही भर लिया जाएगा। आरपीएफ की व्यावसायिक दक्षता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में लखनऊ स्थित जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी को केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया है।

खेलकूद के क्षेत्र में रेलवे की उपलब्धियां

सदैव की भांति इस वर्ष भी रेलवे ने खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। मेलबोर्न में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण व 6 रजत पदक प्राप्त करने में योगदान दिया। हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत एवं 9 कांस्य पदक भारत के लिए प्राप्त करने में अहम योगदान दिया। वर्ष 2006-07 में अभी तक भारतीय रेलवे की टीमों ने 33 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनमें से 19 प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप जीती है। पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियन सुश्री मधुमिता विष्ट को खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पदम श्री तथा भारतीय रेल के 3 खिलाड़ी सुश्री डोला बनर्जी को तीरंदाजी, श्री अखिल कुमार को बॉक्सिंग तथा सुनील कुमार को कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारतीय रेल ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इटली, जर्मनी, रूस, और दक्षिण अफ्रीका की रेलों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। भारतीय रेल सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभा रही है। बिम्स्टेक और मीकांग गंगा देशों के रेल अधिकारियों को भारतीय रेलवे द्वारा प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम की काफी सराहना हुई है।। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेल ने अफ्रीकी रेल कर्मियों के लिए चालू वित्तीय वर्ष से नि:शुल्क प्रशिक्षण का प्रावधान किया है। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एशियन रेलवे एसोशिएशन के प्रथम चेयरमैन चुने गये हैं। भारतीय रेल रेलों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूआईसी के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड यूआईसी के पहले गैर यूरोपियन अध्यक्ष भी चुने गये हैं।

कर्मचारी कल्याण

महोदय, चौदह लाख कर्मचारियों ने बेमिसाल जज्बे और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए रेलवे का वित्तीय कायाकल्प किया है। हमने भी रेलकर्मियों को 59 दिन की बजाय 65 दिन के वेतन के बराबर बोनस भुगतान कर उनका मनोबल बढ़ाया है।

जिसने पहुंचाया बुलंदी पर उसे सम्मान दें।
कड़ी मेहनत को उनकी मिलकर मान दें॥

स्टॉफ बेनीफिट फंड में रेलवे के अंशदान को प्रतिव्यक्ति 30 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये वार्षिक करने का प्रस्ताव है। इस अतिरिक्त अंशदान में से तीन रुपये प्राकृतिक आपदाओं के संकट में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एवं दो रुपये रेल कर्मचारियों के शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों विशेष कर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने और कामकाजी हुनर सिखाने के लिए किया जाएगा। ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लालू प्रसाद]

स्टॉफ कालोनियों की स्थिति में आमूलचूल सुधार लाने के लिए इनके विकास और रख-रखाव के लिए इरवो के माध्यम से रख-रखाव सहित सार्वजनिक भागीदारी अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी से सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर आवश्यक निर्णय आम सहमति बनाकर एवं कर्मचारी फेडरेशन को विश्वास में लेकर किये जाएंगे। महानगरों में अवस्थिति बड़े अस्पतालों में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों को ठहरने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चारों बड़े शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अस्पतालों के निकट 50 कमरे का रेस्ट हाउस बनाये जाएंगे। इनमें रेलकर्मियों को मामूली चार्ज पर रूम उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्राहकों के लगातार संपर्क में रहने वाले चयनित स्टेशनों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों में बाजार एवं ग्राहक उन्मुख रवैया विकसित करने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। सफल होने पर इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन की संभावनाओं में सुधार लाने के लिए एक समिति बनाई गई है जो सभी संबंधित विषयों का गहन अध्ययन कर 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हमने निर्णय लिया है कि रेल में भर्ती होने वाले पूर्व सैनिक और केंद्रीय कर्मचारियों की पूर्व की सेवा अवधि का आधा सेवा काल रेल के पूरे सेवा काल में जोड़कर उन्हें पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

संगठनात्मक एवं मानव संसाधन विकास

आने वाले समय में प्रतियोगी बाजार की जटिल परिस्थितियों से निपटने एवं ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रेलवे को एक मजबूत मैनेजमेंट टीम विकसित करनी होगी। एक ऐसी टीम जिसमें खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि टीम की सफलता के लिए खेले। इस विषय पर अभी तक गठित विभिन्न विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखकर एवं सभी सेवाओं के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर और आम सहमति बनाकर दिसंबर 2007 के अंत तक समुचित निर्णय लिये जाएंगे। डीआरएम को बिजनेस यूनिट, सीएओ (निर्माण) को प्रोजेक्ट यूनिट और जीएम सी संस्था को प्रॉफिट सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए अधिकार संपन्न बनाया जाएगा।

महोदय, आर्थिक एवं प्रतियोगी परिवेश में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के आलोक में रेलकर्मियों एवं पदाधिकारियों का नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण जूरी है। अत: हमने निर्णय लिया है कि रेल पदाधिकारियों को पांच साल के अंतराल पर कम से कम एक बार देश के नामी-गिरामी संस्थानों में और अधिकतम दस साल के अंतराल पर विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। जेए, एसए और एचए ग्रेड में पदोन्नति से पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

प्रसिद्ध वास्तुकारों की सहायता से रेलवे स्टॉफ कॉलेज बड़ौदा की इमारत का नवीकरण इस प्रकार किया जाएगा ताकि इसकी पुरानी शान तथा भव्यता को बनाए रखते हुए इसे सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सके। रेल भवन को भी पूर्णत: वातानुकूलित कर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

आईआईएम, अहमदाबाद में रेलवे की चेयर की स्थापना

रेलवे की मूल संरचना एवं प्रबंधकीय कार्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने आईआईएम अहमदाबाद में एक चेयर स्थापति करने का निर्णय लिया है।

अनुसूचित जाति-जनजाति भर्ती अभियान

एक विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिक्तियों में से 95 प्रतिशत रिक्तियों को भर लिया गया है। इसी प्रकार पदोन्नति को कोटा मे रिक्तियों को भरने के क्रम में हमने 75 से ज्यादा बैकलाग समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने कर ली है।

पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की भर्ती

सभी जोनल रेलवे में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा के विरुद्ध भर्ती कार्रवाई की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वर्ष 2005-06 के दौरान रेलवे के 9 सार्वजनिक उपक्रमों ने अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए कुल 7 हजार 34 करोड़ रुपए की आमदनी दर्ज की है और 818 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। इनके द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान 274 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान रेलवे के किया गया है। कंटेनर कॉरपोरेशन कंपनी लि. ने 2 हजार 489 करोड़ रुपये के कारोबार से 526 करोड़ रुपये शुद्ध का मुनाफा दर्ज किया है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2005-06 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 1 हजार 113 करोड़ रुपये का कारोबार एवं 81 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। इस कंपनी के बेहतर कार्य निष्पादन को देखते हुए इसे शिड्यूल "ए" का दर्जा दिया गया है। राइट्स ने वर्ष 2005-06 में 426 करोड़ रुपये के कारोबार से 99 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है

आरवीएनएल

सघन ट्रैफिक रेल मार्गों पर क्षमता विस्तार करने के लिए आरवीएनएस लगभग बारह हजार करोड़ रुपये की लागत पर 46 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। 2006-07 के अंत तक ली गई 14 योजनाएं पूरी हो जाएंगी। वर्ष 2007-08 में 544 किलोमीटर बड़ी लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। शेष 24 योजनाओं में से 16 योजनाएं 2008-09 में एवं शेष 2009-10 पूरी हो जाएंगी। आरवीएनएल को पूर्व में ली गई योजनाओं के अतिरिक्त नई परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए सौंपी जाएंगी। वर्तमान पद्धति के अनुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी की नेटवर्क के विस्तार से संबंधित योजनाएं एमओयू के आधार पर एसपीवी गठित कर क्रियान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? सभा का मजाक मत बनाइए। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

हमने निर्णय लिया है कि भविष्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं को खुली निविदा द्वारा अवार्ड करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं जो किसी बंदरगाह अथवा फैक्ट्री विशेष के लिए जरूरी हैं उनमें निर्धारित कन्सेशन अवधि के बजाय कन्सेशन अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी। कि एसपीवी को अपने निवेश पर एक उचित रिटर्न मिल सके।

यात्री सेवाएं

हम प्रतिदिन नौहजार से अधिक यात्री गाड़ियां चलाते हैं। यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मैं वर्ष 2007-2008 में निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं:-

नई गाड़ियां

1. श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. हाबड़ा-रामपुरहाट एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
3. झांसी कानपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
4. पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. दिल्ली-शामली डेमू (प्रतिदिन)
6. बापूधाम मोतिहारी-बनारस एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
7. बीकानेर-जैसलमेर एक्सप्रेस वाया कोलायत (प्रतिदिन दो जोड़ी)
8. मुंबई-औरंगाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
9. भागलपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
10. बीजापुर-बागलकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
11. इलाहाबाद-मथुरा एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
12. नासिक-पुणे एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
13. कोयम्बटूर-नागरकोइल एक्सप्रेस वाया मदुरै (प्रतिदिन)
14. भुवनेश्वर-रामेश्वरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक) (आमान परिवर्तन के बाद)
15. गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
16. यशवंतपुर-चेन्नै एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
17. फर्रूखाबाद-कासगंज एक्सप्रेस (प्रतिदिन दो जोड़ी) (आमान परिवर्तन के बाद)
18. इंदौर-अमृतसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
19. चैन्ने एग्मोर-नागोर एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (आमान परिवर्तन के बाद)
20. रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
21. नई दिल्ली-साहिबाबाद ईएमयू (प्रतिदिन)
22. बांका:भागलपुर पैसेंजर (सप्ताह में 6 दिन)
23. चैन्ने एगमोर-रामेश्वरम एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन) (आमान परिवर्तन के बाद)
24. छपरा-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (मुंबई) जनसाधारण एक्सप्रेस वाया सीवान, गोरखपुर (साप्ताहिक)
25. मुंबई-अजमेर व उदयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन) (आमान परिवर्तन के बाद)
26. सोलापुर-बागलकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
27. अजमेर-रतलाम एक्सप्रेस (प्रतिदिन दो जोड़ी)(आमान परिवर्तन के बाद)
28. वड़ोदरा-भीलाड एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
29. पटना-डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

[श्री लालू प्रसाद]

30. गांधीधाम-पालमपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

31. लखनऊ जंक्शन-सहारनपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (लखनऊ-सहारनपुर लिंक एक्सप्रेस के बदले)

32. जबलपुर-दिल्ली वाया इटारसी (सप्ताह में दो दिन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद:

गरीब रथ

गत वर्ष गरीब रथ चलाने की घोषणा करते समय मैंने कहा था कि आने वाले वर्षों में सभी राज्यों की राजधानियों को गरीब रथ के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में मैं निम्नांकित नई गरीब रथ सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं:

1. सिकन्दराबाद-यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
2. जयपुर-बांद्रा टर्मिनस वाया अहमदाबाद गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
3. कोलकाता-पटना गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
4. भुवनेश्वर-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
5. तिरुवनंतपुरम-लोकमान्य तिलक टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)
6. कोलकाता-गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)
7. नई दिल्ली-देहरादून गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
8. रायपुर-लखनऊ जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)

गाड़ियों का विस्तार

मुझे निम्नलिखित सेवाओं के मार्ग विस्तार की घोषणा करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है:

1. 4517/4518 इलाहाबाद-अम्बाला कैंट ऊंचाहार एक्सप्रेस चंडीगढ़ तक
2. 207/208 तिरुपति-गुंडकल पैसेंजर हुबली तक
3. 3215/3216 सियालदाह-अजमेर अनन्य एक्सप्रेस उदयपुर तक
4. 2105/2106 मुंबई-नागपुर विदर्भ एक्सप्रेस गोंदिया तक
5. 1103/1104 आगरा कैंट-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस नई दिल्ली तक
6. 9165/9166 अहमदाबाद-फैजाबाद साबरमती एक्सप्रेस नई दिल्ली तक
7. 4649/4650 अमृतसर-दरभंगा सरयू यमुना एक्सप्रेस जयनगर तक (आमान परिवर्तन के बाद)
8. 2705/2706 सिकन्दराबाद-विजयवाड़ा एक्सप्रेस गुंटूर तक
9. शिकोहाबाद-फर्रूखाबाद पैसेंजर कासगंज तक (आमान परिवर्तन के बाद)
10. 3185/3186 सियालदाह-दरभंगा गंगासागर एक्सप्रेस जयनगर तक (आमान परिवर्तन के बाद)
11. 364 कोट्टायम-तिरुवनंतपुरम पैसेंजर नागरकोइल तक
12. 571/572 मंडुवाडीह-मऊ पैसेंजर आजमगढ़ तक
13. 209/210 हाबड़ा-दरभंगा पैसेंजर जयनगर तक (आमान परिवर्तन के बाद)
14. 5037/5038 कानपुर-फर्रूखाबाद एक्सप्रेस कासगंज तक (आमान परिवर्तन के बाद)
15. 6509/6510 अजमेर-बेंगलोर एक्सप्रेस मैसूर तक
16. 4673/4674 अमृसर-दरभंगा शहीद एक्सप्रेस जयनगर तक (आमान परिवर्तन के बाद)
17. 531ए/532ए परली-लातूर पैसेंजर उस्मानाबाद तक (आमान परिवर्तन के बाद)
18. 2413।।2414 जम्मूतवी-जयपुर एक्सप्रेस अजमेर तक
19. 5107/5108 लखनऊ-कानपुर उत्सर्ग एक्सप्रेस कानपुर अनवरगंज तक
20. 469/470 लखनऊ- फर्रूखाबाद पैसेंजर कासगंज तक (आमान परिवर्तन के बाद)
21. 5309/5310 ऐशबाग-बरेली रोहिलखंड एक्सप्रेस कासगंज तक
22. 2465/2466 जोधपुर-सवाईमाधोपुर एक्सप्रेस इंदौर तक
23. गया-किऊल पैसेंजर झाझा तक (1 जोड़ी)

फेरों में वृद्धि

माननीय संसद सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि निम्नलिखित गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है:-

1. 9311/9312 इंदौर-पुणे एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)
2. 1561/1562 मिरज-बेलगाम पैसेंजर (सप्ताह में 6 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)
3. 2149/2150 पुणे-पटना एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन)
4. 2843/2844 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन)
5. 2345/2346 हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)
6. 1563/1564 मिरज-बेलगाम पैसेंजर (सप्ताह में 6 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)
7. 2309/2310 नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)
8. 6603/6604 तिरुवनंतपुरम-मंगलौर एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रति दिन)
9. 2835/2836 हटिया-यशवंतपुरम एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)
10. 209/210 मछलीपत्तनम-तिरुपति पैसेंजर एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)
11. 6595/6596 पटना-बैंगलौर एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 6 दिन)
12. 2419/2420 नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)
13. 6527/6528 यशवंतपुरम-कन्नूर एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)
14. 6315/6316 बैंगलौर-कोचूवेली एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

वार्षिक योजना 2007-08

महोदय, वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 31 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है और चालू वर्ष के योजना परिव्यय से 32 प्रतिशत अधिक है। पिछले तीन वर्षों में रेलवे के वार्षिक योजना परिव्यय में लगभग ढाई गुनी वृद्धि हुई है। इससे भी अधिक गौरव का विषय यह है कि कुल परिव्यय का तीन चौथाई भाग आंतरिक एवं बजटेतर संसाधनों से जुटाया जोगा। 17 हजार 323 करोड़ रुपये की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों से की जाएगी जो कि गत वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। बजटेतर संसाधनों के जरिए 5 हजार करोड़ रुपये आईआरएफसी के माध्यम से रोलिंग स्टॉक लीज पर लेकर, 240 करोड़ रुपये आरवीएनएल द्वारा ऋण लेकर और 500 करोड़ रुपए वैगन इनवेस्टमेंट स्कीम के जरिए जुटाए जाएंगे। सामान्य राजस्व से प्राप्त की जाने वाली कुल राशि 7 हजार 611 करोड़ रुपए में रेल संरक्षा विशेष निधि के लिए 1 हजार 165 करोड़ रुपए, केंद्रीय सड़क निधि से 725 करोड़ रुपए और शेष योजनाओं के लिए 5 हजार 721 करोड़ रुपए शामिल हैं।

*योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक की उच्चतर वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले मार्गों पर थ्रूपुट संवर्धन, ट्रैफिक फैसिलिटी, नेटवर्क के विकास एवं विस्तार संबंधी कार्यों को शीघ्र पूरा करना है। इस वर्ष यातायात सुविधा योजना शीर्ष 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर परिव्यय 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मालडिब्बों के बेहतर संचलन और बेहतर टर्न राउंड के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने, गुड्स शेड उन्नयन एवं विकास, फ्लाई ओवर/बाईपास का निर्माण, आई बी एस इत्यादि ट्रैफिक फैसिलिटी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी दी है। इस वर्ष दोहरीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से दो हजार करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से लगभग दुगुना है। इसके अलावा, आर वी एन एल द्वारा निष्पादित परियोजना पर उनके द्वारा 1 हजार 358 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए 1 हजार 330 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

चार अन्य मुख्य योजना शीर्षों के लिए परिव्यय 5 हजार 36 करोड़ रुपए रखा गया है। नई लाइन के लिए 1 हजार 610 करोड़ रुपए, आमान परिवर्तन के लिए 2 हजार 404 करोड़ रुपए और विद्युतीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये, महानगर परिवहन परियोजना के लिए परिव्यय 722 करोड़ रुपए रखा गया है। संरक्षा संबंधी योजना शीर्षों पर परिव्यय में रेलपथ नवीकरण पर 3 हजार 360 करोड़ रुपए, पुल संबंधी कार्यों के लिए 597 करोड़ रुपए और सिगनल तथा दूरसंचार कार्यों के लिए 1 हजार 597 करोड़ रुपए, ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए 551 करोड़ रुपए

*...*सभा पटल पर रखे गये।

[श्री लालू प्रसाद]

तथा मानव रहित समपारों को मानव युक्त समपार करने के लिए 500 करोड़ रुपए शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं अर्थात उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला, जीरीबाम आमान परिवर्तन परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय से 2 हजार 725 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।

चालू परियोजनाएं

चालू वर्ष में लगभग दो हजार किलोमीटर बड़ी लाइनों का कार्य पूरा होने की संभावना है। यह रेलवे के वित्तीय कायाकल्प एवं फील्ड इकाइयों की शक्ति के विकेंद्रीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। रेलवे और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चल रही राष्ट्रीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूरी गंभीरता से कर रही है। कश्मीर घाटी में काकापोर से बडगाम तक नई लाइन का कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसे शीघ्र ही यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बोगीबील ब्रिज, रंगिया-मुरकांगसेलक आमान परिवर्तन, अजरा-बरनीहाट और दीमापुर-कोहिमा परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।*

नई लाइनें

मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोलायत से फलोदी, दैतारी-बांसपानी और गांधीनगर-कलोल नई लाइनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पेडापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद के करीमनगर-जगित्याल खंड का कार्य पूरा होने वाला है।

वर्ष 2007-08 में लगभग 500 किलोमीटर नई लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इन खंडों में शामिल हैं:-

1. पंतम्बा-शिरडी
2. महोबा-खजुराहो
3. काजीगुंड-काकापोंर और बडगाम-बारामूला
4. जगयापेट-मल्लाचेरवू
5. कोटटूर-हरपनहल्ली

इन खंडों के पूरा हो जाने से पुंतम्बा-शिरडी और जगयापेट-मल्लाचेरवू नई लाइन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो जाएगा।

आमान परिवर्तन

नामच-रतलाम, गांधीधाम-पालनपुर से सामाख्याली-गांधीधाम, मिराज-लातूर का लातूर-उस्मानाबाद, त्रिची-मानमदुरै का त्रिची-पुडुकोटाई, खगड़िया-समस्तीपुर का खगड़िया-हसनपुर, अदिलाबाद-मुदखेड़ का किनवत-मुदखेड़ और शोलापुर गदग का बसवन्ना बागेवाडी-बगलकोट की आमान परिवर्तन परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा, अचमेर-चित्तौड़गढ़, त्रिची-मानमदुरै का पुडुकोटाई-कराईकुडी, कुड्डालोर-सेलम का वृद्धाचलम-सेलम, मानमदुरै-रामेश्वरम, बांकुरा-दामोदर रेलवे लाइन का सोनामुखी-रायनगर और हसनपुर-समस्तीपुर आमान परिवर्तन का कार्य भी शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

इन खंडों के आमान परिवर्तन पूरा होने से नीचम-रतलाम, गांधीधाम-पालनपुर, अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर, खगड़िया-समस्तीपुर, अदिलाबाद-मुदखेड़ कुड्डालोर-सेलम और मदुरै-रामेश्वरम परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 1 हजार 800 किलोमीटर आमान परिवर्तन के निम्न कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:

1. मिरज-लातूर का उम्मानाबाद-कुरदुवाडी
2. मानसी-सहरसा-पूर्णिया का सहरसा-दौराम मधेपुरा
3. अजमेर-रींगस-रेवाड़ी की फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी
4. पीपर रोड-बिलारा
5. जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज का दरभंगा-सीतामढ़ी
6. अकोला-पूर्णा
7. प्रतापनगर-छोटा उदयपुर का प्रतापनगर-बोदेली
8. धर्मावरम-पकाला का पकाला-मदनापल्ली
9. कप्तानगंज-थावे-छपरा का कप्तानगंज-थावे
10. शोलापुर-गडग का बगलकोट-गडग
11. कानपुर-कासगंज-मथुरा का कासगंज-मथुरा
12. कटिहार-जोगबनी
13. गुंटुर-गुंतलक-कलुरु का गुंतकल-कलुरु
14. विल्लूपुरम-काटपाड़ी का वेल्लोर-तिरुवन्नामलाई
15. त्रिची-मानमदुरै का करायकुड़ी-मानमदुरै
16. मेहसाना-पाटन
17. शिमोगा-तालगुप्पा का शिमोगा-आनंदपुरम

इन खंडों के पूरा होने से, त्रिचि-मानमदुरै, कटिहार-जोगबनी, अकोला-पूर्णा, शोलापुर-गदग, पीपर रोड-बिलारा, गुंटुर-गुंतकल-

कलुरु परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। सकरी के निर्मली तथा झंझावारपुर-लौकहा बाजार के आमान परिवर्तन को 2008-09 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दोहरीकरण

वर्ष 2006-07 के दौरान, लगभग 450 किलोमीटर का दोहरीकरण कार्य पूरा होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2007-08 के लिए लगभग 700 किलोमीटर तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई परियोजनाएं

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि बर्धमान-कटवा, सादुलपुर-बीकानेर और रतनगढ़-डेगाना, मइलादुतुरै-कराइकुडी और तिरुथरमपुंडी-अगस्तयांपल्ली के आमान परिवर्तन बजट में शामिल किये गये हैं। दाहोद-इंदौर वाया झबुआ एवं देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रुड़की नई लाइन निर्माण के कार्य बजट में शामिल किए गए हैं। पेन-रोहा, मऊ-इंदारा, कुकराना-पानीपत, बिमलागढ़-दुमित्रा पार्ट, बाराबंकी-बुढ़वल, न्यू गुवाहाटी-डीगारू, अलवर-हरसोली, सामलकोट-काकीनाडा, कल्पना-नागपुर, बारबील-बड़. ामदा. आद्रा-जोएचदीपहाड, कुरुपनतारा-चिंगावनम, रामानगरम-मैसूर, अमलापुजा-हरीपद, अरसीकेरे-बीरूर, टिटलागढ़-रायपुर, गोकुलपुर-मिदनापुर एवं मालदा और पुराना मालदा के बीच में महानंदा पुल के दोहरीकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर आमान परिवर्तन तथा छोटा उदयपुर-धार, बिहटा-औरंगाबाद, रायदुर्ग-तुमकुर, बरियारपुर-मननपुर, चण्डीगढ़-बद्दी एवं सुल्तानगंज-कटोरिया नई लाइनों के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पुणे-गुंटकल के बीच बचे हुए दोहरीकरण जिसमें बिगवान-महोल शामिल है, की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। वर्धा-नांदेड वाया यवतमाल, पुसद नई लाइन के निर्माण कार्य पर महाराष्ट्र राज्य सरकार से साझेदारी की सहमति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मसरख-रेवाघाट वाया तरैया-अमनौर, दमोह से कुंडलपुर एवं अररिया-सुपौल नई लाइन निर्माण एवं मुजफ्फरपुर-बेतिया-नरकटियागंज-बाल्मीकि नगर के दोहरीकरण की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त कुछ परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने कुल लागत का एक हिस्सा वहन करने की सहमति दी है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कुड्डप्पा-बैंगलोर नई लाइन का निर्माण आधी-आधी लागत पर साझेदारी के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया है। ऐसे सभी प्रस्तावों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी राज्य सरकारों से एक बार पुन: अनुरोध करना चाहूंगा कि चालू योजनाओं एवं नई योजनाओं के लिए आधी-आधी लागत पर साझेदारी कर योजनाओं के निर्माण में हमें सहयोग दें।

सर्वेक्षण

माननीय सदस्यों की मांग पर निम्नलिखित सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है:

नई लाइनें

1. कराड-चिपलुन
2. अलीगढ़-कासगंज
3. रुपई-परशुरामकुण्ड
4. गुडूर-दुर्गाराजापत्तनम
5. श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम-कदिरी वाया नल्लामाड़ा
6. मोराप्पुर-धर्मापुरी
7. मदुरै-करईकुड़ी
8. गया-नटेसर
9. नीडमंगलम-पुडुकोट्टई
10. नंजनगुड़-निलांबुर
11. तल्लचेरी-मैसूर
12. दीन्डीगल-कुमुली वाया बोडिनायक्कन्नुर
13. टुमकुर-दावनगेर
14. धारवाड़-बायलाहोंगल-बेलगाम
15. रतलाम-बांसवाड़ा
16. मरकापुर-श्रीसेलम
17. चकिया-बरगनिया वाया मधुबनी, फेनहरा, पिराही
18. किनवत-महुर

आमान परिवर्तन

1. छिंदवाड़ा-नैनपुर
2. हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा, आबू रोड तक विस्तार सहित
3. इंदारा-दोहरीघाट

दोहरीकरण

1. राजखरस्वां-आदित्यपुर तीसरी लाइन
2. संबलपुर-तालचेर
3. मुदखेड़-परभनी

[श्री लालू प्रसाद]

4. सिकंदराबाद-भोंगिर तीसरी लाइन
5. जिरत-कटवा
6. आद्रा-गर्धूबेश्वर
7. खुर्दा रोड-पुरी

रेल फ्लाईओवर

1. डोंगापोसी
2. दम दम
3. इटारसी
4. कटनी

मधेपुरा में नए इंजन कारखाने की स्थापना

रेल यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु चित्तरंजन रेल कारखाने की उत्पादन क्षमता में 150 से 200 इंजन प्रतिवर्ष की वृद्धि के बावजूद एक और नया विद्युत इंजन कारखाना स्थापित करना अपरिहार्य है। अत: लगभग 1 हजार 300 करोड़ रु. की लागत से मधेपुरा में एक नया विद्युत इंजन कारखाना लगाया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं उत्तरी बिहार के पिछड़े क्षेत्रों से सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी।

आधुनिक सिगनलिंग व्यवस्था

ए, बी और सी रूट पर 96 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर ट्रैकसरकिटिंग, ए और सी सूट पर मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिगनल प्रणाली एवं विशेष रेल संरक्षा निधि से लिए गए अन्य उन्नयन कार्य अब तक 1 हजार 36 स्टेशनों पर पूरे कर लिये गए हैं। इस निधि से लिए गए बाकी सभी कार्यों को मार्च, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सिगनल प्रणाली की विश्वसनीयता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 2007-08 के दौरान एक समेकित योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाएगी। महोदय, अब तक सिगनलिंग का इस्तेमाल प्रमुख रूप से रेल संरक्षा के लिए होता रहा है, तबकि आधुनिक सिगनल प्रणाली के द्वारा लाइन क्षमता में सुधार करने की काफी संभावनाएं विद्यमान हैं। अत: हमने निर्णय लिया है कि हाई डेन्सिटी नेटवर्क पर आईबीएस प्रणाली का इस्तेमाल कर दो ब्लॉक खंडों की औसत दूरी 12 किलोमीटर से घटाकर 8 किलोमीटर की जाएगी। भारी यातायात वाले कुछ जंक्शन स्टेशनों के अप्रोच मार्ग पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनल प्रणाली मुहैया कराई जाएगी।

केरल सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर

महोदय, तेजी से बढ़ते हुए यात्री व्यवसाय को देखते हुए भविष्य में अतिरिक्त सवारी डिब्बों की जरूरत होगी। वर्तमान में रेलवे द्वारा आईसीएफ डिजाइन से सवारी डिब्बे बनाने के लिए फैब्रीकेटेड बोगी बनाने की क्षमता सीमित है। इसी कमी को रेलवे सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, स्टील इंडस्ट्रीज केरल लि., एलेप्पी के साथ ज्वाइंट वेंचर का गठन कर पूरा करने का प्रयास करेगी।

डालमिया नगर में वैगन, बोगी, काम्प्लेक्स की स्थापना

नये डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 32.5 टन एक्सल लोड की मालगाड़ियां एवं डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए किया जा रहा है। देश में अभी 22.9 टन एक्सल लोड के ही वैगन बनते हैं। ज्यादा एक्सल लोड के वैगन बनाने के लिए नई तकनीक के बोगी, कपलर एवं ड्राफ्ट गियर के निर्माण करने के लिए डालमिया नगर में एक औद्योगिक काम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित कार्य्यान्वयन के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

उपनगरीय सेवाएं

मुंबई उपनगरीय सेवाओं के लिए पिछले बजट में की गई घोषणा के अनुरूप पश्चिम रेल पर तीन अतिरिक्त रेक बढ़ाए जा चुके हैं एवं चौथा रेक मार्च 2007 तक उपलब्ध हो जाएगा। मध्य रेल पर एक अतिरिक्त रेक थाणे-तुर्भे क्षएत्र में बढ़ा दिया गया है एवं एक और रेक मार्च 2007 तक उपलब्ध हो जाएगा। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कसारा के टिटवाला खंड का डीसी से एसी में बदलने का कार्य पूरा हो गया है। बोरीविली से विरार के चौहरीकरण का कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है और एमआरवीसी से माध्यम से नई रेकों का समायोजन भी जल्दी ही पूरा होने वाला है और एमआरवीसी के माध्यम से नई रेकों का समायोजन भी जल्दी शुरू होने जा रहा है। समय सारिणी में अपेक्षित फेर-बदल करके पश्चिम रेल एवं मध्य रेल में नि नई रेकों के द्वारा इस वर्ष में 150 नई उपनगरीय गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है। आशा है कि इन प्रयासों से रेल सेवाओं में काफी इजाफा होगा।

कोलकाता के लिए चालू वर्ष में चार अतिरिक्त ई एम यू रेक प्रदान किए गए हैं जिससे उपनगरीय सेवाएं 1 हजार 39 से बढ़कर 1 हजार 50 हो गई हैं। अगले कुछ महीनों में 5 और रेकों की बढ़ोत्तरी की जाएगी। चेन्नई में चालू वर्ष में पांच अतिरिक्त ईएमयू रेक दिये गए हैं जिससे उपनगरीय सेवाओं में 30 की वृद्धि के

साथ-साथ 27 रेक 8 डिब्बों से 9 डिब्बों की एवं चार रेक 3 डिब्बों से 6 डिब्बों की कर दी गई है। अगले कुछ महीनों में 6 और रेकों की वृद्धि की जाएगी जिसके द्वारा एम आर टी एस तथा अन्य सेवाओं की वृद्धि की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

पार्ट-II

2007-2008 के लिए बजट अनुमान

महोदय, अब मैं 2007-08 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान फ्रेट लोडिंग का लक्ष्य 785 मिलियन टन और फ्रेट आउटपुट का 516 बिलियन टन किलोमीटर रखा गया है। डबल डिजिट प्रगति दर बनाए रखते हुए माल, यात्री एवं अन्य कोचिंग आमदनी के बजट अनुमान क्रमश: 46 हजार 943, 20 हजार 75 एवं 2 हजार 200 करोड़ रुपए रखे गये हैं। सकल ट्रैफिक आमदनी 71 हजार 218 करोड़ रुपए रखी गई है जो कि चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7 हजार 248 करोड़ रुपए अधिक है।

महोदय, 2007-08 के लिए साधारण संचालन व्यय 42 हजार 687 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जो कि 2006-07 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 5 हजार 496 करोड़ एवं पेंशन निधि में 8 हजार 683 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार कुल संचालन व्यय 56 हजार 687 करोड़ रुपये होगा जिससे शुद्ध यातायात प्राप्तियां 14 हजार 631 करोड़ रुपये होंगी। रेलवे का लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 21 हजार 578 करोड़ रुपये और ऑपरेटिंग रेशियो 79.6 प्रतिशत होने की आशा है। आगामी वर्ष के अंत में फंड बैलेंस 16 हजार 170 करोड़ रुपए के स्तर पर रहने का अनुमान है। वर्ष 2007-08 के लिए सामान्य राजकोष को देय लाभांश की दर पर एक ज्ञापन रेल कनवेंशन समिति के विचाराधीन है। 2006-07 के लिए अनुशंसित लाभांश दर के आधार पर वर्ष 2007-08 में लाभांश देनदारी 3 हजार 909 करोड़ रुपये बनती है। वर्ष 2007-08 में न केवल इस देनदारी का अपितु आस्थगित लाभांश के बाकी 664 करोड़ रुपये का भी पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। अगले वर्ष के योजना परिव्यय के लिए 17 हजार 323 करोड़ रुपये की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों के माध्यम से की जाएगी।

डायनैमिक प्राइसिंग एवं कमर्शियल पॉलिसी

वर्ष 2006-07 में माल परिवहन में लागू की गई डायनैमिक प्राइसिंग पॉलिसी के उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आये हैं। महोदय, द्वितीय श्रेणी के किराये में 1 रुपये की कमी और सुपर फास्ट ट्रेन के किराए में 20 प्रतिशत की कमी की गई है। एसी और 2 एसी के किराए में कमी की घोषणा करता हूं। फर्स्ट क्लास के किराए में कभी भाड़ा नहीं बढ़ाया। सब क्लासिज के किराया में कमी की है। अत: इस वर्ष हमने एसी प्रथम एवं एसी दू टियर श्रेणी की सभी यात्री सेवाओं एवं नये डिजाइन के एसी थ्री टियर, एसी चेयरकार के डिब्बों में पीक और नान-पीक पीरियड लोकप्रिय और कम लोकप्रिय यात्री गाड़ियों में अलग-अलग दरों से किरायों में कमी करने की नीति बनाई है। इसी प्रकार, माल परिवहन के लिए कमर्शियल पॉलिसी को भी डायनैमिक बनाते हुए व्यस्त और गैर व्यस्त गुड्स टर्मिनल पॉलिसी को भी डायनैमिक बनाते हुए व्यस्त और गैर व्यस्त टर्मिनल पर वारफेज रेट अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।

...(व्यवधान)

यात्री सेवायें

*मैंने अगस्त, 2005 में द्वितीय श्रेणी के किराये में 1 रुपये प्रति यात्री की कमी करने की घोषणा की थी। किरायों में कमी के बावजूद हमारी यात्री आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आम जनता के अपार स्नेह और समर्थन के कारण ही रेलवे का कायाकल्प हुआ है। अत: इस वर्ष भी उपनगरीय सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी साधारण पैसेंजर एवं गैस सुपर फास्ट मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के दैनिक टिकट के किराये में 1 रुपये प्रति यात्री की कमी की जाएगी। महोदय हमने:

दौरे मंहगाई में रेल सस्ती रखी,
पर कमाई में कोई कमी ना रखी।

गत वर्ष कुछ गाड़ियों की स्पीड बढ़ाकर उन्हें सुपर फास्ट ट्रेन का दर्जा था। आम जनता की पुरजोर मांग पर मैंने निर्णय लिया है कि सुपर फास्ट ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के टिकट पर लगने वाले सुपर फास्ट चार्ज में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

महोदय, हमने नये डिजाइन के स्लीपर, क्लास, एसी चेयर कार एवं एसी थ्री टियर कोच तैयार किये हैं। वर्ष 2007-08 से इन उच्च क्षमता वाले कोटों का ही निर्माण किया जाएगा। इस बढ़ी हुई क्षमता के लाभ का एक हिस्सा हमने अपने ग्राहकों के साथ बांटने का निर्णय लिया है। नये डिजाइन के स्लीपर क्लास कोच के किराये में 4 प्रतिशत की सामान्य कमी की जाएगी। यह कमी लीन और पीक दोनों पीरियड में लागू होगी। नये डिजाइन के एसी थ्री टियर एवं एसी चेयरकार के किराए में लीन सीजन में

*...*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री लालू प्रसाद]

8 प्रतिशत और पीक सीजन में 4 प्रतिशत की कमी की जाएगी। लोकप्रिय गाड़ियों के उक्त किराये में पूरे साल यह कमी 4 प्रतिशत ही होगी।

एसी प्रथम श्रेणी के किरायों में लीन सीजन में 6 और पीक सीजन में 3 प्रतिशत की कमी की जाएगी। लोकप्रिय गाड़ियों के करियों में पूरे साल 3 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

एसी टू टियर के किरायों में लीन सीजन में 4 और पीक सीजन में 2 प्रतिशत की कमी की जाएगी। लोकप्रिय गाड़ियों के किरायों में पूरे साल 2 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

महोदय, मुंबई में हजारों लोग बाहर से घूमने अथवा अन्य कार्य से आते हैं। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए हमने मुंबई उपनगरीय सेवा के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक दिन, तीन दिन और पांच दिन के टूरिस्ट टिकट निर्गत करने का निर्णय लिया है। ऐसे टिकटधारी टिकट की अवधि में पश्चिम एवं मध्य रेलवे की मुंबई उपनगरीय सेवा के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक जितनी भी बार चाहें यात्रा कर सकेंगे। इससे यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए बार-बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

घर बैठे इंटरनेट पर ई-टिकट बुक कराने की प्रणाली बेहद लोकप्रिय हुई है। इसे और बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि प्रत्येक स्लीपर ई-टिकट पर लगने वाला चार्ज 25 रुपये से घटाकर 15 रुपये और प्रत्येक एसी ई-टिकट पर 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया जाएगा। उक्त न्यूनतम चार्ज के अलावा प्रति अतिरिक्त यात्री पर 5 रुपये शुल्क देय होगा। लेकिन एक सेकेंड क्लास स्लीपर टिकट पर देय चार्ज 25 रुपये और एसी श्रेणी की टिकट पर 40 रुपये से अधिक नहीं होगा।

पार्सल एवं लगेज सेवाएं

महोदय, खुली निविदा के माध्यम से एसएलआर एवं पार्सल वैन पार्सल की अनुसूचित दर अथवा उससे कम पर लीज पर देने की नीति के अच्छे परिणाम सामने आये हैं। लेकिन अभी भी ऐसी अनेक गाड़ियां हैं जिनमें गत वर्ष एस एल क्षमता का 60 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ है एवं जिनकी एक भी एस एल आर अनुसूचित पार्सल दर अथवा उससे अधिक दर पर खुली निविदा निकालने के बावजूद लीज पर लेने के ऑफर नहीं मिले। युक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी गाड़ियों के पार्सल की अनुसूचित दर को उससे तत्काल नीचे वाली श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। अगर कोई ट्रेन एक दिशा में अनुसूचित दर पर लीज हो जाती है लेकिन लौटती हुई दिशा में निविदा निकालने पर भी लीज के ऑफर प्राप्त नहीं होते हैं और क्षमता का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होता है तो लौटती हुई दिशा में उसकी श्रेणी डाउनग्रेड कर दी जाएगी। इससे कम लोकप्रिय गाड़ियों की पार्सल बुकिंग दरों में कमी होगी। पार्सल एवं लगेज दरों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के अंदर अर्थात 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी।

महोदय, वर्तमान लगेज दर प्रणाली के अंतर्गत सभी गाड़ियों में लगेज दर राजधानी गाड़ी के पार्सल रेट से 20 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि राजधानी गाड़ी का पार्सल भाड़ा साधारण पैसेंजर गाड़ी के पार्सल भाड़े से तीन गुना होता है। लगेज दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिन गाड़ियों में एसएलआर के लिए अनुसूचित पार्सल दरों पर निविदा निकालने पर भी लीज के लिए ऑफर प्राप्त नहीं होते एवं जिनकी क्षमता का उपयोग 60 प्रतिशत से कम है उनके लगेज एवं पार्सल बुकिंग की दर एक समान होगी। इस निर्णय से साधारण पैसेंजर गाड़ियों एवं गैर लोकप्रिय मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों की लगेज दरों में 60 प्रतिशत तक की कमी होगी।*

माल व्यवसाय

महोदय, माल परिवहन में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि को बनाये रखने के लिए मैं मालभाड़े में निम्नांकित कमी एवं डिस्काउंट स्कीम की घोषणा करता हूं:-

महोदय, मैंने गत वर्ष डीजल और पेट्रोल के मालभाड़े में लगभग 9 प्रतिशत की कमी करते हुए उन्हें श्रेणी 240 से घटाकर 220 श्रेणी पर ला दिया था। युक्तिकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं अधिकतम 220 क्लास को घटाकर क्लास 210 पर करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे डीजल, पेट्रोल, अमोनिया इत्यादि के मालभाड़े में लगभग 5 प्रतिशत की कमी होगी।

खनिज पदार्थ पर आधारित उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट इत्यादि की मांग पर आयरन ओर, लाइमस्टोन सहित सभी प्रकार से खनिज पदार्थों के परिवहन पर मालभाड़ा श्रेणी 170 की जगह 160 पर चार्ज किया जाएगा। इससे वस्तुओं के मालभाड़े में लगभग 6 प्रतिशत की कमी होगी।

एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन फ्रेट डिस्काउंट स्कीम

हमारी मालगाड़ियां एक दिशा में लोड होकर जाती हैं लेकिन वापसी में अधिकांश गाड़ियां खाली लौटती हैं। खुली गाड़ियों के खाली लौटने का प्रतिशत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। गत वर्ष हमने एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में की गई अतिरिक्त लोडिंग पर लीन सीजन में 30 और पीक सीजन में 20 प्रतिशत तक माल भाड़े में

छूट देने की घोषणा की थी। इस नीति को और धारदार बनाने के लिए हमने इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। चूंकि वापसी में गाड़ियों के खाली लौटने की समस्या से रेलवे को पूरे साल जूझना पड़ता है इसलिए हमने निर्णय लिया है कि पीक सीजन में भी एम्प्टी फ्लो डिस्काउंट 20 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत की दर से ही दिया जाएगा। यह डिस्काउंट खुली एवं कवर्ड दोनों प्रकार की गाड़ियों में लीन एवं पीक दोनों सीजनों में सात सौ किलोमीटर से अधिक की लीड वाले ट्रैफिक पर देय होगा। जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को विशेष परिस्थिति में 700 किलोमीटर से कम लीड के ट्रैफिक पर भी यह डिस्काउंड देने के अधिकार दिये जाएंगे।

वर्तमान में गेहूं, खाद एवं सीमेंट के बैगों की खुली गाड़ियों में लोडिंग किये जाने पर क्रमश: 20, 30 एवं 15 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता है। यह डिस्काउंट लोडेड एवं एम्प्टी फ्लो दोनों दिशाओं में मिलता है। अब हमने निर्णय लिया है कि खुली गाड़ियों में बोरीबंद वस्तुओं की इन्क्रीमेंटल लोडिंग एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में किये जाने पर बोरीबंद वस्तुओं पर दिये जाने वाले उक्त डिस्काउंट के अतिरिक्त 30 प्रतिशत की दर से एम्प्टी फ्लो डिस्काउंट भी दिया जाएगा लेकिन उक्त दोनों प्रकार के डिस्काउंट देने पर नयूनतम देय राशि एलआर थ्री श्रेणी पर देय मालभाड़े से कम नहीं होगी। इस प्रकार खुली गाड़ियों के एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में सीमेंट, गेहूं एवं खाद के बैगों की इन्क्रीमेंटल लोडिंग होने पर डिस्काउंट की दर बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत तक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह के भारी डिस्काउंट देकर हम एफसीआई और विभिन्न खाद, सीमेंट कंपनियों को खाली लौटती खुलीं गाड़ियों में लोडिंग करने के लिए आकर्षित कर सकेंगे। इन्क्रीमेंटल लोडिंग की गणना वैगन टाइप के अनुसार की जाएगी।

एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में की जाने वाली लोडिंग में ब्लाक रेक लोडिंग के अतिरिक्त ट्रेन लोड से कम लोडिंग करने की भी सुविधा दी जाएगी। खुली गाड़ियों में 31 से 57 वैगनों की लोडिंग करने पर 20 प्रतिशत और 20 से 30 वैगनों पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट देय होगा। कवर्ड गाड़ियों में 31 से 39 वैगनों की लोडिंग करने पर 20 प्रतिशत और 20 से 30 वैगनों पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट देय होगा। पीक सीजन में 20 वैगनों से कम की लोडिंग करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन जुलाई से सितंबर माह तक के नान-पीक सीजन में 15 से 19 वैगनों की लोडिंग करने की भी सुविधा होगी लेकिन कोई डिस्काउंट देय नहीं होगा।

सम्प्रति, यह डिस्काउंट कोल, कोक एवं स्टील प्लांट के सभी प्रकार के कच्चे माल के ट्रैफिक पर देय नहीं है। इस छूट को और व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव है कि कोल, कोक एवं आयरन ओर को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर यह छूट देय होगी।

टू लेग फ्रेट डिस्काउंट स्कीम

यह भी निर्णय लिया गया है कि कवर्ड गाड़ियों में आने एवं जाने दोनों तरफ का ट्रेन लोड ट्रैफिक मिलने पर लीन सीजन में 20 प्रतिशत और पीक सीजन में 15 प्रतिशत डिस्काउंट दोनों तरफ के ट्रैफिक पर दिया जाएगा। उक्त डिस्काउंट एलआर-1 अथवा उससे नीचे की श्रेणी की वस्तुओं पर देय नहीं होगा।

नान पीक सीजन इन्क्रीमेंटल फ्रेट डिस्काउंट स्कीम

15 प्रतिशत की दर से इन्क्रीमेंट फ्रेट डिस्काउंट की बदौलत लीन सीजन में गाड़ियों के खाली खड़े रहने की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने में हमें सफलता मिली है। इस योजना को और उदार बनाते हुए हमने निर्णय लिया है कि सभी किस्म के कोयले, कोक, आयरन ओर एवं 120 अथवा उससे नीचे की श्रेणी की वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की इन्क्रीमेंटल लोडिंग पर लीन सीजन में यह डिस्काउंट देय होगा। लीन पीरियड के दौरान बेहद लोकप्रिय टू प्वाइंट रेक स्कीम में दो अनलोडिंग प्वाइंट की एक दूसरे से दूरी की सीमा दो सौ किलोमीटर से बढ़ाकर चार सौ किलोमीटर की जाएगी।

वस्तु आधारित फ्रेट पालिसी

वस्तु विशेष के ग्राहकों की आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं भिन्न-भिन्न होती हैं। परिवहन की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से फोकस करने एवं रेलवे की प्रतियोगी क्षमता को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए हमने वस्तु आधारित टैरिफ प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। इस नई प्रणाली को इस वर्ष हम प्रयोग के तौर पर सीमेंट के लिए एक एक्सक्लूसिव पैकेज देकर एक अप्रैल से लागू करेंगे।

डायनैमिक कामर्शियल पालिसी

गत वर्ष मैंने माल लदान के लिए डायनैमिक प्राइसिंग पालिसी की घोषणा की थी जिसके आशातीत परिणाम सामने आए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने कमर्शियल पालिसी को भी डायनैमिक बनाने का निर्णय लिया है।

डायनमिक वारफेज रेट

वर्तमान में छोटे और बड़े, व्यस्त और खाली पड़े सभी प्रकार के टर्मिनल्स पर फ्री टाइम और वारफेज की दर एक समान है।

[श्री लालू प्रसाद]

क्षमता से कम उपयोग हो रहे छोटे टर्मिनल्स पर हमने लोडिंग से पहले और अनलोडिंग के बाद मिलने वाले फ्री टाइम में वृद्धि करने और वारफेज रेट में कमी करने का निर्णय लिया है।

डायनैमिक डैमरेज रेट

संप्रति पूरे साल एक समान डैमरेज रेट लगते हैं जबकि वैगनों की उपयोगिता पीक सीजन में अधिक और नान-पीक सीजन में अपेक्षाकृत कम होती है। अत: हमने निर्णय लिया है कि प्रायोगिक तौर से कतिपय टर्मिनल्स पर व्यस्तता की अवस्था के अनुरूप नान-पीक पीरियड में फ्री टाइम सामान्य से एक घंटा अधिक दिया जाएगा।

ट्रैफिक रूट आधारित टैरिफ पालिसी

रेलवे का आधे से अधिक ट्रैफिक सघन मार्गों पर चलता है। ट्रैफिक की कमी के कारण दो तिहाई रेल नेटवर्क का क्षमता से काफी कम उपयोग हो रहा है। अत: हमने निर्णय लिया है कि ऐसा माल ट्रैफिक जो कि लाइन क्षमता से कम उपयोग हो रहे मार्गों पर लदान होगा और उन्हीं मार्गों पर ही उतरेगा, उसमें सामान्य मालभाड़े में छूट दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश यथाशीघ्र निर्गत किये जाएंगे।

वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम का उदारीकरण

वर्तमान में वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम अथवा कंटेनर ट्रेन लाईसेंसधारियों को वैगन खरीदने पड़ते हैं। प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति वैगन एवं कंटेनर वैगन स्वयं खरीदकर अथवा लीज पर लेकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। वर्तमान में वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम खुले और कवर्ड वैगन सीमित हैं। इसके लाभ को और व्यापक बनाने के लिए प्रस्ताव है कि वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम का लाभ अन्य प्रकार के जनरल परपज अथवा वस्तु विशेष के लिए उपयुक्त वैगनों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। मोटरवाहन जैसी हल्की वस्तुओं के वैगन के लिए फ्रेट प्रति टन किलोमीटर की बजाय प्रति ट्रेन किलोमीटर के आधार पर निर्धारित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

उपसंहार

महोदय, भारतीय रेल तेजी से एक सशक्त और जीवंत संस्था के रूप में उभर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नित नई ऊंचाइयां छूने में हमेशा हमें मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन दिया है। सदन के माननीय सदस्यों ने हमारी नीतियों का पुरजोर समर्थन कर और रेल परिवार में विश्वास व्यक्त कर हमारा मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाया है:

हर साल नया साल तरक्की का, प्रगति का।
आपका है साथ तो फिर ये सफर जारी रहेगा।।

महोदय, किराया नहीं बढ़ाया बल्कि कमी की है ...*(व्यवधान)*। यह जनता का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में रेलवे अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इसलिए ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 2007-2008 का रेल बजट सदन में संस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज नियम 377 के अधीन जिन मामलों को लिया जाना है उन्हें सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

[हिन्दी]

(एक) हैदराबाद शहर को सुन्दर बनाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अंजनकुमार यादव (सिकन्दराबाद): अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद भारत की एक सांस्कृतिक नगरी है जहां की आबादी 60 से 70 लाख के करीब है तथा जिसमें कई सम्प्रदाय के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, दक्षिण भारत का एक व्यापारिक क्षेत्र बनता जा रहा है और इस नगरी ने साफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसके कारण विदेशी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, परंतु हैदराबाद में जगह-जगह फैली गंदगी और बिना योजनागत ढांचे के कारण हैदराबाद की सुन्दरता को ठेस पहुंच रही है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हैदराबाद शहर को सुंदर बनाने हेतु केन्द्र स्तर पर प्रयास किये जाएं।

(दो) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आहार और पौष्टिकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि (स्केलेटल) फ्लोरोसिस के कारण होने वाली

---

*सभा पटल पर रखे गये।

अपंगता हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। पानी और खाद्य पदार्थों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहां भीषण रोग फैल रहा है।

यह राय व्यक्त की गई है कि पानी में से फ्लोराइड की अधिकता को दूर करना एक कठिन और महंगा उपाय है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खुराक और पोषण के स्तर का पता लगाने के लिए आठ राज्यों (715 गांवों) में एक सर्वेक्षण किया था। उसमें यह बताया गया कि भोजन में रक्षात्मक खाद्य पदार्थ जैसे दालें, 'मिल्ट' और फलों की मात्रा बहुत अपर्याप्त थी। यह भी नोट किया गया कि विद्यालय जाने से पूर्व और विद्यालय जाने की आयु वाले एक तिहाई बच्चों को ही समुचित प्रोटीन युक्त और ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार मिल रहा है और विभिन्न आयु समूहों में बुखार, दस्त, पेचिश, श्वसन संबंधी गंभीर संक्रण आम रूग्णता के रूप में पाए गये।

ऐसी गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे उक्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खुराक तथा पोषण के स्तर को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाएं।

(तीन) गुजरात के मेहसाणा में ओ.एन.जी.सी. द्वारा अर्जित लाभ की कुछ राशि को क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में हजारों की तादाद में तेल के कुएं हैं जिनसे ओ.एन.जी.सी. अरबों रुपंये का तेल एवं गैस निकालती है। ओएनजीसी ने अभी हाल ही में अपने एक विज्ञापन में बताया है कि जिन क्षेत्रों में तेल एवं गैस निकाले जाते हैं उनसे प्राप्त लाभ का एक प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास कार्य एवं सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है परंतु इस सदन को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि ओएनजीसी ने कभी भी मेरे क्षेत्र मेहसाणा में तेल एवं गैस से हुए लाभ का एक प्रतिशत खर्च नहीं किया है। ओएनजीसी जहां से भी तेल और गैस निकाल रही है उनमें से सबसे उच्च क्वालिटी का तेल मेहसाणा में मिल रहा है। ओएनजीसी के कुल भाग में मेहसाणा की देन 35 प्रतिशत के करीब है। ओएनजीसी के कार्य से मेरे संसदीय क्षेत्र की भूमि खराब हो रही है, पेयजल में फ्लोराइड पैदा हो गया है तथा भूमि जलस्तर 1500 फूट के करीब चला गया है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा से हुए लाभ का एक प्रतिशत ओएनजीसी स्थानीय विकास के लिए खर्च करे।

(चार) बिहार तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गिरिधर कुमार (औरंगाबाद, बिहार): राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, जहां की जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु मुख्यत: कृषि निर्भर है, में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी से निपटने का एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे वे मानसून पर निर्भर रहते हैं और जब भी मानसून अच्छा नहीं रहता है तो सूखा पड़ता है, जैसा कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में पिछले दो वर्षों से लगातार हो रहा है। इसका अर्थ है कि इससे किसानों और खेत मजदूरों को भारी परेशानी हो जाती है। जो किसी वैकल्पिक रोजगार के अवसर के अभाव में और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है।

इस योजना से जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार के कुछ अवसर प्राप्त होते हैं और वे वित्तीय क्षतिपूर्ति का लाभ ले पाते हैं। इससे बेरोजगारी पूर्णतया समाप्त तो नहीं होगी परन्तु यदि इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए तो यह गरीबी को निरंतर कम करते रहने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। लेकिन इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को रोजगार कार्ड जारी किए जा रहे हैं और जहां ये जारी किए भी गए हैं वहां भी बहुत कम लोगों को रोजगार दिया गया है। उन्हें समुचित भत्ता भी नहीं दिया जाता है। इस योजना के लिए आबंटित धन वापस ले लिया जाता है परंतु उसे वितरित नहीं किया जाता।

सरकार को ऐसी परिस्थितियों को बदलना चाहिए। इसे देश में, विशेषकर बिहार में जिले-वार इस योजना की प्रगति की निगरानी करने हेतु एक तंत्र बनाना चाहिए। इससे इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

(पांच) "विश्वकर्मा जयन्ती दिवस" को अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): लाखों राज-मिस्त्री, राजगीर, कबाड़ी (जंक स्मिथ), बढ़ई, स्वर्णकार और दस्तकार विशेषकर तकनीकी कुशलता प्राप्त लोग भगवान विश्वकर्मा में विश्वास रखते हैं। इन समुदायों का यह विश्वास है कि भगवान विश्वकर्मा ने संसार की रचना की है और यहां तक कि वे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के बाद ही अपना कार्य आरम्भ करते हैं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

उनकी लंबे समय से यह मांग रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा "विश्वकर्मा जयन्ती" को अवकाश या वैकल्पिक अवकाश घोषित किया जाए।

मैं भारत सरकार से देश के सभी विश्वकर्माओं की "विश्वकर्मा जयन्ती" को अवकाश घोषित करने की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) विधि व्यवसाय पर सेवा कर वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, भारत में विधिक पेशा संसार में सबसे बड़े पेशों में से एक है और संयुक्त राज्य अमरीका के बाद यह पेशा दूसरे नंबर पर है। इस पेशे में दस लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। हमारे देश में ऐसे वकीलों की संख्या बहुत कम है जो बहुत समृद्ध हैं और बहुत से वकील ऐसे हैं जो गरीब हैं तथा उनके लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन है तथा छोटे-छोटे स्थानों पर उनकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। बाद के सदस्यों की स्थिति के इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या विधिक पेशे पर सेवा कर लगाना उचित होगा।

वर्ष 1994 में पहली बार सेवा कर लगाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका बनी रहे। इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह कर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टैक्स) के अतिरिक्त है। औसत पेशेवर वकील की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि विधिक पेशे को कर के दायरे में लाया जाएगा तो सेवा प्रदाता इसे मुकदमा लड़ने वाले लोगों से वसूल करेगा और इससे विधिक सेवाओं पर होने वाला व्यय और बढ़ जाएगा।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विधिक पेशे के सदस्यों पर लगाए जाने वाले सेवा कर पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि उन्हें इस अतिरिक्त भार से बचाया जा सके और मुकदमा लड़ने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

(सात) गुजरात में मैरीटाईम यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): गुजरात राज्य अपनी 1600 किलोमीटर लम्बी तट रेखा के कारण सर्वाधिक विकसित समुद्र व्यापारिक राज्य के रूप में उभरा है और यह अपने तट पर विभिन्न पत्तनों और समुद्र व्यापारिक गतिविधियों को विकसित करने हेतु विदेशी निवेश आमंत्रित कर सकता है। समुद्र व्यापार के क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से गुजरात में एक समुद्र व्यापार संबंधी विश्वविद्यालय/संस्थान स्थापित करना अति आवश्यक है।

मैं सरकार से इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में हाल ही में वर्षा तथा ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उनको विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में फरवरी माह में करीब 5 दिन लगातार मूसलाधार वर्षा हुई जिसकी वजह से किसानों की पूरी पकी हुई फसल खेत में नष्ट हो गई जिन किसानों ने गेहूं की फसल बोई थी वह भी बाद में ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। बुंदेलखण्ड का किसान पूर्व से सूखे की मार झेल रहा था। कुछ किसानों ने किसी तरह से कर्ज लेकर फसल बोई थी वह भी नष्ट हो गई।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु एवं सूखे की मार झेल रहे किसानों को विशेष पैकेज देकर एवं कर्ज वसूली रोकने का आदेश देने का कष्ट करें जिससे बुंदेलखण्ड का किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या जैसे गलत कदम न उठाये।

(नौ) मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, राजस्थान को आई.आई.टी. का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मालवीय इंजीनियरिंग कालेज जिसके पास काफी भूमि, भवन और योग्य शिक्षक है। केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में राजस्थान में आई.आई.टी. खोलने की घोषणा की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और जयपुर को बड़ी रेलवे लाईन से भी जोड़ा गया है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मालवीय इंजीनियरिंग कालेज को आई.आई.टी. में परिवर्तित किया जाए जिससे कि राजस्थान के विद्यार्थियों को लाभ मिले।

(दस) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, अनियंत्रित महंगाई के कारण सामान्य जनजीवन का गुजारा अत्यंत दुष्कर, दुखद और चुनौतीपूर्ण हो गया है। खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तुओं के दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं। जनता की आय से ज्यादा उसका गुजारे का खर्च हो गया है।

पेट्रोल-डीजल के दामों में विगत वर्षों में की गयी वृद्धि ने भी महंगाई को बढ़ाया है। अतएव केन्द्र सरकार महंगाई को पूर्ण नियंत्रित कर सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों को कम कर तत्काल राहत के प्रभावी उपाय करे।

(ग्यारह) उड़ीसा के बरहामपुर और राउरकेला के बीच एक नियमित एक्सप्रेस और शताब्दी गाड़ी आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): बरहामपुर, जोकि दक्षिणी उड़ीसा का वाणिज्यिक शहर है, से इस्पात के शहर राऊरकेला के बीच सीधी रेल गाड़ी न होने के कारण उड़ीसा के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी उड़ीसा की जनसंख्या का एक बड़ा भाग राऊरकेला शहर में रहता है चूंकि उनके अधिकांश कमाऊ सदस्य इस्पात स्पंज में कार्यरत हैं। इसके अलावा राज्य के दक्षिणी जिलों के अनेक कामगार इस्पात स्पंज में कार्यरत हैं। इसके साथ-साथ इस्पात शहर में अनेक व्यवसायिक समुदाय बस गये हैं। यह सभी लोग अपने जन्म स्थान आना चाहते हैं। रेलवे उनके लिए एक मात्र आवागमन का साधन है।

इन दो प्रमुख शहरों के बीच दैनिक आधार पर सीधी रेल सेवा आरम्भ किये जाने से अधिकांश लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं बरहामपुर जोकि दक्षिण भारत का द्वार है तथा राऊरकेला, जो कि पूर्वी भारत का द्वार है के बीच एक नियमित शताब्दी रेल शीघ्रातिशीघ्र चलाने की मांग करता हूं।

(बारह) वर्तमान पालक्कड़ रेलवे मंडल को दो भागों में बांटे जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): एक वर्ष पूर्व रेल मंत्रालय द्वारा सालेम में एक नए रेल मण्डल का सृजन करने का प्रस्ताव था। संसद में इस प्रस्ताव पर चर्चा करते समय, माननीय रेल मंत्रालय ने आश्वस्त किया था कि सालेम में नये प्रस्तावित मण्डल को सभी निकटवर्ती रेलवे मण्डलों यथा चेन्नई, त्रिची, मदुरै, बंगलौर तथा पाल्काड़ से एक औचित्यपूर्ण तरीके से रूट किलोमीटरों को लेकर किया जाएगा। परन्तु हाल ही में, रेल मंत्रालय ने आसपास के रेल मण्डलों से एक किलोमीटर का भी रूट न लेते हुए मौजूदा पाल्लकाड़ रेल मण्डल को पृथक करने का प्रस्ताव किया था। इस पृथक्कीकरण के बाद, सबसे पुरातन पाल्लकाड़ रेल मण्डल में लगभग 400 किलोमीटर रूट रह जाएगा। यह कदम सबसे पुरातन पाल्लकाड़ रेल मण्डल के भावी अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

इसलिए, मैं सरकार से मौजूदा पाल्लकाड़ रेल मण्डल के पृथक्कीकरण को तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) केरल के अलाप्पुझा जिले में कुट्टानाडु वेट लैण्ड के संरक्षण और विकास के लिए डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बहु-शाखीय दल की अंतरिम रिपोर्ट को लागू किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): भारत सरकार ने केरल के अलाप्पुझा जिले जहां अत्यधिक कृषि संकट है, में कुट्टानाडु वेट लैंड का अध्ययन करने और इसके बचाव तथा विकास के लिए कार्यक्रम संबंधी सुझाव देने के लिए विभिन्न विभागों के दल का गठन किया था। अलाप्पुझा में मौजूदा कृषि स्थिति को देखते हुए, क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एक उपयुक्त पृथक पुनर्वास कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, चेन्नई जिसे कुट्टानाडु वेट लैण्ड-पारिस्थितिकीय तंत्र के सतत विकास का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था, इसने सरकार को भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं सरकार से इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य योजना को तेजी से निष्पादित करने तथा किसानों को ऋण के शिकंजे तथा आत्महत्या से बचाने के लिए कुट्टानाडु के वेट-लैण्ड का परिरक्षण एवं विकास करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) दूरदर्शन पर विशेषरूप से पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक नया चैनल आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी का जनहित एवं राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए

[श्री रघुराज सिंह शाक्य]

अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन जो गांव-गांव तक उपलब्ध है जिसके दर्शक संपूर्ण भारतवर्ष के किसान, गरीब नौजवान हैं, पर पर्यावरण से संबंधित कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाती है जबकि विदेशी निजी चैनलों के द्वारा पर्यावरण के संबंध में 24 घंटों का कार्यक्रम चला रखा है किंतु इसकी पहुंच गांवों तक नहीं है। पर्यावरण के संबंध में जानकारी नहीं होने से पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं एवं पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है।

अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि दूरदर्शन जो सरकार के अधीनस्थ चैनल चलाने की कृपा करें जिससे कि दूरदराज के गरीब किसान नवयुवक को पर्यावरण के संबंध में जानकारी मिल सके एवं पर्यावरणीय संकट कम हो सके।

(पन्द्रह) गोरखपुर और छपरा के बीच एक इंटरसिटी रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से पूर्वांचल के लोगों द्वारा गोरखपुर से छपरा के बची इंटर सिटी रेलवे सेवा शुरू करवाने हेतु मांग हो रही है और चक्का जाम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कोई भी ऐसी रेल सेवा नहीं है जिसमें समय पर इन दोनों स्थानों पर पहुंचा जा सकता हो और कई शिक्षण संस्थानों और व्यवसायिक संस्थानों ने इसकी मांग की है कि इन दोनों शहरों के बीच कम समय में यात्रा करने वाली रेल सेवा चलायी जाये परन्तु सरकार ने अभी तक लोगों की मांग को पूरा नहीं किया है। यह मांग जनहित में है और न्यायोचित है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छपरा और गोरखपुर के बीच इंटरसिटी रेलवे सेवा का प्रावधान बजट में किये जाने हेतु घोषणा शीघ्र किया जाये।

(सोलह) जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पटना और बोधगया में विकास कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन के अंतर्गत शामिल पटना और बोधगया के विकास के लिए आज तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वैसे ही बिहार पिछड़ा प्रदेश है और पटना शहर की समस्याएं तो विकराल रूप लेती जा रही है। शहर की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आबादी के अनुसार किसी भी तरह का विकास कार्य पटना में नगण्य है। पहले से ही सीवर, पेयजल, रोड, नाली, बिजली, कूड़ा कचरा की समस्या है उसके लिए किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम सरकार के पास नहीं है। उक्त योजना के तहत चयन होने पर पटना के वासियों को कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी थी कि यह केन्द्र सरकार की योजना है और इससे उनके समस्याओं का शायद निदान हो जाएगा। वह भी अब अधर में लटकती जा रही है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि पटना और बोधगया के लिए विशेष ध्यान देकर वहां आ रही बाधाओं को दूर करें तथा उक्त योजना के तहत अविलंब विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

(सत्रह) मुम्बई में मलिन बस्ती स्वच्छता कार्यक्रम चरण-दो के लिए विश्व बैंक से अनुदान/ऋण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंबई में वर्ष 2004 में मलिन बस्ती सफाई कार्यक्रम-चरण-दो के लिए विश्व बैंक से अनुदान/ऋण के लिए केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था तथा राज्य सरकार का यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अभी तक लंबित है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव पर तत्काल विचार किया जाए और इसे स्वीकृति प्रदान की जाए।

(अठारह) यनम क्षेत्र में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी समाधान हेतु पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को 95 करोड़ रुपए दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): यनम संघ क्षेत्र पुद्दुचेरी का एक क्षेत्र है जो कि पुद्दुचेरी से 890 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा लगातार प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त है। हर बार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में प्राकृतिक आपदा आती है, उनसे यनम भी काफी प्रभावित होता है। प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर राहत एवं पुनर्वास कार्य चलाया जाता है, हमें इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सहायता करनी पड़ती है। अगले वर्ष की आपदा से इस संबध में किये गये अस्थायी उपाय निष्प्रभावी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, क्षेत्र के लोगों को लगातार भय और सदमे के वातावरण में रहना पड़ता है। अगस्त 2006 में गोदावरी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा से इस क्षेत्र में पुन: तबाही हुई थी। केन्द्रीय दल जिसने क्षति का जायजा लिया हमारे इस मत से सहमत था कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं के भय को दूर

करने के लिए कुछ स्थायी उपाय किए जाने चाहिए। जब तक कि हम बाढ़, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए स्थायी प्रकृति के निवारात्मक उपाय नहीं करेंगे तब तक हमें यनम में यातना झेल रहे लोगों के राहत और पुनर्वास पर सार्वजनिक साधनों से पर्याप्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में पुडुचेरी सरकार ने यनम क्षेत्र में स्थायी सुधार के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है जिसे यनम के लोगों के चिर कालीन हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए। क्षेत्र एवं इसके लोगों पर पड़े इसके प्रभाव के मद्देनजर यह एक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव है। यह देखते हुए कि इलाज से बचाव बेहतर है, केन्द्र सरकार को पुडुचेरी सरकार द्वारा अनुरोध किए गए 95 करोड़ रुपये जारी करने चाहिए ताकि लोग किसी भी प्राकृतिक आपदा के भय के बिना रह सकें।

(उन्नीस) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची द्वारा आरनामेंटल फिश कल्चर पर राजसहायता योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): शोभाकारी मत्स्य पालन पर राजसहायता समाप्त किए जाने से समूचे देश में 1000 से अधिक स्थानीय लघु कार्यों से जुड़े हुए लोगों के जीवन यापन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत लघु फार्म की लागत पर व्यय होने वाले 80,000 रुपये का 50 प्रतिशत भाग राजसहायता के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रोत्साहन उपाय के अलावा शोभाकारी मत्स्य पालन में प्रयोगात्मक पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता था। जिसमें किसानों को फार्म की डिजाईनिंग, ब्रीडर सेक्शन, ब्रीडिंग, लाईवफीड कल्चर, रीजरिंग, रोग प्रबंधन तथा विपणन में राष्ट्रीय मत्स्यपालन सोसायटी, कोजीकोड द्वारा सहायता दिया जाना शामिल हैं। यह गैर-सरकारी संगठन शोभाकारी मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र के प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जाता है, जिसे सीएमएफआरआई कोची के प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आरंभ किया गया था तथा इसके माध्यम से जनवरी 2003 से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गोवा में लघु कार्य स्थापित किए गए हैं।

अचानक राजसहायता को समाप्त किए जाने से ये छोटे किसान अत्याधिक प्रभावित हुए हैं। परम्परागत कृषि पर निर्भर ऋण ग्रस्त किसान अप्रत्याशित पैमाने पर आत्महत्याएं कर रहे हैं।

इस एकपक्षीय फैसले से निर्यात के क्षेत्र में भी हमारे प्रयासों को धक्का लगा है। इसके अत्यधिक संवर्धन से हमारी विदेशी विनिमय आय बढ़ेगी जो कि 30,000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल 6.5 करोड़ रुपये है। यह राशि बहुत ही कम है। 200 करोड़ रुपये के घरेलू बाजार में जो कि 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, काफी संभावनाएं हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(बीस) पंढरपुर और मुम्बई के बीच चन्द्रभागा एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन तथा दिल्ली से मनमाड/कोपरगांव के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी पर विट्ठल रकुमई मंदिर और महाराष्ट्र राज्य के ही अहमदनगर जिले में शिरडी में स्थित विश्व प्रसिद्ध सांई बाबा धाम में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किंतु इन श्रद्धालुओं के लिए समुचित नागरिक सुविधाओं का भारी अभाव है।

विश्व प्रसिद्ध इन दोनों पवित्र धामों को विश्व स्तर के पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने और पंढरपुर से मुम्बई के बीच चन्द्रभाग एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो सप्ताह में केवल 2 दिन ही चलती है, को प्रतिदिन चलाये जाने के साथ-साथ सांई बाबा धाम शिरडी में आने वाली श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राजधानी दिल्ली में मनमाड/कोपरगांव तक विशेष सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाये जाने और वहां से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाये जाने तथा कोपरगांव से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों को कम से कम 5 मिनट का स्टापेज दिए जाने की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विश्व प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थलों विट्ठल रकुमई मंदिर एवं बाबा सांईनाथ मंदिर की महत्ता एवं वहां आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम शीघ्र उठाये जाने का कष्ट करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा कल 27 फरवरी, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 फरवरी, 2007/8 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री कैलाश मेघवाल	1
2.	श्री शिशुपाल एन. पटले प्रो. रासा सिंह रावत	2
3.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	3
4.	श्री अबु अयीश मंडल	4
5.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री गुरुदास दासगुप्त	5
6.	श्री महावीर भगोरा श्री मो. ताहिर	6
7.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अमिताभ नन्दी	7
8.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	8
9.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	9
10.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	10
11.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री रघुराज सिंह शाक्य	11
12.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	12
13.	श्री मनोरंजन भक्त श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	13
14.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	14
15.	श्री परसुराम माझी	15
16.	डा. एम. जगन्नाथ	16
17.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री रघुनाथ झा	17
18.	श्री सर्वे सत्यनारायण श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	18
19.	श्री उदय सिंह	19
20.	श्री भर्तृहरि महताब	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	25
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	34, 88, 97, 108, 118
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	47, 66, 82, 97, 118
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	39, 40, 90
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4, 60, 104, 115, 122
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	50
7.	आठबले, श्री रामदास	43, 92, 99
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	70, 99, 100
9.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	21
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	21, 25
11.	भगोरा, श्री महावीर	65, 118
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	69
13.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	28, 105
14.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	64, 99
15.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	7, 90
16.	चिन्ता मोहन, डा.	18, 123
17.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	61
18.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	48, 94
19.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	46
20.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	49, 125
21.	गंगवार, श्री संतोष	102
22.	हुसैन, श्री अनवर	17, 79, 103, 114, 121
23.	जगन्नाथ, डा. एम.	72

1	2	3
24.	झा, श्री रघुनाथ	89
25.	जिन्दल, श्री नवीन	1, 57, 116
26.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2, 59, 96, 111, 120
27.	खारवेनथन, श्री एस.के.	21
28.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	9, 65
29.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	18, 80, 118
30.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	51, 93, 110
31.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	67
32.	महतो, श्री सुनिल कुमार	40
33.	महताब, श्री भर्तृहरि	101
34.	माझी, श्री परसुराम	71
35.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	55, 102
36.	माने, श्रीमती निवेदिता	49, 125
37.	मरन्डी, श्री सुदाम	44
38.	मसूद, श्री रशीद	104, 105, 112
39.	मेघवाल, श्री कैलाश	61, 62, 67, 124
40.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	83, 97, 106, 117
41.	मिश्रा, डा. राजेश	25
42.	मो. ताहिर, श्री	62, 68, 97, 118
43.	मुर्मू, श्री हेमलाल	27, 85
44.	नन्दी, श्री अमिताभ	74, 78
45.	नायक, श्री अनन्त	22, 29, 98
46.	ओराम, श्री जुएल	33, 87, 101
47.	ओवेसी, श्री असादूदीन	97, 118
48.	पलनिसामी, श्री के.सी.	11
49.	पाण्डा, श्री प्रबोध	16
50.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	55
51.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	41, 97
52.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	38
53.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	67
54.	पटैरिया, श्रीमती नीता	74
55.	पाटील, श्री डी.बी.	95
56.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	5, 77
57.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	62, 97, 112, 118
58.	पिंगले, श्री देविदास	13, 95
59.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	23
60.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	20, 70, 99, 100
61.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	91
62.	राजेन्द्रन, श्री पी.	30, 54
63.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	22, 24
64.	राणा, श्री काशीराम	38, 39
65.	राव, श्री के.एस.	26, 84
66.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	14
67.	राठौर, श्री हरिभाऊ	42
68.	रावले, श्री मोहन	99
69.	रावत, प्रो. रासा सिंह	56
70.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकरन	3, 86, 105, 107
71.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1, 6, 81
72.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	64, 99
73.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	8, 15, 37, 91
74.	साईं प्रताप, श्री ए.	19
75.	सज्जन कुमार, श्री	21, 25
76.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	21, 22, 82, 105

1	2	3
77.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	31
78.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	73
79.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	32, 84, 118
80.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	66, 82, 97, 118
81.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	62, 68, 75, 109
82.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	58
83.	सिंह, श्री चन्द्रभान	15
84.	सिंह, श्री दुष्यंत	53
85.	सिंह, श्री गणेश	16
86.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	49, 125
87.	सिंह, श्री मोहन	21, 45
88.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	36
89.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	52
90.	सिंह, श्री सुग्रीव	65, 67
91.	सिंह, श्री उदय	74
92.	सुब्बा, श्री एम.के.	45
93.	सुगावनम, श्री ई.जी.	10
94.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	30, 97
95.	सुमन, श्री रामजीलाल	80, 118, 123
96.	थामस, श्री पी.सी.	12
97.	ठुम्मर, श्री वी.के.	15, 37
98.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	63, 98, 113, 119
99.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	70, 76, 99
100.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	35
101.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	66, 82, 97
102.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	35
103.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	62, 112
104.	यादव, श्री राम कृपाल	20

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	9, 10, 12, 15, 16, 17, 18
रसायन और उर्वरक	:	2, 3
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1, 4, 6
पर्यावरण और वन	:	5, 8, 19
सूचना और प्रसारण	:	11
श्रम और रोजगार	:	7, 14
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	13
जल संसाधन	:	20

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 24, 27, 28, 31, 36, 37, 41, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 61, 65, 66, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 87, 91, 93, 95, 96, 102, 109, 110, 113, 115, 118, 120, 122, 123, 124
रसायन और उर्वरक	:	19, 23, 29, 34, 48, 55, 63, 64, 68, 80, 82, 83, 105
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1, 13, 20, 25, 38, 39, 43, 47, 57, 74, 86, 92, 98, 106, 107, 111, 119
पर्यावरण और वन	:	2, 4, 12, 14, 15, 30, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 59, 70, 72, 76, 89, 90, 100, 101, 116
सूचना और प्रसारण	:	9, 17, 69 103, 104, 117
श्रम और रोजगार	:	22, 33, 35, 63, 67, 81, 97, 99, 121
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	26, 60, 85, 88, 94, 108
जल संसाधन	:	5, 6, 21, 32, 52, 84, 112, 114, 125.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।



© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।